दशम माला, खण्ड 34, अंक 14

गुरूवार, 11 अगस्त, 1994
20 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 15-12-9

(खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाहीं ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

11 अगस्त, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
3	17	औसतन प्रतिवर्ष	औसतन
6	4	एक अधिक गर्मी एकव्यापी	अधिक गर्मी एक विश्वव्यापी
6	8	इसे विश्व व्यापी	इस पर विश्वव्यापी
9	4	"अपनी बदल कर" का लोप करें।	
15	11	फोफ्ट वेयर	सोफ्टवेयर
20	15	का सरकार	क्या सरकार
23	9	शती	सदी
33	12	कोलये	कोयले
310	नीचे से 5	सबास चंद्र नायक	सुबास चन्द्र नायक
330	नीचे से 3 तथा 1	स्थगति	स्थगित
356	5	समयाएं	सम. एं
399	20	सूरजभानु	सूरजभानु सोलंकी
400	18	पूर्वी अरुणाचल	अरुणाचल पूर्वी
402	नीचे से 4	सदन	सभा
402	-वही-	होता है	होती है
402	1	स्थगत	स्थगित

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 34 ग्यारहवां सत्र, 1994 / 1916 (शक)

अंक 14 गुरुवार, 11 अगस्त, 1994 / 20 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	267 से 269 और 273	1–24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	261 से 266, 270 से 272 और 274 से 280	24–46
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2615 से 2737 और 2739 से 2781	46–304
सभा पटल पर रखे गए पत्र		315–317
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति		318
दसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) रेल यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने और रेलवे सुरक्षा बल का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता **श्री विजय एन. पाटिल**		320
(दो) धारावी गंदी बस्ती सुधार योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता **श्री शरद दिघे**		320

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

(तीन) दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता 321

श्री पाला के.एम. मैथ्यू

(चार) राजस्थान में जयपुर-भीलवाड़ा-इंदौर मार्ग पर तथा अन्य मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू करने की आवश्यकता 321

श्री शिवचरण माथुर

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), 1994-95 322-356, 391-402

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1991-92

कुमारी फ्रिडा तोपनो	322
श्री पी.सी. चाक्को	324
श्री ओस्कर फर्नांडीज	331
श्री ई. अहमद	334
श्री बी.के. गुडाडिन्नी	337
श्रीमती संतोष चौधरी	338
कुमारी विमला वर्मा	342
श्री अयूब खां	345
श्री मृत्युंजय नायक	347
श्री खेलसाय सिंह	350
श्री नारायण सिंह चौधरी	352
प्रो. सावित्री लक्ष्मणन	354-356, 391-392
कुमारी शीला तिरिया	392

श्री सूरजभानु सोलंकी	394
श्री पवन कुमार बंसल	396
श्री लाइता उम्ब्रे	400
नियम 193 के अधीन चर्चा	
राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलों की समस्याएं	356–391
श्री मोहन रावले	356
श्री शरद दिघे	365
श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील	372
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	375
श्री जी.वेंकट स्वामी	381

लोक सभा

गुरुवार, 11 अगस्त, 1994/ 20 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 261	-	श्री एस.एम. लालजान बाशा	-	अनुपस्थित
प्रश्न 262	-	श्री जनार्दन मिश्र	-	अनुपस्थित
		श्री पंकज चौधरी	-	अनुपस्थित
प्रश्न 263	-	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	-	अनुपस्थित
प्रश्न 264	-	श्री आनन्द रत्न मौर्य	-	अनुपस्थित
प्रश्न 265	-	श्रीमती शीला गौतम	-	अनुपस्थित
		श्री रामेश्वर पाटीदार	-	अनुपस्थित
प्रश्न 266	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी	-	अनुपस्थित
		डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	-	अनुपस्थित
प्रश्न 267	-	प्रो. सावित्री लक्ष्मणन		

समुद्र से भूमि का कटाव

*** 267. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने, समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के लिए तटवर्ती राज्यों को दी जानेवाली केन्द्रीय ऋण सहायता देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सहायता को बहाल करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों को यह सहायता कब तक बहाल किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ) विकेन्द्रीयकरण के उपाय के रूप में आठवीं पंचवर्षीय योजना में समुद्र-कटाव-रोधी कार्यों के वास्ते केन्द्रीय ऋण सहायता देना बंद कर दिया गया है। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दिसम्बर, 1991 में आयोजित अपनी बैठक में संशोधित फार्मूले के अन्तर्गत विशेष समस्याओं की चुनौती से निबटने के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन में 7.5 प्रतिशत तरजीह देना अनुमोदित किया है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : अध्यक्ष महोदय, 560 कि.मी., लम्बे तट के लिए, केरल को 327 करोड़ रुपये की जरूरत है ताकि समुद्र से होने वाले भू-क्षरण को रोकने में इसका उपयोग हो सके। यद्यपि हमारे मुख्यमंत्री करूणाकरण जी अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे छोटे राज्य के लिए 327 करोड़ रुपये का संसाधन जुटा पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। 'बीच इरोजिन बोर्ड' के सुझाव के अनुसार हम व्यक्तिगत तौर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को तैयार है और प्रस्तुत कर रहे हैं।

जहाँ तक हमारे जल संसाधनों के विकास और उपयोग का मामला है, इसके लिए केन्द्रीय जल आयोग हमारे देश में शीर्ष संस्था है। और इस आयोग को योजना आयोग के अप्राधिकृत और अन्यायपूर्ण निर्णय पर पुर्नविचार करने के लिए पहल करनी चाहिए। जिसके अनुसार वर्ष 1991-92 से ही समुद्री सीमा वाले राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। **(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद : क्या 'अप्राधिकृत' शब्द संसदीय शब्द है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है कि इसे समर्थन हासिल नहीं है।

श्री ई. अहमद : इसलिए, इसे हम संसदीय मानें। . . . **(व्यवधान)**

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : जैसाकि उत्तर में उल्लेख किया गया है, विशेष समस्याओं की चुनौती से

निबटने के लिए 7.5 प्रतिशत बहुत ही कम है। अरब सागर में भूक्षरण की दर बंगाल की खाड़ी की तुलना में बहुत ज्यादा है। अरब सागर में लहरों की ऊँचाई और लहरों की संख्या ज्यादा है और कीचड़ तट (मड बैंक) का बनना सिर्फ अरब सागर की अनोखी विशेषता है। इस कीचड़ तट के बनने के परिणामस्वरूप ''लिटरल मैटेरियल'' पर रोक लग जाती है। और चूँकि प्रवाह उत्तर से दक्षिण को है, इसलिए समुद्र ''लिटरल मैटेरियल'' को जहाँ से भी संभव होगा खींचेगा और लहरों की ऊर्जा को निष्प्रभावी कर देगा। इससे हमारे राज्य में अत्यधिक भूक्षरण होता है। गहरे समुद्र से मिट्टी निकालना ही मँहगा है। यह बहुत ही खर्चीला है। बबल का उपयोग इस भूक्षरण को रोकने का सबसे सस्ता उपाय है। लेकिन इसके लिए भी एक किलोमीटर के लिए 1 करोड़ रुपये की जरूरत है। मैं अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारी दक्षिणी सीमाओं को सुरक्षित रखना जरूरी है। समुद्र से होने वाले भू-क्षरण को रोकने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत की सहायता का पुनःप्रावधान करेगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी दक्षिणी सीमाएँ करोड़ों रुपये खर्च करके सुरक्षित की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह सब स्पष्ट किया जा चुका है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : रक्षा क्षेत्र में हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा 50 प्रतिशत की सहायता दी जाएगी या नहीं।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : एक और चीज है। केरल में प्रतिवर्ष औसतन प्रतिवर्ष दस से पन्द्रह मीटर भूमि का नुकसान होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब आप स्पष्ट कर चुके हैं।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : मैं जानना चाहूँगी कि क्या सरकार इसकी पुनः जाँच करेगी।

श्री पी.के. थुंगन : माननीय सदस्य को समुद्र तट के विषय में और समुद्र की स्थितियों की काफी जानकारी है। मैं दावा नहीं करता कि मुझे भी समुद्र के बारे में इतनी ही जानकारी है जितनी उनको। लेकिन मेरे पास कुछ तथ्य और पृष्ठाधार टिप्पण हैं जिनके आधार पर मैं उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : वह आपसे उम्मीद करती हैं कि आप उनके प्रति सहानुभूति रखें।

(व्यवधान)

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, मैं उत्तर देने में पूरी सहानुभूति रखूँगा। **(व्यवधान)**

श्री ई.अहमद : आप सहानुभूतिपूर्वक उत्तर नहीं देंगे। **(व्यवधान)**

श्री पी.के. थुंगन : पृष्ठभूमि इस प्रकार है। चौथी योजना से पहले, राज्यों को दी जाने वाली

केन्द्रीय सहायता योजना के स्वरूप पर आधारित होती थी। चौथी पंचवर्षीय योजना से केन्द्रीय सहायता गाडगिल सूत्र पर आधारित हो गई जिसे छठी पंचवर्षीय योजना के आरंभ में संशोधित कर दिया गया। यह गाडगिल सूत्र वर्ष 1990-91 तक जारी रहा। अक्तूबर 1990 में, इस गाडगिल सूत्र को केवल वर्ष 1991-92 के लिए पुनः संशोधित किया गया। दिसम्बर, 1991 में, एनडीसी ने प्रणव मुखर्जी सूत्र स्वीकार किया और जिसे अब आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

अब प्रणव मुखर्जी सूत्र के अनुसार, तटवर्ती क्षेत्रों सहित राज्यों की विशेष समस्याओं, बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के आबंटन में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यदि मैं थोड़ा सा इस सूत्र की व्याख्या करूँ तो यह सूत्र इस प्रकार है।

मानदण्ड और प्राथमिकता : जनसंख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है, प्राथमिकता 60 प्रतिशत है; प्रति व्यक्ति एस.डी.पी. के साथ प्रति व्यक्ति आय विचलन जिसमें राज्यों से संबंधित मामले भी शामिल हैं, राष्ट्रीय औसत सें 20 प्रतिशत कम है। सभी राज्यों के संबंध में दूरी संबंधी मानदण्ड के अनुसार पाँच प्रतिशत प्राथमिकता दी गयी है, और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों के संबंध कर-वसूली प्रयासों से संबंधित कार्यनिष्पादन, वित्तीय प्रबंध और प्रगति के मामले में 7.5 प्रतिशत प्राथमिकता दी गई है। इसके आधार पर तटीय क्षेत्रों में समुद्र से होने वाले भूकटाव से रक्षा करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। माननीय सदस्य ने कुल तटीय क्षेत्र लगभग 5600 किलोमीटर बताया है। किन्तु, कुल तटीय क्षेत्र 5700 कि.मी. है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : 560 कि.मी. तो केवल केरल के संबंध में ही है। मंत्री जी ने जो उल्लेख किया है इसके लिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन मेरा पुनः निवेदन यह है कि 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाए।

और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 'बीच इरोजिन बोर्ड' अपना अनुसंधान कार्य करता रहा है और मैं जानना चाहता हूँ : (क) उनके विचार में कौन-सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है और ऐसे अध्ययन के फलस्वरूप क्या कदम उठाए गए हैं और (ख) क्या केन्द्रीय जल आयोग कोचीन के लिए मंजूर किए गए अधीक्षक अभियंता कार्यालय को शुरू करने के लिए यह सोचते हुए अविलम्ब कदम उठाएगी केरल का सबसे नजदीक अधीक्षक अभियंता कार्यालय बंगलौर में है।

श्री पी.के. थुंगन : मैं पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। कोचीन में अधीक्षक अभियंता (तटीय भू-क्षरण) का एक पद है, जिसे संवर्ग पुनरीक्षा योजना में मंजूर किया गया था। यह पद पहले ही मंजूर किया जा चुका है और शीघ्र ही आगे कार्रवाही की जाएगी।

माननीय सदस्य के प्रश्न क के पहले भाग विषय में कि समुद्री कटाव से कौन सा तटीय क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। केरल ओर कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। अन्य तटीय राज्य और संघ राज्य

क्षेत्र के जो अपेक्षाकृत कम प्रभावित हैं वे हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने केरल के साथ-साथ कर्नाटक को भी समुद्री कटाव से बुरी तरह प्रभावित राज्य बताया है। हाल ही में बाढ़ और तूफान ने तटों को बुरी तरह प्रभावित किया है और हमारी मछली पकड़ने वाली नौकाएं बह गईं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि माँगी जाने वाली वित्तीय सहायता के कुछ भाग को छोड़कर हम किस तरह की प्रौद्योगिकी अपनाने जा रहे हैं ? क्या कोई विदेशी प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी ताकि लागत कम की जा सके और समुद्र से होने वाले भू-कटाव को प्रभावकारी ढंग से रोका जा सकें ?

मेरे विचार में, यदि आप इस समुद्री कटाव को समुचित रूप से नहीं रोकते, तो समुद्र तट को तोड़ देगा। हमारी कोशिश है कि लहरों को तोड़ा जाए। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सही प्रकार की प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी।

श्री पी.के.थुंगन : 'बीच इरोजिन बोर्ड' के गठन का मूल उद्देश्य तट क्षेत्र की भू-कटाव से रक्षा के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का पता लगाना और इसके बाद समुद्र से होने वाले भू-कटाव के सभी पहलुओं के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को सलाह देना है। जहाँ तक कर्नाटक को अब तक दी गई वित्तीय सहायता का संबंध है, ...

अध्यक्ष महोदय : वह प्रौद्योगिकी के विषय में पूछ रहे हैं। क्या आप नयी प्रोद्योगिकी अपनाने जा रहे हैं ? क्या आप अत्याधुनिक नई प्रोद्योगिकी अपनाने जा रहे हैं ?

श्री पी.के. थुंगन : हाँ 'बीच इरोजिन बोर्ड' के कार्यकरण के सम्बन्ध में यह एक सतत प्रक्रिया है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा के तटों में विशेषकर पं. बंगाल के दीघा में और उड़ीसा के तालचेर में समुद्र से गंभीर भू-कटाव हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर वह पहले ही दे चुके हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : यह ऋण सहायता का मामला होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन राज्यों को उनके समुद्र तटों की रक्षा हेतु ऋण सहायता देने पर पुनर्विचार करेगी ?

किसी को कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऋण की अदायगी कर दी जानी है।

श्री पी.के. थुंगन : मैंने पहले ही कहा है कि पहले ऋण सहायता 2:1 अनुपात में दी जाती थी जिसका तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सरकार दो हिस्से और राज्य सरकार एक हिस्सा अदा करती थी। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया और यह 50:50 अर्थात् 1:1 कर दिया गया है। परन्तु अब नये फार्मूले

अर्थात् श्री प्रणव मुखर्जी फार्मूला के अनुसार इस प्रकार के सामुद्रिक जल कटाव के कारण भू-क्षरण समस्या को 7.5 प्रतिशत का महत्व प्रदान किया जाता हैं। उसके आधार पर ब्लाक सहायता दी जाती थी। यह कोई कार्यक्रम संबंधी सहायता नहीं है, परन्तु यह ब्लाक सहायता के आधार पर है।

श्री सुधीर सावंत : विश्व के वातावरण में एक अधिक गर्मी एक व्यापी घटना है। समुद्र के बढ़ते हुए स्तर पर रियों में भी विचार किया गया। अन्तराष्ट्रीय समुदाय ने भी इसके प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की है। यदि समुद्र का जल-स्तर एक मीटर भी बढ़ गया तो मालदीव पूरी तरह जल-मग्न हो जायेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र कटाव राज्य का विषय नहीं हो सकता है। इस पर विश्व-व्यापी स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। इसीलिए इसे विश्व-व्यापी और राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिए। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे नियंत्रित करने के लिए कोई योजना बनाई जानी चाहिए।

महाराष्ट्र में भी सिन्ध, दुर्ग और रत्नागिरी में अत्यधिक वर्षा से कई ज़िले और गाँव पूरी तरह जल-मग्न हो गए हैं। इसीलिए मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्रालय इस घटना को नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा मास्टर प्लान बना रहा जो कि स्थानीय न होकर व्यापक है या इस सम्बन्ध में उचित तकनीकी विकास किया जा रहा है।

श्री पी.के. थुंगन : यह सच है कि यह कृषि भूमि और अन्य भूमि को आप्लावित कर रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से भी इस समुद्र कटाव और ऐसे आप्लावन को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र भूक्षरण बोर्ड समय समय पर इस पर विचार कर रहा है। जहाँ तक मास्टरप्लान का सम्बन्ध है, समुद्रवर्ती राज्यों को अपनी मास्टरप्लान स्वयं बनानी चाहिए और उस पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यह एक बड़ी घटना है राज्य इसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। क्या केन्द्रीय सरकार यह उत्तरदायित्व वहन करने के लिए तैयार है।

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। जब भी राज्य कोई मास्टरप्लान बनाते है और उसे समुद्र भूक्षरण बोर्ड को भेजते हैं, तो सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तब समुद्र भूक्षरण बोर्ड सम्बद्ध राज्य सरकारों को योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के विषय में परामर्श देता है।

समुद्र भूक्षरण बोर्ड केवल सम्बद्ध राज्य सरकारों को परामर्श देने का कार्य करता है क्योंकि समुद्री तट और समुद्र कटाव नियन्त्रण राज्य के विषय है। अतः राज्य उन्हें कार्यान्वित करते हैं।

जब कार्यान्वयन हेतु निधियों का प्रश्न उठता है, तब मेरे द्वारा बताये गए फार्मूले को अपनाया जाता है। फिर ब्लाक ऋण पद्धति को अपनाया जाता है। इसके अलावा बाह्य निधि प्रबन्धन, विदेशों में अनिवासी भारतीयों से निवेश, बड़ी कम्पनियों और अन्य साधनों से निधियों का एकत्रीकरण होता है। इस प्रकार से निधि का प्रबन्ध किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने तरीके बदलना चाहते हैं ? वह जानना चाहते हैं कि क्या आप अपनी नीति बदलना चाहते हैं ? क्या राज्यों के सम्बन्ध में आप अपना तरीका बदलना चाहते हैं ?

श्री पी.के. थुंगन : मैंने अभी तक अपना तरीका नहीं बदला। परन्तु जहाँ तक प्रणव मुखर्जी फार्मूले की तुलाई का सवाल है, यह जारी रहेगा।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले सप्ताह बाढ़ की स्थिति पर हस्तक्षेप के बावजूद सरकार पूर्णतः अनिश्चित दृष्टिकोण अपना रही है। केरल में 560 किलोमीटर के समुद्री तट में, मात्र 50 प्रतिशत भाग पर अवरोध का निर्माण किया गया है। द्रुत गति हवाओं से क्षतिग्रस्त वर्तमान अवरोध की मरम्मत लागत का 30 प्रतिशत केन्द्र ने वहन किया है। उन्होंने नये निर्माण का 50 प्रतिशत भाग रोक दिया है। केन्द्र द्वारा वहन 30 प्रतिशत मरम्मत लागत भी बन्द हो गई है। अतः अत्यधिक खर्च करके निर्मित 250 किलोमीटर का अवरोध भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस अवरोध की मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार कोई निधि प्रदान नहीं कर रही है। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ? मैं जानना चाहता हूँ कि इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य सरकार को क्या कोई सहायता प्रदान हो रही है ?

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, मैं थोड़ा विस्तार से उत्तर देना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न नहीं है।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, कम महत्त्व का तो नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह आसान सा प्रश्न है। मात्रा रख-रखाव धन राशि दी जानी है।

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूँगा।

केरल में नई समुद्री दीवारों के निर्माण हेतु केन्द्रीय, ऋण सहायता की शुरूआत 1972-73 से हुई और छठी योजना अवधि से केन्द्रीय ऋण सहायता का विस्तार समुद्री दीवार के निर्माण और सुदृढ़ीकरण हेतु किया गया। यह शुरू में केन्द्र और राज्य के बीच में 1980-81 और 1982-83 मे 2:1 के अनुपात में था। अब 1983-84 से यह अनुपात 1:1 हो गया है। माननीय सदस्य ऋण की अदायगी की अवधि जानना चाह सकते हैं। यह 25 वर्ष की अवधि के भीतर है।

समुद्री कटाव के कारण अवरोधों की सुरक्षा हेतु केरल को अब तक 52.5 करोड़ तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

श्री ई. अहमद : केरल की 565 किलोमीटर लम्बी समुद्री तट अन्तराष्ट्रीय सीमा है। भारत सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। किसी भी अन्य राज्य से भिन्न यह अर्न्तराष्ट्रीय सीमा थी। निश्चय ही मैं अन्य राज्यों से इस बात पर सहमत हूँ कि उनके मामलों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। परन्तु इस

मामले में जैसा कि मेरे मित्र श्री चाको ने कहा है 313 किलोमीटर लम्बी दीवार का निर्माण किया जा चुका है व्यय 2:1 के अनुपात में वहन किया जाना चाहिए। परन्तु यह सारा व्यय भी पूर्णतः चुकाया नहीं गया है। केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से 212 करोड़ रूपए देने की प्रार्थना की। परन्तु अभी तक सरकार ने केवल 50 करोड़ या 55 करोड़ रुपये दिए हैं। जैसाकि मंत्री जी ने बताया जब कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है तो हम इसका प्रबन्ध कैसे करेंगे। सरकार त्रुटिपूर्ण नीति का अनुसरण कर रही है। केरल में इस समय विद्यमान परिस्थितियों में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को प्रभावित कर रहा है अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार क्यों नहीं कर सकती ?

श्री पी.के. थुंगन : मैंने इस समय विद्यमान परिस्थितियों को विस्तार से बता दिया है अवरोध की निर्मिति और सुरक्षा सहित इस परियोजना को निधियों की आवश्यकता के मामले पर प्रणव मुखर्जी फार्मूले के प्रावधानों के भीतर, राज्य सरकार परियोजना रिपोर्ट तैयार करके उसको कार्यान्वित कर सकती है।

श्री पी.सी. थामस : चाहे प्रणव मुखर्जी फार्मूला और गाडगिल फार्मूला पर्याप्त रूप से अच्छे हैं, अब हम यह सोच रहे हैं कि क्या हम थुंगन फार्मूला या मनमोहन फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा, हम सब जानते हैं कि यह राष्ट्रीय सीमा का प्रश्न है। अन्य सभी राज्य भी इस तथ्य पर सहमत हैं कि हम केरल निवासी, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ-साथ समुद्री कटाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका राज्य इतने थोड़ी सी निधि से मुकाबला नहीं कर सकते। अब मैं यह सुझाव देने का प्रयास कर रहा हूँ कि सम्पूर्ण मामले को देश का मामला मानते हुए इस पूर्ण स्थिति पर कोई नया फार्मूला निकाला जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से यही दूसरा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया गया है। ऐसा मत सोचिए कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं । परन्तु वह उत्तर देना नहीं चाहते।

प्रो. के.वी. थामस : इसलिए मैं इस प्रश्न को इसके दूसरे पहलू की तरफ ले जा रहा हूँ। यह कहा गया है कि हो सकता है कि प्रौद्योगिकी सही नहीं हो। मुझे तकनीक के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में संदेह हैं। यह मात्र समुद्री कटाव का प्रश्न नहीं है। अपितु निधियों के विघटन का भी प्रश्न है जो इन सब वस्तुओं के लिए दी जाती है। यह एक तथ्य है कि उनका पूर्णतः उपयोग नहीं होता ? क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार किसी ऐसे फार्मूले की तलाश करें जिसके द्वारा जब कार्य हो रहा हो तो इस पक्ष पर निगरानी रखी जा सके।

श्री पी.के. थुंगन : हम सब जानते हैं कि केरल एक सुन्दर राज्य है। समुद्र किनारे के साथ बसे

सभी राज्य सुन्दर है। इन सब चीजों के अलावा, हम सुन्दर समुद्र तटों को खोना नहीं चाहते इसीलिए हम उनके बारे में चिन्तित है। . . . (व्यवधान) . . .

अध्यक्ष महोदय : यह एक आसान सा प्रश्न है। क्या कोई नया फार्मूला होगा या थुंगन फार्मूला होगा ?

वह पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी बदल कर कोई नया फार्मूला ला रहे हैं।

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, मैं इसी पर आ रहा हूँ।

योजना अवधि आरम्भ होते ही सरकार समुद्री कटाव की समस्या का मुकाबला करने में व्यस्त हो गई। यही कारण है कि 70 के दशक के आरम्भ में ही गाडगिल फार्मूले तैयार की गई और फिर जब उसे युक्तियुक्त नहीं पाया गया तो उसमें परिवर्तन किया गया।

जहाँ तक फार्मूले और नीति के पुर्नविचार का प्रश्न है हम अकेले ही सक्षम नहीं है। एनडीसी को इसे स्वीकृति देनी है। उस समय तक माननीय सदस्यों के विचार उनको निश्चित रूप से मालूम हो जायेंगे।

इलैक्ट्रोनिक प्रचार-माध्यम

***268. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश लोग अब भी इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यमों के लाभ से वंचित हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रम अनेक गाँवों और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों तक अभी भी नहीं पहुँच रहे हैं ;

(घ) क्या इन क्षेत्रों में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ङ) यदि हाँ, तो वर्ष 1994-95 में राज्य-वार किन-किन दूरदर्शन केन्द्रों में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने का विचार किया गया है ; और

(च) ये ट्रांसमीटर कब तक लगा दिए जाएँगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संपूर्ण देश में दूरदर्शन की उपग्रह सेवा उपलब्ध है। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों सहित

देश के 66.8 प्रतिशत क्षेत्र में रहनेवाली अनुमानित 84.6 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन की स्थलीय सेवा उपलब्ध है। स्थलीय कवरेज को सुधारने की दृष्टि से 67 उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों सहित विभिन्न शक्तियों के ट्रांसमीटर इस समय कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं।

(ङ) विवरण - एक में अपेक्षित ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है।

(च) एक सूचीबद्ध दो अंतरिम सेट अप सहित नौ उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को 1994-95 के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है। 60 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की सूची संलग्न विवरण - दो में दर्शायी गयी है। जिन्हें उनकी मंजूरी की तारीख से 3-4 वर्षों में स्थापित किए जाने की संभावना है बशर्ते कि आधारभूत ढांचा और साधन उपलब्ध हों।

विवरण - एक

1994-95 के दौरान स्थापित किए जानेवाले संभावित उच्च शक्ति टी.वी. टांसमीटर

	स्थान	राज्य
1.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
2.	लेह	जम्मू और कश्मीर
3.	कालीकट (1.8.94 को चालू किया गया 1 किवा का अंतरिम सेटअप)	केरल
4.	लुंगलेई	मिजोरम
5.	मोकोकचुंग	नागालैंड
6.	जैसलमेर	राजस्थान
7.	बाड़मेर (1 कि.वा. का अंतरिम सेटअप)	राजस्थान
8.	गंगतोक	सिक्किम
9.	मऊ	उत्तर प्रदेश

विवरण - दो

कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1	2	3
1.	नांदयाल	आंध्र प्रदेश

1	2	3
2.	कुरनूल	
3.	राजामुंदरी	आंध्र प्रदेश
4.	वारंगल	
5.	ओगोल	
6.	तेजपुर	असम
7.	जोरहाट	
8.	बोंगाईगांव/कोकराझार	
9.	जमशेदपुर	बिहार
10.	बेतिया	
11.	देवघर	
12.	भुज	गुजरात
13.	पालीताना	
14.	सूरत	
15.	बड़ोदरा	
16.	राधनपुर	
17.	जूनागढ़	
18.	हिसार	हरियाणा
19.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश
20.	नौशेरा	जम्मू और कश्मीर
21.	कथुआ	
22.	गुलबर्गा	कर्नाटक
23.	मंगलौर	
24.	मैसूर	
25.	रायचूर	

1	2	3
26.	हासन	
27.	कन्नानोर	केरल
28.	कालीकट	
29.	अँबिकापुर	मध्यप्रदेश
30.	गुना	
31.	शहडोल	
32.	सागर	
33.	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
34.	जलगांव	
35.	महिपतगढ़ (कोल्हापुर)	
36.	चुराचांदपुर	मणिपुर
37.	बालाश्वर	उड़ीसा
38.	संबलपुर	
39.	बरहामपुर	
40.	फाजिल्का	पंजाब
41.	अजमेर	राजस्थान
42.	अनूपगढ़	
43.	बीकानेर	
44.	जोधपुर	
45.	नाथद्वारा	
46.	बाड़मेर (1 कि.वा. के स्थान पर 10 कि.वा. का अंतरिम रूप से स्थापन)	
47.	रामेश्वरम (मौजूदा 1 कि.वा. के स्थान पर 10 कि.वा. अंतरिम सेट-अप)	तमिलनाडु

1	2	3
48.	धर्मापुरी	
49.	कुम्बाकोणम	
50.	तिरुनेलवेल्ली	
51.	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश
52.	बांदा	
53.	लखीमपुर	
54.	सीतापुर	
55.	जालौन	
56.	चांपावत	
57.	बलूरघाट	पश्चिम बंगाल
58.	खड्गपुर	
59.	कृष्णानगर	
60.	पॉंडिचेरी	पॉंडिचेरी

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल (शोलापुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री जी ने स्थलीय कवरेज को सुधारने के लिये उठाये गये कदमों की जानकारी दी है। आज सैटेलाइट सेवा के द्वारा दुनिया के सभी स्टेशनों के कार्यक्रम अपने घर पर बैठ कर देखे जा सकते हैं मगर उन्हें देखना टैक्निकल दृष्टि से तभी संभव है जब हमारे पास डिश एंटीना हो। आज डिश एंटीना खरीदने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं है। आम आदमी डिश एंटीना खरीदकर, अपने सैट पर सभी कार्यक्रम देख सके, इसके लिये डिश एंटीना की कीमत कम करने के संबंध में दूरदर्शन के रिसर्च एण्ड डैवलपमेंट विंग के पास क्या कोई ऐसा कार्यक्रम है जिससे कि आम आदमी को डिश एंटीना खरीदने में सुविधा हो सके।

मेरे प्रश्न के एक भाग के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने देश में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर की सूची दी है और कहा है कि 1994-95 के दौरान 9 उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की संभावना है। उस सूची में महाराष्ट्र के केवल 3 नाम दिये गये हैं। शोलापुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंडस्ट्रीज के लिहाज से काफी अहमियत रखता है, लेकिन उसे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया हैं। मैं आपके माध्यम

से जानना चाहता हूँ कि शोलापुर का नाम लिस्ट में शामिल करने के लिये कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, प्रश्न का पहला भाग डिश एंटीनाओं के बारे में हैं।

सूचना और प्रसास्ण मंत्रालय सहित किसी मंत्रालय को डिश एंटीना देने की कोई योजना नहीं है। इसलिए, हम स्थलीय कवरेज को बढ़ा रहे हैं ताकि राष्ट्रीय कार्यक्रमों को देखने के लिए महंगे डिश एंटीना स्थापित करना आवश्यक न हो।

जहाँ तक शोलापुर जिले का संबंध है, वहाँ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में मैं कह नहीं सकता जो शोलापुर जिले के अन्तर्गत हैं। मैं उन स्थानों का ब्यौरा दे सकता हूँ जिन्हें महाराष्ट्र में लिया गया है।

महोदय, यदि आप कहें तो मैं इस समय नाम पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे शोलापुर की सीमाओं की जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बाद में लिखित में दे दें।

[हिन्दी]

श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल (शोलापुर) : माननीय अध्यक्ष जी, आजकल पाकिस्तान दूरदर्शन द्वारा भारत के बारे में काफी भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसे रोकने के लिये हमारे दूरदर्शन के पास क्या कोई कार्यक्रम या योजना है ताकि कच्छ से कश्मीर तक हाई पावर ट्रांसमीटरर्स लगाकर उनके प्रचार को विफल बनाया जा सके। यदि नहीं हैं तो क्या दूरदर्शन द्वारा ऐसा कोई प्रोग्राम बनाने का विचार है ?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, दूरदर्शन भ्रामक प्रचार की कोई मशीन या मशीनरी नहीं है। हमारे पास भारत के भीतर सीमाओं तक कवरेज की क्षमता है। हमारी सीमाओं के बाहर सीमावर्ती क्षेत्रों में भी दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम देखे/सुने जा सकते हैं। ये प्रचार के साधन नहीं हैं और हम अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

श्री मृत्युंजय नायक : मैं माननीय मंत्री का अत्यधिक आभारी हूँ। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के अनेक वर्षों बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक निम्न शक्ति का ट्रांसमीटर स्वीकृत किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 5 जिले हैं जो निर्धनता ग्रस्त, पिछड़े, अविकसित और अल्पविकसित हैं। वहाँ पहाड़ी और घने जंगल भी हैं। इसलिए, महोदय, मैं आपका हस्तक्षेप चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप माननीय मंत्री को

निदेश देंगे कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे अनुरोध पर निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप उत्तर देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र मेरे जिले के समीप हैं। इसमें कोई आशंका नहीं है कि यह एक अर्द्धविकसित और पहाड़ी क्षेत्र है। उन्होंने स्वयं ही कारण बताया है कि उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर क्यों नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि वहाँ पहाड़ियाँ हैं, इससे प्रतिच्छाया क्षेत्र है। जो उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर के लिए उचित नहीं है। इसलिए, हम निम्न शक्ति के अनेक ट्रांसमीटर लगा रहे हैं जो क्षेत्र को कवर करेंगे।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, 'इंसेट' की बदौलत आज हमारे पास अनेक उपग्रह वाले टी.वी. चैनल हैं। परन्तु फोफ्टवेयर कार्यक्रमों की अपर्याप्तता के कारण हम मुश्किल से ही प्रसारण समय की पूर्ति कर पाते हैं। उनकी गुणवत्ता घटिया है और कार्यक्रम चुनिंदा लोगों के लिए और शहरी रूझान वाले हैं। दूसरी और, अनेक केवल टी.वी. संचालक अपने निजी प्रसारण नेटवर्क कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस मूल वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्र सरकार अनेक राज्य सरकारों को उनके अपने प्रसारण कार्यक्रम चलाने के उनके अनुरोध पर विचार करेगी ताकि कार्यक्रम जनता के नजदीक हो सकें और इलेक्ट्रोनिक माध्यम के लाभ सभी व्यक्तियों तक पहुँच सकें ?

श्री के.पी. सिंह देव : माननीय सदस्य ने अपनी अनुभूति व्यक्त की है। प्रसारण संघ सूची में है। इस मामले पर स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान भी चर्चा हुई थी। यह केन्द्रीय सरकार का विषय है और इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा। मैं सदन को बता सकता हूँ कि हम स्थलीय तरीकों से कवरेज बढ़ा रहे हैं। अब एक नई योजना है जिसके द्वारा उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों और निम्न शक्ति के ट्रांसमीटरों के पास प्ले-बैक सुविधाएं होंगी जिनसे हम 25 से 100 किलोमीटर की परिधि में स्थानीय कार्यक्रम दिखाने में सफल होंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि भारत का हृदय, जो मध्य प्रदेश हैं और उसका इतना बड़ा शहर रायपुर हैं वहां पर बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करने वाला जो टी.वी. केन्द्र है, वह बहुत कम शक्ति का है जिसके कारण उस शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी वे कार्यक्रम ठीक सुनाई नहीं देते हैं और न दिखाई देते हैं, तो क्या मंत्री महोदय, वहां पर अधिक शक्ति का टी.वी. केन्द्र स्थापित करेंगे और महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वहां का जो टी.वी. केन्द्र हैं, वहां

से उस क्षेत्र का कोई भी ओरिजिनल कार्यक्रम प्रसारित नहीं होता है, जिसके कारण उस क्षेत्र के लोगों में टी.वी. के कार्यक्रमों के प्रति कोई रूचि नहीं रह गई है। इसलिए क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कब तक वहां से उस क्षेत्र के ओरिजिनल कार्यक्रम प्रसारित होने शुरू हो जाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : माननीय सदस्य की बात काफी ठीक है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वास्तव में अत्यधिक समृद्ध संस्कृति है और हमारा यह प्रयास होता है कि जहाँ तक संभव हो कार्यक्रमों का निर्माण और संचालन रायपुर से किया जाए। रायपुर केन्द्र का संवर्धन एक चालू परियोजना है। चूँकि ये 9 यांत्रिक और इलेक्ट्रोनिक चीजें हैं, इसमें समय लगता है और हम इसमें जल्दी नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, यह एक चालू परियोजना है। मैंने कल ही लोक सभा लाबी में माननीय सदस्य को आश्वासन दिया है और मैं दोहराता हूँ कि कार्यक्रम रायपुर से और माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये कलाकारों द्वारा ही तैयार किये जायेंगे।

श्री अनादि चरण दास : महोदय, आन्ध्र प्रदेश राज्य का सीमावर्ती जिला है कोरापुट यहां के अधिकांश लोग दूरदर्शन के लाभ से वंचित हैं। उस क्षेत्र में टी.वी. पर केवल 2 तेलुगु फिल्मे ही दिखाई जाती हैं। यह एक आदिवासी क्षेत्र है और लोग केवल उड़ीया भाषा जानते हैं। वे तेलुगु नहीं जानते। महोदय, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि विशेषकर लखीमपुर, नालपटना, रायगाड़ा, पटंगी, पदुआ और माचकुंड में उड़ीया कार्यक्रम दिखाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है। या उन्हें दूरदर्शन का लाभ उठाने के लिए तेलुगु सीखने के लिए बाध्य किया जाए।

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, माननीय सदस्य कोरापुट जिले में एक सर्वोदय, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिन नामों का उन्होंने उल्लेख किया है, उनके बारे में स्थानीय संसद सदस्य श्री के. प्रधानी ने पहले ही अनेक सुझाव दिये हैं। पदुआ उनमें से एक हैं जिसके लिए 1994-95 में मंजूरी दी गई है। पहला कोटपाद में है और दूसरा उभारकोट में हैं। रायगाड़ा में केवल डेढ़ महीने पूर्व ही उस क्षेत्र के माननीय सदस्य ने एक निम्न शक्ति के ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है। अतः पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में और विशेषकर उन क्षेत्रों में हम अधिकतम जोर दे रहे हैं जो अखिल भारतीय औसत से नीचे हैं। अखिल भारतीय स्तर 84.6 प्रतिशत है। पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छा कार्य नहीं हुआ है। और हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री अनादि चरण दास : पदुआ के बारे में क्या है ?

श्री के.पी. सिंह देव : मैंने पहले ही कहा है कि 1994-95 के लिए मंजूरी दी गई है।

तमिलनाडु में पानी की उपलब्धता

***269. श्री एम.कृष्ण स्वामी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सिंचाई और पीने के लिए कुल कितने पानी की आवश्यकता है ;

(ख) तमिलनाडु में कितना पानी उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य में जल-आपूर्ति योजनाओं के विकास हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अंतरिम पंचाट के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं / उठाने का विचार किया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रकाशित "वाटर रिसोर्सिज आफ इंडिया 1988" निबन्ध के अनुसार, वर्ष 1991 तथा 2001 के दौरान तमिलनाडु में पेयजल सहित घरेलू प्रयोजनों के लिए जल को वार्षिक आवश्यकता क्रमशः 1907 मिलियन और 22.34 मिलियन घन मीटर आंकी गयी है। सिंचाई प्रयोजनों के लिए राज्यवार जल की आवश्यकता का पता नहीं लगाया जाता है।

(ख) चूंकि जल संसाधन आयोजन और विकास के लिए नदी थाला अथवा उप-थाला जल वैज्ञानिक यूनिट है इसलिए जल संसाधनों की उपलब्धता का पता थाला/उप-थाला के आधार पर ही लगाया जाता है। जल संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) सिंचाई परियोजनाओं को आयोजना, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों या अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है तथा यह किसी विशेष परियोजना से जुड़ी नहीं होती है। बाह्य सहायता यदि कोई होती है तो इसे अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को दे दिया जाता हैं।

जल आपूर्ति और सफाई योजनाओं की आयोजन, डिजाइन और क्रियान्वयन भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु में 76 जल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता के वास्ते एक प्रस्ताव राज्य सरकार से केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय में प्राप्त हुआ था, जिसने केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता एवं मात्रा, जो

तमिलनाडु को उपलब्ध की जा सकती है, को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 1993-94 के दौरान उनमें से 15 योजनाएं अनुमोदित की थीं तथा 82.24 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की थी।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु सरकार को किया गया आबंटन और निर्मुक्त की गयी राशि इस प्रकार है :

वर्ष	आबंटन	निर्मुक्ति (करोड़ रुपए)
1993-94	32.68	34.70
1994-95	36.82	18.41 जुलाई तक

(ङ) जैसा कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा - 6 के अन्तर्गत अपेक्षित है, केन्द्रीय सरकार ने 10.12.1991 को भारत के राजपत्र में अधिकरण के 25.6.1991 के अन्तरिम आदेश को प्रकाशित किया है।

श्री एम.कृष्ण स्वामी : महोदय, तमिलनाडु दक्षिण के राज्यों में एक ऐसा राज्य है जो जल से वंचित है। इसे प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ने की बात लगभग दो दशकों से की जा रही है लेकिन अब तक कुछ भी कार्यान्वित नहीं किया गया। केरल में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का काफी मात्रा में पानी समुद्र में जा रहा है। यह तो एक बर्बादी है। यदि उक्त योजना को कार्यान्वित किया जाता है तो यह पानी को समुद्र में गिरने से रोक सकती है और यह पानी तमिलनाडु के कतिपय भागों में नहरों में छोड़ा जा सकता है। इसी के कारण कावेरी विवाद उत्पन्न हुआ। कावेरी विवाद काफी समय से लम्बित है। अंतरिम अधिनिर्णय के कार्यान्वयन पर अब तक कोई चर्चा नहीं की गई है क्योंकि पिछले दो वर्षों से राज्य में जल की कोई कमी नहीं है। इस परियोजना के कार्यान्वित न होने से, कावेरी विवाद उत्पन्न हो गया और तमिलनाडु की राजनीति अब इसी विवाद पर केंद्रित है। विपक्षी पार्टियाँ इसका लाभ उठा रही हैं और इसी के विषय में चर्चा कर रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम अधिनिर्णय दे दिए जाने की आशा है। वे कर्नाटक सरकार के रवैये को देखते हुए अंतिम अधिनिर्णय को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, यह सही है कि कावेरी जल विवाद एक गंभीर मामला है। दरअसल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी इससे प्रभावित हो रहे हैं।

अब, वर्ष 1924 में भूतपूर्व रजवाड़े मैसूर और मद्रास प्रान्त के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता 50 वर्ष तक वैध रहा।

इस आधार पर कि कर्नाटक सरकार द्वारा इसका उल्लंघन किया गया था। जुलाई 1986 में

अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत, तमिलनाडु सरकार ने एक न्यायाधिकरण की स्थापना करने का अनुरोध किया था। यह न्यायधिकरण 2 जून, 1990 को स्थापित किया गया था। 25 जून, 1991 को एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी दोनों को राहत दी गयी थी। न्यायाधिकरण का यह अंतरिम आदेश 10 दिसम्बर 1991 को सरकारी राजपत्र में छपा था। हम संबंधित राज्य सरकारों से कहेंगे कि वे न्यायधिकरण के निर्णय को पूर्णरूप से कार्यान्वित करें।

श्री एम.कृष्ण स्वामी : महोदय, मद्रास और तमिलनाडु के अन्य नगरों को मद्रास और तमिलनाडु के अन्य नगरों को पेय जल की आपूर्ति करने के लिए कुछ योजनाएँ बनायी गयी हैं। कुछ योजनाएँ, जैसे वीरनान परियोजना, केन्द्रीय सरकार के समक्ष लम्बित रही है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वीरनान परियोजना को सहायता देने के लिए अनुरोध किया है ताकि मद्रास के लिए और तमिलनाडु के अन्य नगरों के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि की जा सके। इसी प्रकार, तेलुगु गंगा परियोजना काफी समय से लंबित है। यद्यपि तमिलनाडु सरकार ने आंध्र प्रदेश को इस कार्य का निष्पादन करने के लिए धन दिया है लेकिन फिर भी इसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सकता है। क्या मंत्री जी इन मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री पी.के. थुंगन : इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेलुगू गंगा परियोजना तमिलनाडु के लिए पेयजल की आपूर्ति में वृद्धि करने संबंधी कार्यक्रम का ही हिस्सा है फिर भी इसे कुछ जटिलताओं और संबंधित राज्यों की आपत्ति के कारण मंजूरी नहीं दी जा सकी। इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। और हम कर्नाटक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि इस कार्य में तेजी लाई जाए और जितनी जल्दी संभव हो सके इसे पूरा किया जाए।

श्री डी.के. नायकर : महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि वर्ष 1924 वाला समझौता अभी भी लागू है, लेकिन यह मामला नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुसार उक्त समझौता वर्ष 1974 में ही समाप्त हो जाना था। तत्पश्चात् श्री जगजीवन राम की अध्यक्षता में, जो उस समय जल संसाधन मंत्रालय के प्रभारी थे, इस समझौते की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गई थीं। उक्त समझौते की वैधता का मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित है। न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार जल की जितनी मात्रा नियत की गई थी वह कावेरी जलाशय की क्षमता से पहले ही ज्यादा थी और इसलिए कर्नाटक के लिए और अधिक जल जारी करने की कोई संभावना नहीं है। भारी वर्षा हो रही है और मेटर डैम भरा हुआ है और उन्हें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या यह सच है कि न्यायाधिकरण के आदेश को कार्यान्वित करने की कोशिश की गई लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, ब्यौरे की जांच संबंधित राज्य सरकारें करेगी। हम इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हैं। हम ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जो संबंधित राज्यों के हित में नहीं है।

माननीय सदस्य, जो पहले बोले थे, ने जल आपूर्ति योजनाओं के विषय में पूछा है। मैं इस संबंध में ब्यौरा देना चाहूँगा। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की संख्या 76 है। अब तक मंजूर की गई योजनाओं की संख्या 15 है और वर्ष 1993-94 के दौरान जारी की गई धनराशि 82.24 करोड़ रुपये है।

श्री पी.जी. नारायणन : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, श्री विद्याचरण शुक्ल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जब वह अनशन पर थीं, को आश्वासन दिया था कि कावेरी जल न्यायाधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यान्वयन समिति और एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। लेकिन आज तक उन समितियों का गठन नहीं किया गया है। क्या सरकार तमिलनाडु में पानी की समस्या की आवश्यकता और इसके तात्कालिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कावेरी जल-न्यायाधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जल संसाधन मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा करेगी ?

इसके अतिरिक्त महोदय, तमिलनाडु में 76 जल आपूर्ति योजनाओं में से, जिसे राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजा था, अब तक मात्र 15 योजनाएँ ही मंजूर की गई हैं। का सरकार तमिलनाडु में जल आपूर्ति की भारी कमी को देखते हुए शेष योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रयास करेगी और उन योजनाओं को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री पी.के. थुंगन : महोदय, जहाँ तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री को माननीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दिए गए वचन का सम्बन्ध है, इसके हर पहलू पर विचार करना होगा और वास्तव में हम सब इससे सम्बद्ध हैं। जहाँ तक और अधिक जल आपूर्ति संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का मामला हैं, हमें इससे भलीभांति अवगत हैं। इनमें से कुछ विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 270 श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या – अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 271, श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये – अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 272 श्री गुमान मल लोढा – अनुपस्थित

श्री नीतीश कुमार – अनुपस्थित

भारत जनसंख्या परियोजना

* 273. **श्री अनन्तराव देशमुख : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली भारत जनसंख्या परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख). भारत सरकार ने असम, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली 9वीं भारत जनसंख्या परियोजना की 16 जून, 1994 को मंजूरी दी है। परियोजना का कामकाज आरम्भ करने के लिए इनमें से प्रत्येक राज्य को 5.00 करोड़ रुपये की सहायता राशि रिलीज की जा चुकी है। इन राज्य सरकारों ने इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है।

श्री अनंतराव देशमुख : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस परियोजना की विशेषताएं क्या हैं और कौन से अन्य राज्य हैं जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं के अन्तर्गत लाए जाएंगे।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, इन परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य माता और बाल मृत्यु दर, और जन्मदर को कम करना। यह लक्ष्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में वृद्धि करके प्राप्त की जानी है ताकि सेवा प्रदान करने वाले ढाँचे को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत किया जा सके।

श्री अनंतराव देशमुख : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या इस परियोजना का इस दृष्टि से मूल्यांकन किया गया है। कि पहले की परियोजनाओं की तुलना में इस परियोजना का जन्मदर पर क्या असर पड़ा। चूँकि नौ परियोजनाएँ थीं इसलिए जाहिर है कि अन्य परियोजनाएँ भी होंगी। यदि मूल्यांकन किया गया है तो मैं मूल्यांकन का परिणाम जानना चाहूँगा।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, कुछ परियोजनाओं में मूल्यांकन किया गया था, कर्नाटक और केरल में तीसरी भारतीय जनसंख्या प्ररियोजना के मूल्यांकन से पता चलता है कि बाल मृत्यु-दर 80.7 से गिरकर 72.4 तक आ गयी है।

1982-84 के दौरान जुड़वां बच्चों का जन्म-दर 35.3 प्रतिशत से 25.3 पर पहुँचा है। दम्पत्ति संरक्षण दर में 25.8 प्रतिशत से 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। **(व्यवधान)**

श्री अनंतराव देशमुख : मैंने विशेष रूप से जन्म दर में कमी के विषय में पूछा था और अन्य

विषयों के बारे में नहीं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : जन्म दर 35.32 प्रतिशत से गिरकर 29.1 प्रतिशत पर हो गया है। तो यह केरल और कर्नाटक में यह आई पी परियोजनाओं के विषय में हैं।

जहाँ तक केरल का मामला है, उनकी उपलब्धि बहुत अच्छी है।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने असम में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही ऊँची है और बाल मृत्युदर भी बहुत ही ऊँची है। अतः इसे विशेष रूप से नियंत्रित करने की जरूरत है। यदि ऐसा है, तो वे कौन से क्षेत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह जनसंख्या पर व्यापक चर्चा नहीं है। यह जनसंख्या नियंत्रण के लिए विश्व-बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता के संबंध में प्रश्न है। मुझे खेद है, अन्यथा यह अशुभ प्रश्न होगा।

(व्यवधान)

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से बाहर का मुद्दा है।

श्री विजय नवल पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या इन परियोजनाओं में उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया है और यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में क्या प्रतिक्रिया रहीं अथवा वे किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ऐसी परियोजनाएं भी है। जिन में शिशु और माता की देखभाल के लिए स्वयंसेवी संगठनों से भी सदस्यता ली जा सकती हैं और परिवार कल्याण उपायों को गरीब लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। लक्ष्य यह है कि इन स्वंयसेवी संगठनों को बाल और मातृत्व की देखभाल करनी है और इसलिए, इन परियोजनाओं के माध्यम से, हम स्वयंसेवी संगठनों को भी मदद करते हैं।

डा. वसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, लगभग 200 वर्ष पहले, मालथस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम व्यवहारिक पक्ष पर विचार कर रहे हैं।

डा. वसंत पवार : यह जनसंख्या सिद्धांत का प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता का प्रश्न है।

डा. वसंत पवार : विश्व - बैंक प्रदत इन परियोजनाओं में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वह मालथस के सिद्धांत में कांट-छाँट करने अथवा अस्वीकार करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन परियोजनाओं में, आप लैप्रोस्कोपों के माध्यम से उदरीय बंध्यीकरण के लिए डिबवाहिनी रिंग उपलब्ध कर रहे हैं।

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि इन आई पी परियोजनाओं के माध्यम से इन राज्य सरकारों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और सेवाओं में विस्तार करने में सहायता करते हैं ताकि नीचले स्तर पर जन-सामान्य को इससे लाभ प्राप्त हो सके।

श्री पवन कुमार बसंल : "अलमा आटा" घोषणा के हस्ताक्षरकर्त्ता होने के नाते हम प्रजनन दर में एकता प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने को थे। यह इस शती के अंत तक 1.2 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि के बराबर है। यह दूर का स्वप्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हमारी भावी परियोजनाएं क्या हैं और हम कब तक इन्हें प्राप्त कर सकेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह विश्व-बैंक द्वारा दी गई सहायता के संदर्भ में एक सीमित प्रश्न है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस देश के सात जिले . . . **(व्यवधान)** . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न पहले पढ़ना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : मैं सहायता के बारे में ही पूछ रहा हूँ। जिस राज्य में जनसंख्या अधिक है वहां ज्यादा विश्व-बैंक की राशि का जो रुपया देश में आता है तो क्या उस राज्य को ज्यादा सहायता देने जा रहे हैं ? क्या आप आबादी के आधार पर राज्य में इस रुपये का उपयोग करने जा रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, माननीय सदस्य बिहार से हैं। आई पी पी - 7, के अन्तर्गत, हमने बिहार राज्य को कवर किया है। पहले से चल रही परियोजना की अवधि 2.11 1994 से 1.11.

1995 के बीच है। और परियोजना की लागत 88.18 करोड़ है। इसलिए, हम लोग राज्य को कवर कर रहे हैं।

डा. आर मल्लू : महोदय नसबंदी और नलबंदी कराने पर जो प्रोत्साहन दिया जाता है वह बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वे विश्व-बैंक द्वारा दी गई सहायता के अंतर्गत दिए जा रहे हैं प्रोत्साहन में वृद्धि करने जा रहे हैं ?

श्री पवन सिंह घाटोवार : वर्तमान में विश्व-बैंक की सहायता में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रूमेटी हृदय रोग

***261. श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रूमेटी हृदय रोग तेजी से फैल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(ग) इस रोग के मुख्य कारण क्या है ;

(घ) क्या इस रोग का उपचार काफी महंगा है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने देश में गरीब रोगियों के उपचार हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) इस समय देश में रूमेटी हृदय रोग तेजी से फैल रहा है या नहीं इस बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बीटा-रक्तसंलायी वर्ग ए. स्ट्रैप्टोकॉकसी द्वारा गले के संक्रमण के परिणामस्वरूप कपाटिकी क्षति के कारण रूमेटी हृदय रोग होता है। स्ट्रैप्टोकॉकसी गल-शोध की वजह से हृदशोध तथा हृदय कपाटों की क्षति हो सकती है। अधिक भीड़ भाड़ और पोषणज कमी से इस प्रकार के संक्रमण को बढ़ावा मिलता है।

(घ) और (ङ) देशभर में गलशोध जो कि रोग का मुख्य लक्षण है, के उपचार के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। रूमेटी हृदयरोग के सामुदायिक नियंत्रण के लिए किएं गए अध्ययन से पता चला है कि रूमेटी

हृदयरोग के उपचार हेतु पेन्सिलिन इंजेक्शन लगाने के लिए बहुद्देशीय कार्यकताओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। परन्तु रुमेटी हृदय रोग की शल्यक्रिया केवल उच्च कोटि की विशेषज्ञता वाले चिकित्सा केन्द्रों में ही उपलब्ध है।

[हिन्दी]

हिरासत में होने वाली मौतें

*** 262. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपराध के संबंध में पूछताछ करते समय पुलिस द्वारा आपत्तिजनक तरीकों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन मार्ग निर्देशों से पुलिस की हिरासत में होने वाली मौतों की घटनाएं कम करने में सहायता मिली है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) हिरासत में होने वाली ऐसी मौतों को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ङ). यद्यपि "पुलिस" राज्य का विषय हैं, फिर भी भारत सरकार ने राज्य सरकारों को हिरासत में होने वाली मौतों की रोकथाम के उपाय करने के लिए अनुदेश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों की जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा प्रश्नचिन्ह वाले और जबरदस्ती करने के उपायों की रोकथाम करने के लिए, समय-समय पर, विस्तृत दिशा निर्देश परिचालित किए हैं। वैधानिक सुरक्षा उपायों की ओर ध्यान आकर्षित करने के साथ-साथ, गिरफ्तारी करते समय, संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करते समय पुलिस द्वारा की जा रही किसी भी पूछताछ अथवा जांच पड़ताल के दौरान किसी भी समय पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने को निषेध करने अथवा उसे सीमित करने के लिए विभिन्न राज्यों के पुलिस मैन्युलों में निहित अनुदेशों को पुलिस अधिकारियों की जानकारी में लाने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। इस बात पर बल दिया गया कि तीसरे दर्जे के तरीकों का प्रयोग करने के दोषी पाए गए पुलिस कार्मिकों को सबक दिलाने वाली सज़ा दी जाएगी। इस बात पर भी बल दिया गया है कि निरीक्षणों और बैठकों के दौरान पूछताछ करने वाले अधिकारियों को वरिष्ठ

अधिकारियों द्वारा निरन्तर मार्ग दर्शन किया जाना चाहिए तथा जांच पड़ताल करने के लिए सही तथा निर्धारित तरीके अपनाने पर बल देना चाहिए। विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अलावा, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि आम जनता के साथ पुलिस के दृष्टिकोण और व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

उपलब्ध सूचना के आधार पर, पिछले तीन वर्षो के दौरान हिरासत में हुई मौतों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1994 को 9 मई, 1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया था। विधेयक में हिरासत में होने वाले अपराधों को रोकने/कम करने, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में सूचना देना अनिवार्य बनाने के साथ-साथ उस स्थान का नाम, जहां उसे रखा गया हो तथा उसके द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्ति को बताना, साक्ष्य कानून में इस तरह संशोधन करना ताकि हिरासत में होने वाले अपराधों के मामले में साक्ष्य का भार व्यक्ति को हिरासत में रखने वाले अधिकारी पर आए तथा पुलिस हिरासत के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा गायब होने की दशा में न्यायिक जांच अनिवार्य बनाना, शामिल है।

एक संबंद्ध क्रियाकलाप में भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 को अधिनियमित किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों का गठन करने का प्रावधान है ताकि हिरासत में होने वाले अपराधों की जांच-पड़ताल की जा सके तथा पीड़ितों को राहत उपलब्ध कराई जा सके।

विवरण

वर्ष 1991 से 1993 तथा 1994 (उपलब्ध महीनों तक) के दौरान

पुलिस हिरासत में मारे गए व्यक्तियों की संख्या

(राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार)

क्रम सं.	राज्य	1991	1992	1993	1994	टिप्पणी (वर्ष, 1994 के आंकड़े निम्नलिखित माह तक के हैं)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	12	7	0	मई
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	1	0	0	अप्रैल

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	1	4	1	0	जनवरी
4.	बिहार	2	7	4	उ.न.	–
5.	गोवा	0	1	1	0	मई
6.	गुजरात	8	1	2	0	जनवरी
7.	हरियाणा	0	0	0	उ.न.	–
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	मई
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2	0	14	उ.न.	–
10.	कर्नाटक	0	1	3	0	अप्रैल *
11.	केरल	2	0	0	0	मई
12.	मध्य प्रदेश	3	1	0	1	मई
13.	महाराष्ट्र	11	20	31	उ.न.	–
14.	मणिपुर	0	1	0	0	मई
15.	मेघालय	0	0	0	0	मार्च
16.	मिजोरम	0	1	0	0	जून
17.	नागालैण्ड	0	0	0	0	मई
18.	उड़ीसा	0	0	1	उ.न.	–
19.	पंजाब	2	1	1	0	अप्रैल
20.	राजस्थान	5	3	0	2	मई
21.	सिक्किम	1	0	0	0	अप्रैल *
22.	तमिलनाडु	5	1	3	1	मार्च
23.	त्रिपुरा	0	0	1	0	मई
24.	उत्तर प्रदेश	3	5	6	2	अप्रैल
25.	पश्चिम बंगाल *	4	8	1	उ.न.	–
	योग (राज्य)	54	68	76	6	

1	2	3	4	5	6	7
संघ शासित क्षेत्र						
26.	अण्डमान और					
	नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	मई
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	मई
28.	दादरा और					
	नगर हवेली	0	0	0	0	मई
29.	दमन और दीव	1	0	0	0	मई
30.	दिल्ली	3	2	0	0	मई
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	उ.न.	-
32.	पाण्डिचेरी	1	0	0	0	मई #
	योग (संघ राज्य क्षेत्र)	5	2	0	0	
	योग (सम्पूर्ण भारत)	59	70	76	6	

स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।

टिप्पणी : ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

2. * आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण जनवरी तथा फरवरी के आंकड़ों को छोड़कर।

2. # आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण जनवरी के आंकड़ों को छोड़कर।

4. @ वर्ष 1993 के आंकड़े केवल अप्रैल तक के है।

5. उ.न. का अर्थ है आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

रोग निदान प्रतिकर्मक

***263. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिरोजोजिस्ट एंड - कैमिकल एक्जामिनर विभाग द्वारा किस-किस रोग निदान प्रतिकर्मक (डायगनोस्टिक रि-एजेन्ट्स) का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) क्या इनकी बिक्री की जा रही है ;

(ग) क्या यह विभाग इन उत्पादों में से किसी उत्पादन का एकमात्र उत्पादक है ;

(घ) क्या यह विभाग एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में भाग ले रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) इस विभाग द्वारा वी.डी.आर.एल. एन्टीजन, एन्टी ह्यूमन सोरम तथा कुछेक पशु विजातीय विशेष एन्टी सीरे का उत्पादन किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) यह विभाग राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के अधीन एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में भाग ले रहा है। यह पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए यौन संचारित रोग/एड्स में तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह यौन संचारित रोग/एच. आई.वी. उपचार कार्यक्रम के लिए प्रयोगशाला सहायता भी देता है। यह अति संवेदनशील समूह में यौन संचारित रोग के रोगियों की जांच के माध्यम से एड्स निगरानी केन्द्र के साथ भी जुड़ा है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए अंशदान की दरें

***264. श्री आनंद रत्न मौर्य :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंशदान की दरों में वृद्धि की है ;

(ख) क्या इस वृद्धि के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर, विशेष रूप से सेवानिवृत्त व्यक्तियों के मामले में, पुनर्विचार करने का है ;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार अंशदान में वृद्धि को देखते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चिकित्सीय परिचर्या की जरूरत अपेक्षाकृत वृद्धावस्था में बहुत अधिक होती है और 50 रुपये महीना जो उच्चतम अंशदान है, बिल्कुल वाजिब है।

(ङ) और (च) सरकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है, उदाहरण के तौर पर नए उपकरणों की खरीद, नई प्रयोगशालाएं खोलना, स्थानीय कैमिस्टों की नियुक्ति, चिकित्सीय दावों के निपटान का विकेन्द्रीकरण, जोनल अधिकारियों द्वारा औषधालयों के निरीक्षण आदि।

[हिन्दी]

भोर समिति

*** 265. श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी भोर समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सुविधाओं के लिए धन के आबंटन के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों के समान माना गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके असंतुलन को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख). भोर समिति की सिफारिशें 1946 के समय की हैं और उस समय सुझाए गए मानदंडों को यथासंभव स्वीकार किया गया है तथा उनमें अन्य विशेषज्ञ समितियों के परामर्श से वृद्धि की गई है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और परिवार कल्याण स्कीमों के लिए केन्द्रीय निवेशों में ग्रामीण क्षेत्रों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा जिसमें द्वितीयक/तृतीयक स्तर के अस्पताल शामिल हैं, प्राथमिक स्तर के ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे के लिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं, रेफरल यूनिटों के रूप में कार्य करता है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में भाड़े के सैनिक

* 266. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में अफगानिस्तान तथा अन्य देशों के भाड़े के कितने सैनिक सक्रिय हैं ;

(ख) ऐसे तत्वों को पकड़ने और उन्हें राज्य से बाहर खदेड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) भाड़े के कितने अफगानी सैनिक निरुद्ध हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (ग) यह सत्य है कि अफगानियों सहित विदेशी राष्ट्रिकों/भाड़े के सैनिकों की जम्मू एवं कश्मीर में घुसपैठ कराई गई है और वे वहां आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। तथापि, ऐसे तत्वों की ठीक-ठीक संख्या बता पाना संभव नहीं है। आतंकवादियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और उन्हें बाहर खदेड़ने के अभियानों में वृद्धि कर दी गई है तथा साथ ही नाजुक क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की संख्या और बढ़ा दी गई है। ये प्रयास जारी रहेंगे और इनकी गहन मानीटरिंग एवं समीक्षा की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 11 अफगान राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए हैं।

पाकिस्तानी रेंजर्स और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के बीच बैठक

* 270. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान रेंजर्स और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के बीच हाल ही में वर्ष में दो बार होने वाली बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बैठक में कोई समझौता हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। 7-8 जून, 1994 को लाहौर में छमाही बैठक आयोजित की गई जिसमें भारतीय पक्ष का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक (राजस्थान एवं गुजरात सैक्टर) ने तथा पाकिस्तानी पक्ष का नेतृत्व "पाक रेंजर्स" के महा निदेशक ने किया। बैठक सद्भावपूर्ण वातावरण में हुई और सीमा प्रबंधन संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों ही प्रतिनिधि-मंडलों में आपस में सहमति हुई कि तनाव दूर करने के लिए "फ्लैग मीटिंग्स" का शीघ्र आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। एक साथ गश्त करने के प्रश्न पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह सहमति हुई कि कमाण्डेन्ट/विंग कमांडर स्तर की मासिक बैठकों के दौरान निष्पादन की समीक्षा होनी चाहिए और गश्त को अधिक उद्देश्यपूर्ण और परिणामोन्मुखी बनाया जाना चाहिए।

दूरदर्शन पर फिल्में

***271. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रसारण हेतु फिल्में प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया/दिशा निर्देश क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसी फिल्मों की प्राप्ति पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान और 1994-95 में अब तक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्क पर कितनी फिल्मों का प्रसारण किया गया ; और

(घ) दूरदर्शन पर उच्च स्तर की फिल्मों के प्रसारण के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन आवधिक आमंत्रणों और अनुरोध प्रस्तावों के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों में से प्रसारण हेतु फिल्मों का चयन करता है।

(ख)	1991-92	8.75 करोड़ रुपये (लगभग)
	1992-93	8.27 करोड़ रुपये (लगभग)
	1993-94	11 करोड़ रुपये (लगभग)
(ग)	1993-94	743
	1994-95	234

(घ) 1993 के उत्तरार्द्ध से प्रसारित फिल्मों की सामान्यतया सराहना की गई है।

[हिन्दी]

कोयले का आयात

*272. **श्री गुमान मल लोढा :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोल इंडिया लि. ने देश में आयातित कोयले की कीमत के संबंध में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो लदाई, उतराई, भाड़ा प्रभारों और सरकार द्वारा लगाए गए अन्य करों का हिसाब लगाने के बाद इसकी अनुमानित प्रति टन कीमत क्या है ;

(ग) क्या आयातित कोयले की कीमत घरेलू कीमत से कम है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या आयातित कोयले की तुलना में स्वदेशी कोलये में राख की मात्रा अधिक होती है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कोयले की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें घटती-बढ़ती रहती हैं। आयातित कोयले की देश में प्राप्ति होने के बाद कीमत, कोयले की गुणवत्ता, मूल पत्तन तथा अंतिम स्थल, आदि सहित विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। वर्ष 1994-95 के केन्द्रीय बजट को प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद, को.इं.लि. द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार आयातित अकोककर कोयले की तापजनक (कैलोरिफिक) आधार पर देश में 35 प्रतिशत आयातित शुल्क सहित उतराई कीमत, पत्तनों के समीप स्थित कुछ विद्युत गृहों के लिए, देशी कोयले के मामले में इसी प्रकार की लागत कम हो सकती है।

(ङ) और (च) आयातित कोयले में राख की प्रतिशतता, आयातित किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता/विशिष्टियों पर निर्भर करती है। किन्तु, सामान्य रूप में आयातित कोयले में राखकी प्रतिशतता देश में उत्पादित अधिकांश कच्चे कोयले की तुलना में कम होती हैं।

होम्योपैथिक दवाएं

*274. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होम्योपैथिक दवाओं की पैकिंगों को प्रतिबंधित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस निर्णय से इस दवा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और होम्योपैथिक दवाओं की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है ;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

कोयले का उत्पादन

*275. **श्री नवल किशोर राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान कोयले का उत्पादन, इसकी घरेलू आवश्यकता से अधिक हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ और कोयले की कुल कितनी आवश्यकता थी ;

(ग) क्या सीमेंट, इस्पात और विद्युत उत्पादन निगमों जैसी उपभोक्ता कंपनियों ने अपनी आवश्यकतानुसार स्वदेशी कोयले का उठान किया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इसके परिणामस्वरूप खानों के मुहानों पर कोयले के भारी भंडार जमा हो गए हैं ;

(च) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1994 तक खानों के मुहानों पर कुल कितना कोयला जमा था ;

(छ) क्या इस कोयले के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया गया है ; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के लिए

योजना आयोग द्वारा मूल्यांकित देश में कोयले की कुल मांग (आयातित सहित) 258.10 मि.टन थी (देशीय 251.90 मि.टन तथा आयातित 6.20 मि.ट.)। कोयले का वास्तविक देशीय उत्पादन 1992-93 के दौरान देश में 238.33 मिलियन टन हुआ।

(ग) से (ज) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

(ग) और (घ) चूंकि देशीय कोयले की (उत्पादन तथा पिट हैड स्टाक) उपलब्धता पर्याप्त थी, अतः उपभोक्ता क्षेत्रों ने अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोयले का उठान किया। वर्ष 1992-93 के दौरान क्षेत्र-वार कोयले की मूल्यांकित मांग की तुलना में विभिन्न कोयला उपभोक्त क्षेत्रों को वास्तविक रूप में की गई आपूर्ति नीचे दी गई है : -

(मिलियन टन में)
(आंकड़े अनंतिम)

उपभोक्ता क्षेत्र	मूल्यांकित मांग	वास्तविक आपूर्ति	संतोषप्रदत्ता की प्रतिशतता
1	2	3	4
इस्पात	35.10	32.43*	92.4
विद्युत	147.10	147.04	100.0
	(2.90)	(2.49)	(85.9)
रेलवे	4.00	3.19	79.8
सीमेंट	14.10	10.89	77.2
उर्वरक	4.00	4.55	113.8
अन्य	49.90	39.64	79.4
	(2.40)		
कोलियरी उपभोग	3.90	3.99	102.33
जोड़	258.10	241.69	93.6
	(5.30)	(2.49)	(47.00)

* इसमें आयातित कोयला शामिल है।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मिडलिंग्स को दर्शाते हैं।

(ङ) और (च) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार को.इं.लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) का पिट हैड स्टाक नीचे दिया गया है : –

	(मिलियन टन में) (आंकड़े अनंतिम)
कोल इंडिया लि.	49.69
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	0.92

(छ) और (ज) जी, हां। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) कोयला के निर्यात में वृद्धि किए जाने के लिए कदम उठा रही है, जिसमें भारतीय निर्यात घरानों को सीधे ही कोयले का निर्यात किए जाने की अनुमति शामिल है। निर्यात बढ़ाने के लिए उच्च ग्रेड के कोयले को विनिर्दिष्ट करना तथा कोयला निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधि मण्डल भेजा जाना, जैसे अन्य उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

तपेदिक की रोकथाम

***276. श्री मोहन रावले :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने तपेदिक के मामलों में कमी लाने के लिए सरकार की सहायता करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय और मानव संसाधन संबंधी सहायता दी जायेगी ;

(ग) क्या इस संबंध में देश में विश्व बैंक की सहायता से कुछ प्रायोगिक परियोजनाएं पहले से ही चलाई जा रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) तपेदिक के उन्मूलन के लिए अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ङ) लगभग 200 मिलियन की कुल संख्या को कवर करने वाले स्पूटम पाजीटिव तथा गंभीर रूप से बीमार क्षयरोगियों के लिए अल्पावधि रसायचिकित्सा द्वारा उपचार पर आधारित एक परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक की सहायता के लिए विचाराधीन है। उच्च उपचार दर प्राप्त करने के लिए इस प्रस्ताव का उद्देश्य

औषध सप्लाई को सुनिश्चित करना, निदान के लिए थूक परीक्षण सुविधाओं का दर्जा बढ़ाना, सूपरवाइज्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संगठनात्मक प्रबंधों का संवर्धन तथा कार्मिक शक्ति का प्रशिक्षण है।

इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन/स्वीडिश अन्तरराष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता से बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा मेहसाना (गुजरात) में मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरु की गई हैं। मार्गदर्शी परियोजना वाले क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक उपचार दर की सूचना दी गई है। यदि कवरेज अधिक हो तो उपचार की इस दर से तपेदिक के मामलों में काफी कमी लाने में सहायता मिल सकती है। इस समय तपेदिक के मामले 1.5 प्रतिशत है यद्यपि तपेदिक के रोगियों की मृत्युदर में बहुत कमी आई है।

फिल्म सिटी

*277. **श्री वी.श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री तारा सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 1994 के "स्टेट्समैन" में "एफ टी आई आई प्लान्स टू सेट अप फिल्म सिटी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य क्या है ;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(घ) इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है ; और

(ङ) फिल्म-सिटी फिल्म उद्योग के लिए कहाँ तक सहायक सिद्ध होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है, ने अपने भावी विस्तार के लिए पुणें में 14.94 हेक्टेयर निकटवर्ती भूमि प्राप्त कर ली है। सरकार ने किसी "फिल्म सिटी" की स्थापना के लिए संस्थान को कोई धनराशि आबंटित नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निस्सन्देह, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे में एक फिल्म सिटी फिल्म उद्योग के लिए उपयोगी होगी क्योंकि वहां उपलब्ध सुविधाओं और प्रतिभाओं को फिल्म उद्योग द्वारा शेयर किया जा सकता है।

नीम का अर्क

***278. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीम का अर्क चर्म रोगों के लिए सुरक्षित और प्रभावी दवा है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(घ) क्या नीम के पेड़ से अर्क निकालने के लिए कोई विधि विकसित की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन विट्रो अध्ययनों में पत्तों, बीजों और नीम की छाल के तेल में माइकोबैक्टेरियन ट्युबरक्युलॉसिस, कलेबसिऐल्ला विब्रियों कालरा सहित बहुत से नेगेटिव और पाजीटिव जीवाणु रोधी व्यापक स्पेक्ट्रम का पता चला है। कतिपय मानव फंगी के संबंध में भी नीम के प्रभावकारी होने की बात सूचित की गई है। पत्ता के अर्क में भी वेक्सीनिया के ओलेक्वेस चिकुनगुन्या और खसरे के विषाणुओं के असर को बिल्कुल खत्म कर देने के गुण हैं।

(घ) और (ङ) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ ने सूचना दी है कि उन्होंने नीम के पत्तों से अर्क निकालने की एक स्वदेशी विधि विकसित की है। त्वचा तैयार करने के लिए अर्क का प्रयोग करने के पश्चात् जिन रोगियों का आपरेशन किया गया, उनको घाव का संक्रमण नहीं हुआ। आगे अध्ययन किए जाने की जरुरत है क्योंकि यह प्रायोगिक अवस्था में है।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

***279. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में केंद्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या केंद्रीय सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कोई विशेष सहायता दी है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के वास्ते केंद्र में प्राप्त हुई सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव का ब्यौरा।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	केंद्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तिथि	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश				
वृहद				
1.	के.सी. नहर आधुनिकीकरण	198.00	2/94	राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
2.	गोदावरी डेल्टा आधुनिकीकरण	226.00	2/91	संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के वास्ते राज्य सरकार को 6/91 में लौटा दी गई थी।
3.	पेन्नार डेल्टा पद्धति आधुनिकीकरण	120.00	1/91	संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के वास्ते राज्य सरकार को 8/91 में लौटा दी गई थी।
बिहार				
वृहद				
1.	ढाका नहर आधुनिकीकरण	37.23	10/90	आठवीं योजना में शामिल न किए जाने के कारण यह परियोजना राज्य सरकार को 2/91 में लौटा दी गई थी।

1	2	3	4	5
2.	सोन नहर फेज-1 का आधुनिकीकरण	2.5.93	5/93	सलाहकार समिति द्वारा 11/93 में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई कि पर्यावरण स्वीकृति एवं राज्य के वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाए।
गुजरात				
वृहद				
1.	मच्छ-1 का आधुनिकीकरण	8.12	2/91	सलाहकार समिति द्वारा 8/93 में स्वीकार्य पाई गई। राज्य सरकार को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा अपने वित्त विभाग की सहमति भेजनी है।
2.	वानकवोरी वीयर पर हाइड्रोप्लस प्यूज की व्यवस्था।	8.58	7/83	निवेश स्वीकृति 3/94 में दी गई।
3.	एकीकृत सिंचाई विकास परियोजना	235.00	10/92	संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के वास्ते राज्य सरकार को 2/93 में लौटा दी गई थी।
मध्यम				
1.	मित्ती का पुनरूद्धार	14.51	6/93	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।

1	2	3	4	5
हरियाणा				
वृहद				
1.	जल संसाधन समेकन परियोजना	1506.79	10/93	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
जम्मू एवं कश्मीर				
वृहद				
1.	रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	64.71	1/92	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
मध्यम				
1.	नई प्रताप का आधुनिकीकरण	6.09	1/92	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
2.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण	8.47	1/92	राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी–आर्थिक मुद्दे हल करने हैं।
3.	दाडी नहर का आधुनिकीकरण	4.40	2/90	राज्य सरकार को 3/91 में इस टिप्पणी के साथ लौटा दी गई थी कि वह केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

1	2	3	4	5
केरल				
वृहद				
1.	नय्यर सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण	17.25	6/92	राज्य सरकार को इस टिप्पणी के साथ लौटा दी गई थी कि वह केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2.	केरल कम्पोजिट सिंचाई परियोजना	1410.46	7/92	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के वास्ते राज्य सरकार को 8/92 में लौटा दी गई थी।
मध्य प्रदेश				
वृहद				
1.	सिंध फेज-II	510.94	12/90	सलाहकार समिति द्वारा 12/92 में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई गई कि वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा राज्य के वित्त विभाग की सहमति भेजी जाए।
उड़ीसा				
वृहद				
1.	जकोडिया नवीकरण योजना	27.39	8/89	राज्य सरकार को 12/89 में इस अभ्युक्ति के साथ लौटा दी गई थी कि वह केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

1	2	3	4	5
2.	डेल्टा विकास योजना	600.73	11/90	राज्य सरकार केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
	(महानदी डेल्टा कमान)			
पंजाब				
वृहद				
1.	अपर बरगी दोआब नहर का प्रतिरुपेण	105.67	1/94	राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
2.	रावी नदी के बायीं ओर बादशाही नहर के विस्तार का आधुनिकीकरण	6.91	5/94	यह परियोजना हाल ही में प्राप्त हुई है।
राजस्थान				
वृहद				
1.	गंगा नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	250.84	3/93	दो फेजों में संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के वास्ते यह परियोजना 11/93 में लौटा दी गई थी।
2.	पर्वती नहर का आधुनिकीकरण	10.95	3/91	राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

1	2	3	4	5
मध्यम				
1.	गंभीरी आधुनिकीकरण	16.71	8/89	राज्य सरकार द्वारा परियोजना के अद्यतन लागत अनुमान प्रस्तुत किए जाने हैं।
उत्तर प्रदेश				
वृहद				
1.	मंजा बांध को ऊंचा करना	52.18	3/92	सलाहकार समिति ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह 52.18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में ही परियोजना को पूरा करे।
2.	बुंदेलखंड व बुदेलखंड क्षेत्र में चैनलों को पक्का करना	57.37	5/92	सलाहकार समिति द्वारा 6/94 में इस शर्त पर स्वीकार्य पाई कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए, राज्य के वित्त विभाग की सहमति भेजी जाए एवं पर्याप्त निधि का आबंटन किया जाए।
3.	घग्गर नहर का आधुनिकीकरण	0.26	4/90	राज्य सरकार को 10/91 में इस अभ्युक्ति के साथ लौटा दी गई थी कि केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

1	2	3	4	5
4.	अपर गंगा का आधुनिकीकरण	467.76	3/91	निवेश स्वीकृति 7/92 में दी गई।
तमिलनाडु				
1.	जल संसाधन समेकन परियोजना	1102.84	4/94	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को 5/94 को लौटा दी गई।
पश्चिम बंगाल				
वृहद				
1.	कंगसावती परियोजना का आधुनिकीकरण	329.07	1/91	राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समिति की टिप्पणियों का अनुपालन करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

टिप्पणी : राज्यों को केंद्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों व अनुदानों के रुप में दी जाती है जो विकास अथवा परियोजना के किसी क्षेत्र से संबद्ध नहीं होती है।

प्राकृतिक-चिकित्सा

***280. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तब तक कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994 और 1995 के दौरान ऐसे और केन्द्रों की स्थापना करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक प्रमुख सरकारी अस्पताल में एक प्राकृतिक-चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की है। परिषद अन्य बातों के साथ-साथ स्वैच्छिक प्राकृतिक चिकित्सा संस्थानों को प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) से (च) उपचार सुविधाओं की स्थापना करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है तथापि भारत सरकार राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान तथा केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के कार्यकलापों के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है और इस कार्य में लगे संगठनों को सहायता भी कर रही हैं।

पहचान-पत्र

2615. श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को पहचान-पत्र जारी करने के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हाल ही में एक बैठक आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बैठक में कितने मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया ;

(घ) बैठक में क्या निष्कर्ष निकाला गया ; और

(ङ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सीमा-क्षेत्रों के निवासियों को पहचान-पत्र जारी करने से संबंधित मामले के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 19.7.1994 को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलायी गयी थी।

(ग) बैठक में पांच मुख्यमंत्रियों और एक राज्यपाल ने भाग लिया।

(घ) (1) पहचान पत्रों की योजना को कानूनी रूप देने के लिए विधायन को जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जाए।

(2) पूर्वोत्तर राज्यों में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को पहचान-पत्र जारी किए जाएं और इस योजना का विस्तार इन राज्यों के सम्पूर्ण क्षेत्र तक किया जाना चाहिए।

(ङ) विधायन को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जा सकती है। विधायन को जल्दी से जल्दी अंतिम रूप देने के लिए एकजुट प्रयास किए जा रहे हैं।

आत्महत्याएं

2616. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री डी.वेंकटेश्वर राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1992 के दौरान देश में आत्महत्याओं के कितने मामलों की जानकारी मिली है ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में इससे पहले की तीन वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने 1993 के आंकड़े एकत्र कर लिये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) वर्ष 1991-1992 के दौरान आत्महत्या की घटनाओं तथा आत्महत्या की दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) 1993 के आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित किए जा रहे हैं।

(च) चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, इसलिए आत्महत्या के मामलों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है.

विवरण

वर्ष 1981 से 1992 के दौरान आत्महत्या की घटनाएं तथा दर

क्रम सं.	वर्ष	आत्महत्याओं + की कुल संख्या	अनुमानित अर्धवार्षिक * जनसंख्या ** (लाखों में)	आत्महत्याओं की दर (कालम 3/ कालम 4)
1	2	3	4	5
1.	1981	40245	6901	5.8

1	2	3	4	5
2.	1982	44732	7052	6.3
3.	1983	46579	7204	6.4
4.	1984	50571	7356	6.8
5.	1985	52811	7509	7.1
6.	1986	54357	7661	7.1
7.	1987	58568	7814	7.5
8.	1988	64270	7966	8.1
9.	1989	68744	8118	8.5
10.	1990	73911	8270	8.9
11.	1991	78450	6496	9.2
12.	1992	80149	8677	9.2
13.	1982 के बाद, वर्ष 1992 में प्रतिशत में बदलाव आया।	79.2	23.0	46.0
14.	वार्षिक, मिश्रित वृद्धि दर	6.4	2.1	4.3

* स्रोत भारत के महापंजीकार

** एक लाख : 01. मिलियन

+ स्रोत : भारत में दुर्घटना मौतें तथा आत्महत्या के आंकड़े।

[हिन्दी]

अनुग्रह राशि का भुगतान

2617. श्री ललित उरांव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास 30 जून, 1994 तक अनुकम्पा के आधार पर चिकित्सा हेतु अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में आवेदन लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) जून, 1994 के अन्त में चिकित्सा उपचार के लिए स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान से वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त हुए कुल 1406 आवेदन डाक्टर द्वारा बीमारी के ब्यौरे को सत्यापित करने से संबंधित सूचना, आय प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, आपरेशन/उपचार के लिए रोगी के अस्पताल में दाखिल न होने आदि कारणों से लम्बित पड़े हुए हैं। सही पाए गए मामलों में, स्वीकृत अनुदान सीधे संबंधित अस्पतालों को भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

सी.एन.एन. इन्टरनेशनल और डी.डी.आई. के बीच संयुक्त उद्यम

2618. श्री राम कापसे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल न्यूज नेटवर्क (सी.एन.एन.) "इन्टरनेशनल टेलिविजन टर्नर" दूरदर्शन इंटरनेशनल (डी.डी.आई.) के साथ भारत में संयुक्त कार्यक्रम संचालन हेतु सहमत हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने संयुक्त उद्यम को स्वीकृति दी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) केबल न्यूज नेटवर्क इंटरनेशनल, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इनसैट-2बी पर ट्रांसपोंडर पट्टे पर देने की केवल इच्छा प्रकट की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापितों का पुनर्वास

2619. प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :

श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा विस्थापितों के पुनर्वास के लिए दिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पुनर्वास कार्य का आंकलन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण - I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। इस परियोजना के अन्तर्गत सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित कुल 40727 परिवारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन किया जाना है, जिनमें से गुजरात में 4600 परिवार, महाराष्ट्र में 3113 परिवार तथा मध्य प्रदेश में 3014 परिवार हैं। 30 जून, 1994 तक इस परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट में अन्य बातों के साथ-साथ सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को निम्नलिखित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभ प्रदान करने की व्यवस्था है :

(i) प्रत्येक विस्थापित परिवार, जिससे उसकी भूमिजोत का 25 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित किया गया है, उससे अधिग्रहित की गयी भूमि के बराबर सिंचाई भूमि का हकदार होगा तथा उसे यह आबंटित की जायेगी बशर्ते कि यह संबंधित राज्य में निर्धारित की गई उच्चतम सीमा के समान हो तथा यह कम से कम 2 हेक्टेयर (5 एकड़) प्रति परिवार हो, सिंचाई सुविधायें उस राज्य द्वारा प्रदान की जा रही हैं जिस राज्य के क्षेत्र में आबंटन की गयी भूमि स्थित है। यह भूमि विस्थापित परिवार को स्थानान्तरित की जायेगी यदि वह इसे लेने के लिए सहमत है।

(ii) प्रत्येक वयस्क पुत्र को अलग परिवार माना जायेगा।

(iii) प्रत्येक विस्थापित परिवार मुफ्त आवासीय स्थल अर्थात् 18.28 x 27.43 मीटर (60 फुट x 90 फुट) माप का प्लाट पाने का हकदार होगा तथा उसको इसका आबंटन किया जायेगा।

(iv) पुनर्स्थापन अनुदान, अनुदान सहायता तथा आर्थिक सहायता।

(v) अधिग्रहण के समय लागू भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार अधिग्रहित की गयी भूमि के लिए मुआवजा।

(vi) नागरिक सुविधायें जैसे, 100 परिवारों के एक प्राथमिक विद्यालय, प्रत्येक 500 परिवारों के लिए पंचायत घर, प्रत्येक 500 परिवारों के लिए एक बीज भंडार, प्रत्येक 500 परिवारों के लिए बच्चों का एक पार्क, प्रत्येक 500 परिवारों के लिए गांव का 1 तालाब, प्रत्येक 50 परिवारों के लिए नांद (ट्रफ) के

साथ पेयजल कुआं, प्रत्येक 50 परिवारों के लिए वृक्ष का एक प्लेटफार्म, 100 परिवारों के लिए पूजा का एक धार्मिक स्थान, प्रत्येक 500 परिवारों के लिए एक डिस्पेन्सरी, आबादी के लिए एप्रोच सड़कों एवं सम्पर्क सड़कों का निर्माण, विद्युत वितरण लाइनें तथा सड़क को लाइटें आदि।

(vii) जलमग्नता के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक नगर पालिका शहर के लिए सामाजिक सुविधायें अर्थात् जल आपूर्ति सफाई व्यवस्थाओं का प्रबन्ध तथा स्थलों का समतलन आदि।

विवरण - II

30 जून, 1994 तक सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की स्थिति।

राज्य	राज्य जहां बसाया गया	परियोजना से प्रभावित परिवारों की कुल संख्या	30 जून, 1994 तक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रगति (परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या)	
			आवासीय प्लाट	कृषि भूमि
1	2	3	4	5
गुजरात	गुजरात	4600	4248	4295
महाराष्ट्र	गुजरात	999	581	650
	महाराष्ट्र	2114	841	859
	योग	3113	1422	1509
मध्य प्रदेश	गुजरात	14124	2148	2525
	मध्य प्रदेश	18890	512	-
	योग	33014	2660	2525
	सकल योग	40127	8330	8329

[हिन्दी]

एड्स नियंत्रण

2620. श्री एन.जे.राठवा :

श्री काशीराम राणा :

श्री महेश कनोडिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अब तक एच.आई.वी. (पाजीटिव) के कितने रोगियों की पहचान की गई है ;

(ख) गुजरात में किन-किन अस्पतालों में ''एड्स'' की जांच हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या सरकार का जांच केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या इस राज्य में केन्द्र सरकार अथवा विदेशी सहायता से कोई ''एडस'' नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात से 367 एच.आई.वी. पाजिटिव रोगियों की सूचना मिली है।

(ख) एड्स की जांच की सुविधाएं, निगरानी केन्द्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, वी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद और निम्नलिखित रक्त बैंकों में कार्यरत जोनल रक्त जांच केन्द्रों में उपलब्ध हैं : -

1. रक्त बैंक, सूरत मेडिकल कालेज, सूरत।
2. रक्त बैंक, सरकारी मेडिकल कालेज, बड़ोदरा।
3. रक्त बैंक, वी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद।
4. रक्त बैंक, एम.पी. शाह अस्पताल, जामनगर।
5. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, जूनागढ़।
6. रक्त बैंक, सिविल अस्पताल, अमरेली।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) इस समय गुजरात सहित देश भर में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम प्रायोजित योजना के रुप में कार्यान्वित किया जा रहा है। एड्स की रोकथाम करने संबंधी कार्यनीतियों में ये शामिल हैं : – कार्यक्रम प्रबंध का सुदृढ़ीकरण, जोखिम का आचरण करने वाले समूहों और आम जनता में जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोग का निवारण और नियंत्रण, यौन संचारित रोग/एच.आई.वी. के निवारण के लिए कंडोम को बढ़ावा देना, रक्त निरापदता और रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल और एच. आई.वी./एड्स रोगियों की निगरानी, निदान और उपचार के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना।

[अनुवाद]

लेप्टोस्पायरोसिस

2621. श्री विजय एन. पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिणी राज्यों, विशेष रुप से केरल में व्यापक रुप से फैले लेप्टोस्पायरोसिस रोग के बारे में जानकारी मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इस रोग से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस रोग को फैलने से रोकने के लिए और रोगियों के उपचार के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) केरल राज्य में लेप्टोस्पायटल का संक्रमण होने का पता चला है।

(ख) सूचना केरल राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे इस रोग को नियंत्रित करने और रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए कदम उठाएं। इस रोग की रोकथाम के लिए आमतौर पर निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं : –

(i) कृन्तकों का नियंत्रण ;

(ii) पानी को विसंक्रमित करना ;

(iii) संरक्षात्मक कपड़े पहनना ;

(iv) कृषि कामगारों जैसे अत्यधिक जोखिम वाले व्यक्तियों को टीके लगाना ; और

(v) पैंसिलीन और टेट्रासाइक्लिन से रोगियों का तत्काल उपचार करना।

[हिन्दी]

कोयले के भण्डार

2622. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयले के भंडारों की क्रमशः क्षेत्रीय स्तर पर और व्यापक स्तर पर की गई खोज का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान व्यापक खुदाई करके कोयला खनन परियोजनाएं शुरु करने के लिए कोई व्यवहारिक अध्ययन किया गया है अथवा व्यापक परियोजना और रिपोर्ट तैयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण तथा कोयला कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, क्षेत्रीय अन्वेषण के ब्यौरे तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कोयले के लिए किए गए विस्तृत अन्वेषण को नीचे दिया गया है : –

(मीटर में)

वर्ष	*क्षेत्रीय ड्रिलिंग (भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा)	प्रोन्नति ड्रिलिंग	विस्तृत ड्रिलिंग
1	2	3	4
1991-92	47973	17228	367652
1992-93	51115	28178	339462
1993-94	36166	7065	382906
		(सितंबर, 93 तक)	

* (भारतीय भू-सर्वेक्षण के लिए आंकड़ों में लिग्नाइट शामिल है तथा वर्ष की अवधि अक्तूबर से सितम्बर तक मानी गयी है।)

(ख) से (घ) विस्तृत ड्रिलिंग से प्राप्त भू-गर्भीय आंकड़ों के आधार पर, 91 कोयला खनन परियोजनाओं तथा योजना के गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि.

(के.खा.आ.डि.सं.लि.) द्वारा तैयार की गई हैं। जैसा कि के.खा.आ.डि.सं. लि. ने उल्लेख किया है कि इन परियोजनाओं/योजनाओं की कुल क्षमता 88.65 मि.टन प्रति वर्ष की है तथा योजनाएं तैयार करते समय प्रचलित कीमत स्तर पर उनकी लागत 5760 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली में एड्स

2623. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल में एक चिकित्सक दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 750 कैदियों में से 90 प्रतिशत समलिंगी थे ;

(ख) क्या यह बताया गया है कि अगले छः वर्षों में अकेले दिल्ली में 50 लाख व्यक्तियों में एच.आई.वी. के कीटाणु पाए जाएंगे जिनमें से 10 लाख व्यक्ति एड्स के रोगी होंगे ;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में रोकथाम हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार को इस अनुमान के स्रोत अथवा आधार की जानकारी नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय देश भर में एड्स के निवारण और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। तैयार की गई कार्यनीतियों में ये शामिल हैं : –

जोखिम का आचरण करने वाले समूहों और आम जनता में जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोग/एच.आई.वी. के निवारण के लिए कंडोम को बढ़ावा देना, रक्त निरापदता और रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, एच.आई.वी./एड्स रोगियों की निगरानी, निदान और उपचार की बेहतर सुविधाएं प्रदान करना।

विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध

2624. श्री रामकृष्ण कोन्वाला : *क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विदेशी नागरिकों के भ्रमण पर लगे प्रतिबन्धों में ढील दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवम्बर, 1993 में यह फैसला किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी से परमिट प्राप्त करने के बाद, विदेशी पर्यटकों को जिन्हें मान्यता प्राप्त टूर आपरेटरों द्वारा प्रायोजित किया गया हो, चार-चार अथवा उससे अधिक के समूहों में निम्नलिखित निर्धारित टूर सर्किटों में जाने की अनुमति दी जाए। प्रत्येक सब-डिवीजन के सभी स्थानों में पर्यटन की अवधि अपेक्षित कम-से-कम समय तक ही सीमित होगी,

टूर सर्किट

(I) खाल्तसे सब-डिवीजन (ड्रोकाप्पा क्षेत्र)

खाल्तसे-टुमखार-स्कोरडक्खन-हानुडो-बियामा-ढा।

(II) नुबरा सब डिवीजन

(क) लेह-खारदुंग ला-खालसार-तिरित-पानामिक तक।

(ख) लेह-खारदुंग ला-खारसार-हुन्डेर तक।

(ग) लेह-साबो-दीगार ला-दीगार-लबाब-खुंगरा-गोम्पा-टांगर।

(III) न्योया सब-डिवीजन

(क) लेह-उपशी-चूमाथंग-महे-पुगा-त्सो-मोरारी झील/कोरजोक।

(ख) लेह-उपशी-डेबरिंग-पुगा-मोरारी झील/कोरजोक।

(ग) लेह-कारु-छांगला-दुरबुक-तांगत्से-लूकुंडा-स्पांकमिक (पैगोंग झील) स्पांकमिक तक)

कोयले का संयुक्त प्रतिचयन

2625. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयंत्रों पर कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कोयले के प्रतिचयन के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राख की मात्रा को कम करने हेतु कोयला खानों में लाभकारी संयंत्रों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं। विद्युत संयंत्रों पर कोयले के संयुक्त नमूने लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) कोल इंडिया लि. ने "स्व-निर्मित स्व-चालित" आधार पर कोयला परिष्करण संयंत्रों की स्थापना किए जाने के लिए भारतीय और विदेशी पार्टियों को विश्वव्यापी निविदाएं जारी करके आमंत्रित किया है।

बाई-पास सर्जरी

2626. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन सरकारी अस्पतालों के क्या लाभ हैं जहां हृदय संबंधी बाई-पास सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है ;

(ख) क्या ये सुविधाएं विकसित देशों में उपलब्ध सुविधाओं के समान हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयास क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) हृदय संबंधी बाई पास सर्जरी की सुविधाएं अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, दिल्ली, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम तथा रेलवे अस्पताल, मद्रास इत्यादि जैसे अनेक प्रमुख सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है।

(ख) से (घ) इन अस्पतालों में उपलब्ध कार्मिक, उपस्कर, आपरेशन थिएटर इत्यादि संबंधी सुविधाएं विकसित देशों में उपलब्ध सुविधाओं के समतुल्य है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना

2627. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम् सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस मंत्रालय को पोलावरम सिंचाई परियोजना विचारार्थ प्रस्तुत की है। तथापि, यह विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के संबंध में नहीं थी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपेक्षित आंकड़ों एवं स्वीकृतियों सहित एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

कोयला श्रमिकों के लिए पांचवां मजदूरी बोर्ड

2628. श्री धर्मभिक्षम : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को कोयला श्रमिकों की मजदूरी के संशोधन के लिए पांचवें मजदूरी बोर्ड के गठन करने की मांग के संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कायेला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे.बी.सी.सी.आई.) का तत्काल गठन किए जाने के संबंध में सरकार को विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कोल इंडिया लि. को जे.बी.सी.सी.आई.-4 की सलाह से जे.बी.सी.सी. आई.-5 के गठन के लिए प्राधिकृत किया गया है। जे.बी.सी.सी.आई.-5 के गठन पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए तथा एन.सी.डब्लू.ए.-5 से संबंधित मामलों पर प्रारंभिक विचार-विमर्श के लिए जे.बी.सी.सी.आई.-4 के प्रतिनिधियों का एक महत्वपूर्ण दल गठित किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय यूनियनों के राष्ट्रीय संघ तथा कोयला श्रमिक सभा ने जे.बी.सी.सी.आई. में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है तथा इस पर उन्होंने अंतरिम आदेश भी प्राप्त कर लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिन आदेशों के परित्याग/संशोधन के बाद जे.बी.सी.सी.आई.-5 के विधिवत् गठन के प्रयास किए जा सकते हैं।

पत्रकारों पर हमला

2629. श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में 'स्टेटसमैन' के दो रिपोर्टरों पर हमले की घटना के संबंध में जांच आदेश के विचारार्थ विषय क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) गृह मंत्रालय ने दिनांक 1.7.1994 को ली मैरिडियन में श्री के.पी.एस. गिल को बधाई देने के लिए आयोजित एक समारोह के दौरान हुए झगड़े, जिसमें "स्टेटमैन" के दो पत्रकार तथा पुलिस महानिदेशक, पंजाब के समर्थक अन्तर्ग्रस्त थे, की स्वयं जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के पुलिस आयुक्त को यह पता लगाना था कि क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उकसाए जाने का, प्रथम दृष्ठया, कोई साक्ष्य है।

(ख) और (ग) सरकार को जांच रिपोर्ट मिल चुकी है तथा उस पर गौर किया जा रहा है।

मलयालम फिल्में

2630. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मद्रास के परामर्शदात्री पैनल में मलयालम भाषा जानने वाले सदस्यों के क्या नाम हैं ;

(ख) 1993 और 1994 के दौरान मद्रास में प्रति माह कितनी मलयालम फीचर फिल्मों का प्रमाणन किया गया ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रति माह परामर्शदात्री पैनल के मलयालम भाषा जानने वाले प्रत्येक सदस्य को मलयालम फिल्मों के प्रमाणन संबंधी परीक्षण समिति में कितनी बार सम्बद्ध किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन् बोर्ड, मद्रास के परामर्शदात्री पैनल में मलयालम भाषा जानने वाले सदस्यों के नाम निम्न प्रकार से हैं : -

1. श्रीमती ऐनी जॉर्ज
2. श्रीमती भामा रमणन्
3. डा. पी. बालकृष्णन्

4. श्री एम.चन्द्रन नायर

5. श्री एन.शंकरन् नायर

6. श्री के.एस. गोपालकृष्णन्

7. डा. वी.पी. सिद्धन

8. डा. थम्पी लतीफ

9. श्री पी.टी. शिवारामन्

(ख) 1993 और 94 (जुलाई तक) मद्रास में प्रमाणित की गई मलयालम फीचर फिल्मों की संख्या निम्न प्रकार से है :

1993	60
1994 (जुलाई तक)	23

(ग)

	मद्रास परामर्शदात्री पैनल में मलयालम जानने वाले परामर्शदात्री पैनल सदस्यों के नाम	प्रत्येक सदस्य को परीक्षण समिति से संबद्ध किए जाने के अवसरों की संख्या	
		1993	1994 (जुलाई तक)
1.	श्रीमती एनी जॉर्ज	17	10
2.	श्रीमती भामा रमणन्	15	5
3.	डा. पी. बालकृष्णन्	25	9
4.	श्री एम. चन्द्रन नायर	13	7
5.	श्री एन. शंकरन् नायर	18	12
6.	श्री के.एस. गोपालकृष्णन्	9	-
7.	डा. वी.पी. सिद्धन	20	6
8.	डा. थम्पी लतीफ	17	7
9.	श्री पी.टी. शिवारामन्	15	11

उत्तरांचल में दूरदर्शन नेटवर्क

2631. श्री मानवेंद्र शाह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में 1994-95 के दौरान दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) सरकार का इस सारे क्षेत्र को दूरदर्शन नेटवर्क के अंतर्गत कब तक लाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) यद्यपि उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र सहित संपूर्ण देश दूरदर्शन के उपग्रह ट्रांसमिशन द्वारा कवर किया जाता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का 79 प्रतिशत क्षेत्र दूरदर्शन के स्थलीय ट्रांसमिशन के द्वारा कवर किया जाता है। उत्तराखण्ड क्षेत्र में स्थलीय ट्रांसमिशन का विस्तार करने के लिए 1 उच्च शक्ति तथा 33 अल्प/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर संलग्न विवरण में दिए गए अनुसार कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं। दूरदर्शन नेटवर्क का और अधिक विस्तार संसाधनों और आधारभूत सुविधाओं की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित टी.वी. ट्रांसमीटर

क्र.सं.	जिला	स्थान
1	2	3
1.	अल्मोड़ा	अ.श.ट्रां., अल्मोड़ा
		अ.अ.श.ट्रां. चौखटिया
		अ.अ.श.ट्रां. बागेश्वर
		अ.अ.श.ट्रां. बिन्सार
		अ.अ.श.ट्रां. बसोट/भिखियासेन
		अ.अ.श.ट्रां. मनीला
2.	पिथौरागढ़	अ.श.ट्रां. चम्पावत
		अ.अ.श.ट्रां. दोदोहाट

1	2	3
		अ.अ.श.ट्रां. बाराकोट
		अ.अ.श.ट्रां. सिराकोट/वैकुन्ठम
		उ.श.ट्रां. चम्पावत्
		अ.अ.श.ट्रां. लोहाघाट
		अ.अ.श.ट्रां. धूनाघाट
		अ.अ.श.ट्रां. खेतिखान
3.	नैनीताल	अ.श.ट्रां. हल्द्वानी
4.	देहरादून	अ.अ.श.ट्रां., साहिया
5.	चमोली	अ.श.ट्रां. कर्णप्रयाग
		अ.अ.श.ट्रां. चमोली
		अ.श.ट्रां. जोशीमठ
		अ.अ.श.ट्रां. थाराली
		अ.अ.श.ट्रां. रूद्रप्रयाग
		अ.अ.श.ट्रां. नन्दप्रयाग
6.	गढ़वाल	अ.अ.श.ट्रां. लांसडांन
		अ.अ.श.ट्रां. कलजीखाल
		अ.अ.श.ट्रां. घण्डीयाल
		अ.अ.श.ट्रां. नौगांवखल
		अ.अ.श.ट्रां. पोटद्वार
7.	टिहरी गढ़वाल	अ.अ.श.ट्रां. टिहरी
		अ.श.ट्रां. प्रतापनगर
		अ.अ.श.ट्रां. देव प्रयाग
		अ.अ.श.ट्रां. खेत पर्वत
		अ.अ.श.ट्रां. गाज्जा
8.	उत्तरकाशी	अ.अ.श.ट्रां. फतेहपर्वत
		अ.श.ट्रां. राजगढ़ी

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का विस्तार

2632. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एच.एल.एल.) का विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) कॉपर-टी, रक्त बैंगों, हाइड्रोसिफाल्स शंट्स, खाई जाने वाली गोलियों और सैंटक्रोमन का विनिर्माण जैसी विविध परियोजनाएं कार्यान्वियन/पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

भागीरथ पत्रिकाओं का प्रकाशन

2633. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

श्री मोतीलाल सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भागीरथ पत्रिकाओं के प्रकाशन और संपादन हेतु विद्यमान व्यवस्था क्या है ;

(ख) क्या भागीरथ पत्रिकाओं के प्रकाशन को 1994 में रोक दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो जनवरी माह का अंक कब निकाला गया था ;

(ङ) क्या इसके प्रकाशन में कोई विलम्ब हुआ है ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्रीय जल आयोग भगीरथ (अंग्रेजी) और भगीरथ (हिंदी) का प्रकाशन त्रैमासिक पत्रिकाओं के रूप में कर रहा है। इनका मुद्रण भारत सरकार के फोटो-लियो मुद्रणालय, फरीदाबाद में किया जाता है। प्रत्येक पत्रिका के सुचारू कामकाज के लिए एक संपादकीय बोर्ड है। भगीरथ (अंग्रेजी) के सम्पादक भगीरथ (अंग्रेजी) के सम्पादन का कार्य देखते हैं। सम्पादक, भगीरथ (हिंदी) का पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सुझाये गये अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने तक उप निदेशक के स्तर का एक इंजीनियरिंग अधिकारी भगीरथ (हिंदी) पत्रिका के संपादन का कार्य देख रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) भगीरथ (हिंदी) का जनवरी-मार्च, 1994 का अंक भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा 18 जुलाई, 1994 को प्रकाशित किया गया है जिसकी पाडुलिपियां 19 जनवरी, 1994 को भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद को भेजी गयी थी। भगीरथ (अंग्रेजी) के जनवरी-जून, 1994 के संयुक्त अंक का मुद्रण भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा किया जा रहा है। इसके विलंब का मुख्य कारण भारत सरकार मुद्रणालय में मुद्रण में हुई देरी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग

2634. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) क्या इन सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) देश में बाढ़ प्रबंध की समस्या का समन्वित एकीकृत और वैज्ञानिक प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से बाढ़ समस्या के सभी पहलुओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 207 दीर्घकालीन और अल्पकालीन सिफारिशें की थी। इनमें से, आठवीं योजना हेतु बाढ़ प्रबंध योजनाएं तैयार करने के लिए गठित कार्यदल द्वारा 25 मुख्य सिफारिशों का पता लगाया गया था जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशें अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्रीय अभिकरणों को भेजी गई थीं। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की मुख्य सिफारिशें

क्र.सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश
1	2	3
1.	4	विद्यमान और भावी बाढ़ नियंत्रण कार्यों के निष्पादन के मूल्यांकन के उद्देश्य से आंकड़े प्रभावी रूप से एकत्र किए जाएं जिससे विभिन्न सामाजिक आर्थिक तथ्यों पर उनके दीर्घावधिक निष्पादन व उनके प्रभाव पर मात्रात्मक एवं विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराई जा सके।
2.	14	अप्राधिकृत नदी तल पर खेती करने और नालों आदि में उनके अनाधिकार प्रवेश को रोकने के लिए राज्यों को कानून बनाना चाहिए और जहाँ ऐसे कानून पहले से ही विद्यमान हों, वहाँ उनके प्रवर्तन अभिकरणों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। तथापि नदी तल और पटरियों में तरबूज, सब्जियाँ आदि जैसी फसलों की खेती करने की सावधानीपूर्वक अनुमति दी जा सकती है। धाराओं, जो मुख्य नदियों में मिल जाती हैं के परित्यक्त तलों में खेती करने की पद्धति बंद की जानी चाहिए।
3.	15	जहाँ नालों को अप्राधिकृत रूप से काटने के संबंध में दंडात्मक अनुच्छेद वाला उपयुक्त कानून नहीं बनाया गया है, वहाँ उसे बनाकर लागू किया जाना चाहिए।
4	21	जहाँ संभव हो जल आप्लावित होने वाले क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभागों द्वारा गाज आंकड़ों के साथ कंटूर नक्शों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
5	28	तटबंधों और नदी के बीच निम्नलिखित तीन श्रेणियों के क्षेत्रों के बारे में बाढ़ से हुए नुकसान की सूचना प्रथम रूप से दी जाये ; I. सुरक्षा प्रदान न किये गये क्षेत्र II. सुरक्षा प्रदान किए गये क्षेत्र

III. स्थित क्षेत्र

6	29	सुरक्षा प्रदान किए गए और सुरक्षा प्रदान न किये गए क्षेत्रों के लिए जल निकास संकुलता से प्रभावित क्षेत्र की सीमा पृथक रूप से संकलित की जानी चाहिए।
7	30	बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़ों को बेसिन और उप बेसिनवार भी संकलित किया जाए।
8	49	जहाँ कहीं आवश्यक कानून विद्यमान है वहाँ बाढ़ मैदान प्रबंध उपाय शुरू किए जाने चाहिए और अन्य राज्यों में उपयुक्त कानून बनाए जाने चाहिए।
9	53	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम अथवा जन जातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की तरह उपयुक्त अनुसंधान व विकास सहायता सहित डिआरा भूमि के त्वरित विकास के लिए विशेष बाढ़ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।
10	81	एक स्थायी दीर्घावधिक आधार पर इष्टतम उत्पादन के हमारी भूमि और जल संसाधन के यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग के वास्ते बाढ़ की समस्या के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण समग्र व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा होना चाहिए। बाढ़ समस्या के संबंध में दृष्टिकोण गतिक व लचीला होना चाहिए ताकि यदि आवश्यक हो तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति हमारी सामाजिक स्थितियों और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नीति में भावी सुधार किए जा सके। इस पर सभी बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम बनाते समय विचार किया जाना चाहिए। बाढ़ की समस्या के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण मानव विचारणों पर मुख्य बल के साथ होना चाहिए। राज्य इस उद्देश्य के साथ बाढ़ नियंत्रण के बारे में मास्टर योजनाएं शुरू कर सकते हैं।
11	92	उपाय जिनमें बाढ़ नुकसान से जीवन और सम्पत्ति की संभावना को संशोधित किए जाने का प्रयास हो पहले की मात्रा की तुलना में और अधिक रूप से अपनाये जाने चाहिए।

12	113	जब तक पर्याप्त अनुरक्षण सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता तब तक नया निर्माण कार्य शुरू करना मूर्खता होगा।
13	116	जारी योजनाओं को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर अपेक्षित सीमा तक, जो योजना और वार्षिक आबंटनों के 60 प्रतिशत से कम न हो, निधियों के आबंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
14	122	विशेष समस्याओं के लिए बने कोषों से आबंटन करते समय बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र को वरीयता दी जानी चाहिए।
15	132	अनुरक्षण के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित की जायें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए सुझाए गये अनुरक्षण के वास्ते राशि को संदर्शिका के रूप में लिया जाना चाहिए। वास्तविक आवश्यकताओं और नियत किए गए मानकों के आधार पर राज्य के अधिकारियों द्वारा इनकी समीक्षा की जानी चाहिए।
16	137	महत्वपूर्ण बाढ़ और जल निकास कार्यों के सभी केन्द्रों की दूरसंचार सम्पर्कों के द्वारा वरिष्ठ इंजीनियरी अधिकारियों एवं राज्य मुख्यालय के नियंत्रण के साथ जोड़ने के संबंध में प्रबंध किए जाने चाहिए।
17	153	राज्यों को कानून बनाना है ताकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विद्यमान उपबंधों को आपातिक स्थितियों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से इस अधिनियम की धारा 17 (II) को संशोधित किया जा सके। वर्तमान में रेलवे में लागू है। इसे बाढ़ नियंत्रण कार्यो के लिए भी लागू किया जा सकता है।
18	167	अनुसंधान, शिक्षा व प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाये जैसाकि जल संसाधन विकास, नदी विज्ञान व बाढ़ नियंत्रण के संबंध में हैं।
19	176	विभिन्न जलीय संरचनाओं व अनधिकृत प्रवेशों में नदी आकृति विज्ञान व नदी प्रतिक्रिया पर वैज्ञानिक सूचना प्राप्त करने के लिए विद्यमान अनुसंधान संगठन अपने अनुसंधान अन्वेषणों को विविधिकृत करें।

20	181	जलाशयों के अवसादन संबंधी अध्ययनों का विविधिकरण किया जाना चाहिए।
21	186	बाढ़ नियंत्रण के लिए नई प्रौद्योगिकी और अप्रत्यक्ष क्षतियों व लाभ की मात्रा बताने की क्रियाविधि का विकास करने के वास्ते तकनीकी आर्थिक अनुसंधान प्रायोजित किया जाना चाहिए।
22	189	जहाँ भूमि प्रयोगकर्ताओं और युवा विद्यार्थियों का प्रशिक्षण शुरू किया जाए वहाँ बाढ़ विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए।
23	191	चक्रवात की संभावना वाले क्षेत्रों में मानव क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
24	197	कष्टों को कम करने के वास्ते एक राष्ट्रीय परिषद बनायी जानी चाहिए।
25	204	विशेषज्ञों द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाना जारी रखा जाना चाहिए। तटीय अनुसंधान इंजीनियरी केन्द्र, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे को एकत्र किये गये आंकड़ों की उपयोगिता व विश्वसनीयता का आवधिक मूल्यांकन करना चाहिए तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।

जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता अभियान

2635. श्री.के. प्रधानी : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सभी लोगों को शिक्षित करने के लिए कोई साक्षरता अभियान चलाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख) जी, नहीं सरकार के पास आदिवासी क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से कोई जिला सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम नहीं है। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देश के 19 राज्यों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करता रहा है। कार्यक्रम का अभिप्राय लक्षित आयु वर्ग के सभी साक्षर नागरिकों को शामिल करना है।

आदिवासी जनसंख्या बहुल जिले, जहां सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया था, की सूची को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

	बिहार
1.	दुमका
2.	रांची
	गुजरात
3.	डांगस
4.	सूरत
5.	भड़ौच
6.	वलसाद
7.	पंचमहल
	हिमाचल प्रदेश
8.	किन्नौर
9.	लाहौल एवं स्पीति
	मध्य प्रदेश
10.	रायगढ़
11.	झबुआ
	उड़ीसा
12.	कोरापुट
13.	सुन्दरगढ़
14.	कालाहांडी
15.	केआनझार
16.	मलका गिरी
	राजस्थान
17.	डूंगरपुर
	त्रिपुरा
18.	दक्षिण त्रिपुरा

सिंचाई परियोजनाएं

2636. श्री फूलचंद वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) मध्य प्रदेश में चल रही बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के मूल प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) मान सिंचाई परियोजना जिसमें 17700 हेक्टेयर को वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई है, को 44.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जून, 1992 में योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	मूल अनुमोदित लागत	अनुमोदन का वर्ष	नवीनतम अनुमानित लागत	पूरा करने की निर्धारित तारीख
1	2	3	4	5	6
	वृहद परियोजनाएं				
1.	हसदेव बांगी	115.30	1980	692.88	आठवीं योजना से आगे
2.	महानदी जलाशय	उपलब्ध नहीं	-	1223.45	-वही-
3.	अपर वेनगंगा	50.60	1978	176.53	-वही-
4.	तनवर	24.38	टी.ए.सी.	24.40	आठवीं योजना
5.	कोलार	139.14	टी.ए.सी.	157.40	-वही-
6.	पैरी	4.97	1973	33.54	आठवीं योजना से आगे
7.	जोंक	4.14	1976	46.38	-वही-

1	2	3	4	5	6
8.	कोदार	2.94	1977	49.82	-वही-
9.	सिंध फेज-।	4.95	1972	56.43	-वही-
10.	हलाली	13.06	1980	24.71	-वही-
11.	उर्मिल	6.41	1978	13.50	आठवीं योजना
12.	बाण सागर यूनिट-।	91.31	1978	740.05	आठवीं योजना से आगे
	बाग सागर यूनिट-।।	उपलब्ध नहीं	-	529.00	-वही-
13.	राजघाट यूनिट-।	61.61	-	133.50	-वही-
	यूनिट-।।	309.21	टी.ए.सी	309.21	-वही-
14.	बरियापुर बायां तट नहर	18.40	1978	143.00	-वही-
15.	बावनथाडी (महाराष्ट्र)	161.57	टी.ए.सी.	89.78	-वही-
16.	माही	61.52	1985	129.70	-वही-
17.	सिंध फेज-।।	510.94	टी.ए.सी.	607.67	-वही-
18.	माहन	39.00	टी.ए.सी.	103.14	-वही-
19.	बार्गो यूनिट-। और ।।	566.24	टी.ए.सी.	742.84	-वही-
20.	मान	44.10	1992	90.00	-वही-
21.	जोबात	30.75	1985	61.68	-वही-
22.	नर्मदा सागर	752.16	1989	1574.30	-वही-
23.	वार्गो व्यपवर्तन	1201.23	टी.ए.सी.	1640.00	आठवीं योजना से आगे
24.	ओंकारेश्वर	1784.29	टी.ए.सी.	5120.00	-वही-
	मध्यम परियोजनाएं				
1.	चन्दोरा	2.53	1980	15.00	आठवीं योजना
2.	बुन्दाला	2.15	1980	14.20	-वही-
3.	मतियारी	4.89	1979	60.16	आठवीं योजना से आगे
4.	देजाला देवसा	16.43	1983	50.12	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6
5.	मोतियामोति	1.61	1977	20.00	आठवीं योजना से आगे
6.	चिरपानी	8.57	1981	31.85	आठवीं योजना
7.	पिपरियानल्ला	3.89	1977	13.73	-वही-
8.	शिवनाथ व्यपवर्तन	0.40	1978	7.71	-वही-
9.	बालर	2.67	1977	10.90	आठवीं योजना से आगे
10.	कलिया सोत	9.33	1980	55.63	-वही-
11.	तिल्लार	5.77	1980	36.46	-वही-
12.	चोराल	3.96	1979	29.68	-वही-
13.	ढोलवाड़	4.68	1978	18.05	आठवीं योजना
14.	कनहरगांव	5.22	1982	16.70	आठवीं योजना
15.	बनजाज़	2.01	1977	7.74	आठवीं योजना से आगे
16.	गुंगटी	1.99	1978	44.22	-वही-
17.	बंकी	3.13	1980	13.33	आठवीं योजना
18.	गोमुख	3.51	1980	35.13	आठवीं योजना से आगे
19.	दुधा	2.86	1979	19.70	-वही-
20.	वुधना	2.00	1980	21.60	आठवीं योजना
21.	बरनाइ	4.26	1983	15.40	-वही-
22.	बुकुंदेर	4.27	1984	27.40	-वही-
23.	रामपुर खुर्द	1.51	1984	10.90	आठवीं योजना
24.	बर्कहर	उपलब्ध नहीं	टी.ए.सी.	10.67	आठवीं योजना से आगे
25.	बन्दिया	1.80	1983	12.20	आठवीं योजना
26.	गेज	0.75	टी.ए.सी.	29.86	आठवीं योजना से आगे
27.	मन्द व्यपवर्तन	2.89	1978	46.59	-वही-
28.	बिलासपुर व्यपवर्तन	0.96	1976	6.30	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6
29.	केसरताड़ा	6.01	1981	35.03	आठवीं योजना से आगे
30.	कुनवारी बायां	1.03	1918	3.80	-वही-
31.	माहुर	10.67	टी.ए.सी.	43.67	-वही-
32.	बाह	13.90	1980	52.40	-वही-
33.	सागर	10.63	1980	32.80	-वही-

टिप्पण : टी.ए.सी. - सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयी।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी

2637. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर तथा कठुआ में छिपने के नये ठिकाने बना लिए हैं जैसा कि 7 जुलाई, 1994 के 'जनसत्ता' में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कठुआ और उद्यमपुर जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों में उग्रवादियों की हल-चल की कुछ घटनाएं ध्यान में आई हैं। तथापि, छिपने के कोई ठिकाने बनाये जाने संबंधी कोई सूचना नहीं है। सरकार, राज्य के विभिन्न भागों में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के सभी आवश्यक प्रयास कर रही है।

एमनेस्ट्री इंटरनेशनल

2638. श्री शिव चरण वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमनेस्ट्री इंटरनेशनल ने केन्द्रीय सरकार से अंतःकरणी बंदियों को छोड़ने और अन्य सभी राजनैतिक बंदियों के संबंध में अविलम्ब और निष्पक्ष मुकदमा चलाना अथवा उन्हें छोड़ना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है ;

(ख) क्या एमनेस्ट्री इंटरनेशनल ने केन्द्रीय सरकार से हिरासत में उत्पीड़न और मृत्यु के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने तथा बंदियों के उत्पीड़न अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार के लिए दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करने और उत्पीड़न को रोकने के 10-सूत्री कार्यक्रम में निर्धारित सुरक्षा उपायों को लागू

करने का भी आग्रह किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, समय-समय पर, अपनी रिपोर्टों में ये टिप्पणियां की हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ और अन्य मंचों पर चर्चा के दौरान सरकार ने नियमित रूप से इस बात पर जोर दिया है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि गिरफ्तारियों और निरूद्ध रखे जाने आदि से संबंधित मामलों में सभी संबंधित द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया का अनुकरण एवं सम्मान किया जाए। हिरासत में हुई मौतों की शिकायतों की तुरंत जांच से संबंधित मुद्दों और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी और समय रहते कार्रवाई हो, इस बात को भी अति नियमित रूप से राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा है। जो कि पुलिस से संबंधित मामलों के लिए मुख्तया जिम्मेवार हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 के जरिए, दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों को उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

बाढ़-नियंत्रण परियोजनाएं

2639. श्री शंकर सिंह बाघेला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (जून तक) के दौरान बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि की विदेशी सहायता और ऋण प्राप्त हुआ ; और

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (जून तक) के दौरान बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कोई विदेशी सहायता तथा ऋण प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर केन्द्र

2640. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीशन केन्द्र लगाने की परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ;

(ग) 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ङ) इसे कब तक प्रचालित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) मैसूर में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने संबंधी स्कीम अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित की जानी है। तथापि, इस प्रकार की परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7-8 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) क्योंकि इस स्कीम पर अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है इसलिए 1994-95 के दौरान मैसूर सहित देश में चुनिन्दा स्थानों पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए 119.00 लाख रुपये का समेकित प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ) मैसूर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए स्थल के बारे में निर्णय कर लिया गया है और स्थल के अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम के औपचारिक अनुमोदन के पश्चात् इस प्रकार की स्कीम को पूरा करने में सामान्यतया लगभग 3-4 वर्ष का समय लग जाता है।

[हिन्दी]

होम्योपैथी को प्रोत्साहन

2641. श्री बलराज पासी :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

डा. कृपा सिन्धु भोई :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1994 के "नवभारत टाइम्स में" होम्योपैथी से मनोरोंगों का सफल उपचार "शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा देश में होम्योपैथी को बढ़ावा देने हेतु अधिक धन आबंटित किए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मंत्री की डोडा यात्रा

2642. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने या उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके परिणाम क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मैंने 8 जून, 1994 को डोडा का दौरा किया। उग्रवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने और इस जिले से पड़ोस के चम्बा जिले में कुछ परिवारों के प्रवास कर जाने, जो अब अपने घरों को लौट आए हैं. को देखते हुए उन लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए मैंने राज्य और जिला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया।

दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियां

2643. श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के आतंकवादियों ने अपना कार्यक्षेत्र दिल्ली तक बढ़ा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो 1993 और 1994 के दौरान अब तक दिल्ली में इनकी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा, आसूचना एकत्र करने और उग्रवादी गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने के सभी संभव प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप, दिल्ली पुलिस वर्ष 1993 में 25 तथा वर्ष 1994 (31.7.1994 तक) में 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई है, जो पंजाब और दिल्ली में अपनी गतिविधियां कर रहे थे।

विवरण

वर्ष 1993

1. **थाना–नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली में टाडा की धारा 3/4/5 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत दिनांक 23.1.1993 को प्राथमिकी संख्या 61 पर दर्ज मामला**

   चार व्यक्तियों नामतः सुखजीत सिंह उर्फ सुवखी पुत्र जगराज सिंह, जसपाल सिंह, परमजीत सिंह तथा बलविन्दर सिंह निवासी जिला संगरूर, पंजाब को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे राजधानी में गणतंत्र दिवस पर या उससे कुछ खतरनाक आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए चोरी छिपे घुस आए थे और उन्होंने दिल्ली में छिपने के ठिकाने बना लिए थे।

2. **थाना–शालीमार बाग, दिल्ली में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 419/420/468/471 टाडा अधिनियम की धारा 4/5 तथा विस्फोटक पदार्थ प्राथमिकी संख्या 76 पर दर्ज मामला**

   दो व्यक्तियों नामतः उमराव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह तथा हरभजन सिंह पुत्र बन्ता सिंह, निवासी–जिला होशियारपुर, पंजाब को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे पंजाब में बहुत–से मामलों में अन्तर्ग्रस्त थे। उमराव सिंह ने बताया कि वह अजीत सिंह के साथ फूजी ट्रेवल्स गढ़ शंकर का भागीदार था। उसका मुख्य कार्य लोगों को, जाली दस्तावेजों के आधार पर विदेश जाने के लिए फुसलाना और उनके लिए टिकटों की व्यवस्था करना था।

3. **थाना भजन पुरा, दिल्ली में टाडा की धारा 3/4/5, शस्त्र अधिनियम की धारा 24/54/59 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 15.2.1993 को प्राथमिकी संख्या 76 पर दर्ज मामला।**

   पांच व्यक्तियों नामतः गुरमीत सिंह उर्फ गुरदास पुरिया पुत्र हरबंस सिंह, रंजीत कौर उर्फ पिंकी पत्नी गुरमीत सिंह, निवासी पंजाब तथा जरनैल सिंह पुत्र बहादुर सिंह, नरप्रीत कौर उर्फ बॉबी पत्नी रोशन लाल बैरागी तथा अनिल गुजराल पुत्र श्री चन्द गुजराल, निवासी दिल्ली को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी दिनांक 25.2.1993 को दिल्ली में होने वाली भा.ज.पा. की रैली के दौरान दिल्ली में खून खराबा कराने की योजना थी।

4. **थाना-शाहदरा, दिल्ली में टाडा की धारा 3/4/5 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख के अन्तर्गत दिनांक 17.2.1993 को प्राथमिकी संख्या 49 पर दर्ज मामला**

दो व्यक्तियों नामतः अजीत सिंह पुत्र गुलजार सिंह तथा दयाल सिंह पुत्र लाल सिंह, दोनों पंजाब निवासी, को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे शहर के कुछ ट्रांसपोर्टरों से फिरौती की रकम वसूल करने के इरादे से चोरी छिपे राजधानी में घुस आए थे। वे आतंकवादी गिरोह के के.सी.एफ (जफरवाल ग्रुप) से संबंद्ध थे और उन्हें, खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख वासन सिंह जफरवाल के निर्देश पर दिल्ली भेजा गया था और वे यमुना पार के कुछ ट्रॉंसपोर्टरों की टोह ले रहे थे जिसके कि उनसे फिरौती की रकम प्राप्त करने के लिए उन्हें धमकी दें सकें

5. **थाना-श्रीनिवासपुरी, दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/ 364/365/34, टाडा अधिनियम की धारा 5 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 के अन्तर्गत दिनांक 10.3.1993 को प्राथमिकी संख्या 150 पर दर्ज मामला**

मल्कियत सिंह उर्फ कुलवन्त सिंह उर्फ कुल्तार सिंह उर्फ बलविन्दर सिंह अजनाला, पुत्र गुरदीप सिंह, निवासी गांव थाना अजनाला, जिला अमृतसर (पंजाब) नामक एक व्यक्ति को, 10.3.1993 को 26-वेस्ट फ्रैंडस कालोनी निवासी मुकेश जैन का अपहरण करने और मुकेश जैन के निवास पर तैनात सुरक्षा गार्ड को गोली मारने पर, उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया गया था।

6. **थाना तिलक नगर, दिल्ली में, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 और टाडा अधिनियम की धारा 3/4/5 के दिनांक 6.4.1993 की प्राथमिकता संख्या 190 पर दर्ज मामला**

उपर्युक्त मामले में दो व्यक्तियों, नामतः मनोरंजन सिंह उर्फ लहरी पुत्र कुलतार सिंह और गुरमीत सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी विष्णु गार्डन, तिलक नगर, दिल्ली को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास दिल्ली में बम विस्फोट करने के लिए विस्फोटक पदार्थ थे। उनकी योजना श्री दीपक भगत पुत्र श्री एच के एल भगत, को उड़ा देने की थी।

7. **थाना-अम्बेडकर नगर, दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/384/506/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 के अधीन दिनांक 6.5.1993 की प्राथमिकी संख्या 164 पर दर्ज मामला।**

तीन व्यक्तियों, नामतः कुलविन्दर सिंह पुत्र भान सिंह, राकेश पुत्र बाबू राम और कुलदीप सिंह उर्फ कलसी पुत्र प्रीतम सिंह, उत्तर प्रदेश निवासी को उपरोक्त मामले में गिरफ्तार किया गया। वे के.सी.एफ. के लैटरहैड पर श्री सुनील कुपूर पुत्र श्री एस एन कपूर निवासी ग्रेटर कैलाश-। दिल्ली, को धमकी भरे पत्र भेज रहे थ और उससे 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग कर रहे थे।

8. **थाना पटेल नगर, दिल्ली में टाडा की धारा 4/5 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5 के अधीन प्राथमिकी संख्या 230, दिनांक 17.5.1993 पर दर्ज मामला**

उपरोक्त मामले में चार व्यक्तियों, हरविन्दर सिंह पुत्र राम सि ह, कुलदीप सिंह पुत्र सुलखन सिंह, असविन्दर सिंह पुत्रं संतोष सिंह, दिल्ली निवासी तथा रतिन्दर सिंह उर्फ रांझा पुत्र हरमोहिन्दर सिंह, राजस्थान निवासी, को गिरफ्तार किया गया। उनकी दिल्ली में कोई बड़ी घटना करने की योजना थी। वे पंजाब के बब्बर खालसा गुट के हैं।

9. **थाना आदर्श नगर, दिल्ली में भा.दं.सं. की धारा 307, शस्त्र अधिनियम 25/27/54/59 और टाडा की धारा 5 के अधीन दिनांक 2.6.1993 की प्राथमिकी संख्या 125 पर दर्ज मामला।**

उपर्युक्त मामले में बलजीत सिंह उर्फ बल्ली पुत्र दीदार सिंह, निवासी गांव, बागरिया जिला अमृतसर (पंजाब) नामक एक व्यक्ति को तोड़-फोड़ की गतिविधियों में लिप्त होने के कारण गिरफ्तार किया गया।

10. **थाना सिविल लाईन, दिल्ली में टाडा की धारा 3/4/5 और विस्फोटक पदार्थ की धारा 4/5 के अधीन दिनांक 10.11.1993 की प्राथमिकी संख्या 326 पर दर्ज मामला**

इस मामले में नोहकम सिंह, पुत्र दलीप सिंह, निवासी चीमा पार्क, माडल टाउन, लुधियाना (पंजाब) नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। वह पंजाब के बब्बर खालसा गुट का एक कट्टर आतंकवादी था। संगठन ने उसे समन्वय, धन की व्यवस्था करने तथा शस्त्र व गोलाबारूद और विस्फोटकों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी।

वर्ष 1994

11. **थाना संसद मार्ग, दिल्ली, में टाडा की धारा 3/4/5, शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अधीन दिनांक 2.3.1994 की प्राथमिकी संख्या 39 पर दर्ज मामला**

चार व्यक्तियों, नामतः गुरबचन सिंह पुत्र हरीसिंह, निवासी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) नरिन्दर सिंह पुत्र गंगू सिंह, लखबीर सिंह पुत्र लाभ सिंह और राहुल वोहरा पुत्र रतन लाल, सभी दिल्ली निवासी, को उपर्युक्त मामले में गिरफ्तार किया गया। यह लोग चुनिंदा विशिष्ट व्यक्तियों और आर्थिक लक्ष्यों पर आक्रमण करने के उद्देश्य से दिल्ली में शस्त्र लाने में लिप्त थे। उन्होंने बताया कि लखबीर सिंह रोड़े, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है, की योजना पंजाब, दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां करने के उद्देश्य से एसालट राईफल्स, हथगोले और विस्फोटक सामग्री लाने की थी। जालंधर में जसबीर रोड़े और अन्यों की गिरफ्तारियों से पंजाब पुलिस ने इस गुट द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या करने के षडयंत्र का पर्दाफाश किया है।

12. **थाना तिलक नगर, नई दिल्ली में शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54/59 और टाडा की धारा 5 के अधीन दिनांक 23.1.1994 की प्राथमिकी संख्या 60 पर दर्ज मामला**

उपर्युक्त मामले में काबुल सिंह उर्फ फौजी पुत्र गुलजार सिंह, निवासी गांव चिंगोली, थाना राजा सांसी, जिला अमृतसर (पंजाब), नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गणतंत्र दिवस समारोह, 1994 के अवसर पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए दिल्ली आया था। वह पंजाब के वी.टी.एफ. के गुट का सदस्य है।

[हिन्दी]

विस्थापितों को पुनर्वास

2644. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय ने बिहार में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या पुनर्वास हेतु राज्य को अन्य स्रोतों से भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) जल संसाधन विकास परियोजना से प्रभावित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन कार्य को परियोजना के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जाता है तथा इस पर आये व्यय को परियोजना लागत में शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

दानकुनी कोयला काम्प्लैक्स

2645. श्री रूपचंद पाल :

प्रो. सुदर्शन राय चौधरी :

डा. असीम बाला :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स के एक भाग का किसी निजी संगठन को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) इस समय सरकार के सामने दानकुनी संयंत्र के निम्न तापीय कार्बनीकरण (एल.टी.सी.) संयंत्र का निजीकरण किए जाने का विचारार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, एलटीसी संयंत्र के वित्तीय कार्य निष्पादन में समग्र रूप से सुधार लाए जाने के लिए कई कार्रवाई मुद्दों को विनिर्दिष्ट किया गया है। इस संबंध में एक सुझाव यह दिया गया है कि दानकुनी कोयला काम्प्लेक्स (डी.सी.सी.) तथा ग्रेटर कलकत्ता गैस आपूर्ति निगम (जी.सी.जी.एस.सी.) के साथ हिस्सेदारी करके किसी एक संयुक्त उद्यम कंपनी को कोयले की गैसों के उत्पादन तथा संवितरण के कार्य को सौंपे जाने की संभावनाओं का पता लगाया जाए।

वर्तमान स्थिति के अंतर्गत को.इं.लि. इस यूनिट को लाभकारी बनाए जाने के लिए प्रयास कर रहा है, जो कि यह उत्पाद के लिए तेजी से विपणन विकसित करने तथा उत्पादन को अधिकतम किए जाने के जरिए कर रहा है।

एड्स

2646. श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एड्स के फैलने का कारण इस रोग के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी का अभाव तथा रोग के संक्रमण का पता लगाने के लिए उपयुक्त परीक्षण व्यवस्था की कमी है ;

(ख) क्या कुछ ही रक्त बैंकों के पास रक्त के परीक्षण की क्षमता है और इसके लिए वहां किए जाने वाले ऐलीसा टेस्ट का परिणाम भी शत-प्रतिशत सही नहीं होता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए विदेशी एजेन्सियों से कोई सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) देश में एच. आई.वी. संक्रमण तथा एड्स मुख्य रूप से असुरक्षित बहुसहभागी यौन संबंध आधान से संबद्ध संक्रमण तथा नशीली दवाओं के प्रयोगकर्ताओं द्वारा संक्रमित सुईयों और सिरिंजों का इस्तेमाल करने के कारण फैल रहा है।

(ख) सभी रक्त बैंकों को उन्हें देश के विभिन्न भागों में स्थित 150 जोनल रक्त जांच केन्द्रों के साथ संबद्ध करके एच.आई.वी. जांच सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, 372 जिला स्तरीय रक्ताधान केन्द्रों को रैपिड एच.आई.वी. जांच किटें प्रदान की जा रही हैं। सभी एच.आई.वी. जांच किटें अति संवेदनशील एवं सही हैं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय परियोजना

2647. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

श्री रामकृष्ण कोंवाला :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पोलावरम परियोजना सहित कुछ सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में सिंचाई परियोजना को घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का प्रस्ताव किया गया था ;

1. एक लाख हेक्टेयर तथा इससे अधिक क्षमता वाली अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं।
2. एक लाख हेक्टेयर तथा इससे अधिक क्षमता वाली अंतराज्यीय परियोजनाएं
3. अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं वाली परियोजनाएं।
4. अंतर्राज्यीय पहलुओं वाली परियोजनाएं।

यद्यपि, पोलावरम परियोजना सहित अनेक परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के रूप में अभिज्ञात किया गया था किंतु संसाधनों की कमी के कारण सिंचाई क्षेत्र में किसी भी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है।

जन प्रतिनिधित्व के बारे में विधेयक

2648. प्रो. प्रेम धूमल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे व्यक्तियों को, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, ग्राम पंचायत से लेकर संसद के सभी चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने के लिए विधान लाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में विधेयक लाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) इस मंत्रालय ने दिसम्बर, 1992 में राज्य सभा में संविधान (79 वां संशोधन) विधेयक, 1992 पेश किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि उस व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा जिसके दो

से ज्यादा बच्चे होंगे। फिर भी यह प्रस्तावित संशोधन भविष्य में ही प्रभावी हो सकता है और यह उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसके इस प्रस्तावित संशोधन के प्रवर्तन की तिथि को अथवा उसके बाद एक वर्ष के भीतर दो बच्चे होंगे।

यह विधेयक जांच तथा रिपोर्ट के लिए मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

स्वास्थ्य रक्षा के लिए हालैण्ड सहायता

2649. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकारों ने क्षय रोग, और कैंसर का पता लगाने के लिए नई सुविधाएं स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास कोई हालैण्ड सहायता संघ की सहायता से चलायी जाने वाली परियोजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त परियोजना के अन्तर्गत इन राज्यों में किन-किन स्थानों पर नयी सुविधाएं प्रदान किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) 175 करोड़ रुपये की डच सहायता हेतु "मध्यवर्ती स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण" नामक एक प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ट्रामेटोलॉजी, नेत्र विकार, मूत्रविज्ञानी विकार संबंधी क्षेत्र शामिल है।

ऐसी जगहों को, जहां इन सुविधाओं को उपलब्ध करने का प्रस्ताव है, अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए आयोग का गठन

2650. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विकलांगों की शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों को सुधारने और उनके लिए बनाई गई कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक स्थायी आयोग गठित करने का है ;

(ख) क्या सरकार को विकलांग व्यक्तियों से सम्बद्ध कुछ संस्थाओं से आयोग के गठन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है।

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी नहीं। तथापि विकलांग कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् है जो सरकार की एक सलाहकार निकाय है। कल्याण मंत्री इस परिषद् के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में संसद सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठन और विकलांग कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं : -

1. विकलांग जनसंख्या के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा सेवाओं हेतु एक समन्वित एवं व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करना

2. एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करना।

3. विकलांगों के कल्याण और पुनर्वास हेतु नीति-निर्देश तैयार करना।

4. विकलांगों के कल्याण हेतु वैद्यानिक प्रशासकीय तथा अन्य उपायों की आवधिक समीक्षा करना, और

5. विकलांगों के पुनर्वास में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अर्द्ध सैनिक बल

2651. **श्री मंजय लाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार/संघ राज्य-वार तैनात अर्द्धसैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन बलों को विभिन्न राज्यों में समान रूप से तैनात नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ; उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ख) जब कभी आवश्यक होता है, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। तैनात किए गए बलों की संख्या व्याप्त स्थिति पर निर्भर करती है और यह अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न होती है।

[अनुवाद]

रानीपुर 2 बी कोयला खान

2652. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड के अंतर्गत रानीपुर 2 बी कोयला खान को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कोयला खान को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कोल इंडियां लि. (को.इं.लि.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रानीपुर 2-बी इन्क्लाइन, जोकि 1986 में पहले बंद कर दी गई थी, विकास के लिए पुनः वर्ष 1991-92 में खोल दी गई। चढ़ाई की तरफ से सीमा का विकास करने से, सीम की मोटाई लगभग 0.80 मी. तक कम हो गई, जिसके कारण विकास कार्य को आगे जारी नहीं रखा जा सका। जल के एकत्र/जमा हो जाने के कारण गहराई का कार्य भी नहीं किया जा सका। अतः खान को पुनः बंद करना पड़ा। वर्तमान में वर्णित की गई स्थिति को देखते हुए इस कोलियरी को पुनः खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कोयले के ढेर और स्टॉक याड्र्स

2653. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित किए गए कोल डम्पस् और स्टाक याड्र्स की क्या संख्या है ;

(ख) इनमें से कितने वर्तमान में चालू हैं ; और

(ग) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इनमें से प्रत्येक ने कितनी मात्रा में कोयला प्राप्त किया और भेजा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार कंपनी ने 18 कोयला डम्प/स्टाकयार्ड स्थापित किए थे, जिसमें से वर्तमान में 15 कार्यरत हैं।

(ग) वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान प्राप्त कोयले की मात्रा तथा प्रेषण किए गए कोयले को नीचे दर्शाया गया है : -

क्र.सं.	एस.एस.वाई का नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
		प्राप्ति	प्रेषण	प्राप्ति	प्रेषण	प्राप्ति	प्रेषण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कटरास	423.27	420.61	400.29	378.70	224.60	226.50
2.	ईस्ट भुसरिया	208.61	214.63	230.95	239.30	164.90	167.30
3.	राम कृष्णा	256.80	266.62	186.03	179.81	161.10	175.00
4.	अलकाडीह	379.82	317.47	196.94	152.70	.00	.20
5.	वे/मूडीडीह	248.48	248.48	276.65	276.65	293.50	293.50
6.	नूडखुरकी एसएसवाई	113.80	99.11	125.41	137.90	106.90	93.70
7.	मुरईडीह एसएसवाई	26.85	12.23	23.88	14.20	60.30	60.30
8.	ए.किनारी एसएसवाई	10.65	9.84	105.17	79.60	47.60	46.70
9.	जमुनिया एसएसवाई	.00	.00	46.67	38.20	15.10	15.10
10.	दामोदा एसएसवाई	.00	.00	3.62	91.80	75.20	75.20
11.	तेतूलमारी एसएसवाई	.00	.00	16.17	86.60	146.60	146.60
12.	बेरा सीएचपी एसएसवाई	.00	.00	5.41	5.78	.30	.30
13.	कुया एसएसवाई	.00	.00	34.68	36.70	66.30	66.30
14.	दामागोरिया एसएसवाई	.00	.00	93.49	93.49	110.00	110.00
15.	धनसर एसएसवाई	.00	.00	71.45	25.30	29.60	29.60
16.	स./बीएल-4 एसएसवाई	.00	.00	193.50	193.50	181.80	181.80
17.	दोबरी एसएसवाई	.00	.00	1.79	3.60	4.70	4.70
18.	बेनीडीह एसएसवाई	.00	.00	18.79	18.50	45.60	45.60

[अनुवाद]

सर्प दंश टीका

2654. डा. असीम बाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में सांप के काटने के कारण अनुमानतः कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या सांप काटने के उपचार हेतु कोई टीका विकसित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सांप काटने के उपचार हेतु कोई निवारण टीका उपलब्ध नहीं है। वैसे, इसके उपचार के लिए पोलिवेलेंट सर्प-विष रोधी सीरम उपलब्ध है।

[हिन्दी]

सोन सिंचाई योजना

2655. श्री राम कृपाल यादव :

श्री लाल बाबू राय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सोन सिंचाई योजना को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु जलाशय का निर्माण करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कब तक इनकी स्वीकृति दी जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने प्रारंभिक तौर पर कदवान जलाशय परियोजना पर प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु अगस्त, 1987 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजा था। परियोजना में इन्द्रपुरी बराज पर सौन नहर प्रणाली के वास्ते जल उपलब्धता के स्थाईकरण की परिकल्पना की गई है।

इसके पश्चात् राज्य सरकार ने प्रस्ताव में विद्युत घटक भी बढ़ा दिया था। केन्द्रीय जल आयोग में जांच के पश्चात् उक्त रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों से जलाशय में उनके भू क्षेत्रों को जलमग्नता के संबंध में सहमति प्राप्त करने तथा समेकित संशोधित प्रस्ताव भेजने के वास्ते राज्य सरकार को लौटा दिया गया था।

(ग) बिहार सरकार ने यह सूचना दी है कि मध्य प्रदेश की सहमति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि बिहार सरकार परियोजना संशोधन करने, उत्तर प्रदेश सरकार से उनके भूक्षेत्र की जलमग्नता हेतु सहमति प्राप्त करने और समेकित संशोधित परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने में कितना समय लेती है।

समाचार सेवा प्रभाग

2656. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी रेडिया स्टेशनों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले हिंदी के समाचार बुलेटिनों पर निगरानी रखने के लिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के निगरानी एकक को मजबूत करने का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) आकाशवाणी की समाचार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण नामक आठवीं पंचवर्षीय योजना स्कीम के एक भाग के रूप में, विदेशी रेडियो संगठन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले हिन्दी समाचार बुलेटिनों की मानीटरिंग के लिए कुछ पदों के सृजन हेतु सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

जल आपूर्ति

2657. श्री छीतूभाई गामीत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समझौते के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात को पर्याप्त जलापूर्ति उपलब्ध की जा रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केन्द्र सरकार को विद्यमान करारों के अनुसार अन्तर्राज्यीय नदियों से जल की अपर्याप्त आपूर्ति के संबंध में गुजरात सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आरक्षण संबंधी कानून

2658. श्री राम विलास पासवान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आरक्षण संबंधी कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का है ताकि आरक्षण संबंधी मामले को न्यायालयों में चुनौती न दी जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में राज्य के पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए राज्य के शिक्षण संस्थानों में सीटों के आरक्षण के लिए तथा सेवाओं में पदों पर नियुक्तियां प्रदान करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति विधेयक, 1994 पर राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए केंद्र से संपर्क किया था। इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने दिनांक 19 जुलाई, 1994 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब तमिलनाडु सरकार ने इस अधिनियम को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु केंद्र के साथ एक बार फिर संपर्क किया है। इस अधिनियम को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने के पीछे तमिलनाडु सरकार ने मुख्य कारण यह बतलाया है कि ऐसा करने से इसे संविधान के अनुच्छेद 31 (ख) का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा हो जाएगा और इसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन स्वरूप चुनौती नहीं दी जा सकती।

इस अधिनियम को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल किया जाना सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

भूजल और भूमिगत जल

2659. श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल संसाधनों के अधिकतम विकास हेतु भूजल तथा भूमिगत जल के समन्वित उपयोग के लिए विस्तृत अध्ययन कराने के उद्देश्य से पर्याप्त धनराशि आबंटित की गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कथित योजना के लिए वास्तविक रूप से कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(घ) क्या कमान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जल जमाव से विभिन्न राज्यों में बहुत अधिक क्षेत्र अनउपजाऊ हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) सरकार ने केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा कार्यान्यिवन के वास्ते सतही और भूजल के संयुक्त प्रयोग पर अध्ययन हेतु 7.43 लाख रुपए की एक स्कीम का अनुमोदन किया है। आठवीं योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय 5.00 लाख रुपए है।

(घ) भारत सरकार द्वारा गठित कार्य दल ने अप्रैल, 1992 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सिंचित कमानों में 2.46 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का आकलन जल जमाव क्षेत्र के रूप में किया है।

(ङ) भूजल और सतही जल के संयुक्त प्रयोग हेतु अध्ययनों के अलावा कमान क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निबटने के लिए, विशेष रूप से फार्म पर विकास कार्यो के वास्ते सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है और मुख्य सिंचाई वितरण प्रणाली के कार्य कलापों में सुधार लाने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना शुरू की है।

दूरदर्शन चैनल तीन पर कार्यक्रम

2660. श्री के. राममूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/मुम्बई से संचालित दूरदर्शन चैनल-तीन पर कार्यक्रमों के लिए जिन स्वतंत्र निर्माताओं को मंजूरी दी गई है ; उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस चैनल पर मंजूर किए गए/दिखाए गए धारावाहिकों का ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) इन स्वतंत्र निर्माताओं को उनके कार्य के लिए अब तक कितनी अग्रिम धनराशि का भुगतान किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) किसी चैनल विशेष के लिए कार्यक्रमों को कमीशन नहीं किया जाता है।

(ख) डी.डी.-3 चैनल के लिए अभी तक किसी धारावाहिक को अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) निर्माण कार्य आरंभ करने पर निर्माता बैंक गारंटी/प्रतिभूति आदि प्रस्तुत करने पर 4 प्रकरणों तक के लिए 40 प्रतिशत अग्रिम प्राप्त करने के पात्र हैं।

[हिन्दी]

हिरासत में मृत्यु मुआवजा

2661. **श्री महेश कनोडिया :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में मरने वाले व्यक्तियों के संबंधियों को मुआवजे की धनराशि निर्धारित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने इस निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन उन रिट याचिकाओं में वित्तीय मुआवजा प्रदान किया है जिनमें पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी व्यक्ति के जीवित रहने और उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन किया गया हो।

न्यायालयों द्वारा दी गई मुआवजे की राशि एक समान नहीं है तथा यह प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर अलग-अलग रही है। हिरासत के दौरान हुई मौतों के लिए उच्चतम न्यायालय ने मुआवजे के भुगतान के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए हैं।

संयुक्त विशेषज्ञ समिति की बैठक

2662. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत बांग्लादेश संयुक्त विशेषज्ञ समिति की गंगा जल बंटवारे के बारे में सचिव-स्तर की कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें विचार-विमर्श किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मामलों का निपटारा

2663. श्री राम टहल चौधरी :

श्री लाल बाबू राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयलाधारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 में विगत तीन वर्षों के दौरान अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कितने मामले आए हैं ;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटारा किया गया ;

(ग) निपटाए गए मामलों में से अधिकतर मामले किस किस्म के थे ;

(घ) क्या न्यायाधिकरण के समक्ष आए सभी मामलों का निपटारा किया जा चुका है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इण्डिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास), अधिनियम 1957 के अंतर्गत गठित की गई न्यायाधिकरणों के सम्मुख 1597 मामले आये थे। इनमें से 876 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। ये मामले निम्नलिखित विवादों के संबंध में थे - भूमि मुआवजा, भू-स्वामित्व संबंधी विवाद और मुआवजें के दावे, जिनमें रोजगार दिया जाना शामिल है।

(घ) और (ङ) न्यायाधिकरण के सम्मुख आए सभी मामलों को मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से नहीं निपटाया जा सका है :

(1) न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों का स्थानांतरण।

(2) दावेदारों द्वारा लिया गया स्थगन।

(3) प्रतिपक्ष दलों (पार्टियों) आदि से उत्तर न प्राप्त होना।

[अनुवाद]

कमान क्षेत्र का विकास कार्यक्रम

2664. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जल उपयोग में सुधार करने तथा सिंचित कमान क्षेत्र में अधिकतम कृषि उत्पादन करने के लिए शुरू किए गये कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वांछनीय लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके विशेषतः संगठनात्मक कमजोरी और अप्रभावी आयोजन होने के क्या कारण हैं ;

(ग) समुचित आयोजना और इस कार्यक्रम की संगठनात्मक कमजोरी जैसी कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(घ) 1993-94 तक केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) देश में केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वियन 1974-75 से किया जा रहा है। इस समय, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 22 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 21.18 मिलियन हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र वाली 181 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए गठित सलाहकार समिति ने 25.6.1994 को आयोजित अपनी पहली बैठक में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की समीक्षा की। यह ध्यान में लाया गया है कि इस कार्यक्रम में शामिल की गई कई परियोजनाओं में जल वितरण एवं उपयोग और उत्पादकता स्तरों में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं, किन्तु कार्यक्रम से प्रत्याशित इष्टतम लाभ अभी प्राप्त करनी हैं।

सलाहकार समिति ने कार्यक्रम के प्रभावी कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर पर कमान क्षेत्र विकास परिषद के गठन और प्राधिकरण स्तर पर सांविधिक कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन की सिफारिश की थी। आठवीं योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यों और उसके कार्यान्वियन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं : वित्तीय पैटर्न में कुछ संशोधन करना, राज्य और परियोजना स्तर पर प्रबोधन कक्षों की स्थापना, साफ्टवेयर कार्य कलापों जैसे जल प्रबन्ध में किसानों की भागीदारी और छोटे स्तर पर अवसंरचनाओं के रखरखाव आदि पर बल देना, अनुकूली परीक्षण, प्रदर्शन और किसानों के प्रशिक्षण आदि प्रारंभ करना।

1993-94 के अंत तक, कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य क्षेत्रों में लगभग 3800 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

[हिन्दी]

कोयले की खानों को बंद किया जाना

2665. श्री दत्ता मेघे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में कुछ कोयला खानों को बन्द करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ; और

(ग) कोयले के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंण्डिया लि. (को.इं. लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में महाराष्ट्र में चालू कोयला खानों को बंद किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यद्यपि कुछ पुरानी कोयला खानों को बंद किया जाना निम्न कारणों से अपरिहार्य हो जाता है, जैसे (i) भण्डारों का समापन (ii) विपरीत भू-खनन परिस्थितियां (iii) विपरीत खान सुरक्षा परिस्थितियां तथा (iv) आर्थिक रूप में अलाभकारिता।

उत्पादन में गिरावट आ जाने के परिणामस्वरूप विद्यमान खानों से अतिरिक्त उत्पादन करके अथवा नई परियोजनाएं आरंभ करके कमी को पूरा किया जाता है। अतिरिक्त श्रमशक्ति को समीप की अन्य परियोजना में तैनात किया जा सकता है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं

2666. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

श्री गाभाजी मंगाजी ठकुर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गुजरात में क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के लिए इन योजनाओं हेतु राज्य को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ; और

(घ) 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में इन योजनाओं के अंतर्गत हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) राज्य में क्रियान्वित की जा रहीं प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य परिचर्या स्कीमों और वर्ष 1993-94

तथा 1994-95 के दौरान इन स्कीमों के संबंध में धन के आबंटन तथा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

(घ) गुजरात राज्य में की गई उपलब्धियों का स्कीमवार ब्यौरा विवरण-दो पर दिया गया है। जिलावार/विशेष क्षेत्रवार उपलब्धियों की राज्य सरकार द्वारा मानिटरिंग की जाती है।

विवरण - एक

प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के संबंध में गुजरात राज्य में 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किए गए धन का आबंटन एवं व्यय।

(लाख रुपये में)

	स्कीम का नाम	1993-94		1994-95	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
	1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	502.00	502.00	811.80	राज्य सरकार द्वारा अभी सूचित नहीं किया गया
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	34.69	34.69	85.00	
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	276.00	132.99	282.00 (अनन्तिम)	
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	88.53	48.00	127.50	
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	65.83	28.43	165.00	
6.	परिवार कल्याण कार्यक्रम	8362.13	*	4090.20	

* राज्य द्वारा सूचित नहीं किया गया।

विवरण - दो

गुजरात राज्य में की गई उपलब्धियों का स्कीमवार ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष	
		1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम		
	जांचे गए रक्त नमूनों की संख्या	67,78,846	68,96,000
	पता लगाए गए मलेरिया रोगियों की संख्या	3,48,532	3,05,031
	मलेरिया के उन रोगियों की संख्या जिन्हें समूल उपचार दिया गया	3,26,263	2,78,083
	कीटनाशक छिड़काव के जरिए बचाई गई जनसंख्या (लाखों में)	4.19	7.06
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम		
	मौजूद पुराने रोगी	17,874	15,265
	पता लगाए गए रोगी	11,338	13,911
	उपचार किए गए रोगी	11,397	13,911
	छुट्टी दिए गए रोगी	13,947	12,549
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम		
	पता लगाए गए नए रोगी	1,44,387	1,46,937
	जांचे गए थूक के नमूने	3,21,136	3,42,896
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम		
	किए गए मोतियाबिंद के आपरेशन	1,24,896	1,53,255

1	2	3	4
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	राज्य कार्यक्रम प्रबंध ढांचा स्थापित किया जा चुका है। विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 10 यौन संचारित रोग क्लिनिको कार्मिक शक्ति विकास एवं उपस्करों के संबंध में सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य के 16 रक्त बैंकों को आधुनिक बनाया जा रहा है।	
6.	परिवार कल्याण कार्यक्रम		
	डी.पी.टी.	10,83,469	11,97,899
	पोलियो	11,01,757	12,08,500
	बी.सी.जी.	11,47,844	12,23,851
	बन्ध्यीकरण	2,57,378	2,87,568
	आई.यू.डी.	3,48,652	4,29,759

कल्याण योजनाओं के लिए निधि

2667. श्री पी.पी. कालियापेरूमल :

डा. साक्षीजी :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा मंजूरी हेतु प्रस्तुत की गई विभिन्न कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से राज्यवार/संघ-क्षेत्रवार कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि जारी की गई ; और

(ग) इन योजनाओं के लिए स्वीकृत बकाया धनराशि कब तक जारी की जाएगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा वर्षवार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I से IV में दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा किए जाने की शर्त पर चालू वित्तीय वर्ष के अंत से पहले चालू वर्ष के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शेष राशि, यदि कोई हो तो, निर्मुक्त कर दी जाएगी।

विवरण - एक

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं के ब्यौरे तथा 1991-92 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	मैट्रिक पूर्व छात्र-वृत्तियां	पुस्तक बैंक	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना	नागरिक अधि. संरक्षण अधिनियम तथा अत्याचार निवारण अधि. का कार्यान्वयन	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	480.63	77.01	12.59	150.00	270.42	23.58	90.20	200.00	682.63	2117.72	-
2.	असम	17.00	13.00	0.33	7.00	7.00	0.57	-	12.50	171.02	190.83	-
3.	गुजरात	291.27	25.47	1.58	11.88	60.66	4.38	33.21	250.00	56.69	666.64	-
4.	बिहार	102.56	20.16	7.50	72.98	311.96	7.50	16.50	350.00	76.89	2197.38	-
5.	हरियाणा	31.68	12.92	1.27	-	-	1.24	1.85	50.00	57.65	537.60	1.52
6.	हि.प्र.	-	-	0.45	-	-	1.29	1.30	60.00	34.30	203.07	0.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	ज.और कश्मीर	0.77	-	0.77	5.00	5.00	2.00	-	2.50	82.08	79.82	-
8.	कर्नाटक	223.96	1.00	4.49	85.94	143.05	2.07	149.63	175.00	99.00	1485.72	-
9.	केरल	09.73	11.39	5.92	20.00	10.00	1.46	13.70	25.00	115.18	381.90	-
10.	म.प्रदेश	377.84	98.74	1.95	207.26	-	20.96	89.44	400.00	89.29	1705.34	-
11.	महाराष्ट्र	350.79	14.72	2.00	16.18	24.35	1.00	1.54	370.00	51.83	1316.13	-
12.	मणिपुर	23.08	-	1.00	1.25	-	-	-	-	-	-	-
13.	मेघालय	0.62	-	-	-	-	0.25	-	2.50	-	-	-
14.	नागालैंड	102.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	उड़ीसा	55.30	1.31	1.00	25.00	15.00	0.58	3.65	350.00	23.41	1020.78	-
16.	पंजाब	29.44	20.27	0.60	1.00	1.50	1.74	9.38	350.00	163.20	625.94	-
17.	राजस्थान	264.77	35.69	1.00	3.27	7.58	15.27	-	475.00	35.42	1150.44	4.74
18.	सिक्किम	0.7	-	-	8.56	8.56	-	-	-	-	2.86	-
19.	तमिलनाडु	263.32	5.16	9.60	32.47	40.44	4.00	43.69	43.00	500.99	1778.80	-
20.	त्रिपुरा	45.44	9.42	.80	4.00	4.90	2.96	-	-	24.00	42.82	10.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	उ.प्रदेश	700.00	49.79	2.00	51.35	75.83	9.01	128.08	800.00	428.14	4844.77	11.40
22.	पं. बंगाल	7.04	3.73	0.28	25.11	13.93	0.63	3.0	200.00	384.04	2382.02	-
23.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	26.68	9.23	-
24.	दा.न.हवेली	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	दिल्ली	11.00		-	-	-	1.07	-	375.00	0.25	134.36	-
26.	गोवा	0.01	-	0.05	-	-	0.82	-	-	-	2.61	-
27.	पांडिचेरी	3.78	-	0.60	20.22	1.00	-	9.41	2.50	27.1	12.90	-
28.	दमन और दीव	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	गुवाहाटी	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	अंडमान और											
	नि.द्वीप समूह	-	0.15	-	--	-	-	-	-	-		
	कुल :	**3500.00**	**400.00**	**56.23**	**748.67**	**10002.43**	**104.21**	**509.41**	**5050.00**	**2817.04**	**22896.22**	**18.76**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विशेष केंद्रीय सहायता टी.एस.पी.	अनु.जन.के लड़कों के होस्टल	अनु.जन.लड़कियों के होस्टल	आश्रम स्कूल	तेल और तेलहन विकास	अनुसंधान और प्रशि. (आदिवासी)	किशोर सामाजिक कु.नि. एवं नियंत्रण	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आ.प्रदेश	1529.34	49.00	31.305	-	50.00	-	8.36	111.99
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	28.175	-	-	-	-	-	16.38
3.	असम	1077.61	16.00	16.00	-	-	16.05	0.31	81.21
4.	बिहार	3211.19	-	68.82	-	-	9.25	6.745	215.85
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	0.54	-
6.	गुजरात	1870.90	17.16	30.13	-	-	2.25	39.87	180.12
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	0.54	-
8.	हि.प्रदेश	421.71	-	-	-	-	0.22	0.05	7.32
9.	जम्मू और कश्मीर	245.98	-	-	-	-	-	-	6.84
10.	कर्नाटक	253.24	-	6.125	-	-	-	80.29	67.80
11.	केरल	133.27	23.58	1.00	38.38	-	12.00	28.385	9.69

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12.	म.प्रदेश	6835.08	35.00	-	-	26.20	13.20	32.99	445.24
3.	महाराष्ट्र	1825.21	39.75	32.50	190.00	-	5.80	69.51	214.38
14	मणिपुर	388.04	1.37	7.82	-	-	10.00	-	14.40
15.	मघालय	-	-	-	-	-	-	0.98	39.96
16.	मिजोरम	-	6.175	6.125	-	-	-	0.25	17.16
17.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	24.18
18.	उड़ीसा	3298.65	10.98	37.427	20.00	40.80	3.61	17.58	219.70
19.	पंजाब	-	-	-	-	-	-	30.38	-
20.	राजस्थान	1679.23	-	36.75	-	-	5.24	15.74	155.37
21.	सिक्किम	60.93	-	-	-	-	-	-	2.70
22.	तमिलनाडु	281.77	7.58	12.25	-	-	11.54	55.05	19.32
23.	त्रिपुरा	430.35	15.00	4.96	8.00	-	0.14	-	21.69
24.	उत्तर प्रदेश	58.40	-	-	-	-	5.72	10.60	8.64
25.	पश्चिम बंगाल	1271.66	14.94	14.03	-	33.00	5.48	47.55	114.06

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	99.00	-	-	-	-	-	-	-
27.	दादर व नगर हवेली	-	-	0.48	-	-	-	-	-
28.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	लक्षद्वीप	-	22.05	-	-	-	-	-	-
31.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-	0.50	-
32.	दमन और दीव	11.00	-	-	-	-	-	-	-

विवरण - II

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं के ब्यौरे तथा 1992-93 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	पुस्तक बैंक	लड़की के होस्टल	कोचिंग और सम्बद्ध योजना	ना.अ.सं.अ. तथा अ.अ. का कार्यान्वयन	सफाई कम. की मु. तथा पुर्न.	अ.जा. विकास निगम	विशेष केंद्रीय सहायता	अनु.जा./अनु.ज.जा. छात्रों की योग्यता का उन्नयन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आ. प्रदेश	636.05	20.31	2.00	102.75	32.15	16.58	46.50	255.00	409.00	1937.61	0.97
2.	असम	218.98	-	0.30	-	-	0.50	-	202.00	222.09		-
3.	बिहार	799.18	5.98	2.00	25.27	40.795	2.00	15.00	313.00	86.25	2096.54	-
4.	गुजरात	310.87	14.38	0.30	-	-	3.05	78.33	186.00	100.07	908.53	-
5.	हरियाणा	63.16	48.54	1.92	3.64	3.64	2.92	6.05	176.00	106.54	398.20	2.90
6.	हि.प्रदेश	0.30	7.63	0.45	-	-	1.00	1.04	253.00	46.63	502.69	1.00
7.	जम्मू और कश्मीर	18.13	-	0.80	8.31	-	0.50	-	100.00	57.65	66.79	-
8.	कर्नाटक	463.87	5.51	5.13	19.24	101.10	11.62	22.35	399.00	107.80	1310.06	4.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	केरल	24.95	4.58	1.00	4.92	4.12	3.08	7.68	30.00	88.87	502.74	-
10.	मध्य प्रदेश	53.81	207.93	24.37	134.52	101.84	3.00	101.00	1336.00	24.00	1839.09	-
11.	महाराष्ट्र	887.84	5.43	3.00	-	-	1.00	35.25	659.00	81.92	1698.92	-
12.	मणिपुर	37.73	-	1.99	0.98	2.51	0.25	-	-	-	7.42	-
13.	मेघालय	34.24	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
14.	नागालैंड	120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	उड़ीसा	56.21	5.32	0.30	40.00	30.00	1.50	2.00	58.60	31.22	1323.38	-
16.	पंजाब	19.49	105.13	0.10	-	2.50	2.38	12.00	58.00	252.96	625.32	-
17.	राजस्थान	241.92	68.24	2.50	-	-	16.12	49.03	101.00	19.22	1162.90	4.11
18.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.21	-
19.	तमिलनाडु	458.30	19.94	1.50	80.88	60.66	2.00	90.61	80.00	122.44	1911.34	-
20.	त्रिपुरा	42.15	12.55	0.99	-	-	0.90	-	-	10.60	57.38	1.57
21.	उत्तर प्रदेश	700.00	78.53	11.49	76.36	101.10	3.00	66.00	1494.00	211.93	5495.07	5.35
22.	पश्चिम बंगाल	146.40	1.44	0.50	36.13	19.60	0.50	4.41	363.00	288.24	2669.54	-
23.	चण्डीगढ़	-	-	1.50	-	-	-	-	-	4.80	9.44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	दादर एवं नगर हवेली	1.84	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	दिल्ली	6.30	25.28	4.26	–	–	3.00	–	5.00	48.04	148.60	–
26.	गोवा	0.44	–	0.32	–	–	0.15	–	–	–	–	–
27.	पांडिचेरी	7.91	–	0.60	–	–	–	11.75	5.00	–	13.18	–
28.	दमन और दीव	1.36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	मिजोरम	62.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1.15	1.75	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.69	–
	कुल योग	5414.74	638.67	67.32	533.00	500.00	75.95	550.00	6073.00	2200.27	24880.00	22.04

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विशेष केंद्रीय सहायता	अ.जा.के लड़कों के होस्टल	अ.ज.जा.की लड़कियों के होस्टल	आश्रम स्कूल	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	लघु वन उत्पाद प्रचालन	तेल तथा तेल बीजों का विकास
14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	1529.34	-	-	35.00	14.78	10.00	33.48
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	1077.61	16.00	16.38	-	-	-	-
4.	बिहार	3175.25	-	-	-	-	51.00	17.39
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-
6.	गुजरात	1855.14	23.00	18.21	25.00	29.56	-	-
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	403.39	-	-	-	-	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	296.14	-	-	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	327.42	-	-	-	-	-	-
11.	केरल	207.23	15.78	21.42	39.73	-	-	-
12.	मध्य प्रदेश	6785.01	63.74	83.06	-	-	-	20.52

14	15	16	17	18	19	20	21	22
13.	महाराष्ट्र	1815.21	-	-	-	-	24.00	-
14.	मणिपुर	383.41	-	-	-	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-
16.	मिजोरम असम सहित	-	-	-	14.78	-	-	
17.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	3308.03	30.00	35.58	42.00	-	-	33.04
19.	पंजाब	3	-	-	-	-	-	-
20.	राजस्थान	1689.46	10.11	24.50	-	-	30.00	-
21.	सिक्किम	060.93	-	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	270.72	6.74	6.12	24.69	14.78	-	-
23.	त्रिपुरा	414.94	18.39	8.00	10.00	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	58.40	15.16	6.12	23.58	-	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	1171.67	24.26	30.07	-	29.56	35.00	39.57

14	15	16	17	18	19	20	21	22
संघ राज्य क्षेत्र								
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	86.13	–	–	–	–	–	–
27.	दादर नगर हवेली	–	43.74	–	–	–	–	–
28.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–	–
29.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–
30.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
31.	पाँडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	23.87	–	–	–	–	–	–

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण (जनजातीय)	किशोर सामाजिक कुसमंजन का निवारण एवं नियंत्रण	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	भिक्षावृत्ति निवारण	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.81	12.59	233.22	-	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	7.90	32.40	-	-
3.	असम	10.70	0.47	160.80	-	20.06
4.	बिहार	9.82	10.165	427.20	-	223.95
5.	गोवा	-	23.81	-	-	-
6.	गुजरात	2.19	40.63	350.40	8.68	-
7.	हरियाणा	-	1.32	-	-	30.58
8.	हिमाचल प्रदेश	0.31	0.07	14.40	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	-	-	50.40	-	-
10.	कर्नाटक	-	52.35	133.98	3.52	114.76
11.	केरल	8.00	5.48	19.20	-	-
12.	मध्य प्रदेश	28.28	86.98	88.80	-	74.11

1	2	3	4	5	6	7
13.	महाराष्ट्र	11.87	101.75	423.96	-	103.80
14.	मणिपुर	6.60	-	28.38	-	-
15.	मेघालय	-	1.96	79.20	-	-
16.	मिजोरम	-	1.99	34.02	-	-
17.	नागालैंड	-	3.39	98.00	-	-
18.	उड़ीसा	3.22	1.86	434.78	-	-
19.	पंजाब	-	9.31	-	-	43.66
20.	राजस्थान	4.58	4.645	307.64	-	-
21.	सिक्किम	-	1.71	5.22	-	-
22.	तमिलनाडु	9.44	52.70	38.40	-	-
23.	त्रिपुरा	0.69	-	42.78	-	-
24.	उ.प्रदेश	3.46	60.015	17.22	-	88.10
25.	पं.बंगाल	1.03	54.225	225.60	3.34	-
26.	अ.नि.द्वीप समूह	-	-	-	-	-
27.	दा.न.हवेली	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
28.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-
29.	दिल्ली	-	-	-	-	4.46
30.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
31.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-
32.	दमन और दीव	-	0.76	-	-	-

विवरण - III

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं के ब्यौरे तथा 1993-94 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	मैट्रिक पूर्व छात्र-वृत्तियां	पुस्तक बैंक	लड़कियों के होस्टल	लड़कों के होस्टल	कोचिंग तथा सम्बद्ध योजनाएं	ना.अ.सं.अ. तथा अत्याचार अधिनियम का कार्यान्वयन	सफ़ाई कर्मचारियों की मुक्ति तथा पुनर्वास	अनु.जा. विकास निगम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आ.प्र.	77.365	83.68	70.50	310.30	181.90	3.00	.91.02	459.00	875.52	2416.06	-
2.	असम	-	-	5.78	-	-	0.50	-	-	22.10	220.51	-
3.	बिहार	550.144	65.80	9.91	40.44	70.77	8.56	26.50	-	113.52	2327.11	-
4.	गुजरात	357.951	14.57	0.05	15.05	39.50	5.53	92.74	200.00	96.07	796.82	-
5.	हरियाणा	68.00	14.56	5.84	-	-	3.56	5.21	714.00	164.31	424.53	2.90
6.	हि.प्र.	3.272	4.40	0.60	-	-	1.00	1.00	-	53.43	609.54	1.10
7.	जम्मू व कश्मीर	33.754	-	0.13	-	0.14	0.50	-	-	61.00	76.33	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	कर्नाटक	1077.036	1.86	4.87	3.08	108.68	1.00	148.86	-	212.35	1282.71	-
9.	केरल	106.764	1.90	13.67	25.02	6.95	6.96	19.99	-	124.20	402.84	-
10.	मध्य प्रदेश	474.76	168.96	36.90	0.64	-	3.00	16.75	1226.00	57.65	2803.81	-
11.	महाराष्ट्र	1240.04	20.03	20.49	56.43	68.34	1.00	96.14	378.00	138.16	1562.79	-
12.	मणिपुर	59.47	-	0.72	2.32	2.03	0.25	-	-	-	5.56	-
13.	मेघालय	74.279	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-
14.	नागालैंड	60.00	-	-	-	-	0.60	-	11.00	-	-	-
15.	उड़ीसा	385.74	6.00	8.86	38.76	34.00	1.50	2.00	119.00	59.22	1075.66	3.92
16.	पंजाब	120.878	32.97	2.65	1.00	2.56	1.00	13.40	-	14.13	875.92	-
17.	राजस्थान	348.02	30.08	10.00	5.05	2.52	22.94	51.00	227.00	18.60	1829.89	5.85
18.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.06	-
19.	तमिलनाडु	736.98	7.32	29.48	50.55	43.62	2.00	69.36	-	318.50	1879.11	-
20.	त्रिपुरा	54.944	12.70	1.02	1.67	5.00	6.39	-	-	9.60	58.85	-
21.	उत्तर प्रदेश	350.00	80.33	103.09	15.77	60.65	3.00	49.59	3763.00	238.77	5933.29	-
22.	पश्चिम बंगाल	73.20	3.01	2.98	33.86	23.37	0.50	4.40	-	206.56	2322.75	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	चण्डीगढ़	-	0.25	-	-	-	-	-	-	4.80	12.35	
24.	दादर व नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	5	-	-	17.75	-
25.	दिल्ली	-	12.60	2.49	-	-	3.00	-	-	57.65	184.76	-
26.	गोवा	1.46	-	0.25	-	-	-	0.05	-	49.96	2.86	-
27.	पांडिचेरी	10.56	-	1.17	-	-	-	13.14	-	21.13	14.81	-
28.	दमन और दीव	2.562	-	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	मिजोरम	164.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.30	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	आन्ध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-	1.37
	योग :	7479.359	561.10	332.08	599.95	650.00	76.41	706.15	7097.00	2934.63	27211.98	15.14

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विशेष केंद्रीय सहायता	अ.ज.जा.के लड़कों के होस्टल	अ.ज.जा.की लड़कियों के होस्टल	आश्रम स्कूल	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक परिसर	लघु वन उत्पादन प्रचालन
14	15	16	17	18	19	20	21
1.	आंध्र प्रदेश	1593.22	30.75	53.11	34.30	-	25.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	
3.	असम	1087.57	-	-	-	-	-
4.	बिहार	3497.39	-	-	-	-	-
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-
6.	गुजरात	2234.77	39.23	19.51	-	-	-
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	2755.03	-	-	-	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	518.60	05.17	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	439.76	-	-	-	-	-
11.	केरल	767.25	20.00	20.00	47.10	14.53	41.00

14	15	16	17	18	19	20	21
12.	मध्य प्रदेश	8117.65	39.28	27.03	-	44.34	60.00
13.	महाराष्ट्र	2234.35	-	-	69.42	-	53.00
14.	मणिपुर	417.12	10.11	10.11	-	-	10.00
15.	मेघालय	-	9.80	9.80	-	-	15.00
16.	मिजोरम (असम सहित)	-	-	-	-	-	-
17.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	3603.23	29.40	71.24	16.20	70.03	50.00
19.	पंजाब	-	-	-	-	-	-
20.	राजस्थान	2664.68	36.75	12.25	-	44.34	61.40
21.	सिक्किम	73.671	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	214.05	-	-	34.65	4.73	-
23.	त्रिपुरा	372.37	18.38	1.31	10.00	-	35.00
24.	उत्तर प्रदेश	69.22	3.65	3.65	40.68	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	1319.06	26.41	23.74	-	8.57	-

14	15	16	17	18	19	20	21
संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	211.22	–	–	–	–	–
2.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–
3.	चण्डीगढ़	–	–	–	–	–	–
4.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
5.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
6.	पाँडिचेरी	–	–	–	–	–	–
7.	दमन और दीव	28.29	–	–	–	–	–
	योग :	29484.54	269.72	263.75	252.55	186.54	350.90

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसंधान व प्रशिक्षण	किशोर सामाजिक कुसमंजन का निवारण व नियंत्रण	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	भिक्षावृत्ति निवारण	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	57.66	-	437.25	-	1746.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.57	-	60.75	-	-
3.	असम	12.90	10.47	301.50	-	70.59
4.	बिहार	12.71	-	801.00	-	456.33
5.	गोवा	-	27.99	-	-	-
6.	गुजरात	0.55	-	668.25	-	170.00
7.	गुजरात	-	1.32	-	-	217.40
8.	हिमाचल प्रदेश	0.72	-	27.00	-	40.00
9.	जम्मू व कश्मीर	-	-	105.75	-	-
10.	कर्नाटक	0.29	-	251.25	-	638.21
11.	केरल	7.85	-	36.00	-	41.32
12.	मध्य प्रदेश	23.35	-	1651.50	3.52	714.61

1	2	3	4	5	6	7
13.	महाराष्ट्र	23.75	-	795.00	-	311.10
14.	मणिपुर	3.50	-	53.25	-	-
15.	मेघालय	-	1.02	148.50	-	-
16.	मिजोरम	-	0.48	63.75	-	-
17.	नागालैंड	-	1.41	90.00	-	-
18.	उड़ीसा	3.73	0.55	815.25	-	-
19.	पंजाब	-	23.58	-	-	128.89
20.	राजस्थान	5.59	1.98	576.75	-	-
21.	सिक्किम	-	0.21	9.75	-	-
22.	तमिलनाडु	7.39	-	72.00	16.04	213.16
23.	त्रिपुरा	6.80	-	80.25	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	4.98	-	32.25	-	258.50
25.	पं. बंगाल	8.93	41.61	423.00	3.14	-
26.	अ.नि.द्वीप.समूह	-	-	-	-	-
27.	दा.न.हवेली	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
28.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–
29.	दिल्ली	–	–	–	0.325	–
30.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	–	–	–	–	–

विवरण – IV

संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं के ब्यौरे और 1994-95 (जुलाई, 1994 तक) के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेष केंद्रीय सहायता	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए छात्रवृत्ति	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	पुस्तक बैंक	पी.सी.आर. अ.का. कार्यान्वयन	अ.जा./जन. के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना	अ.जा./जन. छात्रों की यो.के.उ. की योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	339.30	657.30	22.00	-	37.00	-	-	-
2.	असम	54.50	-	-	-	3.00	-	-	-
3.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	-	451.00	22.00	-	5.00	-	1.70	-
5.	गुजरात	92.38	292.00	5.00	-	-	-	1.10	-
6.	गोवा	0.82	0.90	-	-	0.15	-	-	-
7.	हि.प्रदेश	40.99	2.00	1.50	-	0.30	-	-	-
8.	हरियाणा	95.85	42.00	-	-	3.00	-	0.70	-
9.	जम्मू व कश्मीर	20.88	20.70	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	कर्नाटक	230.67	657.30	0.50	-	2.50	-	-	-
11.	केरल	95.57	66.00	-	-	7.00	-	1.40	-
12.	महाराष्ट्र	258.79	1140.30	7.00	-	11.00	-	-	-
13.	मध्य प्रदेश	403.38	289.70	57.00	1380.00	19.50	-	-	-
14.	मिजोरम	-	100.30	-	-	-	-	-	-
15.	मणिपुर	1.28	36.40	-	-	0.35	-	-	-
16.	मेघालय	-	45.20	-	-	-	-	-	-
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	169.79	235.30	2.00	-	4.50	-	-	-
19.	पंजाब	167.69	73.80	-	-	1.50	-	-	-
20.	राजस्थान	243.27	212.30	10.00	-	5.50	-	4.60	-
21.	सिक्किम	0.82	-	-	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	342.95	449.60	2.50	-	15.50	-		-
23.	त्रिपुरा	14.70	33.60	4.50	-	0.50	-	-	-
24.	उ. प्रदेश	962.31	-	27.00	-	54.00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	प. बंगाल	512.83	-	1.00	-	1.50	-	-	-
26.	अ.नि.द्वी.समूह	-	0.80	-	-	-	-	-	-
27.	चंडीगढ़	3.65	-	-	-	-	-	-	-
28.	दा.न.हवेली	-	1.90	-	-	-	-	-	-
29.	दिल्ली	51.21	-	4.50	-	1.50	-	-	-
30.	दमन और दीव	-	1.60	-	-	0.20	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	पांडिचेरी	3.74	6.50	-	-	1.00	13.93	-	-
	कुल	4106.57	4818.50*	166.50	1380.00	174.50	13.93	9.50	-

* इस आंकड़े में गुवाहाटी परियोजना को निर्मुक्त 2.00 लाख रुपये शामिल है।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विशेष केंद्रीय सहायता	लड़कों के होस्टल	लड़कियों के होस्टल	आश्रम स्कूल	स्वैच्छिक प्रशिक्षण आदिवासी	लघु वन उत्पाद प्रचालन	तेल व तेल बीजों का विकास
14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आंध्र प्रदेश	796.61	50.00	50.00	66.80	-	-	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	543.78	-	-	-	44.34	-	-
4.	बिहार	1748.70	-	-	-	-	-	-
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-
6.	गुजरात	1117.39	-	-	-	-	0.30	-
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	177.75	-	-	-	-	-	-
9.	जम्मू और कश्मीर	259.30	-	-	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	219.88	-	-	-	-	-	-
11.	केरल	76.13	-	-	-	-	-	-
12.	मध्य प्रदेश	3558.83	-	-	-	-	-	-
13.	महाराष्ट्र	1117.17	-	-	-	-	-	-

14	15	16	17	18	19	20	21	22
14.	मणिपुर	208.56	-	-	-	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-
16.	मिजोरम (असम सहित)	-	-	-	-	-	-	-
17.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	1801.61	-	-	-	-	-	-
19.	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-
20.	राजस्थान	1047.34	-	-	-	-	-	-
21.	सिक्किम	36.84	-	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	107.03	-	-	-	10.05	-	-
23.	त्रिपुरा	186.18	-	-	-	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	34.6	-	-	-	-	-	
25.	पं. बंगाल	659.53	-	-	-	6.215	-	-
26.	अ.नि.द्वीप समूह	38.61	-	-	-	-	-	-
27.	दादर और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-
28.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	

14	15	16	17	18	19	20	21	22
29.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–
30.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	14.15	–	–	–	–	–	–
	कुल :	1560.00	50.00	50.00	66.80	60.605	0.30	–

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसंधान व प्रशि. (आदिवासी)	किशोर कुसमंजन का निवारण एवं नियंत्रण	संविधान का अनुच्छेद 275	भिक्षावृत्ति निवारण	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
23	24	25	26	27	28	29
1.	आ.प्रदेश	2.28	-	230.25	-	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	30.00	-	-
3.	असम	-	-	157.50	-	-
4.	बिहार	0.63	-	363.00	-	-
5.	गोवा	-	-	-	-	3.00
6.	गुजरात	-	-	338.25	-	-
7.	हरियाणा	-	0.25	-	-	-
8.	हि.प्रदेश	0.22	-	12.00	-	-
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	43.13	-	-
10.	कर्नाटक	0.31	-	105.00	-	-
11.	केरल	-	-	17.63	-	-
12.	मध्य प्रदेश	-	-	844.87	-	389.51

23	24	25	26	27	28	29
13.	महाराष्ट्र	0.55	-	401.62	4.45	-
14.	मणिपुर	-	-	34.87	-	-
15.	मेघालय	-	-	83.25	-	-
16.	मिजोरम (असम में शामिल)	-	-	36.00	-	-
17.	नागालैंड	-	-	58.13	-	-
18.	उड़ीसा	2.20	-	385.88	-	-
19.	पंजाब	-	-	-	-	199.90
20.	राजस्थान	0.86	-	300.38	-	-
21.	सिक्किम	-	-	5.25	-	-
22.	तमिलनाडु	0.29	-	31.50	-	-
23.	त्रिपुरा	0.41	-	46.87	-	-
24.	उ. प्रदेश	-	-	15.75	-	-
25.	प. बंगाल	-	-	208.87	-	-
26.	अ.नि.द्वि.समूह	-	-	-	-	-
27.	दा.न.हवेली	-	-	-	-	-

23	24	25	26	27	28	29
28.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–
29.	दिल्ली	–	–	–	–	–
30.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	–	–	–	–	–
	कुल :	7.75	–	3750.00	–	–

भुवनेश्वर बरोह कैंसर संस्थान

2668. श्री उद्धव वर्मन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भुवनेश्वर बरोह कैंसर संस्थान गुवाहाटी को कितनी सहायता दी गई ;

(ख) क्या संस्थान को आधुनिक बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) असम सरकार, पूर्वोत्तर परिषद तथा परमाणु ऊर्जा विभाग ने डा. बरूआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इन संगठनों ने निम्न प्रकार से विगत 2 वर्षों के दौरान इस संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान की है : –

1992–93	175.00 लाख रुपये
1993–94	171.33 लाख रुपये

[हिन्दी]

ह्रदय रोग के रोगी

2669. डा. परशुराम गंगवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ह्रदय रोग के रोगियों की अनुमानित संख्या क्या है ;

(ख) क्या आयुर्वेद/ऐलोपैथ पद्धतियों के विशेषज्ञों द्वारा बिना आपरेशन के ह्रदय रोग के रोगियों को ठीक कर देने के लिए शोध कार्य किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सी.सिल्वेरा) : (क) कार्डियोवास्कुलर विकारों के रोगियों की व्याप्तता लगभग 40 मिलियन होने का अनुपान लगाया गया है।

(ख) और (ग) आयुर्वेदिक और एलोपैथिक विशेषज्ञों द्वारा अनेक देशी पादपों पर विभिन्न कार्डियोवास्कुलर बीमारियों में भेषज गुण विज्ञानी और क्लिनिकल अनुसंधान किया जा रहा है।

एक ऐसे अध्ययन में यह पाया गया है कि अर्जुन (टर्मिनेलिस अर्जुन) की छाल का पाउडर, जो एक आयुर्वेदिक औषध है, का स्थायी एंजाइना के रोगियों पर महत्वपूर्ण एंजाइनारोधी प्रभाव होने का पता चला है। तथापि, यह अस्थायी एंजाइना के रोगियों पर प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं हेतु धनराशि

2670. डा. साक्षीजी :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं हेतु सहायता प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक विभिन्न योजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश के लिए प्रतिवर्ष मंजूर की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश राज्य को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है : –

(लाख रुपये में)

	स्कीम का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान दी गई सहायता		
		1991–92	1992–93	1993–94
1.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलनकार्यक्रम	824.58	606.13	1059.70
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	251.86	364.88	267.13
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग, नियंत्रण कार्यक्रम	177.00	374.00	458.00
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	98.85	165.55	277.86
5.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	–	72.98	27.59
6.	परिवार कल्याण कार्यक्रम	10413.14	16289.41	20515.53

[अनुवाद]

स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद

2671. डा. सुधीर राय : क्या **गृह** मंत्री स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद के बारे में 2 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में लद्दाख के लेह और कारगिल जिलों के लिए स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस प्रयोजन से राज्य सरकार से प्राप्त एक विधेयक के मसौदे पर संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से कार्रवाई की जा रही है।

कोयले की आपूर्ति में कमी

2672. श्री काशीराम राणा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में घरेलू कार्यों हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कोयले और बिजली उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोयले की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को कितना कोयला आबंटित किया गया था और राज्य के जनजातीय क्षेत्र के लिए कितना प्रतिशत कोयला आबंटित किया गया था ;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य को ''साफ्ट'' एवं ''हार्ड'' कोयला अधिक मात्रा में आपूर्ति करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ङ) वर्ष 1994-95 में गुजरात को साफ्ट कोक की कोई आपूर्ति नहीं की जा सकी, यद्यपि पूर्व के वर्षों में थोड़ी मात्रा में आपूर्ति की जाती रही है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रदूषण के कारण इसके उत्पादन पर रोक लगाए जाने के फलस्वरूप देश में साफ्ट कोक का उत्पादन सीमित है। किन्तु, कोल इंडिया लि., दानकुनी कौयला परिसर में ''सिलकोक'' उत्पादित किए जाने के कारण को.इं.लि. आपूर्ति किए जाने की स्थिति में है, जोकि साफ्ट कोक का विकल्प है तथा आसानी से उपलब्ध है। को.इं.लि. विशेष धुंआरहित ईंधन/ब्रिकेटिंग यूनिट, जोकि अच्छा घरेलू ईंधन उत्पादित करती है की स्थापना के लिए भी प्रोत्साहित

करती है। को.इं.लि. साफ्ट कोक के स्थान पर घरेलू प्रयोजनार्थ स्टीम कोयले की आपूर्ति करने की स्थिति में भी है।

वर्ष 1993-94 के लिए गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत गृहों के लिए कोयले की आवश्यकता जैसाकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है, 11.78 मि.टन की तुलना में कुल प्रेषण 10.87 मि. टन (अनंतिम) था, जोकि 92.07 प्रतिशत की आपूर्ति की प्रतिशतता दर्शाता है। गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत गृहों को अप्रैल-जून, 1994 की अवधि के दौरान कोयले की कुल आपूर्ति 2.93 मि.ट. की यथानुपातिक मांग की तुलना में 3.106 मि.टन (अनंतिम) थी, जोकि 108 प्रतिशत सन्तोषप्रदत्ता को दर्शाता है। कोयला कंपनियां, गुजरात विद्युत बोर्ड सहित देश में विद्युत गृहों की आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा करने के लिए त्वरित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में कश्मीरी आतंकवादी

2673. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कश्मीरी आतंकवादी दिल्ली में छुपे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें दिल्ली से निकालने के लिए प्रयास किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) अब तक दिल्ली में कितने आतंकवादियों को पकड़ा गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि राजधानी में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां करने के उद्देश्य से छिपने के स्थान ढूंढने के लिए कश्मीरी उग्रवादियों के दिल्ली में आने के बारे में समय-समय पर सूचनाएं प्राप्त होती हैं।

(ख) से (ङ) इस संबंध में स्रोत और सूचना का विकास करके, उग्रवादियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, दिल्ली पुलिस 1994 (5.8.94 तक) के दौरान, 11 कश्मीरी उग्रवादियों, 4 पाक-राष्ट्रिकों, 1 बंगलादेशी राष्ट्रिक, पंजाब के 5 उग्रवादियों और 14 अन्य मुस्लिम कट्टरपंथियों सहित, 35 उग्रवादियों को पकड़ने में सफल रही है।

अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को आरक्षण

2674. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में आने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए रोज़गार में आरक्षण देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो भारत आ रही हैं, में पिछड़े वर्गों को नौकरियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिष्टमंडल की जम्मू और कश्मीर की यात्रा

2675. डा. अमृतलाल कालिदास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कश्मीर समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उनके नेतृत्व में किसी उच्चस्तरीय केन्द्रीय शिष्टमंडल ने कश्मीर की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या शिष्टमंडल ने कोई रिपोर्ट तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) से (घ) केन्द्रीय गृह मंत्री ने पिछले दो वर्षों के दौरान कई बार राज्य का दौरा किया है और सुरक्षा की स्थिति तथा स्थानीय प्रशासन को फिर से सक्रिय बनाने से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा करने, विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की गति को तेज करने तथा उसकी मानीटरिंग करने, राजनीतिक तत्वों को पुनः सक्रिय करने आदि की दृष्टि से राज्य के राज्यपाल, वरिष्ठ अधिकारियों तथा राजनीतिक नेताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया है।

[अनुवाद]

कुएं खोदना

2676. **श्री बापू हरि चौरे :**

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत भूतल-जल खोज हेतु खोदे गए कुओं की राज्यवार/संघशासित क्षेत्रवार क्या संख्या है ;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का कुछ और कुएं खोदने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूजल अन्वेषण के वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान ड्रिल किए गए बेधन छिद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण-एक में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वेधन छिद्रों की ड्रिलिंग के वास्ते निर्धारित किए गए लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण - दो पर संलग्न है।

विवरण - एक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान ड्रिल किए गए बेधन छिद्रों की संख्या		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	83	92	90
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	1	3

1	2	3	4	5
3.	असम	25	29	14
4.	बिहार	20	43	39
5.	दिल्ली	2	1	–
6.	गोआ	–	–	–
7.	गुजरात	50	66	72
8.	हरियाणा	39	51	47
9.	हिमाचल प्रदेश	3	2	4
10.	जम्मू एवं कश्मीर	11	12	4
11.	कर्नाटक	108	97	108
12.	केरल	4	11	21
13.	मध्य प्रदेश	95	77	88
14.	महाराष्ट्र	50	63	50
15.	मणिपुर	–	–	–
16.	मेघालय	1	–	3
17.	मिजोरम	–	–	–
18.	नागालैंड	–	–	–
19.	उड़ीसा	85	89	85
20.	पंजाब	–	–	–
21.	राजस्थान	81	90	80
22.	सिक्किम	2	3	1
23.	तमिलनाडु	53	63	64
24.	त्रिपुरा	2	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	43	42	40
26.	पश्चिम बंगाल	23	19	27

1	2	3	4	5
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान एवं निकोबार	2	-	-
2.	चंडीगढ़	-	-	-
3.	दादरा एवं नगर हवेली	-	-	-
4.	दमन एवं दीव	-	-	-
5.	लक्ष्यद्वीप	-	-	-
6.	पॉडिचेरी	-	-	-
	कुल :	782	851	840

विवरण - दो

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना के दौरान बेधन छिद्रों की ड्रिलिंग के लिए लक्ष्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	500
2.	अरूणाचल प्रदेश	20
3.	असम	150
4.	बिहार	400
5.	दिल्ली	-
6.	गोआ	-
7.	गुजरात	350
8.	हरियाणा	30
9.	हिमाचल प्रदेश	35
10.	जम्मू एवं कश्मीर	50

1	2	3
11.	कर्नाटक	350
12.	केरल	20
13.	मध्य प्रदेश	600
14.	महाराष्ट्र	550
15.	मणिपुर	5
16.	मेघालय	50
17.	मिजोरम	5
18.	नागालैंड	–
19.	उड़ीसा	590
20.	पंजाब	100
21.	राजस्थान	500
22.	सिक्किम	15
23.	तमिलनाडु	250
24.	त्रिपुरा	10
25.	उत्तर प्रदेश	500
26.	पश्चिम बंगाल	200
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान एवं निकोबार	
2.	चंडीगढ़	
3.	दादरा एवं नगर हवेली	} 50
4.	दमन एवं दीव	
5.	लक्ष्यद्वीप	
6.	पांडिचेरी	
	कुल :	5330

नई औषधियां

2677. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेरिया, एड्स, कुष्ठरोग और अन्य घातक बीमारियों के लिए नए भेषज विकसित करने हेतु वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने हेतु नए सिरे से कदम उठाए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने विगत एक वर्ष के दौरान किसी औषधि की खोज की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) सरकार ने सभी रोगों के प्रभावी उपचार के लिए नई और बेहतर औषधों के विकास को बढ़ावा देने संबंधी कार्यकलाप को जारी रखा हुआ है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा मलेरिया, एड्स, कुष्ठ आदि के इलाज के लिए किसी औषध की खोज नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2678. श्री प्रेम चन्द राम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की कुछ सिंचाई परियोजनाएं अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विवादों के समाधान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय जल विवाद के कारण केन्द्र में बिहार सरकार की कोई परियोजना लंबित नहीं है। तथापि, तिलैया धाधर, कोनार द्विक्परिवर्तन, जमानिया पम्प नहर, कदवान जलाशय तथा कन्हर नामक पांच वृहद परियोजनाएं हैं जिनमें अन्य अन्तर्राज्यीय मुद्दे शामिल हैं।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय में जुलाई, 1992 में हुई अन्तर्राज्यीय बैठक में तिलैया धाधर और कोनार दिक्परिवर्तन के अन्तर्राज्यीय पहलू हल किए गए थे। बिहार सरकार को परियोजनाओं के लिए संशोधित अनुमान तैयार करने हैं तथा निवेश स्वीकृति प्राप्त करनी है। जमानिया पम्प नहर के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग में 4 अन्तर्राज्यीय बैठकें आयोजित की गयी थीं। अंतिम बैठक जनवरी, 1994 में की गयी थी। मुख्य बकाया मुद्दों में ये है; उत्तर प्रदेश क्षेत्र में नहरों का रेखांकन तथा करमनासा नदी को पार करने का साधन। बिहार द्वारा जुलाई, 1994 में करमनासा नदी को पार करने पर दिये गए स्पष्टीकरण को उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी टिप्पणियों के वास्ते भेज दिया गया है। कदवान जलाशय के संबंध में राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से उनके क्षेत्रों की जलमग्नता तथा समेकित संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते सहमति प्राप्त करनी है। कन्हर के संबंध में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने लागत के बंटवारे, जल द्वारों के स्थल तथा मध्य प्रदेश में जलमग्न होने वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए अगस्त, 1993 में एक अन्तर्राज्यीय बैठक आयोजित की थी। इन मुद्दों को हल करने के बाद बिहार सरकार को बिहार और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी है।

हथियारों की कमी

2679. डा. अमृत लाल कालीदास पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध सैनिक बलों के पास अत्याधुनिक शस्त्रों और उपकरणों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अर्द्ध-सैनिक बलों के आधुनिकीकरण की कोई योजना है ;

(ग) क्या सरकार का इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त आबंटन करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) स्वदेशी स्रोतों से सीमित आपूर्ति होने के कारण, कुछ अत्याधुनिक शस्त्रों की आपूर्ति में आंशिक कमी हुई है।

(ख) से (ङ) अर्द्ध-सैनिक बलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा इस संबंध में प्रस्तावों के औचित्य और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु अलग से कोई समेकित प्रावधान नहीं है तथा आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित विभिन्न मदों के लिए व्यय अर्द्ध-सैनिक बलों के अपने-अपने स्वीकृत बजट अनुदानों में से किया जाता है।

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत केन्द्र को घटिया कोयले की आपूर्ति

2680. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के ताप विद्युत केन्द्रों से घटिया कोयले की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्हें दिल्ली स्थित तापीय विद्युत गृहों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कि अन्य बातों के अलावा, मुख्यतः कोयले के आकार और अवशिष्ट सामग्री की उपस्थिति से संबंधित थीं। ऐसी 22 शिकायतें 1992-93 में तथा 19 शिकायतें 1993-94 के दौरान प्राप्त हुई थीं। किन्तु, 1994-95 के दौरान अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय कोयले सामान्यतः कंकड़, पत्थर आदि की परतों के साथ अन्तर्बद्ध रूप में पाए जाते हैं। अधिकतम प्रयासों के बाद भी खनन और रखरखाव की प्रक्रिया के दौरान कंकड़, पत्थरों आदि को कोयले से पूरी तरह अलग करना सदैव संभव नहीं हो पाता। किन्तु, कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोयला कंपनियां निम्नलिखित कदम उठा रही हैं :

(I) कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फीडर-ब्रेकरों और कोयला रखरखाव संयंत्रों के स्थापन की एक कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(II) कोयले के लदान के समय पत्थरों को अलग किया जा रहा है।

(III) कंकड़ और पत्थर को हाथ से चुनने के लिए कोयला रखरखाव संयंत्रों में धीमी गति से घूमने वाली पिकिंग बेल्टों का प्रावधान किया जा रहा है।

(IV) कोयले की गुणवत्ता को ठीक रखने के लिए लदान के समय बेहतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है तथा श्रमिकों में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रेलवे लदान स्थलों पर पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को लगाया जा रहा है।

(V) खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवाद उत्पन्न करने वाली किसी और शिकायत को दूर करने के लिए पिट हैडों या रेल/सड़क लदान स्थलों (लदान स्थलों पर) गुणवत्ता और मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं।

(VI) सभी उपभोक्ता जिसमें तापीय विद्युत गृह भी शामिल हैं, कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लदान स्थलों पर अपने प्रतिनिधियों को तैनात कर सकते हैं।

गैर-घातक हथियार

2681. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल की टीयर स्मोक यूनिट द्वारा विकसित गैर-घातक गोला बारूद की नई परास की व्यापक स्तर पर उत्पादन करने और अर्द्ध सैनिक बलों तथा राज्यों की पुलिस बलों द्वारा उसका प्रयोग किये जाने की स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार के विचाराधीन दंगाइयों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण हेतु गैर-घातक-दंगा-नियंत्रण गोला बारूद विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दंगे की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस बलों में एन्टी-रायट गन, रबड़ की गोलियां, प्लास्टिक पैलेट्स वाटर केनन, शाक बैन्टस एन्टी रायट वाहनों आदि का पहले ही प्रयोग शुरू कर दिया गया है।

दसवीं के पश्चात् छात्रवृत्ति हेतु धन

2682. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दसवीं कक्षा के पश्चात् छात्रवृत्ति देने हेतु कितनी राशि मंजूर की है ;

(ख) 1993-94 के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ;

(ग) 1993-94 के दौरान दसवीं कक्षा के पश्चात् छात्रवृत्ति हेतु मंजूर की गई राशि के पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) 1994-95 के दौरान पूरी राशि के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत 1993-94 में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों को 74.79 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर की गई थी। 96.35 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से 1994-95 में अब तक 48.18 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मंजूर की गई हैं।

(ख) गोआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम और दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पांडिचेरी तथा गोहाटी परियोजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 1993-94 में 5.16 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता उपयोग की गई है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केंद्रीय सहायता की उपयोगिता संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता उनके वार्षिक प्रस्तावों में उनके द्वारा प्रत्याशित अनुमानित मांगों पर विचार करते हुए प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती है। उपयोग में कमी उस अनुमानित और वास्तविक उपयोग के बीच अंतर दर्शाती है जिसका समयोजन अनुवर्ती वर्ष में किया जाता है। सम्पूर्ण प्रस्तावों के विलम्ब से प्राप्ति होने के कारण भी उपयोग में कमी आती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव तथा उपयोग प्रमाण पत्र समय से भेजना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय सहायता के प्रथम किस्त की निर्मुक्ति, 1994-95 के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रत्याशा में तदर्थ आधार पर कर दी गई है।

सबके लिए स्वास्थ्य

2683. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 तक "सबके लिए स्वास्थ्य" संबंधी राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन हेतु बजट निर्धारण बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ;

(घ) क्या वर्ष 2000 तक "सबके लिए स्वास्थ्य" में कुछ नई प्राथमिकताएं शामिल की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश में 608 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित रकम से द्वितीय स्तर के अस्पतालों का दर्जा बढ़ाने के लिए एक स्वास्थ्य पद्धति परियोजना विश्व बैंक को भेजी गई है। तथापि, राज्य में चल रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन

कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1994-95 के दौरान पर्याप्त निधियां आबंटित की गई है।

बी.डी.एस. और एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम

2684. श्री पवन कुमार बंसल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न कालेजों में बी.डी.एस. और एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए मनोनयन करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पात्रता और मानदंडों का ब्यौरा क्या है और इस समय देश की विभिन्न संस्थाओं में कितनी सीटें हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-एक में सूचीबद्ध श्रेणियों में नामांकन विवरण-दो पर निर्धारित निर्देशों के अनुसार किए गए थे। शैक्षिक सत्र 1993-94 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कुल 261 एम.बी.बी.एस. तथा 31 बी.डी.एस. सीटें उपलब्ध थीं।

विवरण - एक

केन्द्रीय पूल एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों के पात्र उम्मीदवारों की श्रेणियां

श्रेणी

1. वे छात्र जो उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हैं जहां कोई मेडिकल/डेंटल कालेज नहीं है।
2. रक्षा कार्मिकों के आश्रित।
3. अर्ध सैनिक कार्मिकों के बच्चे।
   (1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल इत्यादि के कार्मिकों के लिए
   (2) एस.एस.बी./आर.एंड.ए.वी./एस.एस.एफ./ए.आर.सी. कार्मिकों के लिए
4. स्वयं वित्त पोषित विदेशी छात्र
5. विदेश में भारतीय मिशनों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों के बच्चे।
6. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अधीन विदेशी छात्र

7. कोलम्बो योजना के अधीन विदेशी छात्र
(संबंधित देश में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से)

8. तिब्बती शरणार्थी

9. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता।

10. वर्मा व श्रीलंका से स्वदेश प्रत्यावर्तित छात्र।

विवरण - दो

पी.पी. चौहान
संयुक्त सचिव

संख्या यू 14014/84/86-एम ई (यू जी)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 11
दिनांक 9 दिसम्बर, 1986.

प्रिय महोदय,

जैसा कि आपको मालूम है, हम पात्र उम्मीदवारों के चयन व मनोनयन के लिए आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों का आबंटन करते रहे हैं। फिर भी कुछ सूचनाएं हमारी जानकारी में आयी हैं कि आबंटित सीटों पर उम्मीदवारों का चयन व मनोनयन करते समय कुछेक आबंटिती अभिकरणों ने भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अनुदेशों का पालन नहीं किया है।

2. एक बार फिर दोहराया जाता है कि

i. संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासियों,

ii. संबद्ध राज्य/संघ क्षेत्र सरकार के कर्मचारियों ;

iii. संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय/अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कर्मचारियों ;

iv. संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नियुक्त केन्द्रीय/अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कर्मचारियों जिनके मुख्यालय भी उन्हीं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हैं, के लड़के ही पात्र होंगे।

3. स्थानीय निवासियों के समतुल्य केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के उपर्युक्त कर्मचारियों के लड़कों पर विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार की सहमति से जारी किये गये विशिष्ट आदेशों के अन्तर्गत चयन का मुख्य मानदंड उन उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता होगी।

4. प्रत्येक संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित सीटों का 22½ % उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस आरक्षण का विवरण निम्न प्रकार से होगा : -

(क) अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½% का अलग-अलग आरक्षण।

ख) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में उल्लिखित इस आरक्षण में अन्तः परिवर्तन हो सकता है। इसलिए अनुसूचित जातियों की आरक्षित सीटें भरने के लिए यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं तो उन्हें अनुसूचित जातियों के योग्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है और इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के मामले में भी हो सकता है ; तथा

(ग) यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपलब्ध पात्र उम्मीदवारों की संख्या सीटों के 22½% से कम है तो शेष सीटें गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जा सकती हैं।

5. भारत सरकार की आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए वे ही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की अर्हक परीक्षा में प्री-मेडिकल त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष/त्रिवर्षीय बी.एस.सी. (आनर्स) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/प्री डिग्री त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम/प्री यूनिवर्सिटी (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)/10+2+3 के नए ढांचें के अधीन 10+2 या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा समकक्ष मानी गई कोई अन्य परीक्षाओं में कुल अंक के कम से कम 50 प्रतिशत (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत या समय-समय पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित रूप में प्राप्त किए हैं।) अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 80 प्रतिशत तथा मैट्रिकुलेशन या विद्यालय परित्याग करने वालों को 20 प्रतिशत की अधिमानता प्रवेश में दी जानी है, जब उम्मीदवार ने बी.एस.सी. या एम.एस.सी. परीक्षा पास की है तब अर्हक परीक्षा पास करने वालों को 80 प्रतिशत, मैट्रिकुलेशन या विद्यालय परित्याग करने वालों को 10 प्रतिशत और बी.एस. सी. या एम.एस.सी. परीक्षा पास करने वालों को 10 प्रतिशत की अधिमान्यता दी जानी है।

6. यह और नोट किया जाए कि : -

(क) उस उम्मीदवार के लिए जिसने दूसरी बार में अर्हक परीक्षा उतीर्ण की है, कुल योग में से 2 प्रतिशत अंक उसकी वरीयता निर्धारित करने में काटे जाने चाहिए ; तथा

(ख) उन उम्मीदवारों, जिन्होंने दो से अधिक बार में अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, को सामान्य तौर पर आयुर्विज्ञान अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए।

7. अनुरोध है कि केन्द्र सरकार के लिए आरक्षित एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन एवं नामांकन के मानदंड का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस मंत्रालय में केन्द्रीय चयन समिति भी इस प्रक्रिया का अनुपालन करेगी।

8. मैं इस पत्र की पावती भेजने के लिए आपका आभारी होऊंगा।

आपका

हस्ता/-

(पी.पी. चौहान)

सेवा में,

वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां मैडिकल कालेज नहीं है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. रक्षा मंत्रालय (आई.एस.एस. बोर्ड), नई दिल्ली।
2. गृह मंत्रालय (पुनर्वास प्रभाग), जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. गृह मंत्रालय (श्री पी. विजयराघवन, उप-सचिव) नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली।
5. कमानडेंड, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110 066 ।
6. निदेशक एस.एस.बी., ईस्ट ब्लाक, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-22 ।
7. विदेश मंत्रालय (छात्र कक्षा) श्री जी.पी. कपूर, अवर सचिव शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. विदेश मंत्रालय कल्याण कक्ष (श्री जे.आर. बलाह, उप सचिव), नई दिल्ली।
9. मंत्रिमंडल सचिवालय, (श्री आर.के.गंगर, उप सचिव), बीकानेर हाऊस, एनेक्सी, शाहजहाँ रोड़, नई दिल्ली।
10. अध्यक्ष, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, दीवाए-ए-गालिब मार्ग, टेम्पल लेन, कोटला रोड़, नई दिल्ली।
11. उप-महानिदेशक/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (एम.ई. अनुभाग)

हस्ता/-

(पी.पी. चौहान)

संयुक्त सचिव

विदेशी मिशनरी

2685. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1992 तक भारत में कितनी विदेशी मिशनरी कार्यरत थीं ;

(ख) 1991 के दौरान कितनी मिशनरियों ने भारत छोड़ दिया ; और

(ग) राष्ट्रीयता, धार्मिक नाम और 1992 में भारत में लगातार रहने के आधार पर इन मिशनरियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1.1.1992 को भारत में 1668 विदेशी मिशनरियां थीं।

(ख) चूंकि अधिकांश विदेशी बहु-प्रविष्टि वीसा पर भारत में आते हैं अतः वीसा की वैधता की अवधि के दौरान वे जितनी बार चाहें भारत में आ जा सकते हैं। उन विदेशियों में से जो, किसी वर्ष विशेष में भारत में आए हैं, कितने अपने देशों को लौट गए हैं इस बारे में कोई आंकड़े दे पाना संभव नहीं है।

(ग) 1992 और 1993 के दौरान भारत में क्रमशः 1923 और 2126 विदेशी मिशनरियों का पंजीकरण किया गया। उनकी राष्ट्रिकता-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-। में दिए गए हैं। तथापि, उनके धार्मिक नामों, और भारत में उनके लगातार वास की अवधि के बारे में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

विवरण - I

1.1.93 को भारत में रह रहे पंजीकृत विदेशियों (मिशनरों) की राष्ट्रीयता-वार रिपोर्ट

		मिशनरीज		
क्र.सं.	राष्ट्रीयता	सी.डब्ल्यूसी.	एन.सी.डब्लू.सी.	कुल
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलिया	100	-	100
2.	आस्ट्रीया	-	15	15
3.	अजरबेजान	-	9	9
4.	बहरेन	-	1	1
5.	बंगलादेश	1	1	1
6.	बेल्जियम	-	106	106

1	2	3	4	5
7.	ब्राजील	–	2	2
8.	कनाडा	99	–	99
9.	कोलम्बिया	–	4	4
10.	कोस्टा रिका	–	2	2
11.	चैक	–	1	1
12.	डेनमार्क	–	5	5
13.	इथोपिया	–	3	3
14.	फिनलैंड	–	2	2
15.	फ्रांस	–	128	128
16.	जर्मनी	–	109	109
17.	गुयाना विसू रिपब्लिक	–	1	1
18.	हंगरी	–	2	2
19.	ईरान	–	2	2
20.	आयरलैंड	–	166	166
21.	इटली	–	179	179
22.	जापान	–	4	4
23.	केनिया रिपब्लिक	3	–	3
24.	लिथोरिया	–	1	1
25.	लक्ष्मवर्ग	–	1	1
26.	मलेसिया	20	–	20
27.	माल्टा	45	–	45
28.	मारीसस	6	–	6
29.	म्यानमार (वर्मा)	–	3	3
30.	नीदरलैंड	–	28	28

1	2	3	4	5
31.	न्यूजीलैंड	29	–	29
32.	नाईजीरिया	1	–	1
33.	नौर्वे	–	10	10
34.	अन्य	–	5	5
35.	पैरू	–	3	3
36.	फिलीपीन	–	9	9
37.	पोलैंड	–	10	10
38.	पुर्तगाल	–	2	2
39.	रोमानिया	–	1	1
40.	रवांडा रिपब्लिक	–	2	2
41.	सिंगापुर	5	–	5
42.	स्पेन	–	160	160
43.	श्रीलंका	58	–	58
44.	राज्य विहीन	–	1	1
45.	स्वीडन	–	17	17
46.	स्विटजरलैंड	–	41	41
47.	तनजानियां	3	–	3
48.	थाईलैंड	–	2	2
49.	तिब्बत	–	1	1
50.	भिनाड और टोबेको	2	–	2
51.	यूनाईटड किगडम	248	–	248
52.	अमरीका	–	254	254
53.	वेटीकन सिटी	–	4	4
54.	यूगोस्लाविया	–	7	7
	कुल जोड़ :	620	1303	1923

सी.डब्लयू.सी.-संयुक्त राष्ट्र मंडल देश

एन.सी.डब्लु.सी.-गैर-संयुक्त राष्ट्र मंडल देश

विवरण

1.1.94 को भारत में रह रहे पंजीकृत विदेशियों (मिशनरियों) की राष्ट्रीयता-वार रिपोर्ट

		मिशनरिमां		
क्र.सं.	राष्ट्रीयता	सी.डब्ल्यू सी.	एन.सी.डब्लू.सी.	कुल
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	–	1	1
2.	अलजीरिया	–	1	1
3.	आस्ट्रेलिया	80	–	80
4.	आस्ट्रीया	–	9	9
5.	बंगलादेश	2	–	2
6.	बेल्जियम	–	114	114
7.	ब्राजिल	–	1	1
8.	कनाडा	55	4	59
9.	कोलम्बिया	–	3	3
10.	कोस्टा रिका	–	4	4
11.	चैक	–	2	2
12.	डेनमार्क	–	8	8
13.	इथोपिया	–	1	1
14.	फिनलैंड	–	3	3
15.	फ्रांस	–	110	110
16.	जर्मनी	–	94	94
17.	गुयाना विसू रिपब्लिक	–	1	1
18.	हंगरी	–	2	2

1	2	3	4	5
19.	आयरलैंड	–	117	117
20.	इटली	–	172	172
21.	जापान	–	8	8
22.	केनिया रिपब्लिक	1	–	1
23.	कोरिया (उत्तरी) पी.डी.आर	–	1	1
24.	लाओस पी.डी.आर.	–	1	1
25.	लिथोरिया	–	1	1
26.	लक्ष्मवर्ग	–	1	1
27.	मालागेसे (मडगासकर)	–	2	2
28.	मलेसिया	52	–	52
29.	माल्टा	34	–	34
30.	मारूतनिया	–	5	5
31.	मारीसस	1	–	1
32.	म्यानमार (बर्मा)	–	11	11
33.	नीदरलैंड	–	30	30
34.	न्यूजीलैंड	25	–	25
35.	नाईजीरिया	1	–	1
36.	नौर्वे	–	6	6
37.	अन्य	–	4	4
38.	पाकिस्तान	–	3	3
39.	पेरु	–	3	3
40.	फिलीपीन	–	12	12
41.	पोलैंड	–	39	39
42.	पुर्तगाल	–	2	2

1	2	3	4	5
43.	रोमानिया	–	1	1
44.	रूस	–	1	1
45.	खाण्डा रिपब्लिक	–	4	4
46.	सिंगापुर	47	–	47
47.	स्पेन	–	158	158
48.	श्रीलंका	247	–	247
49.	राज्य विहीन	–	2	2
50.	सूडान डेम रिपब्लिक	–	1	1
51.	स्वीडन	–	13	13
52.	स्विटजरलैंड	–	40	40
53.	तनजानियां	3	–	3
54.	तिब्बत	–	2	2
55.	त्रिनाड और टोबेको	1	–	1
56.	यूगांडा	2	–	2
57.	यूनाईटड किंगडम	229	26	255
58.	अमरीका	–	314	314
59.	वेटीकन सिटी	–	2	2
60.	यूगोस्लाविया	–	6	6
	कुल जोड़ :	780	1346	2126

मातृ और शिशु स्वास्थ्य रक्षा

2686. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाल स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में नेशनल आर्गनाइजेशन आफ पिडियाट्रिशियन्स की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) देश में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार मातृ और शिशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या मातृ और शिशु स्वास्थ्य रक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है अथवा प्राप्त होने वाली है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) "नेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ पिडियाड्रिशियन्स" से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (छ) शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा नवजात, शिशु और मातृत्व अस्वस्थता दर और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अगस्त, 1992 में आरंभ किया गया। 8वीं योजना के इस कार्यक्रम के लिए अनुमोदित परिव्यय 633.30 करोड़ रुपये है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक तथा यूनीसेफ का सहायता से चलता है। 8वीं योजना के दौरान निधियों के आबंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि का अनन्तिम आबंटन

(लाख रुपये में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (आठवीं योजना)
	1	2
1.	आंन्ध्र प्रदेश	3900.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	238.76
3.	असम	2257.53
4.	बिहार	5425.64

1		2
5.	गोवा	82.69
6.	गुजरात	3068.14
7.	हरियाणा	1475.42
8.	हिमाचल प्रदेश	776.19
9.	जम्मू व कश्मीर	910.81
10.	कर्नाटक	3315.74
11.	केरल	1966.80
12.	मध्य प्रदेश	5783.05
13.	महाराष्ट्र	4733.64
14.	मणिपुर	313.09
15.	मेघालय	211.70
16.	मिजोरम	122.37
17.	नागालैण्ड	176.95
18.	उड़ीसा	2795.58
19.	पंजाब	1695.64
20.	राजस्थान	4458.32
21.	सिक्किम	100.35
22.	तमिलनाडु	4022.10
23.	त्रिपुरा	239.97
24.	उत्तर प्रदेश	9953.99
25.	पश्चिम बंगाल	3746.99
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	63.94
27.	चण्डीगढ़	50.53
28.	दादरा और नगर हवेली	35.03

	1	2
29.	दिल्ली	662.39
30.	दमन व दीव	78.52
31.	लक्षद्वीप	30.17
32.	पांडिचेरी	118.62
	कुल :	62810.94

कश्मीरी उग्रवादियों को आम माफी

2687. श्री गुरूदास कामत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ कश्मीरी उग्रवादियों को आम माफी देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार में आयु की छूट

2688. श्री के.मुरलीधरन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भोगियों के आश्रितों हेतु रोजगार में आरक्षण/छूट देने की योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार प्रदान करने के प्रस्ताव पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें रोजगार प्रदान करने का मसला राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाए। तदनुसार, राज्य सरकारों को नवम्बर, 1988 में लिख दिया गया था।

विश्व सिनेमा के 100 वर्ष

2689. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व सिनेमा के 100 वर्ष उत्सव का आयोजन अमरीका के अटलांटा शहर में स्थित हाई म्यूजियम ऑफ आर्ट द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उत्सव के दौरान विश्व की युगान्तरकारी/शास्त्रीय फिल्में दिखायी जाएंगी ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्य इस उत्सव में दिखाए जाने हेतु भारत में निर्मित कुछ फिल्मों का चयन भी किया है ; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन फिल्मों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (च) प्रैस रिपोर्टों के अनुसार हाई म्यूज़ियम ऑफ आर्ट, अटलाण्टा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित किए जाने वाले समारोह "100 इयर्स ऑफ वर्ल्ड सिनेमा" में दिखाने के लिए अदूर गोपालकृष्णन की फिल्म एलिप्पथयम का चयन किया गया है। वैसे सरकार को इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

कोयला धोवनशालाएं

2690. श्री राम निहोर राय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कोल इंडिया लि. की सहायता से मिर्जापुर में कोयला धोवन परियोजना की स्थापना के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर कोयला धोवनशालाएं कार्यरत हैं और इनमें से प्रत्येक कोयला धोवनशाला की क्षमता कितनी-कितनी है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) की कोई कोयला वाशरी कार्यरत नहीं है। किन्तु एक अकोकर कोयला वाशरी सिंगरौली कोयला क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) के बीना ओपनकास्ट परियोजना में (4.5 मि.टन वार्षिक क्षमता के साथ) निर्माणाधीन है।

[अनुवाद]

मोतिया बिन्द

2691. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आक्सीजन के प्रयोग से मोतियाबिन्द हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) अब तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध ऐसे किसी प्रमाण की जानकारी नहीं है कि आक्सीजन गैस का इस्तेमाल करने से मोतियाबिन्द होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

होम्योपैथिक दवाओं में एल्कोहल का प्रयोग

2692. श्रीमती विभु कुमारी देवी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशी शराब और अति सस्ते होम्योपैथिक ''डाइल्यूशंस''/मदर टिंक्चर्स'' में अल्कोहल का अनुपात लगभग कितना है ;

(ख) सरकार द्वारा होम्योपैथिक दवाओं में 12 प्रतिशत अल्कोहल प्रयोग करने संबंधी सीमा निर्धारित करने के मानदंड क्या हैं ;

(ग) क्या 12 प्रतिशत अल्कोहल का उपयोग करके तैयार किए जाने वाले होम्योपैथिक डाइल्यूशंस/मदर टिंक्चर्स'' और दवाओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) अब तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) दुरुपयोग की संभावना से बचने के लिए यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी ऐसी होम्योपैथिक औषध जिसमें 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वी/वी (इथाइल अल्कोहल) हो, पैक नहीं की जाएगी और पैकिंग अथवा 30 मिलीलीटर से अधिक की शीशियों में नहीं बेची जाएगी लेकिन इसे अस्पतालों/औषधालयों में पैकिंग अथवा 100 मिली लीटर से अनधिक मात्रा की शीशियों में बेचा जा सकता है। भारतीय होम्योपैथिक भेषजसंहिता में विभिन्न औषधों में अल्कोहल की मात्रा का निर्धारिण किया गया है।

असमिया भाषा में कार्यक्रम

2693. श्री प्रबीन डेका : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन पर क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण में असमिया भाषा को पर्याप्त समय दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) असम स्थित उन आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ; जहाँ असमिया भाषा में मूल कार्यक्रमों के निर्माण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं; और इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। असम में स्थित सभी आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा तथा राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के डी. डी. - 5 चैनल पर असमी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट किए जा रहे हैं।

(ग) गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर स्थित सभी आकाशवाणी केन्द्र, जोरहाट, हाफलोंग और नौगांव स्थित स्थानीय रेडियो केन्द्र गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ स्थित दूरदर्शन केन्द्र तथा गुवाहाटी स्थित कार्यक्रम निर्माण केन्द्र ये सभी स्टूडियो और असमी भाषा में कार्यक्रम के निर्माण के लिए अपेक्षित अन्य तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित हैं।

वर्धा टी.वी. ट्रांसमीटर

2694. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 12 अप्रैल, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5591 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्धा के कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर उप केन्द्र को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्र के रूप में उन्नत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ;

(ग) क्या नहीं, तो इस संबंध में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस ट्रांसमीटर का दर्जा कब तक बढ़ा दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) वर्तमान में वर्धा में एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने संबंधी कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। महाराष्ट्र सहित देश के अब तक कवर न किए गए भागों में टी.वी. सेवा का और आगे विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा जोकि इस प्रयोजनार्थ संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

फाईलेरिया के रोगी

2695. श्री थाइल जॉन अंबलोच : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में फाईलेरिया के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय केरल में फाईलेरिया के रोगियों की संख्या क्या है ;

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान फाईलेरिया उन्मूलन के लिए केरल को कितनी धनराशि आबंटित की गई ; और

(घ) सरकार ने केरल से इस रोग के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। फाइलेरिया के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है जो 1992 में पता लगाए गए 602 रोगियों से बढ़कर 1993 में 803 रोगी हो गए हैं।

(ग) प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है : -

1993-94	17.27 लाख रुपये
1994-95	20.51 लाख रुपये

(घ) केरल में फाइलेरिया का उपचार 16 नियंत्रण एककों और 9 क्लिनिकों द्वारा किया जाता है। उठाए गए कदमों में रोगियों का पता लगाना और शुरू में उपचार करना, आवर्तक लार्वा-रोधी उपायों का

इस्तेमाल करना और लार्वा भक्षी मछलियों जैसी जैव-पर्यावरणिक नियंत्रण विधियां, स्रोतों में कमी करना, पानी का समुचित निपटान करना आदि शामिल है।

उड़ीसा में टी.वी. ट्रांसमीटर

2696. श्री अनादि चरण दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चालू वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने वाले टी.वी. ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक ट्रांसमीटर की स्थापना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इन्हें किस-किस तारीख तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ; और

(ग) दशरथपुर और धुबरी (जाजपुर जिला) में प्रस्तावित कम शक्ति के टी.वी. ट्रांसमीटर की स्थापना के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) वर्तमान में, उड़ीसा में चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1994-95 के दौरान 31 अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर इस समय कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने के लिए परिकल्पित हैं। बशर्ते अपेक्षित आधारभूत सुविधा उपलब्ध हों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम अनुमोदित कर दी जाएं। इन टी.वी. ट्रासमीटरों के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्तमान में ये टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

(ग) चूंकि दशरथपुर में प्रस्तावित अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के लिए उपस्करों की आपूर्ति के आदेश निर्माताओं को भेज दिए गए हैं इसलिए परियोजना हेतु ट्रांसमीटर की स्थापना करने के लिए एक उपयुक्त निर्मित भवन को अभिनिर्धारित करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उड़ीसा के जाजपुर जिले के धुबरी में एक टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए वर्तमान में कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

विवरण

वर्तमान में चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान उड़ीसा में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थानों की सूची।

1.	बौद्ध	2.	लुथेरपुंक
3.	नयागढ़	4.	पालाहारा
5.	नौपाड़ा	6.	रायरंगपुर
7.	रेडाखोल	8.	सोनुपुर
9.	तल्चर	10.	पारादीप

11.	हिंडोल	12.	अयामलिक
13.	मोहाना	14.	कुचिंदा
15.	बानापुर	16.	राज रानापुर
17.	बालीगुड़ा	18.	तुषारा
19.	नरसिंहपुर	20.	खाण्डपारा
21.	दशरथपुर	22.	कविसूर्यानगर
23.	दुर्गापुर	24.	तंगी/सुहैला
25.	पटनागढ़	26.	पादुआ
27.	बोनाई	28.	जी. उदयगिरि
29.	औल	30.	थुआमल रामपुर
31.	केन्द्रपारा		

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

2697. श्री ललित उरांव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु बिहार के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई थी ; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई और प्रदान की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) चूंकि बाढ़ नियंत्रण राज्यों का विषय है, अतः बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का वित्त पोषण और प्रबंध राज्यों द्वारा अपनी स्वंय की प्राथमिकताओं के अनुसार उनके स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। वर्ष 1992-93 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को बाढ़ प्रूफिंग उपायों और क्रांतिक कटावरोधी कार्यों को शुरू करने के लिए क्रमशः 20 लाख रुपए और 120 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। वर्ष 1993-94 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई थी।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तरी बिहार में बाढ़ प्रूफिंग योजनाओं को शुरू करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अभी तक बिहार सरकार को कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई है।

गैर सरकारी क्षेत्र के लिए दूरदर्शन के कार्यक्रम

2698. श्री गोविन्दराव निकाम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने गैर सरकारी क्षेत्र को दूरदर्शन पर रंगोली, चित्रहार और साप्ताहिक चित्रपट कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कौन-कौन से विभिन्न कार्यक्रम गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपे गए हैं और सौंपे जाने का विचार है; और

(घ) इससे प्रतिवर्ष कितनी आय होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) जी, नहीं। दूरदर्शन ने प्रयोगात्मक आधार पर तीन माह की अवधि के लिए केवल हिन्दी फिल्मों के गीत दृश्यों वाले अपने साप्ताहिक कार्यक्रम "रंगोली" का निर्माण तथा विपणन सम्बन्धी कार्य सौंपा था जिससे इसको प्रति प्रकरण 51 लाख रुपये (निवल) की राशि प्राप्त होती। अब यह मामला न्यायाधीन है।

सार्वजनिक प्रचार-माध्यम

2699. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोध, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा हाल ही में सार्वजनिक प्रचार माध्यमों की प्रवृत्तियों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस प्रभाग में गत तीन वर्षों के दौरान वर्तमान वातावरण और सार्वजनिक प्रचार माध्यमों के संबंध में नये सिरे से संदर्भ तथा प्रलेखन सेवा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से शुरू किए गए सुधारों/विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं। तथापि, "मीडिया का विकास" संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मीडिया कार्मिकों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए अपनी सेवाओं को और अधिक उपयोगी बनाने का इस प्रभाग का सदैव प्रयास रहा है। प्रभाग विद्वानों के अनुसंधान और आम जनता के उपयोग हेतु अपने "रेफरेंस इंडिया एनुअल" तथा "मास मीडिया इन इंडिया" नामक दो वार्षिक प्रकाशनों को

सतत रूप से अद्यतन कर रहा है और इनके स्तर में सुधार कर रहा है। प्रभाग के पुस्तकालय जिसमें लगभग 50,000 पुस्तकें हैं, का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और मीडिया से संबंधित विषयों पर और अधिक संदर्भ सामग्री शामिल की जा रही है। राष्ट्रीय जन संचार प्रलेखन केन्द्र के साथ-साथ पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

नए दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर

2700. **श्री एस.बी. सिदनाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय् योजना के दौरान नए दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए स्थलों को अंतिम रुप दे दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार ये स्थल कहाँ-कहाँ हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) यद्यपि आठवीं योजना के एक हिस्से के रूप में अनुमोदित कुछ ट्रांसमीटरों को पहले ही स्थापित किया जा चुका है, संलग्न विवरण में वे स्थान दर्शाए गए हैं जहां पर आठवीं योजना के एक हिस्से के रूप में वर्तमान में ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं। दूरदर्शन की वार्षिक योजना 1995-96 और 1996-97 के अंतर्गत आठवीं योजना के शेष हिस्से के लिए स्थानों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

आठवीं योजना के एक भाग के रूप में इस समय कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किये जाने हेतु परिकल्पित टी.वी. ट्रांसमीटर

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.	ट्रांसपोजर
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	कुरनौल	अलागदा	पंडेरू	
	नन्दयाल	भीमवरम	सरीसालम	
	राजामुन्दरी	कावली	पारवतिपुरम	
	वारांगल	कदरी	इछापुरम	

1	2	3	4	5
	ओंगोले	कुप्पम	सीतमपत	
		मादनेपाली	दरसी	
		मेदक		
		नगरकुरनूल		
		निर्मल		
		बेलामपाली		
		मार्कपुर		
		कामारेड्डी		
		येमीगनूर		
		तम्बलपल्ली		
		लिरिपल्ली		
		विज़ाग		
		मधीरा		
		पसरा		
		वानापर्थी		
		कोदंगल्ली		
		कोसगी		
		पेदान्दीपाडू		
		रायाचोटी		
		चिन्तापल्ली		
		राजमपेट		
		बंसवाड़ा		
		टेक्कली		
		सिरपुर कागज़नगर		

1	2	3	4	5
		मचेरला		
		भैंसा		
		नारासरावपेट		
		अचंमपेट		
		देवारकोंडा		
		तुनी		
		बोविल		
		पेड्डापल्ली		
		जदचेर्ला		
		अन्नावरम		
		जाहिराबाद		
अरूणाचल प्रदेश	मलाओ	पिपु डिपु	संखीवयू	
	इटानगर	योमचा	(इटानगर)	
	(डी डी-2	तली		
	के लिए)	मिर्नोंग		
		कलकतंग		
		लांगडिंग		
		खियोंग		
		मनमाव		
		नामपोंग		
		हवाई		
		क्रोनली		
		हनली/देशाली		
		गेकू		

1	2	3	4	5
		वोलेन		
		मरियंग		
		येचुक		
		केइंग		
		दानम		
		लिरोमोबी		
		तिरविन्		
		गोइन्सी		
		तालिहा		
		वरिरिजा		
		पालिम		
		समाली		
		चेइंगतजो		
		सिंजोसा		
		स्वपा		
		मुक्ता		
असम	तेजपुर	वंगालगन	डिगबोई	गुवाहाटी
	जोरहट	हाफलांग		
	वंगल गांव	उत्तरी लखीमपुर		
	कोकराझार	सोनारी		
		लम्डिंग		
		हाजल		
		तिनसुखिया		
		वोकाखट		

1	2	3	4	5
		मघरिद्य		
		हटसिंघोल		
बिहार	जमशेदपुर	औरंगाबाद	सिमदेगा	
	बेताह	गोढ्ढा	गोरवा	
	डियोगढ़	गुमला		
		हजारीबाग		
		लोहारदेग		
		नवादा		
		रैक्सौल		
		सुपौल		
		नौमुन्दी		
		कोदर्मा		
		फूलपरिक		
		सरायकेला		
		शेखपुरा		
		लखीसराल		
		रामनगर		
		छपरा		
		दाउदनगर		
		सिमरी बखतियार पुर		
		मुसाबन्नी		
		बहरहारवा		
गोवा	पानाजी			

(डी.डी.-2 के लिए)

1	2	3	4	5
गुजरात	भुज	धरंगधरा	नेतरंग	
	पलितना	ईदर	देवगध-बरिया	
	सूरत	महुआ	सगवारा	
	वदोदरा	मंगरोल		
	राधनपुर	मौरवी		
	जूनागढ़	नखतरना		
		रापड़		
		दीसा		
		पालितना		
		राजूला		
		संजेली/संतरामपुर		
		खमभालिया		
		अमोद		
		मंगरोल		
		बंत्वा		
		झगदिया		
		लूनावाड़ा		
		जमजोधपुर		
		राधनपुर		
		दोहाद		
		राजपिपला		
		वाजरा		
		धर्मपुरा		
		ठमरगांव		

1	2	3	4	5
		मोदसा		
		लिमबानी		
		धुनधोक		
		धरी		
		ऊना		
हरियाणा		रोहतक		
		महेन्द्रगढ़		
		चरखी दादरी		
		फिरोजपुर		
		मण्डी डबवाली		
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	सुजानपुर	आबू फोर्ट	
	शिमला	सुन्दर नगर	दलाश	
		रामपुर	खारा पत्थर	
		डलहौजी	पालमपुर	
			शिववदर	
			भारथी	
			जोगिन्द्रनगर	
			छत्तरपुर	
			जालामा/नालदा	
			बैजनाथ/माझेरन	
			भरमौर	
			सरकाघाट	
			देर	
			दसलनी/दसनी	

1	2	3	4	5
			होली	
			परवानू	
			बंदला	
			वीर	
			श्यामलाजी	
			काण्डाघाट	
			निगहर	
			रोहरू	
			आवाह देवी	
			तिस्सा	
			चौसी खास	
			पिरभयानु	
			जातनग्री	
			काजा	
			उदयपुर	
			केटखाल	
			चौपाल	
			कारसोग	
			बंजर	
			चूनाघाट	
जम्मू और	लेह	रियासी	पूंछ	
कश्मीर	नौशेरा	थानामण्डी	थानामंडी	
	कठुआ	कथुआ	टिथवाल	
		राजौरी	उरी	

1	2	3	4	5
		ऊधमपुर	बड्ढल	
		पूंछ	कालाकोट	
		जम्मू	बारामूला	
		(डी.डी.2 के लिए)	साम्बा	
		श्रीनगर	संजी छाट	
		(डी.डी. 2)	कुद्ध	
			बटोट	
			ग्या	
			रंगडम गोम्पा	
			मुल्बेका/शांगोल	
			बफलेयर	
			खाटसी	
			गुरेज़	
कर्नाटक	गुलबर्गा	गंगावती	सकलेशपुर	
	मंगलौर	गोकाक	सुलिया	
	मैसूर	जामखंडी	बादामी	
	रायचूर	मुदिगेरा	मधुगिरि	
	हासन	पावागडा		
		रामादुर्ग		
		कुम्टा		
		भटकल		
		हरपनाहल्ली		
		बासव कल्याण		
		सागर		

1	2	3	4	5
		हनगोंड		
		अरसिकेरा		
		हट्टीहाल		
		बंगलौर		
		(मैट्रो चैनल के लिए)		
		डांडेली		
		तुमकुर		
		पुत्तूर		
		मुधोल		
		तालिकोटा		
		इन्दी		
		हूविन हिप्पारगी		
		हिरीयुर		
		होसदुर्ग		
		कोडिगि		
केरल	कालीकट	काननगढ़	मुन्नार	
	कन्नानोर	थोडुपुझा	कंझिरापल्ली	
		चेंगन्नूर	इरट्टुपेट्टा	
		तिरूवनंतपुरम	मुंडाकांयम	
		(मैट्रो चैनल हेतु)	देविकुलम	
		पाला		
		पुनालुर		
		अड्डूर		
मध्य प्रदेश	अंबिकापुर	दतिया	परासिया	

1	2	3	4	5
	गुना	गाडरवारा	सिंगरौली	
	शहडोल	कुकड़ेश्वर	कोंडागांव	
	सागर	सिरोंज	बुधनी	
		अशोकनगर	जशपुरनगर	
		खुरई	पाखंजोर	
		मेहर	कोगाली बड़ा	
		विजयपुर	पेंड्रा रोड	
		लाहर	हीरा खदान परियोजना (पन्ना)	
		भांडेर	मोडकपाल	
		कैलारस	विजयपुर	
		सक्ती		
		गरोट		
		राघवगढ़		
		भानपुरा		
		नारायणगढ़		
		सीतामऊ		
		पिपरिया		
		बड़ा मलहरा		
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	अकलुज	अदयाल टेकड़ी	बदयपुर
	जलगांव	चिपलुन	जुन्नार	
	महिपतगढ़	हिंगनघाट	करजाट	
	बम्बई	कंकौली	खेड	
	(डी.डी. 3)	संगमनेर	राजापुर	
		उमरगा	चिकलधरा	

1	2	3	4	5
		शिरपुर	कलवान	
		मेहेकर	मालकपुर	
		मोर्शी	भोकर	
		वनी		
		देवरूख		
		चिखली		
		खामगाव/म्हासले		
		रिसोड		
		नारापुर		
		रावर		
		पंढरकवड़ा		
		करंजिया/खांडा		
		मानेगांव		
		खोपराली		
		महाद		
		उमरखेड़		
		सतना		
		खानापुर		
		मंगलबेड़ा		
		आकलकोट		
		सिंरोचा/कोपेला		
		चंदौल		
		दरियापुर		
		नागपुर (डी.डी.2 हेतु)		

1	2	3	4	5
मणिपुर	चुराचांदपुर	इम्फाल	मोरेह	
		(डी.डी.।।)	कॉम्पोंग्पी	
			जिरिबाम	
मेघालय	शिलांग	बाघमारा	शिलांग	
	(डी.डी. ।।)			
मिजोरम	लंगलेई	सैहा	चम्फाय	एजवाल
	एजवाल			
	(डी.डी.।।)			
नागालैंड	मोकोर्युंग	कोहिमा	फोंक	बाराबस्ती
		(डी.डी.।।)	सताखा	
उड़ीसा	बालेश्वर	बोनाई	जी. उदयगिरी	
	सम्बलपुर	बौध	अऊल	
	बेडरामपुर	लुथरपुरा	थुआमुल-रामपुर	
		नयागढ़	मयकुण्ड	
		नुआपारा	चित्रकोण्डा	
		पालाहारी	तिमलीगुडा	
		रायरंगपुर	काशीपुर	
		रोधाखोल	लान्जीगढ़	
		सोनेपुर	जयपाटना	
		तलचर	बाराबरबिल	
		पारादीप	तिमलीपालगढ़	
		हिन्डोल	गोलागोण्डा	
		अथामल्लिक	कलीमेला	
		मोहना	जूनागढ़	

1	2	3	4	5
		कुचिण्डा		
		बानापुर	अम्बापानी	
		राजराणापुर	कालमपुर	
		बालीगुरहा		
		तलहारा		
		कांडरापारा		
		पहुआ		
		करंजिमा		
		राजगंगापुर		
		अमरकोट		
		बिरामित्रपुर		
		खरियार		
		खांडामारा		
		दशरथपुर		
		कबीसुरवा नगर		
		नरसिंहपुर		
		दुर्गापुर		
		टाँगी		
		पटनागढ़		
		कोटपैड		
		माथिली		
		कोकसारा		
पंजाब	फाजिलका	अबोहर		
राजस्थान	अजमेर	बारन	अमेत	

1	2	3	4	5
	अनूपगढ़	बारी सादरी	चौमहला	
	बारमेर	भाद्रा	देवगढ़	
	बीकानेर	गंगापुर	फतेहपुर	
	जैसलमेर	हिन्दौन	गंगापुर	
	जोधपुर	रतनगढ़	कुंभलगढ़	
	नाथद्वार	रावतसार	लक्ष्मणगढ़	
		श्री डुंगरगढ़	भीम	
		सुजानगढ़	राजगढ़	
		मकराना	लालसोत	
		करौली	कटरा	
		फलोदी	जावार माइन्स	
		राजगढ़ (चुरू)	नीमका थाना	
		माऊंट आबू	मण्डलगढ़	
		प्रतापगढ़	साहपुरा	
		नोहर		
		नोखा		
		शाहपुर		
		निमज		
		जयपुर (डी.डी.।।)		
		नलवगढ़		
		सेगवाड़ा		
		कुशलगढ़		
		नतीरबाद		
		बिनमाल		

1	2	3	4	5
		सुजाता		
		बाली		
		सांचेर		
		धारियावाड़		
सिक्किम	गंगतोक	गंगतोक	सिंगतभ	
		(डीडी-।। हेतु)	रांगपो	
			जोरेथांग	
तमिलनाडु	धर्मापुरी	अरानी	मेट्टुपलयम	
	कुम्बाकोणम	अरकोट	वालपराई	
	रामेश्वरम्	गुडियातमंक	वल्लिचुर	
	तिरूनेलवेल्ली	पट्टुकोट्टई	वझापदी	
	मद्रास (डीडी-II)	राजापल्यम		
		शंकरन बोविल		
		अत्तूर		
		उदममंडलम		
		पुडुकोट्टई		
		कृष्णागिरि		
		उदुमलपेट		
		नेत्तम		
		गिंगी		
		पलानी		
		माथैडम		
		कल्लाकुरिची		
		अंबासमुद्रम		

1	2	3	4	5
		देनकानिकोट्टा		
		वंदावासी		
		चेय्यर		
त्रिपुरा		कैलाशहर	धर्मनगर	
		तेलियामुरी		
		जोलाईवारी		
		अमरपुर		
		अम्बास्ता		
		अगरतला (डीडी-।। हेतु)		
		कंचनपुर		
उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	
	बांदा	औरैया	चमौली	
	लखीमपुर	चांपावत	चौकुटिया	
	मऊ	गंज डुंडवारा	डीडीहाट	
	सीतापुर	हल्द्वानी	जोशीमठ	
	जालौन	कोटद्वार	देवप्रयाग	
	चांपावत	महोबा	लैंसडाउन	
		मऊ रानीपुर	प्रतापनगर	
		मोहम्दाबाद	बिन्सर	
		नौगढ़	बसोट/भिखियासेन	
		न्यू टेहरी	कल्जीखाल	
		सिंकदरपुर	गज्जा	
		रूदौली	फतेल पर्वत	
		कासगंज	खेत पर्वत	

1	2	3	4	5
		कर्णप्रयाग	राजगढ़ी	
		नानपारा	सिराकोटा/बैकण्ठग्राम	
		खेतीखान	मनीला	
		लालगंज (रायबरेली)		
		धुनाघाट	रूद्रप्रयाग	
		नरोरा	नंदप्रयाग	
			घांड्याल	
		राठ	मानिकपुर	
		तेलवाहट	नौगांवखेल	
		रूधौली/घौसी		
पश्चिम बंगाल	बलुरघाट	फरक्का	बाघमण्डी	
	खड्गपुर	रानाघाट		
	कृष्णानगर	रायना/कम्मरहाटी		
	कलकत्ता (डीडी-।।)	काल्ना		
		गरपेट्टा		
		बलरामपुर		
		कूच बिहार		
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर (मैट्रो डीडी-।। हेतु)	ग्रेटनिकोबार		
		हेवलाक		
		कटचल		
		बारातंग		
दादरा और नगर हवेली		सिलवासा		
दमन और दीव		दीव		
पांडिचेरी	पांडिचेरी	कराईकल (डीडी-।। हेतु)		

आंध्र प्रदेश में मेडिकल कालेज

2701. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कार्यरत सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार/निजी संस्थाओं से राज्य में और अधिक मेडिकल कालेजों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में 9 सरकारी और एक प्राइवेट मेडिकल कालेज चल रहे हैं।

(ख) से (घ) भारत सरकार को आंध्र प्रदेश की प्राइवेट संस्थाओं से नए मेडिकल कालेज खोलने के लिए तीन आवेदन प्राप्त हुए। चूंकि ये आवेदन पूरी तरह से भरे नहीं गए थे, इसलिए ये आवेदकों को वापस कर दिए गए हैं।

बाढ़ प्रवण क्षेत्र

2702. प्रो. अशोक आनंदराव देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई दीर्घकालीन नीति बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1976-80) ने देश में 40 मिलियन क्षेत्र बाढ़ प्रवण आंका है। राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के अन्वेषण, आयोजन व निष्पादन कार्य करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र उन कार्यों में सहातया प्रदान करता है जो तकनीकी, उत्प्रेरक व

संवर्धक प्रकृति के होते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने बाढ़ों को रोकने व उनका बेहतर प्रबन्ध करने के लिए 207 सिफारिशें की हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को इसके सचिवालय गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग सहित वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने गंगा की सभी 23 नदी प्रणालियों के लिए बाढ़ प्रबन्ध करने के वास्ते व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इसी प्रकार, वर्ष 1981 में स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक थालों में बाढ़ प्रबन्ध करने के लिए व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। इन मास्टर योजनाओं को दीर्घावधिक और लघु आवधिक सिफारिशों के साथ राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं, ताकि वे भूसर्वेक्षण अन्वेषण और उनका क्रियान्वयन करने के बाद विस्तृत योजनाएं तैयार करें।

विवरण

भारत में बाढ़ से प्रभावित होने वाला अनुमानित क्षेत्र

(लाख हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य	बाढ़ से प्रभावित होने वाला क्षेत्र
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	13.9
2.	असम	31.5
3.	बिहार	42.6
4.	दिल्ली	0.5
5.	गुजरात	13.9
6.	हरियाणा	23.5
7.	हिमाचल प्रदेश	2.3
8.	जम्मू व कश्मीर	0.8
9.	कर्नाटक	0.2
10.	केरल	8.7
11.	मध्य प्रदेश	2.6

1	2	3
12.	महाराष्ट्र	2.3
13.	मणिपुर	0.8
14.	मेघालय	0.2
15.	उड़ीसा	14.0
16.	पंजाब	37.0
17.	राजस्थान	32.6
18.	तमिलनाडु	4.5
19.	त्रिपुरा	3.3
20.	उत्तर प्रदेश	73.36
21.	पश्चिम बंगाल	26.5
22.	पांडिचेरी	0.1
	कुल	335.16
		अर्थात् 34 मिलियन हेक्टेयर

देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र :

(क) राज्यों में बाढ़ प्रवण क्षेत्र	34.0 मिलियन हेक्टेयर
(ख) उस समय तक राज्यों में सुरक्षा प्रदान किया गया क्षेत्र	10.0 मिलियन हेक्टेयर
कुल	44.0 मिलियन हेक्टेयर
सुरक्षा कार्यों के असफल हो जाने की वजह से बाढ़ (-) ग्रस्त क्षेत्र जो सूचित किए गए बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र (सुनिश्चित) में शामिल किया जाना चाहिए था	4.0 मिलियन हेक्टेयर
देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र	40.0 मिलियन हेक्टेयर

मानसिक अस्पताल

2703. श्री विजय एन. पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकार द्वारा कितने मानसिक अस्पताल चलाए जा रहे हैं ;

(ख) इन अस्पतालों में कितने बिस्तर उपलब्ध हैं ;

(ग) इन अस्पतालों में कितने मनोचिकित्सक और डाक्टर कार्यरत हैं ; और

(घ) इन अस्पतालों में रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल का स्तर ऊँचा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) केन्द्र सरकार सीधे एक मानसिक अस्पताल चलाती है और एक अन्य अस्पताल उसके नियंत्रण में कार्य कर रहा है।

(ख) इन अस्पतालों में 1293 पलंग उपलब्ध हैं।

(ग) इन अस्पतालों में 42 मनोचिकित्सक और 52 डाक्टर उपलब्ध हैं।

(घ) पुनर्वासात्मक सुविधाओं, मनोरंजन संबंधी सुविधाओं और विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक चिकित्साओं में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

गारलैंड नहर परियोजना

2704. श्री गुमान मल लोढ़ा :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष कुछ नदियों के आसपास के विशाल क्षेत्र वर्षा के मौसम में भारी मात्रा में वर्षा के जल से बुरी तरह प्रभावित होते हैं ;

(ख) क्या गारलैंड नहर परियोजना का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ङ) इस परियोजना के पूरा हो जाने की कब तक संभावना है ; और

(च) केंद्र सरकार का विचार अत्यधिक जल वाली किन-किन नदियों को अन्य नदियों से जोड़ने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, नर्मदा जैसी कुछ नदी थालों में व्यापक क्षेत्र सामान्यतः बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

(ख) और (ग) कप्तान डी.जे. दस्तूर ने गारलैण्ड नहर परियोजना का प्रस्ताव किया था जिसमें दो नहरें शामिल थीं ; नामशः हिमालयी नहर जो पश्चिम में रावी नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय के दक्षिणी ढलान के साथ-साथ 2400 किलोमीटर लम्बी है तथा दक्षिण नदी की ओर ब्रह्मपुत्र से आगे तक 1770 किलोमीटर तक फैली हुई है, इसके दोनों छोरों में लगभग 90 समेकित झीलें हैं तथा केन्द्रीय और दक्षिणी गारलैण्ड नहर जो लगभग 9332 किलोमीटर लम्बी है, इसमें लगभग 200 समेकित झीलें हैं। अन्य लाभों के साथ-साथ प्रस्ताव यह भी था : वार्षिक रूप से आनेवाली बाढ़ों के विध्वंस को कम करना तथा सूखे द्वारा उत्पन्न कष्टों को कम करना।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त प्रस्ताव की विशेषज्ञों की दो समितियों द्वारा जांच की गई थी। इस समिति में केन्द्रीय जल आयोग, राज्य सरकारों के वरिष्ठ इंजीनियर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली तथा रूड़की विश्व विद्यालय से प्रोफेसर और भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक शामिल हैं। समितियों का यह विचार था कि दस्तूर प्रस्ताव तकनीकी रूप से ठोस नहीं है तथा आर्थिक रूप से निषेधात्मक है। इसलिए प्रस्ताव को क्रियान्वयन के लिए लाभप्रद नहीं पाया गया था।

(च) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन पंजीकृत सोसाइटी राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जल संसाधनों के विकास के लिए किए गए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अध्ययन से यह पता चला है कि महानदी ; गोदावरी, केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां ; बम्बई के उत्तर तथा तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों ; ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों तथा गंगा की कुछ सहायक नदियों के थालों में अधिशेष जल हैं।

[अनुवाद]

टी.वी. ट्रांसमीटर

2705. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ कम शक्ति/उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इनकी स्थापना कहां-कहां की जाएगी ;

(ग) इनमें से अब तक कितने स्थापित किए जा चुके हैं ;

(घ) क्या उन स्थानों, जहाँ पर स्थापना कार्य और परीक्षण पूरा हो गया है, पर टी.वी. ट्रांसमीटरों ने कार्य करना आरम्भ नहीं किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो ट्रांसमीटर कब तक कार्य आरम्भ कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में भिन्न-भिन्न शक्तियों वाले ट्रांसमीटरों को पूरा करने के लिए लक्षित स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जावरा, अलीराजपुर और भोपाल डीडी-2 (मैट्रो सेवा की रिले करने हेतु) एक-एक अर्थात तीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर पहले ही चालू किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) पर्‌ासिया में अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार है तथा इसका परीक्षण किया जा रहा है। इस ट्रांसमीटर को शीघ्र ही नियमित सेवा के लिए चालू कर दिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में टी.वी. ट्रांसमीटरों (अ.श.ट्रां. और अ.अ.श.ट्रां.) को चालू करने के लिए लक्षित स्थानों के नाम।

1.	दतिया
2.	गाडरवारा
3.	कुक्कड़ेश्वर
4.	सिरोंज
5.	अशोकनगर
6.	विजयपुर
7.	लाहर
8.	भाण्डेर
9.	केलारस
10.	परासिया

11. सिंगरौली

12. कोण्डागांव

13. बुधनी

14. शक्ति

15. जशपुरनगर

16. खुरई

17. मैहर

18. भोपाल डीडी.2 (मैट्रो चैनल कार्यक्रमों को रिले करने के लिए) (चालू किया जा चुका है)

19. पाखनजोर

तम्बाकू रोधी विधान

2706. श्री एस.एम.लालजान बाशा :

श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू का उत्पादन करने वाले राज्यों के कई तम्बाकू कृषक संघों ने प्रस्तावित तम्बाकू रोधी विधान के प्रति असंतोष व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संघों के साथ बैठक करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है , और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ङ) प्रस्तावित तम्बाकू रोधी विधान के प्रति कृषकों के असंतोष के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मामले के सभी पहलुओं पर पहले ही पूर्ण रूप से विचार किया जा चुका है।

वी.डी.आर.एल. एंटीजन

2707. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "वी.डी.आर.एल. एंटीजन" का उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उत्पादकों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार यौन जन्य बीमारियों पर नियंत्रण करने और उनके उन्मूलन संबंधी प्राथमिकता को देखते हुए "वी.डी.आर.एल. एंटीजन" के उत्पादन में वृद्धि करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक सार्वजनिक क्षेत्र में और दो निजी क्षेत्र में।

(ग) और (घ) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

इलेक्ट्रोपैथी

2708. श्री राम कापसे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होमियोपैथी चिकित्सकों पर प्रतिबंध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) चूंकि इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रोहोमियोपैथी एक मान्यता प्राप्त पद्धति नहीं है, इसलिए इसके व्यवसायियों पर पृथक रूप से रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है।

जनता को शिक्षित करने के लिए फिल्में

2709. श्रीमती शीला गौतम :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म प्रभाग द्वारा 1993-94 के दौरान जनता को शिक्षित करने के लिए किन-किन फीचर

फिल्मों का निर्माण किया गया है ;

(ख) इनके निर्माण पर कुल कितना खर्च हुआ ;

(ग) क्या ये फिल्में दिखाए जाने के लिए रिलीज कर दी गयी हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) वर्ष 1993–94 के दौरान फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित फीचर फिल्मों और उनके निर्माण पर हुए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

फिल्म का नाम	किया गया व्यय (लाख रुपये में)
1. जामुन का पेड़ (हिन्दी)	8.50
2. एलोय फेरा (बंगला)	8.50
3. भूमिपुत्र (मराठी)	7.20
4. सवेरा (हिन्दी)	9.30
5. माधव (बंगला)	*
6. साधना (बंगला)	*
7. धात्री (बंगला)	5.38
8. एक नई कोशिश एक नई उम्मीद (हिन्दी)	8.05
9. मेठोरों की बस्ती कर्ण कुन्ती संवाद (हिन्दी)	6.60

* ये फिल्में विभागीय तौर पर निर्मित की गई हैं। फिल्म प्रभाग के प्रोफार्मा लेखे तैयार होने के बाद ही व्यय संबंधी आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे।

(ग) और (घ) ये फिल्में टेलीकास्ट नहीं की गई हैं क्योंकि ये फिल्में मुख्य रूप से क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों, राज्य सरकारों आदि द्वारा प्रचार के लिए बनाई गई हैं।

दूरदर्शन पर "टेलीटेक्स्ट" सेवा

2710. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर टेलीटेक्स्ट" सेवा को पुनः आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन पर टेली टेक्स्ट सेवा पहले से ही उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला भण्डार

2711. श्री एम.कृष्णस्वामी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कोयले का अनुमानतः कितना भण्डार है ;

(ख) वर्तमान में कोयले का कितना उत्पादन हो रहा है ;

(ग) क्या तमिलनाडु को ताप विद्युत केन्द्रों के लिए पर्याप्त कोयला मिल रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) राज्य में कोयले के खनन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण, जोकि देश में सतत् आधार पर कोयले के संसाधनों के क्षेत्रीय अन्वेषण में कार्यरत हैं, ने तमिलनाडु राज्य में कोयले की विद्यमानता के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकित मांग का, क्रमशः लगभग 98 प्रतिशत तथा 96 प्रतिशत रही है।

नशीली दवाईयों का दुरुपयोग

2712. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नशीली औषधियों के सेवन की स्थिति बिगड़ती जा रही है और सुई द्वारा नशीली दवाईयों का उपयोग किए जाने के कारण एड्स और अन्य बीमारियां फैल रही हैं जैसाकि 27 जून, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दर्द-निवारक "टिडिगैस" का नशीली दवाईयों के आदी व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार किया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) समग्र रूप से पूरे देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति के संबंध में किसी सर्वेक्षण के अभाव में यह कहना कठिन है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति बदतर होती जा रही है। तथापि, देश के कतिपय भागों, मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों यथा मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम के अंतर्वर्ती भागों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय में परामर्श तथा निर्व्यसन केंद्रों से प्राप्त रिपोर्टों से यह विदित होता है कि अफीम, हेरोइन, ब्राउन शुगर और अल्कोहल दुरुपयोग की जाने वाली प्रमुख नशीली दवाएं हैं। तथापि, हालांकी रिपोर्टों में व्यसनियों द्वारा सुई के माध्यम से "टिडिजेसिक" लेने का भी उल्लेख किया गया है।

(ङ) नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या पर काबू पाने के लिए इस मंत्रालय ने नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों के बीच चेतना सृजन संबंधी एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा, एच.आई.वी/एड्स के संबंध में चेतना सृजन के माध्यम से एच.आई.वी. संक्रमण के फैलाव की

गति को धीमा करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने विशेषकर इसके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील समूह के बीच चेतना सृजन का कार्यक्रम शुरू किया है।

मेट्रो चैनल पर एम–टी.वी. के कार्यक्रमों का प्रसारण

2713. श्री रूपचंद पाल :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1994 के "पायनियर" में "एम.टी.वी. लाइकली टू बी बीम्ड ऑन मेट्रो वाई सेप्टेम्बर" शीर्षक से प्रकाशित समचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) डी डी–2 पर एम.टी.वी. के कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने हेतु एम.टी.वी. से प्राप्त एक प्रस्ताव दूरदर्शन के पास विचाराधीन है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2714. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

श्री शान्ताराम पोतदुखे :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाहकार समिति ने हाल ही में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की गहन समीक्षा की थी ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इसमें किन खामियों का पता चला है ;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा कमान इस कार्यक्रम के कार्यकरण में सुधार लाने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा कितना है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार वास्तविक लक्ष्य क्या था तथा वास्तव में क्या उपलब्धियां रहीं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.

थुंगन) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित सलाहकार समिति ने 25.6.94 को आयोजित अपनी पहली बैठक में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की समीक्षा की। यह बताया गया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गयी कई परियोजनाओं में जल वितरण एवं उपयोग तथा उत्पादकता स्तरों में सुधार के सकारात्मक संकेत मिले हैं किन्तु कार्यक्रम से प्रत्याशित इष्टतम लाभों को अभी प्राप्त किया जाना है।

सलाहकार समिति ने इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर कमान क्षेत्र विकास परिषद तथा प्राधिकरण स्तर पर सांविधिक कमान क्षेत्र विकास बोर्ड गठित करने की सिफारिश की है। आठवीं योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कामकाज और क्रियान्वयन में सुधार करने के लिए उठाये गए कदमों में ये शामिल हैं ; वित्तीय पद्धतियों में कुछ संशोधन करना, राज्य और परियोजना स्तर पर प्रबोधन कक्षों की स्थापना, लघु स्तर पर अव-संरचना के जल प्रबन्ध और अनुरक्षण में कृषकों की भागीदारी जैसे साफ्टवेयर कार्यकलापों पर बल देना, अनुकूली परीक्षण शुरू करना, प्रदर्शन एवं कृषकों का प्रशिक्षण आदि।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 700 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। राज्यवार दर्ज की गयी वास्तविक उपलब्धियां तथा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-92 से 1993-94 के लिए नियत किये गये लक्ष्य संलग्न विवरण-एक से चार में दिये गए हैं।

विवरण - एक

केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल राज्यों में खेत चैनलों के तहत वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक उपलब्धियां

(हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य का नाम * (22 राज्य+2 संघ शासित राज्य)	1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10.00	2.38	22.00	3.36	5.00	1.05
2.	असम	12.90	4.76	7.00	1.59	2.03	1.50
3.	बिहार	40.00	12.26	27.00	40.40	45.00	0.75

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोवा	3.00	1.16	1.50	0.50	1.06	1.30
5.	गुजरात	56.00	2.94	48.89	22.78	48.18	9.25
6.	हरियाणा	18.00	18.59	26.50	23.10	35.00	30.74
7.	हिमाचल प्रदेश	1.00	1.10	1.25	1.10	0.65	0.62
8.	जम्मू एवं कश्मीर	14.50	4.20	8.00	8.00	2.20	3.43
9.	कर्नाटक	84.00	29.25	70.00	17.64	64.00	27.05
10.	केरल	25.00	6.59	15.00	9.25	19.77	25.57
11.	मध्य प्रदेश	190.00	63.80	130.00	11.57	10.61	5.42
12.	महाराष्ट्र	40.00	27.97	70.00	22.13	52.50	25.50
13.	मणिपुर	6.00	2.99	6.00	0.39	1.13	2.20
14.	मेघालय	1.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
15.	उड़ीसा	33.92	13.89	50.00	18.32	31.00	9.08
16.	राजस्थान	60.00	43.11	67.00	39.49	34.20	21.81
17.	तमिलनाडु	40.00	47.57	47.00	50.73	45.60	47.40
18.	त्रिपुरा	0.20	0.00	0.20	0.20	0.08	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	332.00	213.02	268.00	90.16	128.50	130.26
20.	पश्चिम बंगाल	20.50	4.08	10.00	4.40	6.00	3.76
21.	दमन तथा दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	988.52	499.66	876.34	365.71	532.51	345.69

* उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं की गयी अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों को हाल ही में (1993–94) कार्यक्रम में शामिल किया गया था। प्रगति शून्य है।

विवरण - दो

केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल राज्यों में खेत नालियों के तहत वर्ष 1991-92 से 1993-94 की उपलब्धियां

(हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य का नाम (22 राज्य+2 संघ शासित राज्य)	1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	10.00	0.00	5.90	0.00
2.	असम	11.40	3.75	4.00	0.31	3.80	0.64
3.	बिहार	0.00	0.00	2.57	0.00	0.90	0.00
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	2.00	0.17	0.90	0.21	0.60	0.14
6.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.42	1.60	0.43	0.25	1.10
9.	कर्नाटक	44.11	10.99	70.00	3.50	13.50	0.80
10.	केरल	5.00	0.00	5.00	2.63	15.00	0.00
11.	मध्य प्रदेश	50.00	0.84	130.00	0.00	2.00	1.24
12.	महाराष्ट्र	0.00	25.95	70.00	20.47	52.50	19.25
13.	मणिपुर	2.00	0.88	2.00	1.00	0.92	0.92
14.	मेघालय	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
15.	उड़ीसा	13.40	12.37	20.00	14.82	16.00	11.43
16.	राजस्थान	4.00	0.00	5.00	1.58	3.50	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	तमिलनाड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	त्रिपुरा	0.15	0.00	0.10	0.00	0.05	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	60.00	0.00	60.00	23.00	65.00	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	1.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21.	दमन तथा दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	193.06	55.37	382.32	67.95	179.92	35.52

* उपर्युक्त सूची में अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों को नहीं दिखाया गया है। इन्हें इस कार्यक्रम में हाल ही में (1993-94) कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रगति शून्य है।

विवरण - तीन

केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल राज्यों में वाराबन्दी लागू करने के अंतर्गत वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की उपलब्धियां

(हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	40.00	8.05	32.55	16.83	28.30	12.86
2.	असम	19.20	14.95	7.00	7.30	2.40	1.00
3.	बिहार	10.00	1.26	4.00	1.80	4.17	2.07

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोवा	2.50	2.50	1.50	1.90	1.50	1.50
5.	गुजरात	8.00	13.57	42.37	33.18	35.90	17.84
6.	हरियाणा	25.00	35.74	40.00	31.90	31.70	18.87
7.	हिमाचल प्रदेश	1.00	1.72	2.05	1.93	1.62	1.78
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	11.53	8.00	8.00	25.00	28.25
9.	कर्नाटक	58.32	10.34	35.00	21.00	40.00	7.91
10.	केरल	24.00	16.13	30.00	8.14	29.48	13.46
11.	मध्य प्रदेश	70.00	0.40	130.00	25.00	350.00	0.00
12.	महाराष्ट्र	30.00	3.43	70.00	5.48	22.50	13.33
13.	मणिपुर	14.70	0.00	8.00	0.00	3.57	1.66
14.	मेघालय	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
15.	उड़ीसा	63.00	44.58	60.00	60.58	83.00	65.33
16.	राजस्थान	56.00	41.38	65.00	36.66	30.00	18.14
17.	तमिलनाडु	8.00	16.39	19.00	16.40	47.00	49.80
18.	त्रिपुरा	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	390.00	353.02	390.00	360.50	300.00	259.64
20.	पश्चिम बंगाल	1.00	0.00	6.50	0.00	2.00	0.00
21.	दमन तथा दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	894.92	575.02	952.17	636.88	1038.14	512.44

* उपर्युक्त सूची में अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों को नहीं दिखाया गया है। इन्हें इस कार्यक्रम में हाल ही में (1993-94) शामिल किया गया है। प्रगति शून्य है।

विवरण - चार

केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल राज्यों में भूमि समतलन व आकार देने के तहत वर्ष 1991-92 से 1993-94 की उपलब्धियां

(हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम (22 राज्य+ 2 संघ राज्य राज्य)	1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	14.20	1.65	22.00	3.17	5.90	3.89
2.	असम	0.48	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.79	0.00	0.58	0.00
4.	गोवा	0.40	0.13	0.30	0.03	0.30	0.03
5.	गुजरात	2.00	0.04	0.65	0.37	1.00	0.14
6.	हरियाणा	2.55	1.69	2.00	1.37	2.70	0.96
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2.00	1.95	3.60	1.52	1.25	1.72
9.	कर्नाटक	59.60	27.44	50.00	22.30	39.50	25.58
10.	केरल	1.00	0.00	5.00	0.05	0.28	0.10
11.	मध्य प्रदेश	2.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
12.	महाराष्ट्र	5.00	4.01	5.00	1.83	0.00	0.87
13.	मणिपुर	2.00	1.10	2.00	0.75	2.13	2.20
14.	मेघालय	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	उड़ीसा	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान	4.00	1.31	0.00	1.58	3.50	0.00
17.	तमिलनाड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	त्रिपुरा	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	0.02	0.02	0.40	0.00	0.00	0.00
21.	दमन तथा दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	96.27	39.34	117.14	32.97	60.78	35.49

* अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों को उपर्युक्त सूची में नहीं दिखाया गया है। इन्हें इस कार्यक्रम में हाल ही (1993-94) में कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रगति शून्य है।

लंबित विधेयक

2715. श्री हाराधन राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों का राज्य-वार विवरण क्या है ; और

(ख) इन विधेयकों को कब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति दे दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य विधायनों पर, भारत सरकार के संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा विचार किया जाना होता है, और जहां-कहीं आवश्यक पाया जाए, राज्य सरकारों से परामर्श करना पड़ता है। संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को, मामले में उनके विचार जल्दी भेजने के लिए उन्हें अनुस्मारक भेजे जाते हैं। विधेयकों को जल्दी निपटाने के लिए, जहां आवश्यक हो, विचार विमर्श भी किया जाता है।

विवरण

08.8.94 के अनुसार स्थिति

क्र.सं.	प्राप्ति की तारीख	विधेयक का नाम
1	2	3
		राज्य : आंध्र प्रदेश
1.	20.11.89	आन्ध्र प्रदेश राजमार्ग विधेयक, 1989
2.	28.11.89	आंध्र प्रदेश औद्योगिक मजदूर (प्रबंध में भागीदारी, प्रतिनिधित्व और राहत) विधेयक, 1989
3.	9.2.93	सार्वजनिक वक्फ (सीमा का विस्तार) आंध्र प्रदेश संशोधन विधेयक, 1992
4.	11.2.93	आंध्र प्रदेश प्रिवेंशन आफ डिसफिगरमेंट आफ ओपन प्लेसेज एण्ड प्राहिबीशन आफ आब्सीन एण्ड आब्जेकशनेबल पोस्टर्स एण्ड एडवर्टीजमेंट बिल, 1992
5.	26.4.94	आन्ध्र प्रदेश सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 1994
		राज्य – असम
6.	9.8.89	असम राजमार्ग विधेयक, 1989
7.	20.6.90	असम लैंड ग्रेबिंग (प्राहिबीशन) बिल, 1990
		राज्य – बिहार
8.	05.2.92	झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक, 1991
		राज्य : गोवा
9.	2.1.94	गोवा (अनाथलय और अन्य धर्मार्थ गृहों का विस्तार) (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1993
		राज्य : गुजरात

1	2	3
10.	1.8.94	बम्बई इनाम (कच्छ क्षेत्र उन्मूलन गुजरात संशोधन) विधेयक, 1994
		राज्य : हरियाणा
11.	9.5.88	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988
12.	9.5.88	करूक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988
13.	17.4.89	भारतीय बिजली (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989
		राज्य : कर्नाटक
14.	4.5.92	दण्ड प्र क्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1992
15.	12.5.92	द कर्नाटक कृष्णा बेसिन डिवलपमेंट आथोरिटी विधेयक, 1992
16.	19.1.93	कर्नाटक वस्तुओं के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1992
17.	13.4.94	कर्नाटक स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, प्रयोग और बिक्री के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विधेयक, 1994
18.	26.4.94	कर्नाटक आबकारी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1993
19.	10.5.94	कर्नाटक आवश्यक वस्तुएं (केन्द्रीय विधेयक), 1992
		राज्य : केरल
20.	29.4.91	केरल महिला आयोग विधेयक, 1991

1	2	3
		राज्य : मध्य प्रदेश
21.	28.1.93	भारतीय चुंगी (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992
		राज्य : मणिपुर
22.	11.9.89	मणिपुर होमगार्ड्स विधेयक, 1989
23.	21.5.90	दि मणिपुर एक्झीबिशन ऑफ वीडियो फिल्म्स विधेयक, 1990
24.	9.12.92	मणिपुर प्रिवेंशन आफ मेलप्रेक्टिसिज एट पब्लिक एक्जामिनेशन विधेयक, 1992
		राज्य : मेघालय
25.	23.02.88	मेघालय चिकित्सा परिषद विधेयक, 1987
		राज्य : उड़ीसा
26.	1.9.93	उड़ीसा-विवार पर खर्च की सीमा विधेयक, 1993
27.	15.9.93	उड़ीसा राज्य महिला आयोग विधेयक, 1993
		राज्य : पंजाब
28.	15.6.93	दि पंजाब होम्योपेथिक प्रेक्टिशनर्स (एमेंटमेंट) बिल, 1993
29.	19.5.94	दि पंजाब मिनरल्स (वेस्टिंग ऑफ राइट्स) बिल, 1994
		राज्य : राजस्थान
30.	22.8.90	राजस्थान (होटल एवं लाजिंग हाउसिंज में) विलासिता कर विधेयक, 1990
31.	22.8.90	राजस्थान शहरी सुधार (संशोधन) विधेयक, 1990
32.	22.8.90	जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन एवं वैधीकरण) विधेयक, 1990

1	2	3
33.	07.12.92	दि राजस्थान फ्लड प्लेन जोनिंग बिल, 1990
34.	21.1.93	दि राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, 1992
		राज्य : सिक्किम
35.	01.11.89	दि सिक्किम एलीनेशन आफ लेण्ड (रेगूलेशन) बिल, 1989
36.	01.11.89	सिक्किम (भूमि हस्तांतरण) (विनियमन) विधेयक, 1989.
		राज्य : तमिलनाडु
37.	29.5.86	मद्रास रेस क्लब (उपक्रम का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) विधेयक, 1986
38.	29.10.91	तमिलनाडु भूमि पर हदबंदी तय करना (संशोधन) विधेयक, 1991
39.	31.1.94	तमिलनाडु भूमि प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 1993
40.	23.3.94	दि तमिलनाडु हिन्दू रेलियस एण्ड चेरिटेबिल एनडाउमेंट्स (सैकेण्ड अमेंडमेंट) बिल, 1994
41.	8.7.94	दि. प्रोबिन्सियल स्माल काज कोर्ट्स (तमिलनाडु अमेंडमेंट) बिल, 1993
42.	8.7.94	दि तमिलनाडु बोर्स्टल स्कूल्स (अमेंडमेंट) बिल, 1994
43.	8.7.94	तमिलनाडु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा विधेयक, 1994
44.	11.7.94	तमिलनाडु हिन्दू रेलिजियस एण्ड चेरिटेबिल एनडाउमेंट (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 1994
45.	13.7.94	तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि की हदबंदी तय करना) संशोधन विधेयक, 1994

1	2	3
46.	13.7.94	तमिलनाडु शहरी भूमि (हदबंदी एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 1994
		राज्य : त्रिपुरा
47.	8.7.91	त्रिपुरा (भ्रष्टाचार के विशिष्ट तरीकों की रोकथाम) विधेयक, 1991
48.	8.7.91	त्रिपुरा वन (लकड़ी हटाने से संबंधित विनियम) विधेयक, 1991
49.	20.6.94	त्रिपुरा भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार (छठा संशोधन) विधेयक, 1994
		राज्य : उत्तर प्रदेश
50.	1.6.92	उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशाधन) विधेयक, 1992
51.	5.5.94	रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994
		राज्य : पश्चिमी बंगाल
52.	22.5.84	कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984
53.	15.9.92	पश्चिम बंगाल सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 1992
54.	29.10.92	सीमांकन (पश्चिमी बंगाल संशोधन) विधेयक, 1992
55.	27.9.93	पश्चिम बंगाल सरकारी भूमि (हस्तांतरण विनियमन) विधेयक, 1993
56.	27.9.93	बंगाल प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी (प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का अधिग्रहण) विधेयक, 1993
57.	30.9.93	पश्चिम बंगाल कालेज सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1993

1	2	3
58.	27.9.93	भारतीय साझेदारी (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1993
৫০	13.10.93	दि पेमेंट आफ ग्रेच्युटी (वेस्ट बंगाल अमेंडमेंट) बिल, 1993
60.	13.10.93	मजदूरी का भुगतान (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1993
61	23.12.93	भूमि अधिग्रहण (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1993
62.	8.7.94	दण्ड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1994
63.	25.7.94	हावड़ा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994
64.	27.7.94	दुर्गापुर नगरनिगम विधेयक, 1994

इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना

2716. श्री के.प्रधानी :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना को पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) पहले इस परियोजना को वर्ष 1987-88 में पूरा करने का कार्यक्रम था। पूरा करने की संशोधित तारीख 1996-97 है। इस परियोजना के पूरा करने में विलंब के लिए उत्तरदायी घटक ये हैं: भूमि अधिग्रहण में समना की गयी समस्यायें, वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति, निधियों की कमी तथा अगस्त, 1991 में परियोजना क्षेत्र का बाढ़ग्रस्त होना।

नदी जल का आंकलन

2717. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

श्री बे. चोक्का राव :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार विभिन्न जगहों पर गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों में पानी की वार्षिक मात्रा कितनी है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन नदियों पर बने विभिन्न बांध/परियोजनाओं के लिए कितना जल रोका गया ; और

(ग) कितना जल समुद्र में बेकार बह जाता है। ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) विवरण - एक संलग्न है।

(ख) विवरण- दो संलग्न है।

(ग) जल की उस मात्रा का कोई आकलन नहीं किया गया है। जो समुद्र में बेकार बह जाता है।

विवरण - एक

जल वर्ष : जून से मई

यूनिट : मिलियन घन मीटर

नदी का नाम	स्थलों का नाम	के दौरान संचयी प्रवाह		
		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
गोदावरी	येल्ली	5826.80	3003.02	6347.70
	टेकरा	36754.80	38204.84	38134.90
	पाथगुडम	20536.00	24558.90	22223.10
कृष्णा	पोलावरम्	89829.40	87413.99	98200.00
	भावपुरम	4441.50	8882.28	3840.40

1	2	3	4	5
	यादगीर	8792.50	2746.00	9575.50
	विजयवाड़ा	20085.70	10043.00	19898.30
कावेरी	बिल्लुगुंडलू	7110.20	10071.04	647.60
	मुसीरी	6798.20	10373.00	5907.90

विवरण - दो

जल वर्ष : जून से मई

यूनिट : मिलियन घन मीटर

क्र. सं.	थाला/परियोजना	राज्य	पूर्ण जलाशय स्तर पर सक्रिय	के दौरान वार्षिक अधिकतम सक्रिय भंडारण		
				1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7
(क)	**गोदावरी थाला**					
1.	श्रीराम सागर	आंध्र प्रदेश	2.300	2.003	2.300	0.708
2.	जायकवाड़ी	महाराष्ट्र	2.171	2.044	0.721	1.063
3.	ईसापुर	-वही-	0.965	0.318	0.440	0.421
4.	मुला	-वही-	0.608	0.605	0.360	0.533
5.	येल्डेरी	-वही-	0.809	0.799	0.809	0.705
6.	बेलीमेला	उड़ीसा	2.676	1.324	1.525	0.868
7.	मचकुन्ड	-वही-	0.893	0.892	0.890	0.760
8.	अपरकोलाब	-वही-	0.935	-	0.729	0.691
(ख)	**कृष्णा थाला**					
1.	श्रीसेलम	आंध्र प्रदेश	8.288	8.288	8.288	8.288

1	2	3	4	5	6	7
2.	नागार्जुन सागर	-वही-	6.841	6.941	6.491	6.841
3.	तुंगभद्रा	कर्नाटक	3.276	3.269	3.276	3.267
4.	घाटप्रभा	-वही-	1.391	1.386	1.386	1.386
5.	मालप्रभा	-वही-	0.972	0.945	0.613	0.623
6.	भाद्रा	-वही-	1.785	1.785	1.784	1.784
7.	नारायनपुर	-वही-	0.863	0.833	0.786	0.757
8.	कोयना	महाराष्ट्र	2.677	2.677	2.677	2.677
9.	भीमा	महाराष्ट्र	1.517	1.474	1.504	1.517
10.	खड़कवासला	-वही-	0.056	0.056	0.056	0.056
(ग)	कावेरी थाला					
1.	के.आर.सागर	कर्नाटक	1.163	1.163	1.163	1.163
2.	कबिनी	-वही-	0.275	0.275	0.275	0.272
3.	हेमावथी	-वही-	1.013	1.013	1.013	0.998
4.	हारंगी	-वही-	0.220	0.220	0.220	0.219
5.	लोअर भवानी	तमिलनाडु	0.929	0.530	0.912	0.586
6.	मैत्तूर	-वही-	2.647	2.647	2.647	2.333

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

2718. श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आतंकवादियों ने पहलगाम में प्रमुख सम्पर्क मार्ग को तोड़ दिया है जैसाकि दिनांक 15 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कोई महत्वपूर्ण सड़क सम्पर्क मार्ग नहीं तोड़ा गया है। तथापि, 13 जुलाई, 1994 को उग्रवादियों ने अनन्तनाग पहलगांव रोड़ पर लहजनबल में एक लकड़ी के पुल को आग लगा दी, जिसमें वह क्षतिग्रस्त हो गया। यातायात अब पुल के आरपार जा रहा है।

एड्स नियंत्रण

2719. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों, जहां कि आबादी राष्ट्रीय जनसंख्या का एक प्रतिशत है, 16 प्रतिशत एड्स के मामले पाए गए ;

(ख) क्या सरकार ने इन राज्यों में एड्स के बढ़ते हुए मामलों के कारण का कोई समीक्षात्मक अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और अन्य राज्यों की तुलना में इन राज्यों में एड्स के मामलों में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई है ; और

(घ) इस बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में सूचित किए गए एड्स के कुल रोगियों में से 4 प्रतिशत रोगी पूर्वोत्तर राज्यों में से हैं। इंजेक्शन से लिए जाने वाले औषध की अधिक मात्रा में उपलब्धता तथा एक ही सुई का कई व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जाना, इन राज्यों में एड्स रोगियों की संख्या बढ़ने के मुख्य कारण हैं।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान एड्स रोगियों की संख्या में वार्षिक वृद्धि पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 4.5 गुणा रही जबकि महाराष्ट्र में यह 2.8 गुणा तथा तमिलनाडु में 2.3 गुणा रही जोकि अधिकेन्द्र राज्य समझे जाते हैं।

(घ) इस समय देशभर में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 1992-97 की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम को 84 मिलियन अमेरीकी डालर (222.6 करोड़ रुपये) के विश्व बैंक की उदार शर्तों के ऋण पर धन उपलब्ध कराया जा रहा है। एड्स से निपटने के लिए जो कार्यनीति अपनाई गई है उसमें कार्यक्रम प्रबंध को सुदृढ़ बनाना, इस रोग के अधिक खतरे वाले समूहों तथा

आम जनता में इस रोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण, यौन संचारित रोगों, एच.आई.वी. की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए निरोध के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, रक्त निरापदता तथा रक्त का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, एच.आई.वी./एड्स रोगियों की निगरानी, निदान तथा उपचार की बेहतर सुविधाएं शामिल हैं।

कैजुअल्टी वार्ड्स

2720. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालू शंकरन समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई और सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के कैजुअल्टी वार्डों की बुरी हालत पर चिन्ता प्रकट की है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की गईं ;

i) 250 या इससे अधिक पलंगों वाले सभी अस्पतालों में एक वरिष्ठ परामर्शदाता की देखरेख में एक स्वतंत्र आपाती तथा आकस्मिक विभाग होना चाहिए।

ii) उन सभी अस्पतालों में, जहां एक ही विशिष्टता में उपचार किया जाता है, उस विशिष्टता का एक आपाती विभाग होना चाहिए।

iii) कैज्युल्टी में जांच किए गए सभी रोगियों के पास पूरा रिकार्ड होना चाहिए जिसमें ट्राइऐज वर्गीकरण तथा ग्लासगो कोमा स्केल शामिल हैं।

iv) 100 पलंगों वाले प्रत्येक अस्पताल के संवेदनहरण विभाग के अन्तर्गत उपयुक्त रूप से सुसज्जित एक आई.सी.यू. होना चाहिए।

v) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित सूची के अनुसार सभी अस्पताल उपयुक्त रूप से सुसज्जित होने चाहिएं।

vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत 100 पलंगों वाले सभी अस्पतालों को पूरी तरह से कार्यात्मक बनाया जाए और सभी अस्पतालों में दो क्रियाशील एम्बुलैंस होनी चाहिए।

vii) चूंकि अस्पताल के सभी कर्मचारियों को, विशेषकर हृदयफुप्फुस पुनरूज्जीवन में, प्रशिक्षण एक मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए इन्टरनेशनल रेडक्रास तथा सैंट जॉन एम्बुलैंस की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) रिपोर्ट में बताया गया है कि आपाती परिचर्या के स्तर में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भिन्नता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करें।

[हिन्दी]

गैस युक्त खानें

2721. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कितनी खानें गैस युक्त हैं ;

(ख) इन खानों में कितने मजदूर काम करते हैं ;

(ग) क्या उन सभी मजदूरों को आत्म-बचाव उपकरण दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इन उपकरणों का मूल्य क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) देश में सभी भू-गत कोयला खानों को गैसयुक्त माना जाता है तथा कोयला खान विनियमन, 1957 के विनियमन 2 (12 ए), (12 बी) और 12 (सी) के अनुसार गैसीकरण की डिग्री को वर्गीकृत किया जाता है। भारत कोकिंग कोल लि. के संबंध में ऐसी खानों के ब्यौरे, उनमें कार्यरत कामगारों की संख्या सहित स्व-बचाव के उपकरणों को नीचे दिया गया है :

खान का प्रकार	खानों की संख्या	कार्यरत भू-गत कामगारों की संख्या	प्रतिदिन उपस्थिति का औसत	प्रथम एवं द्वितीय पाली की औसत उपस्थिति	उपलब्ध कराए गए स्व-बचाव उपकरणों की संख्या	प्रथम तथा द्वितीय पाली के आधार पर अधीन लिए गए
1	2	3	4	5	6	7
डिग्री III	8	9,787	6,477	4,720	6,996	148 प्रतिशत
डिग्री II	17	17,503	11,990	8,748	11,082	127 प्रतिशत
डिग्री I	55	48,829	33,799	24,698	5,761	23 प्रतिशत

फरवरी, 1991 में कोयला कम्पनी द्वारा खरीद के लिए प्रस्तुत किए गए अंतिम आदेश के आधार पर स्व-बचाव उपकरणों की कीमत 966.00 रु. थी।

[अनुवाद]

आठवीं योजना संबंधी परिव्यय

2722. क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रलाय के संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल आबंटित धनराशि कुल योजना परिव्यय के 2 प्रतिशत से घटकर 0.87 प्रतिशत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

धनराशि का जारी किया जाना

2723. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को परिवार कल्याण योजना के अन्तर्गत नियत पूरी धनराशि जारी कर दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और इस संबंध में कितनी धनराशि राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार अभी जारी करनी बाकी है ; और

(ग) बकाया राशि कब तक जारी कर दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित सम्पूर्ण धनराशि कार्यक्रम की आवश्यकताओं तथा राज्यों के कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए राज्यों को रिलीज की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में स्कूली बच्चों का अपहरण

2724. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

डा. मुमताज अंसारी :

श्री अन्ना जोशी :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री साईमन मरान्डी :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में स्कूली बच्चों के अपहरण और मारे जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1993 और 1994 में अलग-अलग अब तक माह-वार कितने बच्चों का अपहरण किया गया, मार दिए गए और छुड़ाए गए ;

(ग) कितने मामले सुलझाए गए और कितने मामले लम्बित हैं ;

(घ) इन मामलों के संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किए गए ;

(ङ) क्या सरकार को इन मामलों में से कुछ में फिरौती दिए जाने की कोई सूचना मिली है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) ऐसे मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, नहीं श्रीमान्।

(ख) सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ)

वर्ष	मामलों की संख्या					गिरफ्तार
	सूचित किए गए	हल किए गए	निरस्त किए गए	जिनमें पता नहीं लग पाया	जांच के लिए लम्बित	किए गए व्यक्ति व्यक्ति
1993	23	11	7	3	2	22
1994 (31.7.94 तक)	21	6	3	–	15 *	19

* (हल किए गए 3 मामलों सहित)

(ङ) और (च) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि उनकी जानकारी में केवल ऐसा एक मामला आया है कि जिसमें कि अपहृत बच्चे के परिवार जनों ने फिरौती के रूप में 21 लाख रुपये अदा किए हैं। इसमें से 20,60,000/– रुपये अपराधियों से बरामद कर लिए गए हैं।

(छ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं : –

(i) स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा जानकारियां तैयार की गई हैं, अखबारों में विस्तृत रूप से प्रकाशित कराई गई हैं और सभी स्कूलों में परिचालित की गई हैं।

(ii) स्कूलों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों से अनुरोध किया गया है कि वे बच्चों की सुरक्षा के लिए सावधानियां बरतें। पुलिस उपायुक्तों द्वारा स्कूलों के प्रधानाचार्यों को व्यक्तिगत पत्र लिखे गए हैं।

(iii) स्कूल जाने वाले बच्चों के मामले में कुछ सुरक्षा उपाय करने का अनुरोध अभिभावकों से भी किया गया है।

(iv) स्कूल लगे होने के समय बच्चों एवं अन्य स्टाफ को ब्रीफ करने के लिए थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी स्कूलों का दौरा कर रहे हैं।

(v) पी.सी.आर. की गाडियां, मोटर साइकिल पर गश्त करने वाले, डिवीजन अधिकारी और बीट कांस्टेबल स्कूलों का ध्यान विशेषतः उनके खुलने और बन्द होने के समय रख रहे हैं।

(vi) सुरक्षा-उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं।

(vii) पी.सी.आर. की गाड़ियों, गश्त पर तैनात स्थानीय पुलिस दलों, स्थाई पुलिस पिकेटों और सीमा जांच चौकियों को सतर्क कर दिया गया है कि वाहनों के आवागमन की जांच करते समय वे संदेहास्पद व्यक्तियों पर भी निगाह रखें।

विवरण

वर्ष	बच्चों की संख्या		
	अपहृत	मार दिए गए	छुड़ा लिए गए
1	2	3	4
1993			
जनवरी, 1993	1	-	1
फरवरी, 1993	1	1	-
मार्च, 1993	3	1	-
अप्रैल, 1993	1	-	-
मई, 1993	-	-	-
जून, 1993	-	-	-
जुलाई, 1993	1	-	-
अगस्त, 1993	6	-	5
सितम्बर, 1993	5	-	3
अक्तूबर, 1993	-	-	-
नवम्बर, 1994	4	-	1

1	2	3	4
दिसम्बर, 1993	2	1	1
योग :	24	3	11
1994			
जनवरी, 1994	2	–	2
फरवरी, 1994	1	–	–
मार्च, 1994	3	–	–
अप्रैल, 1994	5	–	2
मई, 1994	2	–	–
जून, 1994	–	–	–
जुलाई, 1994	8	1	2
योग :	21	1	6

[हिन्दी]

मल्टी चैनल प्रणाली

2725. श्री महेश कनोडिया :

श्री पंकज चौधरी :

श्री वृजभूषण शरण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मल्टी चैनल प्रणाली की सफलता के लिए दूरदर्शन के सभी चैनलों को विशिष्ट स्वरूप देने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। ब्यौरे, जो कि तैयार किए जा रहे हैं, शीघ्र घोषित कर दिए जायेंगे।

विदेशी महिला पर्यटकों द्वारा शिकायतें

2726. श्री राम टहल चौधरी :

श्री छेदी पासवान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी महिला पर्यटकों द्वारा निजी होटल मालिकों द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक कितनी शिकायतें दिल्ली पुलिस के पास दर्ज कराई गई हैं ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि 1.1.1992 से 5.8.1994 तक की अवधि के दौरान विदेशी महिला पर्यटकों से ऐसी केवल तीन शिकायतें दिल्ली पुलिस को प्राप्त हुई हैं।

(ख) विदेशी महिला पर्यटकों से प्राप्त इस प्रकार की दो शिकायतों पर होटल प्रबंधन/स्टाफ के खिलाफ आपराधिक मामले पहले ही दर्ज कर लिए गए हैं। जहां तक तीसरे मामले का संबंध है, इस बारे में दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि शिकायत करने वाली महिला द्वारा दिया गया विवरण सही नहीं है। दिल्ली में दिल्ली पैलेस होटल के नाम और स्टाइल का कोई होटल नहीं चल रहा है, जैसा कि महिला ने शिकायत की है। अतः इस बारे में कोई मामला दर्ज नहीं किय जा सका। पुलिस में दर्ज अन्य दो मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।

[अनुवाद]

"टाडा" के संबंध में निर्णय

2727. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विगत जुलाई में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का अध्ययन किया है जिसमें आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के कार्यक्षेत्र तथा सीमा को कम कर दिया गया है और निर्णय दिया है कि जब तक किसी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया अपराध पूर्णतः "आतंकवादी कृत्य" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, उस पर इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग नहीं लगाया जाना चाहिये और नियमित न्यायालयों में सामान्य दंड कानूनों के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले को सही ढंग से निपटाने के लिए सरकार का क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) यह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाने वाली सम्भावित कार्रवाई के लिए 1993 की आपराधिक अपील सं. 732 - 735 (हितेन्द्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य) में उच्चतम न्यायालय के ता. 12.7.94 के फैसले का अध्ययन, कर रहा है। निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में नशा मुक्ति केन्द्र

2728. श्री नवल किशोर राय : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय नशा मुक्ति केंद्र किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं ;

(ख) 1994-95 के दौरान खोले जाने वाले नशा मुक्ति केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए श्रेणीवार वेतन निर्धारित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) दिल्ली में इस समय सात परामर्श 7 निर्व्यसन तथा उत्तरवर्ती देखभाल केंद्र हैं। निर्व्यसन केंद्रों की अवस्थिति इस प्रकार है। (1) माहेन नगर, पंखा रोड़ (2) चमेलियन रोड़ (3) सराय रोहिल्ला (4) शहीद भगत सिंह मार्ग (5) तिहाड़ जेल (6) दि.वि. प्रा. झोपड़पट्टी कालकाजी (7) नेहरू नगर।

(ख) दिल्ली में इस समय 1994-95 के दौरान और निर्व्यसन केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तथा (घ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	मासिक दिहाड़ी (रुपये में)
1	2	3
1.	चिकित्सा व परियोजना प्रभारी	4,500
2.	मनोचिकित्सक (अंश कालिक)	2,000

1	2	3
3.	(क) चिकित्सा अधिकारी	3,500
	(प्रतिदिन छः घन्टे ड्यूटी)	
	(ख) चिकित्सा अधिकारी	2,500
	(प्रतिदिन 4 घंटे)	
4.	परामर्श देने वाला	2,500
5.	परामर्श देने वाला (अंश कालिक)	1,500
6.	सामाजिक कार्यकर्त्ता	2,250
7.	योग चिकित्सक तथा शारीरिक शिक्षक	2,250
8.	उत्तरवर्ती देखभाल कार्यकर्त्ता	2,250
9.	परिचारिका	1,600
10.	फार्मासिस्ट	1,800
11.	लेखापाल	1,500
12.	टंकण व लिपिक	1,200
13.	वार्ड बाय	1,200
14.	सफाई कर्मचारी	1,000
15.	चौकीदार	1,000

दिल्ली का विभाजन

2729. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री चेतन पी.एस. चौहान :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली को प्रशासनिक जिलों में विभाजित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली को 9 जिलों में विभाजित करने का एक प्रस्ताव इस सरकार को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का यह मत है कि और अधिक राजस्व जिले होने चाहिए ताकि राजस्व और पुलिस जिलों का विस्तार क्षेत्र एक जैसा हो। इससे प्रशासन में समन्वय-कार्य में मदद मिलेगी।

(ग) इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) इस मामले में निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

विदेशी केबल टी.वी. फिल्म कम्पनियों के साथ समझौते

2730. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने कुछ विदेशी केबल टी.वी. फिल्म कम्पनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन समझौतों से दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कहां तक सुधार होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2731. श्री दत्ता मेघे : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद के कारण महाराष्ट्र की कुछ सिंचाई परियोजनाएं लंबित नहीं हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन विवादों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) अन्तर्राज्यीय जल विवाद के कारण केन्द्र सरकार के पास महाराष्ट्र की कोई सिंचाई परियोजना लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पंजाबी में समाचार बुलेटिन

2732. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्रालय यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स- कार ने हाल ही में राजधानी में पंजाबी में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे समाचार बुलेटिनों की अवधि कितनी है और क्या इन बुलेटिनों का प्रसारण दोनों चैनलों पर किया जाएगा ; और

(ग) यह प्रसारण कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दवाईयों पर प्रतिबंध

2733. डा. परशुराम गंगवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ दवाइयों पर से प्रतिबंध हटा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कौन-कौन सी दवाइयां हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चकमा शरणार्थियों को नागरिकता

2734. डा. सुधीर राय :

श्री राम कापसे :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरूणाचल प्रदेश में रह रहे चकमा शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार देने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का इन कठिनाइयों से किस तरह से निपटने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) से (ग) चकमा और हाजांग शरणार्थियों को, जो 25.3.1971 से पहले भारत में आ गए थे और अरूणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, नागरिकता प्रदान करने के मामले पर विचार किया जा रहा है। नागरिकता प्रदान करने का निर्धारण भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नागरिकता नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाता है, जिसके अन्तर्गत संबंधित जिला कलेक्टर को, भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन को, रिपोर्ट के साथ, केन्द्र सरकार को भेजना होता है। अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार स्थानीय परिस्थितियों के कारण, भारी संख्या में शरणार्थियों को रखने में अपनी असमर्थता प्रकट करती रही है इस मामले को हल करने के लिए यह उपयुक्त समझा गया है कि राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श/चर्चा करके कोई तौर-तरीके ढूंढे जायें।

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

2735. श्री अरविन्द त्रिवेदी :

श्री छीतूभाई गामीत :

श्री एन.जे. राठवा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1993 को देश में कार्य कर रहे दूरदर्शन केन्द्रों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नये दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या मापदण्ड अपनाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए कम/उच्च शक्ति वाले टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने और देश में इस समय विद्यमान आकाशवाणी/दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार करने का है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों में नए केन्द्रों और आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों के लिए स्थान का चुनाव कर लिया है, जिनका विस्तार किया जायेगा ; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जैसा कि संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) नये ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए मोटे तौर पर मानदण्डों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं - परिणामी कवरेज की सीमा तक कवर न किए गए क्षेत्रों को कवर करना, पहाड़ी, पिछड़े, जनजातीय, दूरदराज़, संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के कवरेज संबंधी प्रावधान करना और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (स्टूडियो) स्थापित करने के लिए मानदण्ड ये हैं : - राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में स्थल, सांस्कृतिक महत्व के स्थान और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनिंदा केन्द्रों में स्थल।

(ग) जी हां।

(घ) देश में टी.वी. परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु निधियां राज्यवार आबंटित नहीं की जाती। आठवीं योजना के दौरान ट्रांसमिशन सुविधाओं के लिए 718.98 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है, जिसमें नेटवर्क के विस्तार और विद्यमान सुविधाओं के उन्नयन संबंधी स्कीमें शामिल हैं (जैसाकि विवरण-II में दिया गया है)। आठवीं योजना अवधि के दौरान आकाशवाणी के विद्यमान नेटवर्क के विस्तार हेतु राज्यवार आबंटन का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) आकाशवाणी/दूरदर्शन के नेटवर्क के विस्तार संबंधी आकाशवाणी/दूरदर्शन की अधिकांश स्कीमों के लिए स्थलों के चयन संबंधी कार्य पूरा हो गया है जबकि शेष मामलों में स्थलों के चयन/अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

विवरण - एक

31 दिसंबर, 93 के अनुसार देश में दूरदर्शन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा ।

राज्य/संघ शासित प्रदेश	निर्माण केन्द्र	कुल ट्रांसमीटर
1	2	3
असम	3	14
आंध्र प्रदेश	1	36
अरूणाचल प्रदेश	0	19
बिहार	2	32
गोवा	1	1
गुजरात	2	32
हरियाणा	0	5
हिमाचल प्रदेश	0	14
जम्मू और कश्मीर	2	21
केरल	1	15
कर्नाटक	1	29
मध्य प्रदेश	1	54
मेघालय	2	5
महाराष्ट्र	2	44
मणिपुर	1	5
मिजोरम	0	3
नागालैण्ड	1	7
उड़ीसा	2	29
पंजाब	1	8
राजस्थान	1	41

1	2	3
सिक्किम	0	4
तमिलनाडु	1	28
त्रिपुरा	1	2
उत्तर प्रदेश	2	65
पश्चिम बंगाल	1	19
दिल्ली	1	1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	8
दमन और द्वीव	0	2
पांडिचेरी	1	4
लक्षद्वीप द्वीप समूह	0	9
चंडीगढ़	0	1
दादरा और नगर हवेली	0	1
कुल	31	558

विवरण - दो

8 वीं योजनावधि के दौरान विद्यमान दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार हेतु कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित टी वी ट्रांसमीटरों के स्थान।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ.श.ट्रां.	अ.श.ट्रां.	अ.अ.श.ट्रां.	ट्रांसपोजर
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	कुरनौल	अलागदा	पडेरू	
	नन्दयाल	भीमवरम	सरीसालम	
	राजामुन्दरी	कावली	पारवतिपुरम	
	वारांगल	कदरी	इछापुरम	
	ओंगोले	कुप्पम	सीतमपत	

1	2	3	4	5
		मादनेपाली	दरसी	
		मेदक		
		नगरकुरनूल		
		निर्मल		
		बेलामपाली		
		मार्कपुर		
		कामारेड्डी		
		येमीगनूर		
		तम्बलपल्ली		
		लिरिपल्ली		
		विज़ाग		
		मधीरा		
		पसरा		
		वानापर्थी		
		कादंगल्ली		
		कोसगी		
		पेरान्दीपाडू		
		रायाचोटी		
		चिन्तापल्ली		
		राजमपेट		
		बंसवाड़ा		
		येमीगनूर		
		टेक्कली		
		सिरपुर कागज़नगर		

1	2	3	4	5
		मचेरला		
		भैंसा		
		नारासरावपेट		
		अचंमपेट .		
		देवारकोंडा		
		तुनी		
		बोविल		
		पेड्डापल्ली		
		जदचेर्ला		
		अन्नावरम		
		जाहिराबाद		
अरूणाचल प्रदेश	मलाओ	पिपु डिपु	संखीवयू	
	इटानगर	योमचा	(इटानगर)	
	(डी डी-2	तली		
	के लिए)	मिनोंग		
		कलकतंग		
		लांगडिंग		
		खियोंग		
		मनमाओ		
		नामपोंग		
		हवाई		
		क्रोनली		
		हनली/देशाली		
		गेकू		

1	2	3	4	5
		वोलेन		
		मरियंग		
		येचुक		
		केइंग		
		दानम		
			लिरोमोबी	
			तिरविन	
			गोइसी	
			तालिहा	
			वरिरिजा	
			पालिम	
			समाली	
			चेइंगतजो	
			सिजोसा	
			स्वपा	
			मुक्ता	
असम	तेजपुर	वंगालगन	डिगबोई	गुवाहाटी
	जोरहट	हाफलांग		
	वंगल गांव	उत्तरी लखीमपुर		
	कोकराझार	सोनारी		
		लम्डिंग		
		हाजल		
		तिनसुखिया		
		वोकाखट		

1	2	3	4	5
		मघरिटा		
		हटसिंघोल		
बिहार	जमशेदपुर	औरंगाबाद	सिमदेगा	
	बेताह	गोढ्ढा	गोरवा	
	डियोगढ़	गुमला		
		हजारीबाग		
		लोहारदेग		
		नवादा		
		रैक्सौल		
		सुपौल		
		नौमुन्दी		
		कोदर्मा		
		फूलपरिक		
		सरायकेला		
		शेखपुरा		
		लखीसराल		
		रामनगर		
		छपरा		
		दाउदनगर		
		सिमरी बखतियार पुर		
		मुसाबन्नी		
		बहरहारवा		
गोवा	पानाजी			
	(डी.डी.-2 के लिए)			

1	2	3	4	5
गुजरात	भुज	धरंगाधरा	नेतरंग	
	पलिताना	इदर	देवगध-बरिया	
	सूरत	महुआ	सगवारा	
	वदोदरा	मंगरोल		
	राधनपुर	मौरवी		
	जूनागढ़	नखतरना		
		रापड़		
		दीसा		
		पालितना		
		राजूला		
		संजेली/संतरामपुर		
		खमभालिया		
		अमोद		
		मंगरोल		
		बंत्वा		
		झगदिया		
		लूनावाड़ा		
		जमजोधपुर		
		राधनपुर		
		दोहाद		
		राजपिपला		
		वाजरा		
		धर्मपुरा		
		उमरगांव		

1	2	3	4	5
		मोदसा		
		लिमबानी		
		धुनधोक		
		धरी		
		ऊना		
हरियाणा	हिसार	रोहतक		
		महेन्द्रगढ़		
		चरखी दादरी		
		फिरोजपुर		
		मण्डी डबवाली		
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला	सुजानपुर	आझू कोर्ट	
	शिमला	सुन्दर नगर	दलाश	
		रामपुर	खारा पत्थर	
		डलहौजी	पालमपुर	
			शिववदर	
			भारथी	
			जोगिन्द्रनगर	
			छत्तरपुर	
			जालामा/नालदा	
			बैजनाथ/माझेरन	
			भरमौर	
			सरकाघाट	
			दै	
			दसलनी/दसनी	

1	2	3	4	5
			होली	
			परवानू	
			बंदला	
			बीर	
			श्यामलाजी	
			काण्डाघाट	
			निगहर	
			रोहरू	
			आवाह देवी	
			तिस्सा	
			चौसी खास	
			पिरभयानु	
			जातनग्री	
			काजा	
			उदयपुर	
			केटखाल	
			चौपाल	
			कारसोग	
			बंजर	
			चूनाघाट	
जम्मू और	लेह	रियासी	पूंछ	नगरोटा
कश्मीर	नौशेरा	थानामण्डी	थानामंडी	
	कठुआ	कथुआ	टिथवाल	
		राजौरी	उरी	

1	2	3	4	5
		ऊधमपुर	बड्बल	
		पूंछ	कालाकोट	
		जम्मू	बारामूला	
		(डी.डी.2 के लिए)	साम्बा	
		श्रीनगर	संजी छाट	
		(डी.डी. II)	कुन्द	
			बटोट	
			ग्या	
			रंगडम गोम्पा	
			मुल्बेका/शांगोल	
			बफलेयर	
			खाटसी	
			गुरेज़	
कर्नाटक	गुलबर्गा	गंगावती	सकलेशपुर	
	मंगलौर	गोकाक	सुलिया	
	मैसूर	जामखंडी	बादामी	
	रायचूर	मुदिगेरा	मधुगिरि	
	हासन	पावागडा		
		रामादुर्ग		
		कुम्टा		
		भटकल		
		हरपनाहल्ली		
		बासव कल्याण		
		सागर		

1	2	3	4	5
		हनगोंड		
		अरसिकेरा		
		हट्टीहाल		
		बंगलौर		
		(मैट्रो चैनल के लिए)		
		डांडेली		
		तुमकुर		
		पुत्तूर		
		मुधोल		
		तालिकोटा		
		इन्दी		
		हूविन हिप्पारगी		
		हिरीयुर		
		होसदुर्ग		
		कोडिगि		
केरल	कालीकट	काननगढ़	मुन्नार	
	कन्नानोर	थोडुपुझा	कँझिरापल्ली	
	चेंगन्नूर		इरट्टुपेट्टा	
	तिरूवनंतपुरम		मुंडाकायम	
	(मैट्रो चैनल हेतु)		देविकुलम	
	पाला			
	पुनालुर			
	अडूर			
मध्य प्रदेश	अंबिकापुर	दतिया	परासिया	

1	2	3	4	5
	गुना	गाडरवारा	सिंगरौली	
	शहडोल	कुकड़ेश्वर	कोंडागांव	
	सागर	सिरोंज	बुधनी	
		अशोकनगर	जशपुरनगर	
		खुरई	पाखंजोर	
		मैहर	कोगालीड़ा	
		विजयपुर	पेंड्रा रोड	
		लाहर	हीरा खदान परियोजना (पन्ना)	
		भांडेर	मोडकपाल	
		कैलारस	विजयपुर	
		सक्ती		
		गरोट		
		राघवगढ़		
		भानपुरा		
		नारायणगढ़		
		सीतामऊ		
		पिपरिया		
		बड़ा मलहरा		
महाराष्ट्र	चंद्रपुर	अकलुज	अदयाल टेकड़ी	बदयपुर
	जलगांव	चिपलुन	जुन्नार	
	महिपतगढ़	हिंगनघाट	करजाट	
	बम्बई	कंकौली	खेड	
	(डी.डी. 3)	संगमनेर	राजापुर	
		उमरगा	चिकलधरा	

1	2	3	4	5
		शिरपुर	कलवान	
		मेहेकर	मालकपुर	
		मोर्शी	भोकर	
		वनी		
		देवरूख		
		चिखली		
		खामगाव/म्हासले		
		रिसोड		
		नारापुर		
		रावर		
		पंढरकवड़ा		
		करंजिया/खांडा		
		मानगांव		
		खोपराली		
		महाद		
		उमरखेड़		
		सतना		
		खानापुर		
		मंगलबेड़ा		
		आकलकोट		
		सिंरोचा/कोपेला		
		चंदौल		
		दरियापुर		
		नागपुर (डी.डी.–II हेतु)		

1	2	3	4	5
मणिपुर	चुराचांद्पुर	इम्फाल	मोरेह	
		(डी.डी.।।)	कॉम्पोंग्पी	
			जिरिबाम	
मेघालय		शिलांग	बाघमारा	शिलांग
		(डी.डी.।।)		
मिजोरम	लंगलेई	सैहा	चम्फाय	ऐजवल
		एजैवल		
नागालैंड	मोकोयुंग	कोहिमा	फॉक	बाराबस्ती
		(डी.डी.।।)	सताखा	
उड़ीसा	बालेश्वर	बोनाई	जी. उदयगिरी	
	सम्बलपुर	बौध	अऊल	
	बेहरामपुर	लुथरपुरा	थुआमुल-रामपुर	
		नयागढ़	मचकुण्ड	
		नुआपारा	चित्रकोण्डा	
		पालाहरी	सिमलीगुडा	
		रायरंगपुर	काशीपुर	
		रोधाखोल	लान्जीगढ़	
		सोनेपुर	जयपाटना	
		तलचर	बाराबरबिल	
		पारादीप	सिमलीपालगढ़	
		हिन्डोल	गोलामोण्डा	
		अथामल्लिक	कलीमेला	
		मोहना	जूनागढ़	
		कुचिण्डा		
		बानपुर	अम्बापानी	
		राजराणापुर	कालमपुर	
		बालीगुरहा		

1	2	3	4	5
		तसहारा		
		कांडडरापारा		
		पहुआ		
		करंजिमा		
		राजगंगापुर		
		अमरकोट		
		बिरामित्रपुर		
		खरियार		
		खांडापारा		
		दशरथपुर		
		कबीसुरवा नगर		
		नरसिंहपुर		
		दुर्गापुर		
		टाँगी		
		पटनागढ़		
		कोटपैड		
		माथिली		
		कोकसारा		
पंजाब	फाजिलका	अबोहर		
राजस्थान	अजमेर	बारन	अमेत	
	अनुपगढ़	बारी सादरी	चौमहला	
	बारमेर	भाद्रा	देवगढ़	
	बीकानेर	गंगापुर	फतेहपुर	
	जैसलमेर	हिन्दौन	गंगापुर	

1	2	3	4	5
	जोधपुर	रतनगढ़	कुंभलगढ़	
	नाथद्वार	रावतसार	लक्ष्मणगढ़	
		श्री डुंगरगढ़	भीम	
		सुजागढ़	राजगढ़	
		मकराना	लालसोत	
		करौली	कटरा	
		फलोदी	जावर माइन्स	
		राजगढ़ (चुरू)	नीमका थाना	
		माऊंट आबू	मण्डलगढ़	
		प्रतागढ़	साहपुर	
		नोहर		
		नोखा		
		शाहपुरा		
		निमज		
		जयपुर (डी.डी.।। हेतु)		
		नलवगढ़		
		सेगवाड़ा		
		कुशलगढ़		
		नसीराबाद		
		बिनमाल		
		सुजाता		
		बाली		
		सांचेर		
		धारियावाड़		

1	2	3	4	5
सिक्किम	गंगतोक	गंगतोक	सिंगतम	
		(डीडी-।। हेतु)	रांगपो	
			जोरेथांग	
तमिलनाडु	धर्मापुरी	अरानी	मेट्टुपलयम	
	कुम्बाकोणम	अरकोट	वालपराई	
	रामेश्वरम्	गुडियातम	वल्लियुर	
	तिरूनेलवेल्ली	पट्टुकोट्टई	वझापदी	
	मद्रास (डीडी-।। हेतु)	राजापलयम		
		शंकरन कोविल		
		अत्तूर		
		उदममंडलम		
		पुडुकोट्टई		
		कृष्णागिरि		
		उदुमलपेट		
		नेत्तम		
		गिंगी		
		पलानी		
		मार्थडम		
		कल्लाकुरिची		
		अंबासमुद्रम		
		देनकानिकोट्टा		
		वंदावसी		
		चेय्यर		
त्रिपुरा		कैलाशहर	धर्मनगर	
		तेलियामुरी		

1	2	3	4	5
		जोलाईबारी		
		अमरपुर		
		अम्बास्सा		
		अगरतला (डीडी-।। हेतु)		
		कंचनपुर		
उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	
	बांदा	औरैया	चमौली	
	लखीमपुर	चांपावत	चौकुटिया	
	मऊ	गंज डुंडवारा	डीडीहाट	
	सीतापुर	हल्द्वानी	जोशीमठ	
	जालौन	कोटद्वार	देवप्रयाग.	
	चांपावत	महोबा	लैंसडाउन	
		मऊ रानीपुर	प्रतापनगर	
		मोहम्दाबाद	बिन्सर	
		नौगढ़	बसोट/भिखियासेन	
		न्यू टेहरी	कल्बीखाल	
		सिंकन्दरपुर	गब्बा	
		रूदौली	फतेल पर्वत	
		कासगंज	खेत पर्वत	
		कर्णप्रयाग	राजगढ़ी	
		नानपारा	सिराकोटा/वैकण्ठसम	
		एटा बाराकोट	सहिया	
			लोहाघाट	
		खेतीखान	मनीला	

1	2	3	4	5
		लालगंज	(रायबरेली)	
		धुनाघाट	रूद्रप्रयाग	
		नरोरा	नंदप्रयाग	
			घांड्याल	
		राठ	मानिकपुर	
		तेलवाहट	नौगांवखेल	
			रूधौली/घौसी	
पश्चिम बंगाल	बलुरघाट	फरक्का	बाघमण्डी	
	खड्गपुर	रानाघाट		
	कृष्णानगर	रायना/कमरहाटी		
	कलकत्ता (डीडी-।।।)	काल्ना		
		गरपेट्टा		
		बलरामपुर		
		कूच बिहार		
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर (मैट्रो डीडी-।। हेतु)		ग्रेटनिकोबार	
			हेवलाक	
			कटाचल	
			बारातंग	
दादरा और नगर हवेली		सिलवासा		
दमन और दीव		दीव		
पांडिचेरी	पांडिचेरी	कराईकल (डीडी-।। हेतु)		

विवरण - तीन

आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयनाधीन नए रेडिया केन्द्रों की ट्रांसमीटर शक्ति का उन्नयन/आकाशवाणी स्टूडियो को आबंटित योजना सहित राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्थान	राज्य	स्कीम	पूंजीगत लागत
1	2	3	4	5
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	10 कि.वा.शा.वे. का 50 कि.वा.शा. वे में उन्नयन।	348.35
2.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	टाइप-4 (आर.) स्टूडियो	620.60
3.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	50 कि.वा. मी. वे. का 2x100 कि.वा.मी.वे. में उन्नयन।	550.59
4.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	वाणिज्यिक चैनल 2x5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटरों के साथ अतिरिक्त स्टूडियो सुविधाओं का विस्तार	358.55
				1878.09
5.	जीरो	अरूणाचल प्रदेश	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर।	264.75
6.	पासीघाट	अरूणाचल प्रदेश	150 वाट की ट्रांसमीटर को 10 कि.वा.मी. वे. ट्रांसमीटर में बदलना।	157.25

1	2	3	4	5
7.	तेजू	अरूणाचल प्रदेश	350 वाट ट्रांसमीटर को 10 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर में बदलना।	154.90
8.	तंवाग	अरूणाचल प्रदेश	500 वाट ट्रांसमीटर को 10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में बदलना।	100.40
9.	तेजू	अरूणाचल प्रदेश	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो	135.45
10.	इटानगर	अरूणाचल प्रदेश	50 कि.वा.शा.वे.ट्रांसमीटर	416.40
				1229.15
11.	कोकराझार	असम	2x10 कि.वा.मी. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वाटर	386.44
12.	तेजपुर	असम	2 -तथैव-	343.14
13.	दीपू	असम	1 कि.वा. मी. वे. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	120.00
14.	धुबरी	असम	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर एवं स्टाफ क्वार्टर	286.40
15.	गुवाहाटी	असम	50 कि.वा.मी.वे. का 100 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	247.50
16.	गुवाहाटी	असम	राष्ट्रीय चैनल 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटरों का विस्तार	297.50

1	2	3	4	5
17.	गुवाहाटी	असम	वाणिज्यिक चैनल 2x5 किं.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर का विस्तार	314.30
18.	करीमगंज	असम	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	प्रक्रियाधीन
				1995.28
19.	भागलपुर	बिहार	10 कि.वा.मी.वे. का 2x10 कि.वा. मी.वे. में उन्नयन	206.52
20.	रांची	बिहार	2 कि.वा.शा.वे. का 50 कि.वा. शा.वे. में उन्नयन	549.38
21.	रांची	बिहार	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर को 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटरों के साथ बदलना	257.20
22.	धनबाद	बिहार	रिले केन्द्र, 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, स्टाफ क्वार्टर	287.21
23.	जमशेदपुर	बिहार	वाणिज्यिक चैनल 2x5 कि.वा. एफ.एम. एवं स्टूडियो का विस्तार	405.53
				1705.84
24.	पणजी	गोवा	टाइप-3 (आर) स्टूडियो	217.00
25.	पणजी	गोवा	5 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x10 कि.वा.मी.वे. में उन्नयन	101.42
				318.42
26.	अहमदाबाद	गुजरात	विज्ञापन प्रसारण सेवा के लिए 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर को 2x5 कि.वा.एफ.एम. में बदलना	298.68

1	2	3	4	5
27.	जूनागढ़	गुजरात	रिले ट्रांसमीटर (एन.सी.) 2x3 कि.वा.एफ.एम. एवं स्टाफ क्वार्टर	281.30
28.	बड़ोदरा	गुजरात	स्थानीय रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	प्रक्रियाधीन
				579.98
29.	हिसार	हरियाणा	रिले केन्द्र, 2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर एवं स्टाफ क्वार्टर	236.54
30.	रोहतक	हरियाणा	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	प्रक्रियाधीन
				236.54
31.	किन्नौर	हिमाचल प्रदेश	रिले केन्द्र, 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर एवं स्टाफ क्वार्टर	201.40
32.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	रिले केन्द्र, 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर एवं स्टाफ क्वार्टर	180.70
33.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	2x5 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर का 50 कि.वा.शा. वे. में उन्नयन	465.65
				947.75
34.	भदरवाह	जम्मू एवं कश्मीर	नया रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	321.05
35.	कारगिल	जम्मू एवं कश्मीर	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	406.16

1	2	3	4	5
36.	पुंछ	जम्मू एवं कश्मीर	स्थानीय रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	276.80
37.	श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	57.75
38.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	वाणिज्यिक चैनल 2x5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर का विस्तार एवं स्टूडियो	282.40
				1344.16
39.	बीजापुर	कर्नाटक	स्थानीय रेडिया केन्द्र, 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	294.00
40.	गुलबर्गा	कर्नाटक	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	206.54
41.	बंगलोर	कर्नाटक	2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर के लिए स्टीरियो	प्रक्रियाधीन
				500.54
42.	त्रिवेन्द्रम	केरल	नया ट्रांसमीटर 50 कि.वा.शा.वे.	481.10
43.	त्रिचूर	केरल	20 कि.वा.मी.वे. का 100 कि.वा. मी.वे.ट्रांसमीटर में उन्नयन	357.77
44.	कालीकट	केरल	10 कि.वा.मी.वे. का 100 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	256.30

1	2	3	4	5
45.	त्रिवेन्द्रम	केरल	टाइप–4 (आर) स्टूडियो	233.00
46.	त्रिवेन्द्रम	केरल	(वि.बी.) 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर को 2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर में बदलना	294.13
47.	एलेप्पी	केरल	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर को 2x100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	524.98
48.	कोचीन	केरल	वाणिज्यिक चैनल 2x5 कि.वा. एफ.एम. के साथ स्टूडियो सुविधाओं का विस्तार	325.70
				2472.98
49.	भोपाल	मध्य प्रदेश	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	47.17
50.	भोपाल	मध्य प्रदेश	10 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर का 50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	353.04
51.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	टाइप–। (आर) स्टूडियो	154.65
52.	जबलपुर	मध्यप्रदेश	2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	349.35
53.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	147.88

1	2	3	4	5
54.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	वाणिज्यिक चैनल 2x5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर का विस्तार और स्टूडियो	352.25
55.	सरायपल्ली	मध्यप्रदेश	1 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	265.65
56.	मण्डला	मध्य प्रदेश	1 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	265.65
				1935.64
57.	नाशिक	महाराष्ट्र	स्थानीय रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	276.23
58.	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र	स्थानीय रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	267.70
59.	बम्बई	महाराष्ट्र	10 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर का 50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	363.42
60.	परभणी	महाराष्ट्र	स्थायी टाइप-I (आर) स्टूडियो	180.50
61.	परभणी	महाराष्ट्र	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	166.20
62.	बम्बई	महाराष्ट्र	स्टीरियो ट्रांसमिशन 2x5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर	200.11
63.	बम्बई	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय चैनल, 2x5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर	244.50
				1698.66

1	2	3	4	5
64.	इम्फाल	मणिपुर	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर	409.35
65.	चुराचांद्पुर	मणिपुर	स्थानीय रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा.	300.82
			एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय	
			एवं स्टाफ क्वार्टर	710.17
66.	जोवई	मेघालय	स्थानीय रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा.	290.40
			एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय	
			स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	290.40
67.	लुंगलेई	मिजोरम	2x3 कि.वा.एफ.एम.	433.25
			ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय	
			स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	
68.	सैहा	मिजोरम	स्थानीय रेडियो केन्द्र के साथ	प्रक्रियाधीन
			1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर,	
			बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं	
			स्टाफ क्वार्टर	433.25
69.	मोकोकचुंग	नागालैंड	स्थानीय रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा.	298.20
			एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय	
			स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	
70.	कोहिमा	नागालैण्ड	2 कि.वा.शा.वे. का 50 कि.वा.	374.03
			शा.वे. ट्रांसमीटर,	672.23
71.	राउरकेला	उड़ीसा	स्थानीय रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा.	311.44
			एफ.एम.ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो	
			एवं स्टाफ क्वार्टर	
72.	सम्बलपुर	उड़ीसा	20 कि.वा.मी.वे. का 100 कि.वा.	345.00
			मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	

1	2	3	4	5
73.	जैपोर	उड़ीसा	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर	604.25
74.	पुरी	उड़ीसा	स्थानीय रेडिया केन्द्र के साथ 3 कि.वा. एफ.एम.ट्रांसमीटर	155.25
75.	झारण्डा (धेनकनाल)	उड़ीसा	स्थानीय रेडियो केन्द्र के साथ 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	158.40
76.	बारीपाड़ा	उड़ीसा	2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर को 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर के साथ बदलना	43.25
				1617.59
77.	जालंधर	पंजाब	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	401.65
				401.65
78.	माऊंटआबू	राजस्थान	नया रेडियो केन्द्र 2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	299.63
79.	जयपुर	राजस्थान	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर	469.30
80.	उदयपुर	राजस्थान	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	195.45
81.	जोधपुर	राजस्थान	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर को 2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर के साथ बदलना	259.16
82.	जयपुर	राजस्थान	टाईप-4 (आर) स्टूडियो	
83.	कोटा	राजस्थान	1 कि.वा. का 20 कि.वा. में उन्नयन	-
				1223.54

1	2	3	4	5
84.	गंगटोक	सिक्किम	20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर एवं टाईप-I (आर) स्टूडियो	453.56
85.	गंगटोक	सिक्किम	10 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर	190.30
				643.86
86.	कोडाईकनाल	तमिलनाडु	नया रेडियो केन्द्र, 2x5 कि.वा.एफ.एम. बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	410.40
87.	ऊटकमण्ड	तमिलनाडु	नया रेडियो केन्द्र, 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर, बहुद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	260.25
88.	मद्रास	तमिलनाडु	2x5 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	132.20
89.	मद्रास	तमिलनाडु	10 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर का 20 कि.वा. शा.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	249.20
90.	मदुराई	तमिलनाडु	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	194.88
91.	कोयम्बतूर	तमिलनाडू	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	152.29
92.	नागरकोईल	तमिलनाडु	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर को 2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर के साथ बदलना	309.45
93.	मद्रास	तमिलनाडु	राष्ट्रीय चैनल 2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर का विस्तार	246.55
94.	कोयंबतूर	तमिलनाडु	वाणिज्यिक चैनल 2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटरों का विस्तार	434.00
				2389.22

1	2	3	4	5
95.	लोंगथराई	त्रिपुरा	नया रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर स्टूडियो।	प्रक्रियाधीन
96.	चमोली	उत्तर प्रदेश	नया रेडियो केन्द्र, 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	174.69
97.	पौढ़ी/श्रीनगर	उत्तर प्रदेश	नया रेडियो केन्द्र, 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	370.75
98.	पिथौरागढ़	उत्तर प्रदेश	रिले केन्द्र 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर एवं स्टाफ क्वार्टर	170.50
99.	उत्तरकाशी	उत्तर प्रदेश	-तथैव-	165.76
100.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	रिले केन्द्र, 2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर एवं स्टाफ क्वार्टर	244.00
101.	मसूरी	उत्तर प्रदेश	रिले केन्द्र, 2x5 कि.वा.एफ.एम.	197.50
102.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	194.20
103.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	186.13
104.	आगरा	उत्तर प्रदेश	-तथैव-	178.12
105.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर को 2x5कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर के साथ बदलना	291.98
				2173.63
106.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	रिले केन्द्र, 2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर एवं स्टाफ क्वार्टर	233.74

1	2	3	4	5
107.	कुर्सियांग	पश्चिम बंगाल	20 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर का 50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	418.85
108.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x100 कि.वा.मी.वे. में उन्नयन	497.65
109.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	एन.सी. 2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर का विस्तार	247.70
110.	मालदा	पश्चिम बंगाल	एन.सी. 2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर का विस्तार एवं स्टाफ क्वार्टर	292.57
111.	सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यिक चैनल 2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर का विस्तार एवं स्टीरियो	352.25
112.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	स्टीरियो ट्रांसमीटर 2x5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	224.30
113.	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	रिले केन्द्र, 2x5 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर तैयार किये जाने के लिए एस.एफ.सी. प्रस्ताव	
114.	कुर्सियांग	पश्चिम बंगाल	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	57.00
115.	शांतिनिकेतन	पं. बंगाल	1 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर	265.65
				2591.71
116.	चंडीगढ़	संघ शासित प्रदेश	3 कि.वा.एफ.एन. ट्रांसमीटर	111.15
				111.15
117.	दमण और द्वीव संघ शासित प्रदेश		स्थानीय रेडियो केन्द्र, 3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	240.86
				240.86

1	2	3	4	5
118.	दिल्ली संघ शासित प्रदेश		10 कि.वा.शा.वे. का 50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	1047.85
			20 कि.वा.शा.वे. के 2 नवम्बर का 50 कि.वा. शा.वे. ट्रांसमीटर के 2 नम्बर में उन्नयन	
119.	दिल्ली संघ शासित	प्रदेश	10 कि.वा.मी.वे. से 2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	176.50
120.	दिल्ली संघ शासित प्रदेश		राष्ट्रीय चैनल कवरेज के विस्तार के लिए दिल्ली में 2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर की स्थापना	153.18
				1377.53
121.	कराईकल	पांडिचेरी	स्थानीय रेडियो केन्द्र, 2x3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	300.05
122.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का 2x10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर में उन्नयन	305.85
				605.90
123.	मिनीकाय	लक्षद्वीप तथा मिनीकाय संघ शासित प्रदेश	1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर बहुउद्देशीय स्टूडियो	प्रक्रियाधीन

[हिन्दी]

दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रम

2736. **श्री एन.जे.राठवा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के दूरदर्शन केन्द्रों, विशेषतः छोटा-उदयपुर में स्थित केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम संतोषप्रद नहीं होते ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इन कार्यक्रमों का स्तर ऊंचा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विश्व बैंक सहायता

2737. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा केरंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा देश में स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी राशि स्वीकृत की गई ; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सहायता में से प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से प्राप्त की गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है : -

वर्ष	**(करोड़ रुपये में)**
1992-93	13.04
1993-94	17.66

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगतन दारा राज्यों को विमुक्त किए गए केन्द्रीय अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	92-93 के दौरान विमुक्त किया गया अनुदान	93-94 के दौरान विमुक्त किया गया अनुदान
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7049000	2509400
2.	अरूणाचल प्रदेश	2063000	824400

1	2	3	4
3.	असम	3182500	1243200
4.	बिहार	4375000	1669400
5.	गोवा	2466000	786900
6.	गुजरात	5641000	6583200
7.	हरियाणा	2923000	3335700
8.	हिमाचल प्रदेश	7475000	2293200
9.	जम्मू और कश्मीर	0	3732000
10.	कर्नाटक	6449000	5308200
11.	केरल	3777500	1618900
12.	मध्य प्रदेश	5055000	6228800
13.	महाराष्ट्र	9067000	16668600
14.	मणिपुर	2353000	31722000
15.	मेघालय	0	2197500
16.	मिजोरम	1938000	3172500
17.	नागालैंड	2870500	3000300
18.	उड़ीसा	4677500	1981900
19.	पंजाब	3100000	1199400
20.	राजस्थान	4136500	4764300
21.	सिक्किम	1640500	486900
22.	तमिलनाडु	8491500	8325300
23.	त्रिपुरा	2146000	3272500
24.	उत्तर प्रदेश	7299000	2758800
25.	पश्चिम बंगाल	6054000	2285600
26.	पांडिचेरी	1915500	873700

1	2	3	4
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1708000	2222500
28.	चंडीगढ़	1425000	2270000
29.	दादरा और नगर हवेली	1100000	1795000
30.	दमण और दीव	500000	1795000
31.	दिल्ली	2743500	4870000
32.	लक्षद्वीप	700000	1847500
	योग	114321500	105092300

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

2739. श्री प्रेम चंद राम : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान अब तक बिहार की स्वीकृत की गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	वर्ष	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपए)	लाभ (हजार हेक्टेयर)
1	2	3	4	5
1.	1991-92	i) पंचखेरी जलाशय	954.90	3238
		ii) कंसजोरे जलाशय	2090.80	7639
		iii) भैरवा जलाशय	2018.85	4524
2.	1992-93	केशो जलाशय	1614.00	3845
3.	1993-94	शून्य		
4.	1994-95	शून्य		

जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार किये गये और मारे गये विदेशी भाड़े के सैनिक

2740. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में भाड़े के विदेशी सैनिकों, विशेष कर भाड़े के अफगानिस्तानी सैनिकों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के अन्तर्गत अब तक डोडा और कश्मीर घाटी में पृथक-पृथक रूप से भाड़े के ऐसे कितने सैनिक मारे गये और गिरफ्तार किये गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भाड़े के विदेशी सैनिकों सहित उग्रवादियों को खदेड़ने और आतंकवादी हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं तथा इन प्रयासों की कड़ी समीक्षा तथा मानीटरिंग की जा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30 जून, 1994 तक जम्मू व कश्मीर में 188 विदेशी राष्ट्रिकों/भाड़े के सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है।

दिल्ली ताप विद्युत केंद्रों द्वारा की गई मांग

2741. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94, और 1994-95 के दौरान दिल्ली के ताप विद्युत केंद्रों द्वारा की गई कोयले की मांग का माह-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितना कोयला आबंटित किया गया और वास्तव में उसकी कितनी आपूर्ति की गई ;

(ग) कम आपूर्ति के क्या कारण हैं ; और

(घ) वांछित मात्रा में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) देश के अन्दर तापीय विद्युत गृहों के लिए कोयले की मांग, वार्षिक आधार पर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कोयला मंत्रालय को भेजी जा रही है। कोल इण्डिया लिमिटेड (को.इं.लि.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा मूल्यांकित की गई कुल मांग और दिल्ली स्थित तीन तापीय विद्युत गृहों को 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल से जुलाई) की अवधि के दौरान की गई कोयले की आपूर्ति नीचे दर्शाई गई है :

(लाख टन में)

वर्ष	मांग	प्रेषण	आंकड़े अनन्तिम प्रतिशत संतोषप्रदता
1993-94	53.70	58.03	108
1994-95 (अप्रैल-जुलाई)	18.40	21.90	117

उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान दिल्ली स्थित तीन तापीय विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। आपूर्ति पर नियमित निगरानी रखी जाती है और जहां आवश्यक होता है, उचित कार्यवाही की जाती है।

कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन

2742. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) नई कोयला परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सहायक परियोजना-वार कितना निवेश किया गया ;

(घ) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कितनी विदेशी सहायता/विश्व बैंक ऋण प्राप्त हुआ ;

(ङ) विदेशी एजेन्सियों द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में विकास का ब्यौरा क्या है ;

(च) इसकी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ;

(छ) कोयले की खोज और खनन के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुकत उद्यमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ज) निजी पार्टियों द्वारा विद्युत उत्पादन/कैप्टिव प्रयोग के लिए कोयला खनन हेतु प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितने प्रस्तावों को अब तक मंजूरी दी गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) सरकार 1989-90 से कोल इंडिया लि. के साथ-साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती रही है। योजना आयोग द्वारा

निर्धारित वार्षिक योजना लक्ष्यों को समझौता ज्ञापन में समाहित किया जाता है। समझौता ज्ञापन के आधार पर सरकारी उद्यम विभाग द्वारा को.इं.लि. के निष्पादन का किया गया मूल्यांकन "बहुत अच्छा" से "उत्कृष्ट" निष्पादन कार्य में सुधार को दर्शाता है। को.इं.लि. की विगत दो वर्षों के दौरान निष्पादन की दर उत्कृष्ट रही है।

(ग) आठवीं योजनावधि के लिए विचारित नई परियोजनाओं के लिए निवेश के सहायक कंपनी-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : -

(करोड़ रुपये में)

कंपनी	1991-92 की कीमतों पर निवेश
1	2
ई.को.लि.	17.20
भा.को.को.लि.	0.74
से.को.लि.	61.99
ना.को.लि.	13.69
वे.को.लि.	103.77
सा.ई.को.लि.	99.06
म.को.लि.	16.00
ना.ई.को.	9.35

(घ) केवल आई.डी.ए. की सहायता से झरिया कोलफील्ड्स की खान की आग की तकनीकी जांच को छोड़कर विदेशी सहायता से आठवीं योजनावधि के दौरान कोई नई कोयला परियोजना आरंभ नहीं की गई है।

(ङ) और (च) विदेशी निवेश से निष्पादित करने के लिए आरंभ की गई प्रत्येक 100 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक की लागत की प्रमुख परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : -

(क) परियोजनाएं जो हाल ही में पूर्ण हुई हैं : -

परियोजना का नाम	सहयोगी देश अभिकरण	टिप्पणी
1	2	3
1. गेवरा ओ.का., साईकोलि	विश्व बैंक	
2. दुधीचुआ, ओ.का. ना.को.लि.	विश्व बैंक	
3. ब्लाक-।। ओ.का., भा.को.को.लि.	विश्त बैंक	
4. अमलोहरी ओ.का., ना.को.लि.	यू.के.	
(ख) **निर्माणाधीन परियोजनाएं :**		
1. राजमहल ओ.का., ई.को.लि.	कनाडा	समयानुसार
2. कोटाडीह भू.ग., ई.को.लि.	फ्रांस	समयानुसार
3. सोनपुर बाजारी, ओका, ईकोलि	विश्व बैंक	भूमि का वास्तविक कब्जा लेने में प्रारंभिक रूप में 6 माह का विलंब, अब संशोधित समयानुसार कार्य प्रगति पर है।
4. पिपरवार एकीकृत खान-तथा-परिष्करण परियोजना से.को.लि.	आस्ट्रेलिया	समयानुसार

इन परियोजनाओं के अतिरिक्त 3 और परियोजनाएं नामतः झांझरा भू.ग. (ई.कोलि.), खादिया तथा निगाही ओ.का. (ना.को.लि.) को तकनीकी सहयोग के लिए तथा तत्कालीन सोवियत संघ की वित्तीय सहायता से आरंभ किया गया था। किन्तु, इस देश में अस्थिरता के कारण सहयोग की व्यवस्था बरकरार नहीं रही है।

(छ) को.इं.लि. ने अन्वेषण तथा खनन के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश नहीं किया है।

(ज) 15 कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों ने विद्युत संयंत्रों में कोयले के प्रयोगार्थ ग्रहीत कोयला खानों के विकास के लिए पेशकश की है। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ग्रहीत ब्लाकों के विकास के लिए 9 कंपनियों ने इच्छा व्यक्त की है। विद्युत क्षेत्र में 11 कंपनियों/राज्य विद्युत बोर्डों तथा लौह एवं इस्पात क्षेत्र में 3 के लिए ग्रहीत खनन ब्लाकों का पता लगा लिया गया है।

इमामों को वेतन

2743. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इमामों को वेतन देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने अपने 13 मई, 1993 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ भारत संघ और केंद्रीय वक्फ परिषद् को देश के विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के इमामों को छः महीने के भीतर वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु एक योजना तैयार करने का निदेश दिया है।

(ग) चूंकि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मस्जिदों की संख्या धर्मावलम्बियों के आकार, इमामों की श्रेणियों की संख्या तथा परिलब्धियों के बारे में, यदि कोई हों, आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जाते रहे हैं, इसलिए यह योजना नहीं बनाई जा सकी। उच्चतम न्यायालय से इसके निर्देशों के अनुपालन की समय सीमा को दिसम्बर, 1994 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

कश्मीर में इस्लामी कट्टरपंथी

2744. श्री गुरूदास कामत : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में कश्मीरी उग्रवादियों की ओर से लड़ने के लिए बंगलादेश के बहुत से इस्लामी कट्टरपंथी वहां प्रवेश कर गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में बंगलादेश सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्टें नहीं हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई परियोजनाएं

2745. डा. कृपासिंधु भोई : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जापान की सहायता से कतिपय सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) जापान द्वारा कितनी सहायता राशि मंजूर की गई है ; और

(घ) अभी तक कितनी सहायता धनराशि वितरित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा में जापानी ऋण सहायता से अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना और अपर कोलाब सिंचाई परियोजना नामक दो सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ) वचनबद्ध और संवितरित की गयी सहायता संबंधी ब्यौरा इस प्रकार है :

परियोजना का नाम	वचनबद्ध सहायता की राशि	मई, 1994 तक संवितरण (राशि मिलियन येन में)
अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	3744.00	1158.80
अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	3769.00	1681.80

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण

2746. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के पंजीकरण के लिए क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) क्या सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी स्वयंसेवी संगठनों को पंजीकृत करने से इन्कार किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस संबंध में सूचना दी जाती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) "विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976" के अधीन पंजीकरण की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, अधिनियम में निहित भावना और आन्तरिक प्रयोग के लिए तय किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। आवेदक एसोसिएशनों को, लिए गए निर्णय से अवगत करा दिया जाता है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के हमले

2747. श्री बलराज पासी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आतंकवादियों ने अनन्तनाग पहलगांव सड़क पर अमरनाथ तीर्थस्थल के बेस कैम्प के नजदीक सुरक्षाकर्मियों पर राकेट से हमले किए थे ;

(ख) यदि हां, तो इन हमलों में कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या सरकार ने हताहत हुए व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि देने के बारे में कोई घोषणा की है ; और

(घ) यदि हां, तो अनुग्रह राशि के रूप में कितनी धनराशि दी जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

मलेरिया की रोकथाम

2748. श्री प्रवीन डेका : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में असम के कई जिलों से मलेरिया से होने वाली मौतों के कई मामलों की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस रोग से मुकाबला करने के लिए सहायता मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार को अब तक कितनी सहायता उपलब्ध की गयी है ; और

(ङ) सरकार ने रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) 1994 के दौरान असम राज्य से मलेरिया के कारण अब तक किसी मृत्यु की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) पिछले 2 वर्ष के दौरान राज्य को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार हैं : -

1992-93	161.83 लाख रुपये
1993-94	435.78 लाख रुपये

(ङ) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

- निगरानी
- रोगियों का पता लगाना और शुरू में ही उनका उपचार करना
- अवशिष्ट कीटनाशक छिड़काव
- लार्वारोधी उपायों की पुनरावृर्त्ति
- सामुदायिक सहभागिता और स्वास्थ्य शिक्षा
- शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श उप नियमों का कार्यान्वयन
- जैव पर्यावरणिक उपाय।

सिंचाई परियोजनाएं

2749. श्री थॉमस जॉन अंचलोस : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास केरल की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त प्रस्ताव कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सिंचाई परियोजनाएं

2750. श्री अनादि चरण दास : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की कुल सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) उड़ीसा में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ङ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ;

(च) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) उड़ीसा की नयी वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति संलग्न विवरण-। में दी गयी है।

(घ) से (छ) निर्माणाधीन वृहद, मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण-।। में दी गयी है।

विवरण - I

उड़ीसा की नयी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत (लाख रुपए)	लाभ (हेक्टे.)	प्राप्ति की तारीख	विद्यमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
I.	**वृहद परियोजनाएं**				
1.	ओंग बांध परियोजना	10200.00	34,500	17.6.82	जल विज्ञान, बाढ़ नियंत्रण, जल निकास, मिट्टी, बांध के डिजाइन, द्वारों, नहरों कंकरीट और चिनाई बांध, संयंत्र आयोजना एवं लागत अनुमान पहलुओं को स्वीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार को फसल जल आवश्यकता, फसल पद्धति, जलाशय वर्किंग टेबिल निर्माण सामग्री भूजल एवं जल प्रबंध पहलुओं पर टिप्पणियों की अनुपालना करनी है। राज्य सरकार को वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियां भी प्राप्त करनी हैं तथा परियोजना के लाभ लागत अनुपात और वित्तीय पहलुओं को अंतिम रूप देना है।

1	2	3	4	5	6
2.	लोअर इंदिरा सिंचाई परियोजना	19156.50	38,870	6.4.93	जल विज्ञान, मिट्टी बांध एवं द्वारों के डिजाइना नीव इंजिनियरी, बाढ़ नियंत्रण, नहर डिजाइन तथा वित्तीय पहलुओं को स्वीकृत कर दिया गया है, राज्य सरकार को सिंचाई आयोजना जल प्रबंध, निर्माण सामग्री, लागत अनुमान, कंकरीट एवं सिंचाई बांध डिजाइन, संयंत्र आयोजना फसल उपज पहलुओं पर टिप्पणियों की अनुपालना करनी है। राज्य सरकार को पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियां भी प्राप्त करनी हैं।
3.	कानपुर सिंचाई परियोजना	26865.15	47,710	29.6.89	परियोजना को सलाहकार समिति द्वारा मार्च, 1993 में स्वीकार्य पाया गया है। राज्य सरकार को कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना की स्वीकृति प्राप्त करनी है।
4.	सुर्वन रेखा सिंचाई	79032.00	187,460	15.5.78	परियोजना को अगस्त, 1993 में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार को पर्यावरणीय एवं वन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन

1	2	3	4	5	6
					योजनाओं पर स्वीकृतियां प्राप्त करनी हैं तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
मध्यम परियोजनाएं					
1.	तेलेन्गिरी सिंचाई परियोजना	5380.81	13,830	17.10.85	राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणी की अनुपालना करने के बाद संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है तथा वन दृष्टि तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	बाघ बराज	4471.70	12,360	18.3.91	परियोजना को जून, 1994 में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया था। राज्य सरकार को वन स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति भेजनी है।
3.	मंजौरे	3770.17	10,430	27.8.91	परियोजना को मार्च, 1993 में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया था। राज्य सरकार को वन दृष्टि से तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5	6
4.	रूकुरा	2521.68	7,650	18.5.93	परियोजना को अगस्त, 1993 में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया था। राज्य-सरकार को वन स्वीकृति तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।
5.	बाघलती सिंचाई	4544.00	6,050	18.4.94	परियोजना को जून, 1994 में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया था। राज्य सरकार को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना पर स्वीकृति प्राप्त करनी है।

विवरण - II

उड़ीसा की निर्माणाधीन वृहद, मध्यम तथा विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	आठवीं योजना परिव्यय	3/93 तक व्यय	1993-94 के दौरान प्रत्याशित व्यय	1994-95 के दौरान परिव्यय	पूरा करने की निर्धारित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	**वृहद**						
1.	अपर इंद्रावती सिंचाई परियोजना						
	(क) बांध हिस्सा	176.16	50.00	111.39	11.00	5.00	आठवीं योजना
	(ख) सिंचाई	338.17	256.00	89.66	20.00	22.00	
2.	अपर कोलाब सिंचाई	157.97	76.00	104.88	20.00	24.00	आठवीं योजना
3.	सुवर्णरेखा सिंचाई	1013.68	795.00	202.88	25.00	20.00	आठवीं योजना से आगे
4.	रेंगाली सिंचाई	1475.00	480.00	166.21	21.00	21.00	-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	महानदी चित्रोटपाला	93.07	87.00	13.53	7.00	20.00	आठवीं योजना
6.	पोट्टेरू सिंचाई परियोजना						
	(1) केन्द्रीय हिस्सा	102.39		81.00	5.50	8.92	आठवीं योजना
	(2) राज्य हिस्सा	1.72		-	-	0.50	
7.	कानूपुर	268.65	100.00	4.99	4.00	-	आठवीं योजना से आगे
(ख)	**मझौली**						
8.	बड़ानाला	92.00	12.00	51.42	8.35	9.00	-वही-
9.	हरिहरजोरे	51.19	18.00	35.62	6.00	6.00	-वही-
10.	हरभंगी	96.00	22.81	50.60	7.90	8.00	-वही-
11.	अपर जोंक	82.13	19.00	38.87	8.43	15.00	-वही-
12.	बाघू चरण-I	39.46	18.00	14.53	4.00	10.00	-वही-
13.	देव	52.23	50.00	3.14	2.50	6.00	आठवीं योजना
14.	बघालाती	42.65	22.00	4.04	2.00	-	आठवीं योजना से आगे
15.	सापूबाडजोरे	33.21	33.00	3.77	2.50	7.00	आठवीं योजना
16.	बीरपूरा चुंघाटी	11.46	3.20	7.50	1.50	1.60	-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	सतीगुडा						
	(1) केन्द्रीय हिस्सा	3.18	-	3.18	-	-	आठवीं योजना
	(2) राज्य हिस्सा	1.50		-	0.50	0.75	
18.	तितलागढ़	21.13	10.00	0.47	0.50	4.00	आठवीं योजना से आगे
19.	मंजोरे	37.20	20.00	-	0.30	0.50	-वही-
ग.	**आधुनिकीकरण योजना**						
1.	दरारों के लिए हीराकुंड का सुदृणीकरण	25.39	22.00	4.58	0.50	-	आठवीं योजना
2.	हीराकुंड वितरणी प्रणाली	81.82	20.00	3.40	0.50	1.00	आठवीं योजना से आगे
3.	रूसीकुल्या फेस - II	55.00	7.40	0.38	0.20	-	-वही-
4.	धनेरी	4.40	1.55	0.40	8.10	-	-वही-
5.	जायमठंगल	0.39	0.19	0.07	0.10	-	-वही-
6.	सालिया	2.92	2.60	0.27	0.10	0.15	आठवीं योजना
7.	बुधाबुधीयानी	4.53	0.32	0.37	0.15	-	आठवीं योजना से आगे
8.	उतलेई	6.44	2.20	0.25	0.05	-	आठवीं योजना से आगे

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	सैपाल	0.50	0.10	0.30	0.10	-	आठवीं योजना से आगे
10.	राधारवत्ती	1.10	0.78	0.05	0.10	-	-वही-
11.	खादखी	0.26	0.01	0.18	0.05	-	-वही-
12.	नेसा	0.25	0.10	0.14	0.05	-	आठवीं योजना
13.	ओखला वितरणी	0.21	0.07	0.16	0.03	-	-वही-
14.	चुल्कीनल्ला का पुनःचक्रण	0.35	0.16	0.13	0.10	-	-वही-
15.	सलंदी व डासमोंगा नहर	1.87	0.31	0.75	0.50	0.10	आठवीं योजना से आगे
16.	डेल्टा विकास योजना	600.75	100.00	12.51	4.00	2.00	-वही-
17.	पितामाहल	0.78	0.78	-	0.07	0.20	उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी :

पोट्टेरू नामक एक वृहद परियोजना तथा सतिगुडा नामक एक मध्यम परियोजना को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार को रॉयल्टी

2751. श्री ललित उरांव : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 को सेन्ट्रल कोल-फील्ड्स लिमिटेड द्वारा बिहार को भुगतान की जाने वाली रायल्टी की कितनी धनराशि बकाया थी ; और

(ख) राज्य सरकार को बकाया धनराशि का भुगतान कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के अनुसार सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा बिहार सरकार को देय रायल्टी की बकाया राशि दिनांक 30 जून, 1994, को 7.96 करोड़ रुपये थी। इसकी तुलना में इसी तारीख को को.इं.लि. का बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास 39.05 करोड़ रुपये की देय बकाया थी, जिसमें से 22.92 करोड़ रुपये की राशि अविवादित थी।

(ख) इस बकाया राशि में 6.00 करोड़ रुपये का भुगतान जुलाई, 1994 में कर दिया गया है। शेष रकम का भुगतान अगस्त, 1994 में कर दिया जाएगा। किन्तु बिहार सरकार ने अभी तक 22.92 करोड़ की अविवादित बकाया राशि का भी भुगतान नहीं किया है।

[अनुवाद]

टी.वी. धारावाहिक

2752. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा, विशेषतः बंगलौर, मद्रास और हैदराबाद केन्द्रों द्वारा स्वीकृति के लिए कितने दूरदर्शन धारावाहिक लंबित हैं ;

(ख) ऐसे धारावाहिकों को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे धारावाहिकों को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत धारावाहिकों का चयन एक सतत् कार्यकलाप है। प्राप्त प्रस्तावों, अनुमोदित धारावाहिकों आदि के केन्द्रवार ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर संकलित रूप में नहीं रखे जाते।

ए.पी. द्वितीय सिंचाई परियोजना

2753. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अधिकारियों ने इस बैंक की सहायता से कार्यान्वयनाधीन आन्ध्र प्रदेश द्वितीय (ए.पी.द्वितोय) सिंचाई परियोजना की समीक्षा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ;

(घ) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता की कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(ङ) अभी तक कितनी सहायता राशि की अदायगी की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी हां। विश्व बैंक के परियोजना पूरी करने की रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित मिशन ने जुलाई, 1994 में आंध्र प्रदेश का दौरा किया था।

(ख) और (ग) चूंकि आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजना-II की क्रेडिट समाप्त होने की तारीख 30.6.1994 को पहले ही समाप्त हो चुकी है, अतः विश्व बैंक मिशन ने राज्य सरकार के सहयोग से केवल परियोजना पूरी करने के पहलुओं पर विचार किया था।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक ने 1986 में आंध्र प्रदेश ।। सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 271 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का वचन दिया था। तथापि विभाग के पुनर्गठन और कार्यान्वयन की धीमी गति के कारण सहायता के एक भाग को रद्द करने के बाद विश्व बैंक सहायता के वर्तमान मूल्य के 174.11 मिलियन अमेरिकी डालर के विपरीत 31.5.1994 तक 153.913 मिलियन अमेरिकी डालर का भुगतान किया गया है।

आधासीसी

2754. श्री फूलचंद वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या देश में भारी संख्या में लोग आधासीसी के रोग से ग्रस्त हैं ;

(ख) क्या इस बीमारी का कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) आधासीसी के लिए कई रोग निरोधक उपचार उपलब्ध हैं।

सिंचाई परियोजनाएं

2755. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में सभी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लागत-लाभ अनुपात के संबंध में विस्तृत अध्ययन कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) सभी वृहद परियोजनाओं के लिए लागत-लाभ अनुपात की उनके तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के समय गणना की जाती है तथा 1.5 और इससे अधिक लाभ लागत अनुपात वाली परियोजनाओं (सूखा प्रवण क्षेत्र को लाभ पहुँचाने वाली परियोजना के मामले में 1.1) को आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

2756. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या **गृह** मंत्री राष्ट्र विरोधी गतिविधियों 23 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों के साथ उद्योगपतियों की मिलीभगत से संबंधित आवश्यक सूचना प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में कितने लोग और संस्थान दोषी पाए गए ;

(घ) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह सूचना कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) पंजाब सरकार तथा प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार पंजाब पुलिस ने एक कार से 50 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा तथा कुछ दस्तावेज

जब्त किए हैं। पंजाब पुलिस ने, मामले को प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच पड़ताल से पता चला है कि सर्व/श्री प्रेम प्रकाश, मैसर्स मदन मोहनलाल श्री राम (प्रा.) लिमिटेड के जे.पी. गुप्ता दिल्ली के मुन्नालाल खंडेलवाल तथा जिला होशियारपुर (पंजाब) के दीपचन्द, सूरम सिंह तथा कपित दत्त बाली के साथ मिलकर विदेशों में रह रहे व्यक्तियों के इशारे पर क्षतिपूर्ति भुगतान करके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन में संलिप्त थे। सभी संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध, कोफेपोसा के अन्तर्गत नजरबंदी आदेश जारी किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बहुत से लोगों के बयान दर्ज किए हैं और श्री कपिल दत्त बाली के निवास से दस्तावेज जब्त किए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान की प्राप्ति की गई है। इन व्यक्तियों ने इन भुगतानों की प्राप्ति को स्वीकार किया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच पड़ताल से किसी औद्योगिक घराने की संलिप्तता उजागर नहीं होती और न ही प्रवर्तन निदेशालय को, क्षतिपूर्ति भुगतान रैकेट तथा उग्रवादी/आतंकवादी गिरोहों के बीच कोई संबंध होने के किसी साक्ष्य का पता चला है।

[अनुवाद]

कोयले की तौल

2757. **श्री हाराधन राय :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खानों की तुलाओं में वास्तव में तौले गए कोयले की भेजी गई प्रतिशत का कम्पनी वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) बिना तौले गए कोयले के भुगतान का आधार क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 1993-94 के दौरान प्रेषण के पूर्व कोलियरी स्थल पर तौले गए कोयले की कम्पनीवार भार की प्रतिशतता नीचे दी गई है : -

कम्पनी	तौले गए भार की प्रतिशतता
1	2
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.)	96.9 प्रतिशत
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा.को.को.लि.)	89.3 प्रतिशत

1	2
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.)	63.2 प्रतिशत
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सा.ई.को.लि.)	74.8 प्रतिशत
महानदी कोलफील्ड्स लि. (म.को.लि.)	43.5 प्रतिशत
नार्दन कोलफील्ड्स लि. (ना.को.लि.)	79.5 प्रतिशत
वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे.को.लि.)	65.9 प्रतिशत

(ख) सड़क, एमजीआर, रज्जु मार्ग, बैल्ट द्वारा आपूर्ति किए गए सम्पूर्ण कोयले के लिए तौल की सुविधा उपलब्ध है। रेल द्वारा प्रेषण भी अधिकांशतः वे ब्रिजों की सुविधा से आवृत्त है। किन्तु, जहां कि कोयले का प्रेषण बिना तौल के रेलों द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कोल इण्डिया लि. द्वारा अनुमापीय रूपान्तरण के आधार पर निर्गत रेलवे रसीद (आर.आर.) उल्लिखित तौल के आधार पर बिल प्रस्तुत किए जाते हैं।

व्यावसायिक रक्त दाता

2758. **श्री अनन्तराव देशमुख :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार ने देश में व्यावसायिक रक्तदाताओं की संख्या का कोई मूल्यांकन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या व्यावसायिक रक्तदाताओं के अंदर नशीली दवाओं के जबरदस्त आदी व्यक्तियों के उदाहरण सरकार की जानकारी में आए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा रक्तदान किए जाने से पूर्व उनकी पहचान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ). यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, मलेरिया, उपदंश, यकृतशोथ बी और एच.आई.वी. जैसे कुछ संचरणीय संक्रमणों की उपस्थिति के लिए रक्त जांच को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि रक्त द्वारा ऐसे संक्रमणों के संचरण की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अस्पताल

2759. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास उत्तर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 400 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव लंबित है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

अस्पतालों में बिस्तरों की कमी

2760. श्री दत्ता मेघे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु धनराशि दी जाती है ;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है। फिर भी, इस संबंध में स्थिति अस्पताल से अस्पताल में भिन्न-भिन्न है।

(ग) से (ङ) इस उद्देश्य के लिए केन्द्र में कोई योजना स्कीम नहीं है। राज्य सरकारें योजना के विचार विमर्श के दौरान इस संबंध में योजना आयोग के साथ अपने प्रस्तावों पर बातचीत करती हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली के उद्योगों को कोयले की आपूर्ति

2761. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हार्ड कोक" की आपूर्ति में कमी के कारण दिल्ली के कई उद्योगों का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले की कम आपूर्ति के क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उपयोग के लिए दिल्ली को कुल कितने कोयले की आवश्यकता थी तथा वास्तव में कितने कोयले की आपूर्ति की गई ; और

(घ) दिल्ली में उद्योगों के लिए अपेक्षित मात्रा में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) कोल इण्डिया लि. (को.इं.लि.) ने सूचित किया है को.इं.लि. की सहायक कम्पनियों में, दिल्ली के औद्योगिक यूनिटों को आपूर्ति करने के लिए कोयले तथा हार्ड कोक की कोई कमी नहीं है। को.इं.लि. के अलावा, हार्ड कोक का उत्पादन निजी क्षेत्र में भी किया जा रहा है। हार्ड कोक के आयात करने की अनुमति भी दी गई है। को.इं.लि. के स्रोतों से दिल्ली के उपभोक्ताओं को हार्ड कोक की आपूर्ति औद्योगिक निदेशक द्वारा जारी प्रायोजकता के आधार पर सामान्यतः रेल द्वारा की जाती है। को.इं.लि. द्वारा वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान दिल्ली के उपभोक्ताओं को औद्योगि उपयोग के लिए आपूर्ति की गई कोयले की कुल मात्रा नीचे दी गई है :

आंकड़े अनन्तिम

लाख टन में

वर्ष	1991-92	1992-93	1993-94
आपूर्ति की गई मात्रा	54.59	57.45	62.01

फ्लोराइड का अत्यधिक उपयोग

2762. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वस्तुओं में सीमित मात्रा में फलोराइड का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में किन-किन वस्तुओं में और कितनी-कितनी मात्रा में इसके उपयोग करने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या अधिकांश वस्तुओं में अभी भी जायज मात्रा से भी अधिक फलोराइड रहता है ; और

(घ) यदि हां, तो इन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) इन वस्तुओं के निर्माताओं के विरुद्ध क्य कार्यवाही की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मधुमेह की रोकथाम

2763. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मधुमेह की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी.सिल्वेरा) : (क) और (ख) मधुमेह के नियंत्रण पर चालू वर्ष के दौरान एक मार्गदर्शी परियोजना का विकास करने का विचार है ।

एच.आई.वी.मरीज

2764. श्री प्रबीन डेका : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान असम में पहचान किए गए एच.आई.वी. (पाजिटिव) वाले व्यक्तियों की क्या संख्या है ;

(ख) असम के कितने अस्पतालों में एड्स परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सहायता से असम में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दी गई सहायता का क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी सिल्वेरा) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

1992 - 1

1993 - 1

जून 194 तक 1

(ख) असम में एच.आई.वी. परीक्षण सुविधाएं निम्नलिखित स्थानों में उपलब्ध हैं :

1. गुवाहाटी मेडिकल कालेज, गुवाहाटी
2. मेडिकल कालेज, डिब्रुगढ़
3. मेडिकल कालेज, सिल्वर

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए असम सरकार को निम्नलिखित धनराशि रिलीज की गई है :

1992-93	31,82,500 रुपये
1993-94	12,43,200 रुपये
1994-95	19,37,00 रुपये (पहली किस्त)

केरल में सिंचाई योजनाएं

2765. श्री थाइल जान अंजलोस : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में केन्द्र द्वारा वित्त पोषित सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है / किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग). केरल में केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 14 योजनाएं शामिल की गयी है। (विवरण संलग्न है)। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा के आधार पर राज्य सरकार को वर्ष 1993-94 के लिए 629.73 लाख रुपये तथा माह अप्रैल, मई एवं जून 1994 के लिए 163.05 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गयी है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में सिंचाई परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1	2
1.	मालमपूझा
2.	वलयार
3.	पोतुंडी
4.	मंगलम
5.	चीराकुझी
6.	वझानी
7.	पीची
8.	चलकूडी
9.	गायत्री
10.	नेय्यार
11.	चित्तूरपूझा
12.	पम्बा
13.	पेरियार घाटी
14.	कुट्टियाडी

मच्छर भगाने वाली मैट्स और क्वाइल

2766. श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने मच्छर भगाने वाली मैट और क्वाइल दोनों के लिए गुणवत्ता मानक तैयार किए थे ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों/विनिर्दिष्टताओं संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मानक तैयार किए जाने के बावजूद किसी भी मच्छर भगाने वाली मैट्स और क्वाइलों के निर्माता ने ब्यूरो के पास प्रमाणिकरण हेतु अब तक आवेदन नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का मच्छर मैट्स और क्वाइलों के पैकेज पर आई.एस.आई की मुहर को आवश्यक बनाने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित किए गए मैट्स और क्वाइल्स के मानक इस प्रकार हैं :

मैट्स –	आई एस	– 1992 का 13439
क्वाइल्स –	आई एस	– 1992 का 13438

(ग) और (घ). इन मानको का अनुपालन स्वैच्छिक है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

स्वतंत्रता सेनानी

2767. श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए स्वतंत्रता सैनानियों के उन आवेदनों की पुनः जांच करने हेतु एक समिति गठित करने का है जिन्हें केन्द्र सरकार ने रद्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधीं ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) राज्य सरकारों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान भेजे गए स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदनों की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्र सरकार ने रद्द कर दिया था ; और

(ङ) राज्यवार 30 जून, 1994 तक पता लगे बोगस दावों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वीकृत की जाती है जो योजना के अधीन निर्धारित पात्रता के मानदण्डों को पूरा करते हों। दावों को अस्वीकृत किए जाने के सरकार के फैसले से खिन्न होकर, आवेदक पुनरीक्षा के लिए याचिकाएं/प्रतिवेदन भेजते रहते हैं। ऐसी पुनरीक्षा याचिकाओं/प्रतिवेदनों की प्राप्ति तथा निपटान निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। तथापि, किसी दावे के अस्वीकृत हो जाने के बाद, यदि कोई आवेदनकर्ता ऐसा कुछ अतिरिक्त दस्तावेजी प्रमाण भेजता है जिससे सरकार की संतुष्टि होती हो तो उस पर पुनर्विचार के बाद पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है इसको देखते हुए, किसी समिति का गठन करना अनिवार्य नहीं है।

(घ) ऐसे मामलों का अलग से, वर्षवार, कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ङ) जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी शिकायतों की जांच कराई जाती है तथा सही पाये जाने पर पेंशन को स्थागित/रद्द करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाती है। 30 जून, 1994 तक जिन मामलों में पेशन रद्द अथवा निलम्बित कर दी गई है, उनकी संख्या संबंधी एक राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मामले	
		निलम्बित हुए	रद्द हुए
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	101	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	0	0
4.	बिहार	604	178
5.	गोवा	0	9
6.	गुजरात	0	0
7.	हरियाणा	15	22
8.	हिमाचल प्रदेश	0	2
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	579	261
11.	करल	720	61
12.	मध्य प्रदेश	55	61
13.	महाराष्ट्र	227	36
14.	मणिपुर	0	0
15.	मेघालय	7	13
16.	मिजोरम	0	0
17.	नागालैंड	0	0
18.	उड़ीसा	12	85
19.	पंजाब	101	26
20.	राजस्थान	0	0
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	15	81
23.	त्रिपुरा	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	228	222
25.	पश्चिम बंगाल	191	214
26.	अण्डमान और नि.द्वीपसमूह	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0
29.	दमन और दीव	0	0
30.	दिल्ली	2	26
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	9	13
	योग	2866	1314

सिंचाई परियोजना

2768. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की राज्य को तृतीय सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) 2415 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर प्रस्तावित आन्ध्र प्रदेश - ।।। सिंचाई परियोजना में इनकी परिकल्पना की गयी है : आंध्र प्रदेश सिंचाई - ।। परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करना तथा गोराकल्लू की बाई पास संरचना, नरसिम्हाराया सागर, ओक जलाशय, ओक के समीप सुरंग, वेन्नावरम नहर विस्तार, वितरण प्रणाली, पोषक सड़कों का निर्माण, एवं परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन भी।

(ग) इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से विश्व बैंक की टिप्पणियों को शामिल करते हुए परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली पुलिस

2769. श्री फूल चंद वर्मा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक दिल्ली पुलिस के कुल कर्मियों में महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों का रैंक-वार प्रतिशत कितना-कितना है ;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस में और अधिक - महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां, श्रीमान्।

(ग) निम्नलिखित पदों को, महिला (सामान्य तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

(i)

रैंक	सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए पदों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए पदों की संख्या		योग
I	II	अ.जा.III	अ.ज.जा.IV	V
पुलिस उप आयुक्त	-	-	-	-
सहायक पुलिस आयुक्त	-	-	-	-
निरीक्षक	20	6	3	29
उप-निरीक्षक	28	10	6	44
सहायक उप-निरीक्षक	50	9	9	68
हैड कांस्टेबल	66	-	11	77
कांस्टेबल	9	1	6	16
	173	26	35	234

(ii) अन्य काड्रों में पदों की संख्या (महिलाओं के अतिरिक्त) जो कि अनु.जाति/अनु. ज.जाति वर्गों से भरे जाने हैं : -

रैंक	पदों की संख्या		योग
	अ.जा.	अ.ज.जा.	
1	2	3	4
पुलिस आयुक्त	श्रेणी "क" के पदों पर लागू नहीं होता है।		-
सहायक पुलिस आयुक्त	16	14	30
निरीक्षक	82	55	137
उप-निरीक्षक	322	168	490
सहायक उप-निरीक्षक	266	345	611

1	2	3	4
हैड कांस्टेबल	58	509	567
कांस्टेबल	150	68	218
योग	894	1159	2053

विवरण

रैंक	दिल्ली पुलिस के सभी काड्रों की वर्तमान संख्या	महिला पुलिस सहित दिल्ली पुलिस के सभी काडरों में महिला पुलिस तथा अ.जा./अ.ज.जा. की वर्तमान संख्या			महिलाओं तथा अ.जा./अ.ज.जा. की प्रतिशतता।		
		महिला पुलिस (सभी काडर)	अ.जा.	अ.ज.जा.	महिला पुलिस	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8
पुलिस आयुक्त	1	-	-	-	-	-	-
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	9	-	1	-	-	11.1	-
पुलिस आयुक्त	51	-	9	5	-	17.64	9.80
सहायक पुलिस आयुक्त	167	1	34	10	0.60	20.35	5.98
निरीक्षक	693	33	107	42	4.76	15.44	6.06
उप-निरीक्षक	3307	110	499	101	3.33	15.09	3.05
सहायक उप-निरीक्षक	3924	127	461	55	3.24	11.75	1.40

1	2	3	4	5	6	7	8
हैड कांस्टेबल	10959	191	1783	347	1.74	16.27	3.17
कांस्टेबल	30922	730	5429	1944	2.36	17.56	6.29
योग :	50033	1192	8323	2504	2.38	16.63	5.00

जल बांड

2770. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राष्ट्रीय सिंचाई और जल संसाधन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जल बांड जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए इन बांडों द्वारा धन एकत्र करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (च) केन्द्रीय वित्त मंत्रालय में कुछ राज्य सरकारों से सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के वास्ते "बांड" जारी करने हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। चूंकि केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए बाजार उधार कार्यक्रम के वास्ते निवेश योग्य कुल संसाधन सीमित थे, इसलिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों को सूचित किया था कि पहले से अनुमोदन प्रदान किए गए उधार कार्यक्रम के अलावा राज्य सरकारों को किसी अतिरिक्त आबंटन की अनुमति देने की कोई गुंजाईश नहीं है। किन्तु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुरूप बांड जारी करने के लिए राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

तथापि, आन्ध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना सहित कुछ राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आठवीं योजना के दौरान राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का विचार था। तथापि, संसाधनों की बाधाओं के कारण योजना आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था तथा यह सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के वित्त पोषण के मुद्दे पर सबसे पहले राज्यों के साथ

चर्चा कर ली जाए क्योंकि इससे सिंचाई क्षेत्र के लिए समग्र राष्ट्रीय संसाधन उपलब्धता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तदनुसार उन संबंधित राज्य सरकारों के साथ अनेक बैठकें की गयीं जो अपनी योजना निधि के किसी एक भाग को निर्धारित करने अथवा उसको अलग रखने के प्रस्ताव से सहमत नहीं थीं।

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन की लागत

2771. श्री गुमान मल लोढा :

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की उत्पादन लागत 334.31 रुपये से 491.98 रुपये प्रति टन आती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस लागत की न्यायोचितता की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या कोलये की उत्पादन लागत में कमी करने हेतु कोई अध्ययन किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(च) कोयले की उत्पादन लागत को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1992-93 के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड (को.इं.लि.) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कं.लि. (सिं.को.कं.लि.) में कोयला उत्पादन की औसत लागत क्रमशः 334.31 रुपये और 491.98 रुपये प्रति टन आंकलित की गई। किन्तु वास्तव में अलग-अलग खानों की उत्पादन लागत उक्त औसत दरों से भिन्न होगी।

(ख) और (ग) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्युरों द्वारा तैयार किए गए फार्मूले के अनुसार 1992-93 के दौरान कोयले की मानक लागत कोल इण्डिया लि. के लिए 342.34 रुपये प्रति टन आंकलित की गई। इसकी तुलना में कोल इंडिया लि. की कुल वास्तविक उत्पादन लागत वर्ष 1992-93 के दौरान 334.31 रुपये प्रति टन थी।

(घ) और (ङ) कोल इण्डिया लिमिटेड के अनुसार, को.इं.लि. की सहायक कंपनियों में कोयले की उत्पादन लागत ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.) और भारत कोकिंग को. लिमिटेड (भा.को.को. लि.) को छोड़कर शेष सभी कंपनियों में कोयले की कीमत से कम रही है।

ई.को.लि. और भा.को.को.लि. में अधिक उत्पादन लागत का मुख्य कारण निम्न उत्पादकता है, जो निम्नलिखित कारणों से हुई है ;

(1) अप्रयुक्त तथा कम उपयोग में आने वाली श्रम शक्ति।

(2) पुराने और पूर्व खनिज क्षेत्रों के कारण खानों का छोटा आकार।

(3) भूमिगत आग की उपस्थिति तथा कार्यक्षेत्र की भू-आकृति सतही ढांचे को प्रतिबंधित करती है।

(4) उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए खानों के मशीनीकरण की संभावना को दुष्प्रभावित करने वाली विपरीत भू-खनन स्थिति।

(च) ई.को.लि. और भा.को.को.लि. में कोयला उत्पादन की लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : -

(1) इन दो कोयला कम्पनियों में स्वीकृत की गई कई नवीन परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(2) कंपनियों के सामने उत्पन्न विद्युत समस्या से निपटने के लिए ग्रहीत विद्युत संयंत्रों का संस्थापन।

(3) घाटे वाली खानों का पुनर्गठन।

(4) श्रमशक्ति का युक्तिकरण।

(5) उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमिगत खानों में कोयला लदान का यंत्रिकरण

(6) श्रमशक्ति को कम करने तथा प्रतिपाली प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वैच्छिकं सेवानिवृत्ति योजना क आरम्भ।

(7) पर्याप्त कार्यशाला सपोर्ट, पुर्जो का सुधरा हुआ प्रबंधन और उपकरणों के समय से पुनर्स्थापन द्वारा भारी अर्थमूविंग मशीनों की उपलब्धता और उपयोग में सुधार।

(8) नियंत्रण योग्य खर्चे जैसे समयोपरि भत्ते, फाल बैक मजदूरी और कम लदान किए जाने संबंधी प्रभारों में कटौती।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद

2772. श्री दत्ता मेघे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या बड़ी संख्या में आरक्षित पद खाली पड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) खाली पड़े आरक्षित पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी के रांची केन्द्र, बिहार से समाचार

2773. श्री ललित उरांव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में आकाशवाणी और दूरदर्शन के केन्द्रों से कुंडुंक, मुंडारी, हो संथाली और सादरी भाषाओं में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

स्तन के कैंसर पर अनुसंधान

2774. श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई के हैदराबाद के 'डक्कन क्रानिकले' में "फ्रेश इनसाइट इनटू घेरमोना लिंक विद ब्रेस्ट कैंसर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार-मद की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्तन के कैंसर के कारण और उत्पत्ति के संबंध में भारत में कोई अनुसंधान किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का विचार स्टाकहोम में स्वीडिश अनुसंधानकर्ताओं के साथ सम्पर्क करके भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा मेडिकल कालेजों से इस विषय पर अनुसंधान करने हेतु निदेश देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

2775. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 और 1994–95 के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु वार्षिक बजट आबंटन कितना–कितना है ;

(ख) इस संस्थान में 1993–94 के दौरान और वर्ष 1994–95 में 30 जून तक कितने अंतरंग और बहिरंग रोगियों का उपचार किया गया ;

(ग) उपरांक्त अवधि के दौरान कितने बड़े आपरेशन किए गए ;

(घ) क्या इस संस्थान का लागत–लाभ अनुपात देश में अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों/अस्पतालों के अनुपात के अनुरूप है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए बजट में धन का वार्षिक आबंटन इस प्रकार है : –

	योजना	योजनेत्तर
1993–94	32.00 करोड़ रुपये	50.40 करोड़ रुपये
1994–95	28.00 करोड़ रुपये	53.00 करोड़ रुपये

(ख) वर्ष 1993–94 के दौरान और 30 जून, 1994 तक इस संस्थान में उपचार किए गए अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की संख्या इस प्रकार है : –

वर्ष	अन्तरंग रोगी	बहिरंग रोगी
1993–94	71,827	15,90,373
1994–95	18,244	3,81,500

(30.6.94 तक)

(ग) 1993–94 और 1994–95 (जून, 1994 तक) की अवधि के दौरान किए गए बड़े आपरेशनों की संख्या क्रमश : 24,980 और 6,331 है।

(घ) और (ङ) देश के अन्य विख्यात संस्थानों/अस्पतालों से इस संस्थान के लागत लाभ

अनुपात की तुलना करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

2776. श्री मोहन रावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गयी ; और

(घ) मलेरिया के उन्मूलन हेतु किये गये/किये जाने वाले प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की लगातार समीक्षा की जाती है और उपचारात्मक उपाय, जहाँ आवश्यक हो, शुरू करने के लिए जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी स्थिति, कीटनाशकों, औषधों की उपलब्धता, छिड़काव कार्यक्रमों और निगरानी का प्रबोधन किया जाता है।

(ग) केन्द्र सरकार ने इस कार्यक्रम पर निम्नलिखित धनराशि खर्च की।

1991-92	72.38 करोड़ रुपये
1992-93	77.80 करोड़ रुपये
1993-94	91.09 करोड़ रुपये

(घ) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

- निगरानी
- रोगियों का पता लगाना और शुरू में ही उनका उपचार करना
- अवशिष्ट कीटनाशक छिड़काव
- लार्वारोधी उपायों की पुनरावृती
- सामुदायिक सहभागिता और स्वास्थ्य शिक्षा
- शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श उप नियमों का कार्यान्वयन
- जैव पर्यावरणिक उपाय।

राशन भत्ता

2777. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध सैनिक बलों के जवानों को भिन्न-भिन्न राशन भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रणाली को तर्कसंगत बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) केन्दीय औद्योगिक सुरक्षा बल को छोड़कर, जिसके क्रियाकलपा, संरचना, भूमिका तथा धन-व्यवस्था, अन्य केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों से पूर्णतः भिन्न है, अन्य सभी केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को दी जाने वाली राशन मनी एक समान है। सेना के प्रचालन-नियंत्रण के अधीन तैनात केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को यह सुविधा सामग्री के रूप में दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

2778. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार पचास प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने कार्यक्रम के खर्च का शत-प्रतिशत भार केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बाजार में विवादास्पद दवाईयां

2779. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1994 के 'इकानामिक टाइम्स' में "अनदर कन्ट्रोवर्सियल ड्रग फाइन्ड्स वे टू इण्डियन मार्केट' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में लागू औषध नियंत्रण अधिनियम का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या किसी भी नई दवा ने इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार मद "नारप्लांट" के नाम से जाने वाले गर्भनिरोधक इन प्लांट का उल्लेख करती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नारप्लांट का नैदानिक मूल्यांकन करती रही है। फिर भी देश में औषध को विपणन के लिए अभी अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) नई औषधों को शुरू करने का कार्य औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसमें दिए गए नियमों के अन्तर्गत नियंत्रित तथा विनियमित किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

विज्ञापन और विपणन नीति

2780. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रमों की बिक्री में निजी विज्ञापन और विपणन फर्मों के शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दूरदर्शन का विचार अपनी व्यावसायिक आय में वृद्धि करने हेतु इस फर्मों के साथ दीर्घावधि समझौते करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) दूरदर्शन की विद्यमान विज्ञापन और विपणन नीति को कारगर बनाने से व्यावसायिक आय में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ङ) मामला विचाराधीन है।

गलेरू नगरी परियोजना

2781. **श्री जे.चोक्का राव : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गलेरू नगरी परियोजना की रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को मंजूरी के लिए भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस स्तर पर है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) गलेरू नागरी परियेजना जिसमें 131520 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गयी है और जिसकी अनुमानित लागत 1296.23 करोड़ रुपए है, तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए जनवरी, 1991 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। जांच के बाद यह परियोजना राज्य सरकार को फरवरी, 1991 में इस अभ्युक्तिके साथ लौटा दी गयी थी कि वह अपेक्षित अन्वेषण पूरा करने एवं दीर्घावधिक आधार पर जल की उपलब्धता स्थापित करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करे। संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थामस (एरणाकुलम) : महोदय, प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम खर्चीले हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि अनेक सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष नहीं हैं। उदाहरण के रूप में गत 7-8 महीनों से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के स्थायी चैयरमेन नहीं हैं। डी जी सी ए में केवल एक कार्यकारी चेयरमैन है। यहाँ तक कि नागर विमानन मंत्रालय में भी सचिव नहीं है। महोदय, हमें यह बात याद रखनी होगी कि जब यहाँ मुक्त आकाश नीति है तो इंडियन एयरलाइन्स को अन्य गैर-सरकारी एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसी प्रकार से एयर इंडिया को अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। चैयरमैन की अनुपस्थिति में वे ठचित प्रकार से कार्य कैसे कर सकते हैं ?

इसलिए, मेरा यह निवेदन है कि इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया के समान ही सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रम बिना अध्यक्ष के हैं। अतः मेरा यह अनुरोध है कि सरकार इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करे।

12.1 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय – पीठासीन हुए)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, आन्तरिक सुरक्षा मंत्री यहाँ विद्यमान हैं। कल राज्य सभा में पाकिस्तान के बारे में एक घोषणा हुई थी। मैं आशा करता हूँ कि हम पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर सकते हैं। अब बम विस्फोट मामले में शामिल एक अपराधी की गिरफ्तारी के बाद हुए रहस्योद्घाटन को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रश्न को केवल पाकिस्तान के साथ ही नहीं अपितु अन्य देशों के साथ भी उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ और सुझाव देता हूँ कि हमें पाकिस्तान के विरुद्ध पाबन्दियाँ–आर्थिक पाबन्दी के साथ-साथ व्यापारिक पाबन्दी, लगाने के लिए अन्य देशों की सहायता लेनी चाहिए।

अब, यहाँ तक प्रत्यर्पण का संबंध है, यह संभव नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई सन्धि नहीं है। यह एक विदित तथ्य है कि पाकिस्तान ने भारत की आन्तरिक सुरक्षा में एक बड़ी घुसपैठ कर ली है। यह केवल अनुचित ही नहीं है अपितु भारत में घुसपैठ करने और मानवता के लिए इतना बड़ा विनाश करने के लिए पाकिस्तान का औचित्य नहीं है।

इसलिए, माननीय मंत्री से मेरा यह अनुरोध है कि वे इस मामले पर और अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध पाबन्दी लगाने के प्रश्न के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करें।

श्री पी.एस.विजयराघवन (पालघाट) : यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है। हम आन्तरिक सुरक्षा मंत्री का उत्तर जानना चाहते हैं जोकि सदन में उपस्थित हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैंने कल ही सदन में कहा था कि घटना के बाद घटना और दिन प्रतिदिन हम सिद्ध कर रहे हैं, हम पूरे विश्व को बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार से भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है, पाकिस्तान किस प्रकार से सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है और पाकिस्तान किस प्रकार से देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनयिक माध्यमों से सबूत के साथ इस मामले को उठाया है कि पाकिस्तान किस प्रकार से हमारी प्रणाली को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है, किस प्रकारं से हथियार एक अत्यधिक संदिग्ध तरीके से सीमा से पार पहुँचाये जाते हैं ? हमारी एजेन्सियां चौकस हैं। इसी के परिणामस्वरूप याकूब को गिरफ्तार किया गया। याकूब द्वारा किये गये रहस्योद्घाटना से पुनःसिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान किसं प्रकार से जाली पासपोर्ट और धन दे रहा हे, उनके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं, पाकिस्तान सरकार द्वारा उन्हें किस प्रकार समझाया गया है ?

मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पहले से ही उठाया हुआ है। हम इस संबंध में अपने प्रयासों को जारी रखेंगे।

माननीय सदस्य द्वारा पाबन्दी के बारे में जो और सुझाव दिये गये हैं मैं विदेश मंत्री को उनसे अवगत करा दूंगा ताकि इस पर राजनयिक माध्यमों से कार्यवाही की जा सके।

*** श्री वी.एस.विजयराघवन :** 9 अगस्त को समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि त्रिवेन्द्रम से नई दिल्ली आ रही केरल एक्सप्रैस पर 7.8.1994 को आन्ध्र प्रदेश में वारंगल और रामागुंडम स्टेशनों के बीच गोलियां चलायी गयी। गोलियां चालक पर चलायी गयी थीं और इसमें एक अपराधी गुट का शामिल होना बताया गया है। सौभाग्य से चालक बच गया परन्तु दो यात्री मामूली रूप से घायल हो गये। ऐसी एक ही घटना नहीं है। पिछले महीने 14 जुलाई की रैली के लिए कांग्रेस कार्यकताओं को लेकर केरल से दिल्ली आ रही विशेष रेलगाड़ी पर भी इसी स्थान पर आक्रमण किया गया था जिसमें अनेक लोग घायल हुए थे। उनके पैसे खो गये और कपड़े भी छीन लिये थे। इसे नक्सलवादियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र बताया जाता है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसलिए, केरल एक्सप्रैस और मंगला एक्सप्रैस गाड़ियों के लिए कठोर सुरक्षा उपाय लागू किये जाने चाहिए।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : आन्तरिक सुरक्षा मंत्री ने अभी ही स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में स्थिति अत्यधिक गंभीर है। पाकिस्तान द्वारा भारतीय राजनयिकों को परेशान किये जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वियाना सम्मेलन में राजनयिक संबंधों और प्रत्येक देश में विदेशी राजनयिकों के साथ व्यवहार के बारे में कुछ मानदंड स्थापित किये गये हैं। यहाँ तक कि शीत युद्ध की चरमसीमा के समय भी न तो अमेरिका ने और न ही पूर्व सोवियत संघ ने इन मानदंडों का उल्लंधन किया था। परन्तु पाकिस्तान ने सभ्य व्यवहार की सभी सीमाओं को पार कर दिया है। अभी दो माह पूर्व ही भारतीय राजनैतिक काउंसेलर, जो इस्लामाबाद में उच्चायुक्त में दूसरे स्थान के व्यक्ति हैं, को डराया धमकाया गया और गाली दी गई तथा उच्चायुक्त के आवास में शरण लेने के लिए बाध्य किया गया। पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा भारतीय राजनयिक अधिकारियों को परेशान किये जाने के अन्यानेक मामले हैं। पाकिस्तान द्वारा वियाना सम्मेलन का यह स्पष्ट उल्लंघन है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक जोरदार तरीके से उठाये ताकि इस्लामाबाद में हमारे दूतावास ठीक प्रकार से कार्य कर सकें।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : भारी मानसून और बाढ़ के कारण केरल में दिन प्रतिदिन हमारी क्षतियों में वृद्धि हो रही है। मेरे पास आँकड़े हैं। गत सप्ताह 140 मृतकों की संख्या की तुलना में इस सप्ताह यह संख्या 170 है। गत सप्ताह घायलों की 253 संख्या के विपरीत इस सप्ताह यह संख्या 293 है।

---

* मूलतः मलयालम में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तरण।

गत सप्ताह शिविरों की 1280 संख्या के विपरीत अब 1462 राहत शिविर हैं। राहत शिविरों में गत सप्ताह परिवारों की 3554 संख्या के विपरीत इस सप्ताह यह संख्या 1,22,179 है। गत सप्ताह कुल क्षतिग्रस्त घरों की 15,814 संख्या के विपरीत यह संख्या अब 24,978 है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की गत सप्ताह 38,869 संख्या के विपरीत अब यह संख्या 56,045 है। गत सप्ताह अनुमानित कृषि क्षति 75 करोड़ रुपये थी जो अब 144.25 करोड़ रुपये है। सार्वजनिक अनुमानित क्षति गत सप्ताह 85 करोड़ रुपये थी जो अब 1005 करोड़ रुपये है। केरल सरकार लोगों को सांतवना देने में अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है परन्तु केन्द्रीय सहायता के बिना केरल सरकार के लिए स्थिति का मुकाबला करना असंभव है। पिछले तीस वर्षों से, हम इसके लिए कहते आ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया . . . **(व्यवधान)** यह एक गम्भीर समस्या है . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, श्री के.प्रधानी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, केरल राज्य को कम से कम 250 करोड़ रुपये सहायता के रूप में दिये जाने चाहिए। केरल में स्थिति बहुत गम्भीर है **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है तो आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाईये।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : महोदय, केन्द्र सरकार से अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है।' **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय कृषि मंत्री इस बारे में कोई उत्तर देना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकरा) **:** महोदय, हमारी शिकायत यह है कि इस पर पिछले तीन दिनों से सदन में चर्चा करने के बाद भी हमें प्राकृतिक आपदा राहत निधि के रूप जोकि पहले आबंटित किया जा चुका है में से एक नया पैसा भी नहीं दिया गया है . . . **(व्यवधान)** पहले, हमने पीठासीन अधिकारी से इसमें हस्ताक्षेप करने का अनुरोध किया था। हम जानना चाहेंगें उसके बाद क्या किया गया है कि . . . **(व्यवधान)** महोदय, कृषि मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, अतः हम चाहते हैं कि वह वक्तव्य दें। उन्हें वित्त मंत्रालय से धन प्राप्त करना चाहिए **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं, कृपया उनकी बात सुनिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री बोल रहे है।

(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, यहाँ चर्चा करने का क्या फायदा है ? पिछले हफ्ते हमने इस पर तीन दिन चर्चा की थी। वित्त मंत्री को यहाँ आना चाहिए और इस समस्या को सुलझाने के लिए धन देना चाहिए **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्दूलाल चन्द्राकर कुछ सुझाव देना चाहते हैं। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : महोदय, सरकार को धन देना चाहिए . . . **(व्यवधान)** सरकार को बारिकियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कृषि मंत्रालय के पास धन नहीं है तो उन्हें वित्त मंत्रालय से धन लेना चाहिए। वित्त मंत्री को यहाँ आकर धन देना चाहिए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, मै अपने निर्वाचन क्षेत्र में था और मैंने देखा है कि वहाँ हजारों लोग बेघर हो गये है। आप वित्त मंत्री को धन देने का आदेश दें। **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, हम प्रधान मंत्री से और कृषि मंत्री से इस सम्बंध में मिले थे, लेकिन अभी तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संसदीय कार्य मंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपने मुद्दे उठाये है, अब मुझे संसदीय मामलों के मंत्री की बात सुनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : माननीय मंत्री का उत्तर देने दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस संबंध में एक विवरण दे जिससे कि हम इस मामले को नियमों के तहत उठा सके। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले संसदीय मामलों के मंत्री की बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा उत्तर देने से पहले हमें अपने विचार व्यक्त करने दीजिए। पिछले तीन दिनों से इस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है और केरल के प्रत्येक सांसद ने स्थिति के बारे में ब्यौरा दिया है जैसे वहाँ पर कितने शिविर है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, आदि। वित्त मंत्री को इसपर ध्यान देना होगा तथा सदन में आकर वक्तव्य देना चाहिए। महोदय, आप सभी सांसदों की ओर से वित्त मंत्री को अनुदेश दीजिए कि वह स्थिति का जायजा ले और सदन में न

केवल एक वक्तव्य दे बल्कि उन्होंने पर्याप्त धन देना चाहिए जिससे उनकी विपत्ति दूर हो सके **(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय यह सरकार के कार्यकरण का फैशन है सरकार लोगों की माँगों की उपेक्षा कर रही है तथा लोगों को हो रही कठिनाइयों की उपेक्षा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद माननीय मंत्री बोल रहे हैं।

श्री ई.अहमद : महोदय, मैं सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगाता हूँ और लोगों की विपत्तियों की उपेक्षा कर रहे हैं। हमने इस विषय को बहुत बार उठाया है . . . **(व्यवधान)**

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : कृपया मामले को उलझाइए नहीं **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, वह स्थिति की गम्भीरता को कम कर रहे हैं . . **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस : महोदय, हम इसे पक्षपाती मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लेकिन इस मुद्दे को प्रत्येक सदस्य ने न केवल केरल के सदस्यों ने बल्कि पूरे भारत ने हिस्सा लिया है अपने विचार व्यक्त किये है . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने इसे बहुत स्पष्ट किया है।

श्री पी.सी. थामस : हम श्री चन्दूलाल चन्द्राकर द्वारा दिये गये सुझाव का पर्णतया समर्थन करते हैं। महोदय, हम आपसे वित्तमंत्री को इस बारे में वक्तव्य देने के लिए अनुरोध करते हैं। जिससे कि हम इसे शून्य काल में न उठाये बल्कि क्या इसे कुछ नियमों के अन्तर्गत उठा सकते हैं और कुछ प्रकार के कार्य सुनिश्चित कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, यह सच है कि विभिन्न राज्यों के लिए प्राकृतिक आपदा निधि के अन्तर्गत आबंटित धन आकस्मिक प्राकृतिक आपदा के लिए पूरा नहीं होता है। तथापि राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं और प्रधानमंत्री ने भी कुछ मंत्रियों को दौरे करने के लिए कहा है और अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने . . . **(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, एक भी मंत्री ने केरल का दौरा नहीं किया **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. थामस : हम यह नहीं कहते कि मंत्री को दौरा करना चाहिए। हम उनकी कठिनाई जानते हैं। उनके पास धन नहीं होता। हम चाहते हैं वित्त मंत्री आकर इस मामले में वक्तव्य दें . . . **(व्यवधान)**

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, माननीय मंत्रियों ने वर्तमान और व्याप्त स्थिति पर प्रकाश डाला है,

मैं वित्त मंत्री को उनके विचार बता दूँगा और शायद इस मामले में व्यापक विचार करना होगा। चूंकि कृषि मंत्री यहाँ उपस्थित हैं . . . **(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद : महोदय, वह असहाय हैं। **(व्यवधान)**

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या आप वित्त मंत्री से यहाँ आकर वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं ? **(व्यवधान)**

श्री मल्लिकार्जुन : मैं वित्त मंत्री को बता दूँगा कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि वह यहाँ आकर वक्तव्य दें। मैं उन्हें बता सकता हूँ। लेकिन उन पर दबाब नहीं डाल सकता . . . **(व्यवधान)**

श्री पी.जे. कुरियन : कृपया उन्हें बता दीजिए। माननीय सदस्यों की भी यही इच्छा है।

श्री पी.सी. थामस : हम विपक्ष की अनुपस्थिति को महसूस कर रहे हैं क्योंकि वे वित्त मंत्री को आने और इस सम्बंध में एक वक्तव्य देने के लिए जोर देंगे। हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री आएं और इस मामले में एक वक्तव्य दें। . . . **(व्यवधान)**

श्री ई.अहमद : महोदय, पीठासीन अधिकारी उनको यहाँ आकर वक्तव्य देने के लिए निर्देश दे सकते हैं . . . **(व्यवधान)**

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, पिछली बार माननीय अध्यक्ष माननीय सदस्यों की भावनाओं से सहमत थे और अत्यन्त मृदु भाष में उन्होंने टिप्पणी की थी। परंतु, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और कृषि मंत्री भी क्या कर सकते हैं ? उनके पास धनराशि नहीं है। अगर धनराशि उपलब्ध नहीं है तो मंत्री द्वारा दौरा करने का क्या मतलब है ? धनराशि उपलब्ध होनी चाहिए। . . . **(व्यवधान)**

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : महोदय, मैंने सभी राज्य सरकारों के साथ विस्तृत बातचीत की थी। मैंने उन्हें स्थिति की गंभीरता के विषय में बताया था। मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री को भी स्थिति की जानकारी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वे वित्त मंत्री से बात करेंगे और कुछ उपाय निकल जाएगा। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को पुनः उन तक पहुँचा दूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य-काल खत्म होने में अब केवल 10 मिनट का समय है। अतः मैं माननीय सदस्यों से बहुत संक्षिप्त में कहने का अनुरोध करता हूँ।

सबास चंद्र नायक (कालाहाण्डी) : महोदय, कृपया मुझे अपने मुद्दे को उठाने की अनुमति दें। मुझे कल अवसर नहीं मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूँगा।

श्री के. प्रधानी (नौरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ान सं. 561 और 562 हैदराबाद से विशाखापटनमें और वापस की थी। इनका प्रबंध इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किया जाता था। पिछले डेढ़ साल से इस रूट

को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। हैदराबाद से विशाखापटनम की उड़ान सेवा को अब ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स कंपनी देखती है। पहले लगभग 10 बजे सुबह दिल्ली उड़ान और विशाखापट्नम उड़ान के बीच संपर्क बनता था। महोदय अब यह उड़ान हैदराबाद से सुबह 7.00 बजे की है और दिल्ली की उड़ान वहाँ सुबह 8.30 बजे पहुँचती है। अतः विशाखापटनम के लिए अब कोई संपर्क नहीं रहा और दिल्ली के यात्रियों को वहां एक दिन और एक रात के लिए रूकना पड़ता है जिससे उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती है। मैं नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन द्वारा दिल्ली उड़ान और विशाखापट्नम उड़ान के बीच सुबह के संपर्क को बनाए रखना सुनिश्चित करें, ताकि दिल्ली के यात्री उसी दिन विशाखापट्नम न पहुँच पाने की परेशानी से बच सकें। . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जल्दी खत्म करें ताकि अन्य सदस्य भी बोल सकें।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबीचेट्टीपालयम) : मंत्रिमंडल ने कल पेट्रोलयम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने की मंजूरी दी है। महोदय, सरकार का यह निर्णय उचित नहीं है। भारत सरकार हर साल पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर रही है। आम जनता पहले से ही मुद्रा-स्फीति के प्रभावों, करों में वृद्धि और अन्य कारकों के अत्यधिक भार से दबी हुई है। इसके बाद, पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में वृद्धि से आम जनता बुरी तरह प्रभावित होती है। यह एक गंभीर मामला है। महोदय, रसोई गैस और मिट्टी का तेल रियायती दरों पर मिलते हैं क्योंकि वे आवश्यक वस्तुएँ हैं। लेकिन जहाँ तक डीजल का प्रश्न है, इसको भी रियायती दर पर दिया जाना चाहिए। क्योंकि आम जनता जैसे स्कूटर वाले और कृषक भी इसका रोज प्रयोग करते हैं। इसको भी आवश्यक वस्तु समझा जाना चाहिए। भारत सरकार राज्य सरकारों की सहमति लिए बिना ही हर साल पेट्रोलियम उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करती जा रही है। यह अच्छा संकेत नहीं है। महोदय, यह राज्य सरकारों की सहमति से किया जाना चाहिए और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि करने के सरकार के निर्णय को वापस लिया जाए . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सोचिए, अगर आपका नाम अंत में हो और मैंने आपको नहीं बुलाया, तो आपको बुरा लगेगा। दूसरे सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री पी.जी. नारायणन : महोदय, एक अन्य संवेदनशील मुद्दा यह है कि नागरिक उड्डयन के महानिदेशक ने सभी निजी एयरलाइनों को अब से हिन्दी में पत्र व्यवहार करने का निदेश जारी किया है। यह पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा अहिन्दी भाषी लोगों को दिए गए आश्वासन के विरुद्ध है। महोदय, अहिन्दी-भाषी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इससे यह पता चलता है, कि भारत सरकार अंहिन्दी भाषी लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी को थोप रही है। यह देश की एकता और अखंडता तथा संघीय ढाँचे के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। महोदय, इस संवेदनशील विषय पर सरकार की कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए। . . . **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : 12.30 बजे के तत्काल बाद मुझे सभा को समाप्त करना होगा। जो उत्तेजित हो रहे है, उन्हें कल भी उत्तेजित होना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। आज देश में बेरोजगारी काफी बढ़ गयी है जिसके कारण हमारी सरकार चिन्तित है और हारे प्रधानमंत्री भी काफी प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश और खासकर पूवी उत्तर प्रदेश इस समय भयंकर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है और उसके 35 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं जिनकी बहुत बड़ी आबादी है। वहां केवल शिक्षित बेरोजगार ही नहीं अपितु खेतिहर तथा कृषि मजदूर भी भारी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं। वैसे तो सरकार की ओर से जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, शिक्षित बेरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि चलाई जा रही हैं लेकिन उनका कोई भी लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों की धांधली और राज्य सरकार की लापरवाही से उनकी दशा और भी गम्भीर होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की धांधलेबाजी और राज्य सरकारों की लापरवाही से यह दशा और भी गम्भीर होती जा रही है और बेरोजगारी की हालत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हो रहा है। काम के बदले अनाज योजना की आड़ में मशीनों से काम लिया जा रहा है। हमारे संसदीय क्षेत्र जौनपुर और गाजीपुर में तीन लोगों ने खुदकुशी कर ली। . . . **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है ? मैंने अभी बोलना शुरू ही किया है कि आपने घंटी बजा दी। मुझे एक मिनट का तो समय दीजिए, ताकि मैं अपनी बात समाप्त कर सकूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आपकी तरह और लोग भी बोलना चाहते हैं। अगर हर कोई पाँच मिनट के लिए बोलना चाहता है, तो क्या सभी को समय देना संभव होगा ?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने खुदकुशी की है उनकी जेब से जो पत्र बरामद हुआ है उसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि बेरोजगारी के कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली। मान्यवर मेरे संसदीय क्षेत्र के जौनपुर की केराकत और गाजीपुर की सैदपुर तहसील में छः सात कालेज हैं। वहां के लड़के आजकल डिग्रियों को जला रहे हैं। बेरोजगारी के कारण उनकी बुरी स्थिति हो गई है और वहां पर हालत बहुत खराब है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को निर्देश दें क्योंकि प्रान्तीय सरकारें बेरोजगारी को दूर करने की

जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर डाल दिया करती हैं। इसलिए केन्द्र सरकार इन स्थानों की बेरोजगारी को दूर करने का प्रयत्न करें।

श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विनती करना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्रमें इस समय यूरिया खाद की बहुत कमी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गूंडेवार, पढ़ने के बजाय, आप तथ्यों को सामने रखिए और सरकार को सुझाव दीजिए। यह बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनथराव गूंडेवार : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के हर जिले में यूरिया खाद की बहुत कमी है। सरकार ने जितना कोटा मंजूर किया है उससे आधा कोटा भी वहां नहीं गया है। इसका दुष्प्रभाव फसल पर पड़ेगा और फसल भी बहुत कम होने का अनुमान है। इसलिए मुझे डर है कि वहां पर इस बार फसल बहुत कम होगी। मेरे संसदीय क्षेत्र के परभणी जिले में 40,800 मीट्रिक टन यूरिया खाद भेजने की मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 12 हजार टन यूरिया खाद ही दी गई है। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में कमी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र में जल्दी से जल्दी यूरिया खाद की सप्लाई की जाए।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जबलपुर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहाँ दो विश्वविद्यालय हैं। वहाँ उच्च न्यायालय है और साथ ही साथ वह मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का मुख्यालय भी है। वहाँ थल सेना की एक बड़ी छावनी है और कई सरकारी कारखाने भी है। वह सचमुच ही मध्य प्रदेश का एक सांस्कृतिक केंद्र है और इसीलिए संत विनोबा भावे जब जबलपुर आए, उन्होंने इस जगह को 'संस्कारधनी' का नाम दिया। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री के. पी. सिंह देव, मेरे आमंत्रण पर जबलपुर आए और उन्होंने कृपापूर्वक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और नए आकाशवाणी भवन का उद्घाटन किया। परंतु, उभरते कलाकारों की प्रतिभाओं को व्यक्त करने और महाकौशल क्षेत्र की लोक संस्कृति के संवर्धन के लिए जबलपुर में एक दूरदर्शन स्टुडियो का होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश की अन्य जगहों जैसे, इंदौर, भोपाल, रायपुर, और बस्तर के जगदलपुर में भी दूरदर्शन स्टुडियों हैं, परंतु जबलपुर में नहीं है।

इसके अतिरिक्त, जबलपुर की जनता दूरदर्शन के दूसरे चैनल की भी अत्यधिक माँग कर रहीं है।

[हिन्दी]

श्री सुबास चन्द्र नायक : उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के कालाहांडी, फूलबनी, बोलांगीर ढंकानाल,

सम्भलपुर और कोरापुट आदि बहुत पिछड़े एरिया हैं। वहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। 1947 में हमारे कालाहांडी जिले में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए इन्दिरावती नाम से एक सिंचाई प्रोजैक्ट शुरू हुआ था। उसमें जो 1994 तक का टारगेट दिया गया था उसके अनुसार उस पर काम पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए शुरू में 200 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन काम धीरे होने के कारण वह एस्टीमेट अब कई गुना बढ़ गया है और यदि इन्द्रावती का काम इसी प्रकार से चलता रहा तो मेरा नाती भी आ जाएगा लेकिन इन्द्रावती प्रोजैक्ट का काम कम्पलीट नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड बैंक से इसके लिए पैसा लेने की कोई व्यवस्था नहीं हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने और इन्द्रावती प्रोजैक्ट का कार्य पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार प्रयत्न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मेरा निवेदन है कि जयपटना के ब्लाक मुखीगुड़ा में इन्द्रावती प्रोजैक्ट के नजदीक ही 15-20 किलोमीटर की दूरी पर कोकसरा ब्लाक है। इन्द्रावती प्रोजैक्ट पर करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी उसके इतने नजदीक कोकसरा के किसानों के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर एक एस.ई. लिफ्ट इरिगेशन का कार्यालय खोला जाए और कोकसरा ब्लाक के किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम शायद समय से नहीं आया।

(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाहीं वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष घग्घर नदी की बाढ़ से श्री गंगानगर जिले की तहसील टिब्बी हनुमानगढ़, सूरतगढ़, विजयनगर और अनुपगढ़ के क्षेत्र का काफी इलाका पूर्णरूपेण प्रभावित हुआ है। उक्त क्षेत्र में कपास, नरमा, चावल आदि की फसलें नष्ट हो गई हैं। काफी संख्या में नलकूप एवं ढाणिया भी पानी भरने से डूब गये हैं। गांवों में माली नुकसान भी बहुत हुआ है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी मौके का मुआयना कराकर हानि का तखमीना लगवाकर शत-प्रतिशत मुआवजा दिया जाये। घग्घर नदी को नहर की तरह से तैयार करने के लिए पूरा बजट दिया जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की जान व माल की हानि न हो। धन्यवाद।

श्री मोहन एस. डेलकर (दादरा और नगर हवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, दादरा और नगर हवेली में शुगर प्रोजेक्ट के बारे में सदन में इस प्रश्न को मैंने बार-बार उठाया है। वहां से जो रिपोर्ट आई है वह

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

टोटली गलत है। वहां पर जो आफिसर्स हैं उन्होंने ही यह गलत रिपोर्ट बनाकर दी है। शुगर फैक्टरी प्रोजेक्ट में कम से कम 300 आदिवासी लोग रहते हैं। मेरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। वहां पर कम से कम 80 प्रतिशत आदिवासी लोग रहते हैं। वहां पर उनकी खुद की जमीने हैं, खुद के घर हैं। वहां पर जबरदस्ती उनको उनके घरों और जमीनों से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है इससे सारे आदिवासियों में नाराजगी और घबराहट फैल गयी है। आई.एफ.सी.आई. के जो लोग वहां पर जांच करने के लिए गये थे, उन्होंने भी उन लोगों के साथ मिलकर गलत रिपोर्ट दी है। आज यह हालत दादरा और नगर हवेली में हो गयी है। वहां की अध्यक्ष बॉडी ने रैजोलूशन पास किया है। भारत एक लोकशाही देश है। वहां पर जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वे जो भी सजैशन भेजते हैं, उसको भंग कर दिया जाता है। आज आदिवासी लोगों को धमकियां दी जाती हैं। उनको उनके घरों से बाहर निकाला जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि वहां पर जो चुने हुए लोग हैं वे धरने कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनको भारत सरकार से आश्वासन मिले कि वहां पर आदिवासियों के अन्दर जो घबराहट है, उनकी जो नाराजगी हैं। **(व्यवधान)**

श्री ई.अहमद : महोदय, नागरिक उड्डयन के महानिदेशक ने हिन्दी के आवश्यक प्रयोग के निर्देश जारी किए हैं। **(व्यवधान)**

श्री पी.जी. नारायणन : यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अभी 12.30 बजे हैं। अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करेंगे।

12.34 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना संख्या का.आ. 635 (अ) दिनांक 25-8-93 के शुद्धिपत्र से सम्बन्धित अधिसूचना तथा नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) अधिसूचना संख्या का.आ. 165 (अ) जो 14 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसमें 25 अगस्त, 1993 की अधिसूचना संख्या का.आ. 635 (अ) का शुद्धि पत्र है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6249/94)

(2) नेवली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6250/94)

नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 से 1991-92 तक के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाला विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) (एक) (क) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 से 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6251/94)

(ख) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 से 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6252/94)

(दो) (क) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 से 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6253/94)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6254/94)

वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : मैं श्री पी.के. थुंगन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6255/94)

राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे का वर्ष 1992-93 तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (इंडिया), नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाला विवरण।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6256/94)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6257/94)

12.34½ म.प.

[हिन्दी]

ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री शिवचरण माथुर (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं ''कोयला उद्योग के आधुनिकीकरण और विकास-एक आलोचना'' विषय पर उर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति का दसवीं प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे सम्बन्धित समिति/उप-समिति की बैंठकों का कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करना चाहता हूँ। **(व्यवधान)**

12.35 म.प.

[हिन्दी]

श्री मोहन एस. डेलकर (दादर और नागर हवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, वे अपने घर-बार छोड़कर जा रहे हैं, अपनी ज़मीनें छोड़कर जा रहे हैं। मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप उनसे कहिए कि वे इसके बारे में कुछ वक्तव्य दें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह बात किसी और मंच पर उठाइये।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, माननीय सदस्य श्री डेलकर जी ने अपनी प्रबल भावना व्यक्त की है। मैं इसे माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में निश्चित रूप से लाऊँगा और वह जो भी कार्यवाही उचित समझेंगे करेंगें।

[हिन्दी]

श्री अनादिचरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सजैशन है कि यदि सबके पास लिखा हुआ है तो उसे पढ़ दिया जाए और वह सौ शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। श्री दास के सुझाव को मानना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा है।

(व्यवधान)

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नारायणन जी, क्या आज इस सत्र का अन्तिम दिन है ? नियमों में विशेष प्रावधान है। आप चर्चा हेतु उस प्रावधान के अन्तर्गत मुद्दा उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागरिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा सभी निजी विमान कम्पनियों के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अहमद जी आप सरकार से उत्तर की आशा नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील (नान्देड़) : क्या जीरो ऑवर में एक बात को एक ही बार बोला जाता है ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल इसे किसी रूप में प्रस्तुत करें। अभी कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शमिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : मदाम, कृपया मेरी बात सुनिये। यदि आपके सहयोगी पहले ही अपनी बात पूरी कर लेते तो आपको अवसर मिल सकता था। मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : दो दिन पहले यूरिया पर जो लोग बोले थे, उन्हें फिर से बोलने दिया गया जब कि मेरा अहम प्रश्न था और मुझे नहीं बोलने दिया गया। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा करेंगे। श्री विजय एन. पाटील जी।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम 377 के अधीन मामले

12.37 म.प.

(एक) रेल यात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने और रेलवे सुरक्षा बल का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री विजय एन. पाटिल (इरनदोल) : महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मध्य रेलवे के मनमाड-जलगांव सेक्शन और पश्चिम रेलवे के सूरत-भुसावल सेक्शन पर चलने वाली गाड़ियों में डकैतियां अक्सर हो रही हैं। हाल ही में मनमाड और जलगांव के बीच बंगलौर-अहमदाबाद एक्सप्रेस को 10 जुलाई, 1994 को लूटा गया। पिछले पांच महीनों के दौरान इस क्षेत्र में डकैती की यह बारहवीं घटना है। यात्रियों को चाकू और बंदूक की नोक पर लूटा जाता है और अपराधी शायद ही कभी पकड़े जाते हैं। भारत सरकार रेल सुरक्षा बल और कानून और व्यवस्था संबंधी विभाग पर सैकड़ों करोड़ खर्च कर रही है ताकि लोगों के जान-माल को सुरक्षा प्राप्त हो सके।

रेल-सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों को परेशान किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस बल के कार्मिकों पर कदाचार और अक्षमता के आरोप भी लगाए गए हैं।

मैं सरकार से अपेक्षित उपचारात्क उपाय करने का अनुरोध करता हूँ।

(दो) धारावी गंदी बस्ती सुधार योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता।

श्री शरद दिघे (बंबई उत्तर मध्य) : महोदय, जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी वर्ष 1985 में कांग्रेस शताब्दी समारोह के अवसर पर मुम्बई आए थे, तब उन्होंने झुग्गी-झोपड़ियों के विकास के लिए मुंबई के लिए 100 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की थी। उस राशि में से एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी-झोपड़ी बस्ती जिसका नाम धारावी है, के विकास के लिए 37 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। धाराबी के लिए एक विकास योजना प्रधानमंत्री प्रदत्त अनुदान योजना के नाम से शुरू की गयी थी, जिसका बाद में राजीव गांधी अनुदान योजना नामकरण किया गया। यद्यपि 37 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी गई है, फिर भी बहुत सा काम अभी भी बाकी है।

मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि धारावी झुग्गी-झोपड़ी बस्ती के सुधार कार्य के लिए विशेष निधि आबंटित की जाए, क्योंकि राज्य सरकार उस योजना को पूरा करने के लिए धन प्रदान करने

में असमर्थ हैं।

(तीन) दलित इसाइयों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की आवश्यकता।

श्री पाल के.एम. मैथ्यू (इदुक्की) : दलित ईसाईयों की लंबे समय से मांग रही है कि उन्हें भी अन्य अनुसूचित जातियों और पिछड़े समुदाय के समकक्ष माना जाए, लेकिन यह स्वप्न साकार नहीं हुआ है। विभिन्न आयोगों, सभी ईसाई समुदायों अनेक धर्मनिरपेक्ष संगठनों और 250 से ज्यादा सांसदों ने सरकार से कई बार यह निवेदन किया है कि दलित ईसाईयों को वे सभी सुविधाएं दी जाएं जो नव बोध धर्मावलम्बियों और सिख धर्म अपनाने वाले सिखों को दिए गए हैं।

यद्यपि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है तथापि दलित अभी भी समाज आर्थिक सामाजिक तथा अन्य दृष्टि से पिछड़े तथा कमजोर हैं। वे उन सभी सुविधाओं के हकदार हैं। जिसका उपभोग उपेक्षित वर्ग के लोग कर रहे हैं।

यह मांग हमारे संविधान की बुनियादी मान्यताओं, मूल मानवाधिकारों धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, समाजवाद और समानता के सिद्धांत के अनुरूप है। यह मांग न्याय, समानता और भाईचारे के लिए हैं।

संविधान में संशोधन करके दलित ईसाईयों को भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना न्यायोचित और उचित है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(चार) राजस्थान में जयपुर-भीलवाड़ा-इंदौर मार्ग पर तथा अन्य मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू करने की आवश्यकता।

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : वर्ष 1988-89 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि राजस्थान के भूतपूर्व रजवाड़े वाले राज्यों में विकसित की गई हवाई पाईपों और हवाई अड्डे का पुनः निर्माण किया जाए और राजस्थान के विभिन्न नगरों, और शहरों को विमान सेवाओं से जोड़ कर इसे यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उपयुक्त बनाया जाए। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, भीलवाड़ा की हवाई पट्टी भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार विकसित की गई। विमान यातायात के नियंत्रण के लिए सुविधाओं को देखते हुए एक टर्मिनल भवन बनाया गया और एक उपयुक्त हवाई पट्टी बनाई गई जिससे कि वी.आर.ओ. 748 को विमान उतारने की सुविधाएं प्राप्त हो सके और बाद में कुछ परिवर्तन करके बोइंग 737 को उतारने के लिए भी व्यवस्था की गई। आश्चर्य की बात यह है कि सरकार द्वारा वायुदूत के परिचालन को समाप्त किए जाने के निर्णय के कारण, यह महत्वपूर्ण हवाई-संपर्क बंद कर दिया गया। चूंकि भीलवाड़ा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है और जयपुर-भीलवाड़ा-इंदौर और अहमदाबाद-भीलवाड़ा-सिरोही के बीच विमान यात्रा की पर्याप्त संभावनाएं

हैं, अतः यह निवेदन है कि सरकार जयपुर से भीलवाड़ा-इंदौर और अन्य मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। विमान संपर्क भीलवाड़ा वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम होगा क्योंकि इस नगर में कुछ वर्षों के दौरान व्यापार और उद्योग में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है।

12.42 म.प.

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे) 1894-95

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), 1991-92 – जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वर्ष 1994-95 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे) और वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) मद संख्या 8 और 9 पर चर्चा और मतदान शुरू करेंगे।

श्री जी.गंगा रेड्डी : अनुपस्थित

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, मैं अपना भाषण अपने राज्य उड़ीसा और अपने संसदीय क्षेत्र सुन्दरगढ़ की रेल संबंधी समस्याओं तक ही सीमित रखूंगी वर्ष 1993-94 के दौरान बोलनगीर से खुरदा रेल मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और इस रेल मार्ग पर निर्माण कार्य अविलम्ब आरंभ किया जाना चाहिए। यह रेल मार्ग, उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा।

दूसरा, महोदय मेरे संसदीय क्षेत्र सुंदरगढ़ के जिला मुख्यालय को रेल मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। सबसे निकतम रेलवे स्टेशन झरसुगुड़ा है जो सुंदरगढ़ से 30 कि.मी. दूर है। इसलिए झरसुगुड़ा से जसपुर बारास्ता सुंदरगढ़ नगर के लिए एक नए रेल मार्ग की मंजूरी दी जानी चाहिए। जब तक यह नहीं हो पाता है तब तक के लिए सुंदरगढ़ में एक रेलवे बुकिंग कार्यालय खोला जाना चाहिए जो मेरे संसदीय क्षेत्र सुंदरगढ़ के लोगों की चिर अपेक्षित मांग है।

तीसरा, सम्बलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस को हाल ही में पश्चिम उड़ीसा के लोगों के हित को देखते हुए शुरू किया गया है। मूल रूप से यह निर्णय किया गया था कि इस गाड़ी को रायगोडा से शुरू किया जाना चाहिए जो कोरापुट जिले में हैं। लेकिन चूंकि रायगोडा रेलवे स्टेशन में कोई टर्मिनल सुविधा नहीं है, अतः यह सम्बलपुर से शुरू होता है। यह लंबी दूरी की गाड़ी है। यात्रियों को भोज्य पदार्थों के लिए परेशानियां झेलनी पड़ती हैं कि इस गाड़ी को सम्बलपुर से निजामुद्दीन तक पहुंचने में दो दिन का समय लगता है। इसलिए, यात्रियों को खाद्य सामग्री खरीदने में परेशानी झेलनी पड़ती है। अतः इस गाड़ी में यथाशीघ्र एक भोजनयान जोड़ा जाना चाहिए। इस गाड़ी से जुड़ा एक वातानुकूलित कोच झरसुगुड़ा से

सम्बलपुर तक जाता है और कुछ डिब्बे राऊरकेला तक जाते हैं। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कोई वातानुकूलित डिब्बा नहीं है जो राऊरकेला तक जाता है। इसलिए, यह निवेदन है कि राऊरकेला की ओर जाने वाली बोगियों के साथ एक और वातानुकूलित यान जोड़ा जाये जिससे कि राऊरकेला से आने वाले यात्री इसका लाभ उठा सकें।

बोकारो अल्लैपी एक्सप्रेस एक लंबी दूरी की गाड़ी है। एक भोजनयान इसमें जोड़ा जाए ताकि यात्रियों को भोजन मिल सके। इस गाड़ी में एक वातानुकूलित डिब्बा भी जोड़ा जाए। गर्मी के मौसम में इस गाड़ी से यात्रा करना बहुत ही कठिन है। इसका कारण है इसमें वातानुकूलित डिब्बा नहीं है।

हावड़ा से कुरला तक जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों में एक और वातानुकूलित डिब्बा जोड़ा जाना चाहिए। जहां तक सम्बलपुर तालचेर रेल मार्ग का मामला है स्वर्गीय राजीव गांधी ने सम्बलपुर में इस रेल मार्ग के निर्माण के लिए इस वर्ष पहले आधारशिला रखी थी। निर्माण कार्य बहुत ही धीमा है। अब तक मात्र एक तिहाई परियोजना ही पूरी हुई है। यह कार्य भी यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। मेरे सहयोगी, श्री बल्लभ पाणिग्रही ने भी इसकी मांग की है।

जहां तक उत्कल एक्सप्रेस का मामला है यही एक गाड़ी है जो उड़ीसा के अधिकांश भागों को दिल्ली से जोड़ती है। यह गाड़ी कभी भी समय पर नहीं चलती है। मध्य प्रदेश में यह गाड़ी प्रत्येक स्टेशन पर रूकती है और यह स्थानीय गाड़ी बन कर रह जाती है। आगरा-ग्वालियर-झांसी के बीच इसमें बहुत अधिक भीड़ हो जाती है क्योंकि नियमित यात्री जबरदस्ती आरक्षित डिब्बे में घुस जाते हैं और लंबी दूरी के यात्रियों की स्थिति दयनीय कर डालते हैं। अतः इसे रोकने के कदम उठाए जाएं ताकि यात्रियों को सुरक्षा हो सके और उन्हें आराम मिल सके। राऊरकेला रेलवे स्टेशन में सुधार करने की आवश्यकता है। राऊरकेला उड़ीसा का गौरव है। राऊरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण, भारत के नक्शे में राऊरकेला का महत्वपूर्ण स्थान है। राऊरकेला रेलवे स्टेशन पर अनेक सुधार करने की आवश्यकता है। और यह कार्य अविलम्ब शुरू किया जाना चाहिए। वहां तत्काल एक प्लेटफार्म बनाए जाने की आवश्यकता है। बुकिंग काउंटरों को कम्प्युटरीकृत किए जाने की आवश्यकता है। और राऊरकेला रेलवे स्टेशन को सभी टर्मिनल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं।

दो ऊपरी पुल बनाने की आवश्यकता है, एक बसंती कालोनी राऊरकेला में और दूसरे कुकदा गेट में, जो बोन्डामुंडा के आसपास है। बसंती कालोनी उदितनगर के दूसरी ओर स्थित है। कुकदा गेट, राउरकेला-जेराईकेला सड़क पर स्थित है। सैकड़ों दैनिक कामगार आजीविका के लिए आसपास के गांवों से राऊरकेला आते हैं। जब रेल उस क्षेत्र से गुजरती है तो उनका मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। इन दोनों फलाईओवरों को शीघ्र ही बनाया जाना है। दूसरे फ्लाईओवर को राजगंजपुर मालेदीह सड़क पर राजगंजपुर रेलवे स्टेशन पर बनाने की जरूरत है।

राऊरकेला इस्पात संयंत्र के हजारों कामगार और दैनिक श्रमिकों को जो कोयल नदी की दूसरी ओर बसे हुए हैं, प्रतिदिन राउरकेला जाना पड़ता है और उन्हें कोयल नदी पर बने रेलवे पुल को पार करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाएं होती रहती हैं और कई लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। रेलवे लाईन की एक तरफ पैदल पार पथ बनाए जाने की जरूरत है ताकि कामगार लोग नदी को अच्छी तरह से पार कर सकें।

पनपोश रेलवे स्टेशन एक पुराना रेलवे स्टेशन है जो कालूंगा और राउरकेला रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित है। बस स्टेशन में अविलम्ब सुधार की जरूरत है। इस रेलवे स्टेशन के विकास के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए और यह विकास, वर्ष 1994-95 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों के अंतर्गत प्रदत्त निधि से होना चाहिए।

एक पैदल पार पथ जरेकला रेलवे स्टेशन पर बनाया जाना चाहिए। बीसरा शहर मेरे संसदीय क्षेत्र का व्यापार केन्द्र है। व्यापारी लोगों को खरीददारी के लिए कलकत्ता और रायपुर जाना पड़ता है। इसलिए वे काफी अरसे से मांग करते रहे हैं कि हावड़ा-बंबई एक्सप्रेस को बीसरा में रेलवे स्टेशन पर रोका जाए। यह मंजूर किया जाए।

उत्कल एक्सप्रेस को अमृतसर तक बढ़ाने और झरसुगुड़ा रेलवे स्टेशन से चलने वाली एक नई रेलगाड़ी पाटली पुत्र जो बिहार राज्य में पटना तक जाती है उपलब्ध कराकर माननीय रेल मंत्री ने मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र सुंदरगढ़ को दो चिरकालिक मांगों को पूरा किया है। यह सुविधा प्रदान करने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री की आभारी हूं।

अंत में मैं अनुपूरक मांगों और अनुदानों की अतिरिक्त मांगों का पूरा पूरा समर्थन करती हूं।

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद दुर्भाग्यवश, यद्यपि मंत्रीजी की अनुपस्थिति की चर्चा कल सुबह भी हुई थी, फिर भी रेल मंत्री महोदय अनुपस्थित हैं। वह संसदीय कार्य से भी अधिक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होंगे। इसीलिए वह आज यहाँ उपस्थित नहीं हुए। आपने मेरा नाम पुकारा है और मुझे बोलने के लिए समय दिया हैं मुझे इस समय का उपयोग करना है, लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय रेल मंत्री जी यहां नहीं है। श्री मल्लिकार्जुन जिन्हें अभी भी रेल मंत्री के रूप में जाना जाता है यद्यपि वह रेलवे के प्रभारी नहीं है, यहाँ उपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको हताशा नहीं होना चाहिए।

श्री पी.सी. चाको : मैं वाकई हताश हूँ लेकिन सच्चाई यह है कि सदन में रेलवे पर बोलने का दूसरा मौका है। माननीय सदस्यों को जो मौका मिलता है उसका उपयोग हो रहा है। कल बहुत से सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया था। केरल के अन्य माननीय सदस्यों ने रेलवे वजट में खुशी के साथ नहीं बल्कि भारी हृदय से भाग लिया था। पिछले वर्ष, केरल के सदस्य एकमत से केरल में और अधिक विकास के

लिए मांग कर रहे थे। यद्यपि हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने हाल में रेलवे बजट में कुछ योजनाओं की घोषणा की थी जिससे माननीय सदस्य कुछ समय के लिए संतुष्ट तो हो गए थे लेकिन अब स्थितियाँ भयावह हो चली हैं। सच्चाई यह है कि पिछले रेलवे बजट में, केरल में, योजनाओं के लिए 30.2 करोड़ रुपये की कुल राशि आबंटित हुई थी। लेकिन बजट के पारित होने के पाँच महीने के बाद माननीय रेल मंत्री जी अब सदन के समक्ष अनुपूरक मांग लेकर खड़े हैं। मुझे इस अनुपूरक माँगों का समर्थन करने में खुशी है क्योंकि इसमें 72 सेवाएँ शामिल हैं और इस कार्यप्रक्रिया की संसद द्वारा अभिपुष्टि करने की जरूरत है।

लेकिन जब रेलवे नई योजनाओं को शुरू करने की सोच रही है और नए शीर्षों के अन्तर्गत धन की माँग कर रही है और इसके लिए संसद की अनुमति मांगते हैं, तो कितनी राशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है ? जिस बजट को हमने पास किया है उसके विषय में क्या कहेंगे ? पिछले रेल बजट की 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि के लिए पारित किया गया है। इनमें से, 30.2 करोड़ रुपये केरल की सभी योजनाओं के लिए आबंटित किए गए थे। जबकि केरल में पिछले पाँच महीने से एक भी पेसा खर्च नहीं हो रहा है। मैं यह आरोप पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लगा रहा हूँ। पिछले पाँच महीने में, बजट के पारित हो जाने के बाद यद्यपि कुछ योजनाएँ केरल को 30.2 करोड़ रुपये में से आबंटित की गई थी, जबकि केरल में एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा हैं।

प्रशासनिक मंजूरी नहीं जा रही है। किस प्रकार यह हो रहा है ? मैं रेल मंत्री से अपेक्षा करता हूँ कि वह उत्तर दें कि हम लोग अनुदान संबंधी अनुपूरक माँगों पर कब मतदान करेंगे ? अनुदान संबंधी अनुपूरक मांगें सदन के समक्ष है। हमें खुशी है इसे समर्थन देने में। लेकिन यह किस तरह हुआ ?

महोदय, कुछ नई रेलें केरल में चलाई गई हैं। हमें इस बात को लेकर खुशी है। लेकिन जब नई रेलगाड़ी चालू हुई, तो केरल के प्रति सौतेला व्यवहार पुनः शुरू हो गया। इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हाल ही में, राजधानी एक्सप्रेस को त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया गया। पहले यह निजामुद्दीन और मद्रास के बीच चल रही थी। इसे त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाया गया। सामान्यतः जब कोई राजधानी एक्सप्रेस चालू की जाती है तो जहाँ से यह गाड़ी चलती है । सारे पद उसी जगह के हो जाते हैं। नए पद, जो उस गाड़ी के लिए मंजूर किए जाते हैं, उस जगह से भरे जाते हैं जहाँ से गाड़ी चलती है। राजधानी एक्सप्रेस त्रिवेन्द्रम से ही चलती है। लगभग 200 पद, जो त्रिवेन्द्रम मंडल से लिए जाने हैं, अब निजामुद्दीन को जा चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन अधिकारियों का व्यवहार क्या है जो इस मामले को देखते हैं। हाल ही में, लगभग 2000 टन रेलें जो क्वीलोन और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाईन के दोनों किनारे पड़ी हुई थी को अन्य राज्य को अंतरित कर दिया गया। मैं उक्त राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जहाँ इसे ले जाया गया था क्योंकि मैं पूरे देश को अपना राज्य मानता हूँ भारत एक देश है और मुझे इस पर गर्व है। किसी भी

राज्य में रेलवे का विकास होने दीजिए।

मैं तनिक भी दुखी नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि कयमकुलम-त्रिवेन्द्रम मार्ग के दोहरीकरण के लिए, रेलों की आपूर्ति कराई गई थी सिलपटें आपूर्ति कराई गई थी और यह त्रिवेन्द्रम और कयमकुलम मार्ग के दोनों किनारे इसे इकट्ठा कर दिया गया था। महोदय, आप इस स्थान से पूरी तरह परिचित हैं। आप कई बार हमारे राज्य में पधारे हैं। मूल कठिनाई कयमकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच है। यदि केरल के लिए और भी गाड़ियां चलाई जाएं, तो हमें इससे लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि मार्ग का दोहरीकरण पूरा नहीं किया गया है। त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलंम के बीच, 200 और 220 कि.मी. की दूरी है। अब तथाकथित तेज गति वाली गाड़ियां 200 कि.मी. की दूरी तय करने के लिए 5 घंटे लगाती हैं क्योंकि देहरीकरण पूरा नहीं किया गया है। कायमकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच थोड़े से रेलमार्ग का दोहरीकरण का काम पूरा नहीं किया गया है। आप स्मरण करते होंगे कि कम से कम आधे दर्जन बार हमारे मित्रों ने इस मुद्दे को उठाया है। रेल मंत्री हमेशा हर तरह का स्पष्टीकरण देते हैं। मेरा उनसे निजी झगड़ा नहीं है। केरल में क्या हो रहा है ? इस सदन में क्वीलोन और त्रिवेन्द्रम के बीच मार्ग के दोहरीकरण का वादा किया गया है। जब केरल के सभी सदस्य इस सदन में चिल्ला रहे थे और एक दिन चंद्रशेखर जी खड़े हुए थे और हमारा समर्थन किया था। लोग महसूस करते हैं कि केरल को अपना हिस्सा नहीं दिया गया है। हम प्रत्येक वार शोर-शराबे करते रहे हैं। तब, यह लगता था कि मंत्रीजी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में क्या हुआ क्या मार्ग का दोहरीकरण का वादा किया गया था। इसके लिए धन मुहैया कराया गया था। लेकिन धन खर्च नहीं किया गया। बजट के पारित किए जाने के पांच महीने बाद भी, धन खर्च नहीं किया गया। आदेश नहीं दिया गया। केवल इतना ही नहीं मार्ग के दोहरीकरण के लिए जो रेलें प्रदान की गई थी और केरल के लिए जो शयनयान इस उद्देश्य के लिए सप्लाई किए गए थे और जो केरल पहुंच गए थे, को रेलवे के मार्ग के दोनों किनारे ढेर कर दिया गया था। और बाद में केरल के बाहर भेज दिया गया। यदि मार्ग का दोहरीकरण पूरा नहीं किया गया, तो कोई फायदा नहीं प्राप्त होगा। यदि और भी गाड़ियां चलाई जाती हैं और इस मार्ग का दोहरीकरण नहीं किया जाता है तो समस्याएं तो वैसी की वैसी ही रहेंगी। हम लोग शोरानूर-मंगलापूरम खण्ड के दोहरीकरण की माँग कर रहे थे। इसके लिए एक सेक्शन को ही लिया गया। दक्षिण रेलवे का स्पष्टीकरण यह है कि कोई और समानांतर मार्ग होने वाला है, इसलिए दोहरे मार्ग की आवश्यकता नहीं है। यह दुखद स्थिति है।

महोदय, केरल की कोंकण रेलवे परियोजना का भागीदार है। जहाँ तक कोंकण रेलवे परियोजना का प्रश्न है तो हमारी सरकार तमाम वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद इससे सहयोग कर रही है। दक्षिण के सभी राज्य योगदान कर रहे हैं। हम लोग भी कोंकण रेलवे परियोजना में योगदान दे रहे हैं। जब कोंकण रेल परियोजना को पूरा कर लिया जाता है। और जब यह मंगलौर पहुँच जाए, यदि मंगलौर से शोरानूर के मार्ग का दोहरीकरण कर लिया जाता है। तो भी केरल को फायदा नहीं होगा। यदि उस मार्ग को पूरा

नहीं किया जाता है तो गरीब राज्य को नए मार्ग को कैसे फायदा मिलेगा ? मुद्दा यह है कि कोंकण रेलवे से मिलने वाले लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। क्योंकि शोरानूर और मंगलौर मार्ग का दोहरीकरण नहीं किया गया है और इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। पिछले बजट में, हमसे कुछ वादे किए गए थे। हम कुछ समय के लिए इंतजार करते रहे। यह सभी शिकायतों करने के बाद, इतने वर्षों तक इंतजार करने के बाद, हमने सोचा कि केरल को कुछ अवश्य मिल जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं होने जा रहा है। जिस तरह से चीजें कार्यान्वित की जा रही हैं, और योजनाओं को आधे-अधूरे ढंग से निबटाया जा रहा है उससे तो यही लगता है कि यह केरल के हित में नहीं है।

1.00 म.प.

विकास कार्य के विषय में, त्रिवेन्द्रम को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। लेकिन यह तो महज नाम के लिए है। मै। भारी मन से एक बात कहना चाहता हूँ। राजधानी एक्सप्रेस, बड़ी प्रतीक्षा के बाद त्रिवेन्द्रम से निजामुद्दीन के लिए चलाई गई थी। और जब त्रिवेन्द्रम से गाड़ी चली तो हमने ट्रेन को सुंदरतापूर्वक सजाया और मलयालम, तमिल, हिन्दी और अंग्रेजी में जैसे चार भाषाओं में साइन-बोर्ड लगाए गए थे। सुंदरतापूर्वक लगाए गए सभी साइनबोर्ड ट्रेन में लगाए गए थे और ट्रेन में केरल की मनोरम दृश्यावलियों की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई थीं। इसका क्या हुआ ? जब ट्रेन निजामुद्दीन से वापस आई, तो यह सब तहस-नहस कर दिये गये थे। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कौन जिम्मेदार है। केरल की कुछ सुंदर दृश्व्यावल्यिां ट्रेन में प्रदर्शित की गई थी। लेकिन निजामुद्दीन से वापिस आई इस गाड़ी में ये सब हटा ली गई थी। यह समझा जाता है कि रेलवे इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करती है। रेलवे इस देश की एक समान सम्पर्क का साधन है। यह राष्ट्रीय एकता का महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है। लेकिन, यदि रेलवे इस तरह कार्य करता रहा तो मुझे इसका निमर्थन करने के विषय में दूबारा सोचना होगा। जब इस ट्रेन को त्रिवेन्द्रम से निजामुद्दीन के लिए पहली यात्रा के लिए सजाया गया था तो मलयालम में लिखे साइन बोर्डों को भी तहस-नहस कर दिया गया था और जो चित्र प्रदर्शित किए गए थे उनको भी तहस-नहस कर दिया गया था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मैं चाहता हूँ कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराई जाए। यही कारण है कि मैं उस समय बोलना चाह रहा था जिस समय मंत्री जी मौजूद हों। यदि किसी राज्य के साथ यही बर्ताव किया जाता है तो यह दुर्भाग्यिपूर्ण है। मैं रेलमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह का बर्ताव नहीं करें। हो सकता है कि मंत्री जी इस तरह का बर्ताव नहीं करते होंगे, लेकिन जो कोई भी इस तरह का वर्ताव करता है उसे रेल मंत्रालय में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इस सौतेले व्यवहार से कोई फायदा नहीं होगा। इस देश में बड़ी रेल लाइनें राष्ट्रीय अखण्डता का आधार हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जब हमारे मंडल से भर्ती की उम्मीद है तो यह छीन ली जाती है। इस तरह का छिट-पूट विकास, छिट-पूट योजना, मंजूरी देने में विलंब से केरल राज्य में रेल का विकास बाधित हो रहा है। राजनीति को नजरअंदाज कर केरल के सभी सदस्य रेल के विकास के लिए माँग करते रहे हैं। इन सभी चीजों के बावजूद जब दक्षिण रेल के अधिकारी हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं और हम एक दूसरे की टाँग नहीं खींचते हैं। हमारा अपना हित है इसमें। लेकिन हम एक साथ बैठते हैं और एकमत से अपनी प्राथमिकताएं व्यक्त करते हैं। केरल के सांसदों की यही प्रथा रही है। यद्यपि हम भिन्न-भिन्न राजनैतिक पार्टियों के होते हैं फिर भी किसी सम्मेलन में अपना मतभेद व्यकत नहीं करते। हम हमेशा एक होकर अपनी प्राथमिकताओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन इसे सुना नहीं जा रहा है।

मैं त्रिचूर से हूँ। हाल में, त्रिचूर और गुरूवयूर के बीच एक रेलवे मार्ग का उद्घाटित किया गया था। शायद यह 25 किलोमीटर लम्बाई की एकमात्र रेलवे लाईन है जिसे केरल में हाल ही में बनाया गया था लेकिन हम देखते हैं इसमें पुराने सिलपटे, इस्तेमाल रेलें इस मार्ग में गुरूवयूर को भारत की दक्षिणी काशी कहा जाता है। यह मंदिरों की नगरी है और हम देख रहे हैं कि नए मार्ग के निर्माण में इस्तेमाल किए गए रेलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही, इस क्षेत्र में जो गाड़ियां चल रही हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से नहीं चलती।

वहाँ पर यह स्थिति है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? मैं चाहता हूँ कि रेल मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें कोई भी किसी राज्य के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि कोई राज्य अपना उचित हिस्सा प्राप्त करता है तो हमें खुशी होती है परन्तु हमें भी अपना उचित हिस्सा मिलना चाहिए।

असंख्य केरल निवासी केरल से बाहर काम कर रहे हैं। परन्तु वह वर्ष में एक बार ओनम अथवा क्रिसमस के अवसर पर अपने परिवारों को मिलने अपने मूल निवास स्थान को आना चाहते हैं। महोदय, हमें एक बड़ी असुविधा है। हम हमेशा टिकट लेकर यात्रा करते हैं केरल निवासी हमेशा टिकट लेकर यात्रा करते हैं। बिना टिकट यात्रा से वे वाकिफ् नहीं हैं। बाकी स्थानों पर बगैर टिकट यात्रा करना आम बात है। परन्तु हम हमेशा टिकट सहित यात्रा करते हैं।

केरल के लोग लम्बी यात्रा करते हैं चाहे वह बम्बई की हो या झांसी की या किसी अन्य स्थान की। लाखों लोग जो शहर से बाहर रहते हैं अपने परिवारों के साथ समय बिताने आते हैं। उन्हें अपनी टिकट बुक करवाने हेतु तीन या चार महीने इन्तजार करना पड़ता है। तब भी उन्हें टिकट नहीं मिलते। हमने असंख्य बार रेल प्रशासन और रेल मंत्री से अनुरोध किया है परन्तु दुर्भाग्यवश आज भी वही स्थिति है।

महोदय यहाँ 12 कार्यक्रम शुरू किये जाने वाले हैं। जब यह उच्चतम निकाय 7,000 करोड़ रुपये रेल विभाग को देती है तो हमें 12000 रुपये की मांग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। परन्तु संसद के समक्ष कुछ नए कार्यक्रम आने वाले हैं। कुछ उपरि पुल बनाने के कार्यक्रम हैं रेल उपरि पुलों के बारे में क्या

स्थिति है ? आपने केरल के उत्तरी भागों में काफी भ्रमण किया है। कन्नानोर से कालीकट तक का रास्ता दो घण्टे में पार किया जा सकता है परन्तु इसमें पाँच घण्टे लगते हैं। मुख्य मार्ग पर ही चार रेल लेवल क्रौंसग हैं किसे प्राथमिकता दी जाती है ? मैं त्रिचूर से आ रहा हूँ और पिछले 25 वर्षों से वहां पर वाडाकानेचरी उपरि पुल मात्र है। वह हमेशा से रेल सूची में रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र के ओलूर लेवल क्रौसिंग पर दोनों तरफ कई किलोमीटर तक वाहन खड़े रहते हैं, हजारों लोग वहां रूके रहते हैं। हमने रेल-विभाग से वहाँ उपरि-पुल बनाने का अनुरोध किया है, परन्तु वह कहाँ है, कहां उसको प्राथमिकता मिल पाती है। हमें कुछ समझ में नहीं आता। देश के बिल्कुल दक्षिण छोर पर हमार राज्य की स्थिति होना हमारे लिए अयोग्यता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि रेल विभाग एक राष्ट्रीय संस्था है तो उसे हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए।

महोदय, इन 12,000 रुपये में से 1,000 रुपये एक नए शीर्ष के अन्तर्गत नई सेवा शुरू करने हेतु है। मैं समझता हूँ रेल उपरि पुल भी इसी का हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि रेल प्रशासन यह सोचें कि जहाँ तक रेल उपरि पुलों का सम्बन्ध है। चाहे ओल्लूर हो या वादाकेन्चेरी उपरि पुल हो कौन सी माँगें अपेक्षाकृत रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं ?

रेल पुलों की आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती है जहाँ यातायात की घनता 40,000 यात्री कार यूनिट प्रतिदिन होती है। यदि यात्री कार यूनिट 20,000 यात्री से अधिक है और कोई रेल पुल भी नहीं है तो आप जनता की मुसीबतों का अंदाजा लगा सकते हैं। यही वहां पर हो रहा है।

केरल से राजधानी एक्सप्रेस निकलती है। इस मामले पर हमारा अत्यधिक अपमान और तिरस्कार होता है। मंत्री जी का कथन है कि हमें खुश होना चाहिए, हम खुश हैं। हम खुश रहना चाहते हैं। यदि हम खुश नहीं भी हैं तब भी हम खुश रहने का प्रयास करेंगे। परन्तु हमें कोचीन से यात्रा करने हेतु इरोड़ से टिकट लेनी पड़ती है। यह गाड़ी एरनाकुलम् जाकर रूक जाती है। एरनाकुलम में टिकट लेने की सुविधा नहीं है। इरोड़ एरनाकुलम से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है परन्तु टिकट इरोड से त्रिवेन्द्रम तक का दिया जाता है। एरनाकुलम में वहाँ से त्रिवेन्द्रम जाने हेतु टिकट सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। फिर राजधानी एक्स्प्रैस हमारे किस काम की ? हम रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर राजधानी एक्सप्रैस को वहां से जाते हुए देख सकते हैं। हम टिकट लेकर यात्रा नहीं कर सकते। महोदय रेल प्रशासन इस प्रकार का अस्वस्थ दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। यह निराशाजनक भी है। हम कितनी बार रेल मंत्री के पास जाकर हमने निवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं। मैं रेलमंत्री को 25 वर्षों से जानता हूँ, हम अच्छे मित्र हैं। यहां उनकी निजी आलोचना नहीं हैं, परन्तु उन्हें रेल प्रशासन को ऐसे ही चलते नहीं रहने देना चाहिए। उन्हें रेल प्रशासन को लोगों के हितों, उनके भाग्य से खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हम कितना प्रयास करें ? हम सभी संसद सदस्य प्रधान मंत्री को मिले, रेल मंत्री को मिले

हमारी कई बैठकें हुईं। अपने अभ्यावेदन के विषय में हमारा कोई मत-वैभिन्नय नहीं रहा। हमने एक स्वर से अपना अभ्यावेदन दिया।

महोदय, अब मैं कायामकुलम से त्रिवेन्द्रम और शोरानोर से मैंगलोर लाइनों के दोहरीकरण के विषय कुछ कहना चाहूँगा। यदि इन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो पूरी व्यवस्था ठप्प हो जाएगी, सब कुछ गतिरूद्ध हो जायेगा, केरल का विकास पूरी तरह पिछड़ जायेगा। दक्षिणी-रेल को यह आदेश किसने दिए कि केरल की लाईनों के दोहरीकरण हेतु लाई गई रेलों को वापिस ले लो ? मैं मंत्री महोदय से एक सुस्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। केरल के लोग इस तरह की चीजों को सहन नहीं करेंगे। रेल विभाग को सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देते रहे हैं। हम अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व को जानते हैं। परन्तु इसके बाद हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। रेल स्टेशनों की संख्या बहुत कम है हम आरम्भिक देखभाल की बात कर रहे है। परन्तु वह नहीं दी जा रही हें। बहुत सी बैठकें हुई परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला। हमने रेल स्टेशनों पर जल सुविधाओं और आश्रय स्थल के बारे में कहा। मानसून की भारी वर्षा में जिसने पूरे राज्य को विध्वंसित कर रखा है, स्टेशन में किसी छत के नीचे खड़े होने की जगह भी नहीं हैं। स्थिति बहुत शोचनीय है। यहां तो गौशाला से भी बदतर स्थिति है। अधिकतर स्टेशनों पर स्थिति ऐसी है हम कुछ सुधार की मांग कर रहे हैं परन्तु वह भी प्रदान नहीं किया जाता।

इस सबके बावजूद हम इन मांगों का समर्थन करते हैं क्योंकि सरकार कुछ नया करना चाहती हैं । मुझे आशा है कि एक नई शुरूआत होगी। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी और रेल प्रशासन अपनी पिछली गलतियों को सुधारें तथा जो लोग, विशेषकर केरल की जनता, जिन सुविधाओं से वंचित रही है और उनके साथ जो अन्याय हुआ है। उसे दूर किया जाए।

इस सावधानी और चेतावनी के साथ मैं माँगों का समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की और आपकी सूचना हेतु मैं बताना चाहता हूँ कि श्री जाफर शरीफ ने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुपस्थित रहने की अनुमति माँगी थी। श्री मल्लिकार्जुन ने उठाए गए मुद्दों को लिख लिया है।

अब श्री ओस्कर फर्नान्डीज बोलेंगे।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : महोदय, मैं कन्नड़ में बोलना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भोजनावकाश के पश्चात् बोल सकते हैं।

अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.10 तक म.प.के लिए स्थगति होती है।

1.11 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.10 म.प. तक के लिए स्थगति हुई।

2.18 म.प.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2.18 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुदानकी अनुपूरक माँगें (रेलवे) 1994-95

और

अतिरिक्त अनुदान की माँगें (रेलवे) 1991-92 - जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ओस्कार फर्नान्डीज

*** श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी) :** उपाध्यक्ष महोदय, आज दोपहर मैं वर्ष 1994-95 के लिए अनुदान संबंधी अनपूरक माँगों का समर्थन कर रहा था। अब मैं अपना भाषण आगे जारी रखता हूँ।

जहाँ तक मुझे ज्ञात है, हाल ही में योजना भवन में एक महत्पूर्ण निर्णय लिया गया है कि मंगलौर और बंगलौर के बीच छोटी लाईन को बड़ी लाईन में बदल दिया जाए। इस समाचार से कर्नाटक राज्य के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह आमान परिवर्तन न केवल कर्नाटक के लिए ही बल्कि तमिलनाडु, केरल और अन्य पड़ौसी राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे उनके बीच एक प्रत्यक्ष रेलवे मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। यह मंगलौर और मद्रास पत्तन को बरास्ता बंगलौर जोड़ सकेगा। मंगलौर को बम्बई से बरास्ता आरसीकेरा जोड़ा जाएगा।

बंगलौर और मिराज के बीच आमान परिवर्तन की मांग, काफी समय से कर्नाटक के लोग करते रहे हैं। शायद मंगलौर-अरसीकेरा आमान-परिवर्तन का कार्य उपरोक्त परियोजना का ही एक हिस्सा है बंगलौर और अरसीकेरा के बीच आमान-परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है और इसे नियमित रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। इस मार्ग का आमान परिवर्तन बम्बई तक किया जाना है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त परियोजना के लिए योजना आयोग से मंजूरी प्राप्त करने के लिए योजना आयोग से मंजूरी प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करें। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे दक्षिण कन्नड़ा जिला आए और इस महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला रखें। इस परियोजना से ग्रामीण लोगों को काफी हद तक लाभ होंगे।

मंगलौर कर्नाटक का प्रवेश द्वार है। बंगलौर राज्य की राजधानी है। इन दो शहरों के बीच बड़ी लाईन का बनना भू-अन्तरदेशीय विकास कार्यक्रमों के लिए अति आवश्यक है।

कंटेनर सेवाओं को आरम्भ करने की काफी गुंजाईश है। अन्तराष्ट्रीय केन्द्रों से प्राप्त माल बंगलौर

---

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सीधे पहुँच सकता है। कृषि उत्पाद और विभिन्न औद्योगिक उत्पाद जिसका बंगलौर के आसपास उत्पादन होता है, मंगलौर और मद्रास बंदरगाहों को सीधे भेजा जा सकता है। इसलिए, इस आमान-परिवर्तन कार्य को शीघ्रातीशीघ्र पूरा करने की जरूरत है। बंगलौर तेजी से विशाल नगर के रूप में विकसित हो रहा है और यहां मेट्रो रेल की अपरिहार्य आवश्यकता है। बंगलौर कनार्टक की औद्योगिक क्रांति का केन्द्र है। यह सिलिकन घाटी है। यह देश में कंप्युटर साफ्टवेयर विकास का नाभिकीय केन्द्र हैं। अतः मंत्रालय को ज्यादा निधि प्रदान करनी चाहिए। और रेल मंत्रालय को मेट्रो रेलवे सहित परियोजनाएँ पूरी करनी चाहिए। उपनगरीय रेल से नगर का औद्योगिक विकास प्रशस्त होगा।

भारत अर्थमूवर्स लि. (बी ई एम एल) जो बंगलौर में स्थित है, रेल डिब्बें का निर्माण करता है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग 5,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस मामले की अविलम्ब जाँच कराएं और बी ई एम एल को निर्माण का आदेश जारी करें।

युनीगेज (एकसमान) प्रणाली एक अच्छा विचार है और इससे चहुंमुखी विकास होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में नए रेल मार्ग की जरूरत है। यदि बड़ी रेल लाईन बनाना कठिन है तो छोटी लाईन की गाडियां इन राज्यों में चलाई जाएं। तभी पूर्वोत्तर राज्य राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे।

इंडियन एयरलाईन्स ने कुछ सुविधाएँ प्रदान की है। लेकिन हममें से कितने लोग वायुयान से यात्रा कर सकते हैं ? मेरे एक मित्र ने, जो उस क्षेत्र के संसद सदस्य है, इस विषय का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि यदि उसे अपने किसी व्यक्ति के दिल्ली या कलकत्ता के अस्पताल में दाखिल कराना होता है उसे अपनी सम्पत्ति तक बेचनी होती है। यदि यह स्थिति है, तो किस प्रकार सामान्य लोग हवाई यात्रा कर सकेंगे। इसलिए, पूर्वोत्तर राज्यों में रेल सुविधाएँ अविलम्ब उपलब्ध कराने की आवश्यकता हैं सभी पूर्वोत्तर राज्य पर्वतीय क्षेत्र हैं। इसलिए उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लगभग 6,000 कि.मी. रेल लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित किया जा रहा है। स्क्रेप पूर्जे पूर्वोत्तर राज्यों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि लोगों को नई रेलवे मार्ग उपलब्ध हो सके। मैं युनीगेज (एक समान) प्रणाली के पक्ष में हूँ। यदि बड़ी लाईन उपलब्ध करना कठिन है तो कम-से-कम छोटी लाईन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

कोंकण रेलवे ने अच्छी प्रगति की है। मंगलौर से यह उदीपी तक आ गयी है। बम्बई की ओर से भी अच्छी प्रगति हुई है। इसने अप्टा, रोटा जैसी जगहों को पार किया है। मंगलौर से केरल की ओर जाने वाली रेलवे लाईन का दोहरीकरण किया जाना चाहिए।

हाल के बाढ़ से तटवर्ती कर्नाटक के लोगों का जीवन प्रभावित हुआ हैं कुछ हद तक, रेलवे लाईन भी इसके लिए जिम्मेदार है। माननीय मंत्री जी ने बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याओं का जायजा लेने के लिए हमारे क्षेत्र का दौरा किया है। रेलवे लाईन के दोनों किनारों पर पानी का जमाव हो गया है। रेलवे

लाईन के दोनों तरफ पानी-निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि इस कार्य को अविलम्ब पूरा किया जाए। इस रेलवे मार्ग के समानांतर एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। रेलवे लाईन और राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच जल निकासी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पानी लोगों के लिए, खासकर किसानों के लिए, बगैर कोई समस्या खड़ा किए प्रवाहित हो सके। यदि जल वहाँ जमा होता है तो, किसान रेलवे मार्ग के दूसरी तरफ जानवरों को नहीं ले जा सकते। रेलवे ऊपरी-पुल और भूमिगत पुल बनाने की जरूरत है ताकि किसानों की मदद की जा सके।

हमारे क्षेत्र के लोग कोंकण रेलवे से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपनी जमीनें दे दी बिना मुआवजे की रकम की परवाह किए दे दी। दरअसल, कोंकण रेलवे के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि उस परिवार के कम-से-कम परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी अवश्य दी जाएगी, जिसकी जमीन का अधिग्रहण हुआ है। अब अधिकारी अपने आश्वासन को पूरा नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिनके पास खाने को नहीं हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी। वे बाहरी लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं। यदि स्थानीय लोग उपलब्ध नहीं हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जिन लोगों ने जमीनें दी हैं उन्हें नौकरी देने के मामले में कोंकण रेलवे द्वारा पूरी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री ने मंगलौर और उदीपी के बीच रेलवे लाईन का उद्घाटन किया है। उस समय नवयुवक चिल्ला रहे थे कि उन्हें इस लाईन पर कोई ट्रेन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तब मैं उनके पास गया और उन्हें समझाया। कोंकण रेलवे एक राष्ट्रीय परियोजना है और किसी को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। मैंने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोकंण रेलवे को उदीपी तक पूरा कर दिया गया है। अब, इसे कुन्डापूरा मिंटूर तक बढ़ाया जाना है। वहाँ से, इसे बम्बई तक बढ़ाया जाना है। स्थानीय युवा लोगों को कोंकण रेलवे परियोजना में अवश्य ही नौकरी मिलनी चाहिए।

अनुसंधान और विकास रेलवे की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्याप्त निधियाँ इस उद्देश्य के लिए आबंटित की जानी चाहिए। दरअसल, हम रेलवे के अनुसंधान कार्य में निवेश करके अपना पर्याप्त धन बचा सकते हैं।

रेलवे के पास पर्यटकों के लिए कई परियोजनाएँ हैं। यात्री बीमा योजना को रेलवे द्वारा लागू किया गया है। यह एक अच्छा कदम हैं।

देश में हवांई यात्रा एजेन्ट्स हैं। इस प्रणाली को रेलवे भी लागू कर सकती है। इस कदम से रेलवे को देश भर में बेरोजगार युवकों को नौकरी देने में सुविधा होगी। ऐसे एजेन्टों को कम्प्युटर टर्मिनल की सुविधा प्रदान की जा सकता है। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उन विभिन्न मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें जिन्हें मैंने उठाया है और आवश्यक कदम उठाएं।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए कुल आबंटित समय तीन घंटे का था और अब तक आप लगभग दो घंटे ले चुके हैं। सूचि में अभी भी 16 और सदस्यों के नाम हैं जो इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत ही उत्साही हैं।

श्री ई अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आपने क्या कहा है और मै भी अपना भाषण कुछ स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित रखूँगा। मैं दूसरे विषय नहीं उठाऊँगा ताकि पुनरावृत्ति नहीं हो।

मैं अपने राज्य के लोगों की रेलवे संबंधी समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

केरल के लोग कुछ विकास योजना की कुछ और सुविधाओं की माँग करते रहे हैं। केरल के लोग देशभर में कार्य कर रहे हैं। वे दूसरे देशों मे भी कार्य कर रहे हैं। जब कभी भी केरल के लिए और भी गाड़ियां आबंटित की जाती हैं तो रेलवे को इससे राजस्व का कोई घाटा नहीं होता है लेकिन दुर्भाग्यवश रेलवे ने केरल और विशेषकर मालावार द्वारा उठायी गयी मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रखा है। मालावार दक्षिण रेलवे का एक हिस्सा है जिसके पास शताब्दी पुरानी रेलवे लाईन है। कालीकट और शोरानूर के बीच रेलवे का उपयोग 93.3 प्रतिशत है, और कण्णानौर और कालीकट या शोरानूर और कण्णानौर के बीच यह 90 प्रतिशत है। जब यह 80 या 85 प्रतिशत से ज्यादा होता है तो मुझे नहीं मालूम कि रेलवे मार्ग का दोहरीकरण होना चाहिए या नहीं। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि शोरानूर और मैंगलौर के बीच लाईन के दोहरीकरण के लिए वे तैयार हो गए हैं लेकिन कालिकट और कुट्टीपुरम के बीच उस मार्ग के दोहरीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये की मामूली राशि ही दी गई है। हमारी माँग यह थी कि शोरानूर और मैंगलौर के बीच रेलवे लाईन का दोहरीकरण किया जाए लेकिन वर्तमान में इसे कुट्टीपुरम और कालीकट के बीच ही मंजूर किया गया। प्रशासनिक खर्च के लिए 2 करोड़ रुपये की यह राशि पर्याप्त नहीं होगी।

इसलिए कालीकट से कण्णानौर या कणानौर से कसरगौड या कसरगौड से मैंगलौर के बीच के मार्ग के दोहरीकरण के विषय में आप क्या कर रहे हैं। यह हमारी बहुत पुरानी माँग है। मालावार के लोगों ने बहुत मदद की है और रेलवे को प्रोत्साहन दिया है जिसके फलस्वरूप रेलवे को इस वर्तमान परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मालावार को इस सुविधा से वंचित कर दिया गया है।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमारे चुनाव क्षेत्र और फिरोक रेलवे स्टेशन पर आने का कष्ट किया और एक पुराने स्टेशन को रिमार्डल करने का आदेश दिया।

लेकिन रेलवे अधिकारियों ने उक्त माँग को स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार मंत्री जी के अनुदेश का पालन नहीं किया। मंत्री जी ने मेरी उपस्थिति में अनुदेश दिया था, लेकिन उन्होंने समुचित ध्यान नहीं दिया और न ही पर्याप्त राशि दी। कभी-कभी दक्षिण रेलवे किस प्रकार कार्य करना है यह उसका एक नमूना है।

महापूरम ज़िला केरल में सबसे पिछड़ा जिला है। देश के अन्य भागों से इसका कोई सम्पर्क नहीं है। कुट्टीपुरम और परापन्ड़ी के बीच की रेलवे लाईन एक मात्र रेलवे लाईन है। लेकिन प्रत्येक चीज कालीकट जिले में हैं। लेकिन रेलवे द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। एक नई रेलवे लाईन विचाराधीन थी। माननीय मंत्री जी द्वारा नीलाम्बर और फिरोक के बीच इंजीनियरिंग और वाणिज्यिक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। तीन वर्ष बीत चुके हैं। प्रत्येक समय मैं माननीय मंत्री जी से पत्र प्राप्त करता हूँ और वह कहते हैं कि यह अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। हाल ही में, मैंने मंत्री जी से पत्र प्राप्त किया है जिसमें वह यह कहते हैं कि मुझे आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि निलाम्बर और फिरोक के बीच प्रस्तावित सर्वेक्षण इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।" जहाँ टेलीचरी और मैसूर के बीच सर्वेक्षण पूरा किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। कुट्टीपुरम और मेल्लाटूर के बीच एक सर्वेक्षण की जरूरत है लेकिन यह स्वीकार नहीं किया गया है।

रेल मंत्रालय ने नई लाईनें शुरू करने के लिए संसाधन प्राप्त किया है। लेकिन मालावार के लोग के लिए नई गाड़ियां शुरू नहीं हुई हैं। मैं जानता हूँ कि मंत्री जी मालावार के लोगों की जरूरत के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं। वही एक ऐसे मंत्री है जिन्होंने मालावार का दौरा किया है। मैं उनकी कठिनाई को समझ सकता हूँ। लेकिन जब कोंकण रेलवे परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा और उस मार्ग पर नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी, तो पाँच-छह लाईनों को और कोंकण रेलवे लाईन का उपयोग करके मालावार ले जाना होगा अर्थात् त्रिवेन्द्रम-अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम-गुवाहाटी लाईन। इन गाड़ियों को कोंकण लाईन से होकर गुजरना पड़ता है।

शोरानूर और मंगलौर के बीच क्या स्थिति है ? कोई दोहरा मार्ग नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ इन लाईनों के लिए कुछ और धन मुहैय्या कराया जाए। मैं वित्तीय संकट को भलीभाँति समझ सकता हूँ, जिसका रेलवे को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, जो कुछ भी राशि वे प्रदान करते हैं, यह रेलवे के लिए दीर्घकालीन प्रस्ताव हो सकता है। इसलिए, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस संदर्भ में सदन को आश्वासन दिया जाए।

केरल में बहुत सी रेलवे की सम्पत्तियां हैं। और यह रेलवे स्टेशन के पास है। जो संभावनाओं से भरी पड़ी है। न तो यह रेलवे द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है और न ही निजी पार्टी वाणिज्यिक उद्देश्य से दिया जा रहा है। बहुत से रेलवे को वाणिज्यिक परिसरों की जरूरत पड़ती है। वे रेल मंत्रालय के

प्रशासन के अंतर्गत कोई नयी निकाय की स्थापना क्यों नहीं करते। ताकि लाभकारी विकास योजनाएं शुरू की जा सके। जब कई स्टेशनों के बीच पर्याप्त भूमि है जहाँ इस तरह के विकास की जरूरत है, तो दूसरी तरफ इस भूमि का उपयोग रेलवे द्वारा किया जा सकता है। और उससे उन्हें कुछ राजस्व भी प्राप्त हो सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि कुछ मामलों में वे निजी पार्टियों को देते हैं। लेकिन उस भूमि का उपयोग वे बाजार परिसर होटलों और जन सामान्य की अन्य सुविधाओं के लिए कर सकते हैं। यदि आवश्यक है, तो इसे आधे पर दिया जा सकता है या इसकी नीलामी की जा सकती है। इस तरह से, रेलवे के लिए आय की व्यवस्था हो सकेगी।

महोदय, रेलवे को रेलवे की भूमि को उपयोग में लाना है और इसे राजस्व प्राप्त करने के लिए प्रत्येक संभव कार्य करना है। यह एक सुझाव है। मैं माननीय मंत्रीजी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहूँगा।

मैं माननीय मंत्री जी का मालावार क्षेत्र के कुछ रेलवे स्टेशनों की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अधिक समय वहाँ अच्छी वर्षा होती है। लेकिन हमारे कई रेलवे स्टेशनों में छत की सुविधा तक नहीं है। यह इसका सिर्फ एक अंश है। केरल में रेलवे स्टेशनों में छत तो होनी चाहिए। इसलिए मेरी इच्छा है कि रेलवे इस पर समुचित रूप से विचार करें और इस क्षेत्र से मालावार क्षेत्र को देते हुए नई गाड़ियां भी चलाई जाएँ।

मैं अपने मित्र श्री विजयराघवन का समर्थन कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने सदन में चर्चा की थी और यदि आप स्मरण करते हैं तो मैंने जो कुछ कहा वह यह है कि राजधानी ने मालावार क्षेत्र की उपेक्षा की है।

राजधानी मद्रास से आती है और कोचिन त्रिवेन्द्रम जाती हैं यह पालघाट से गुजरती है। मालावार और दक्षिण केनारा के लोगों को यह सुविधाएँ नहीं मिल सकी हैं। पालघाट रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। आखिर, हम लोग तो 2-3 मिनटों के रूकने के लिए ही माँग कर रहे हैं जबकि आप लाखों लोगों की सहायता कर रहे हैं।

कोयम्बटूर के लोगों को इससे लाभ होगा दक्षिण केनारा के लोगों को इससे लाभ मिलेगा और पूरे मालावार के लोगों को भी लाभ मिलेगा। एक राज हम देखेंगे कि राजधानी हमारे इलाके से गुजर रही है लेकिन इसका फायदा क्या है ? जो केरल के कोचिन क्षेत्र में हैं, उन्हें लाभ होगा यदि यह गाड़ी एरनाकुलम में रूकती है। जो लोग त्रिवेन्द्रम-ट्रेवनकोर क्षेत्र में हैं उनको लाभ हो सकेगा यदि यह त्रिवेन्द्रम में रूकती है। लेकिन मालावार क्षेत्र के लोगों को आखिर क्या मिलेगा इससे ? लगभग केरल के आधे भाग की उपेक्षा की गई हैं। महोदय, यह केरल के लोगों की माँग हैं।

महोदय, माननीय मंत्री जी हमारे प्रति बहुत ही विचारशील थे। वह हमारे प्रति सहानुभूति पूर्ण थे

और वह हमारे प्रति वास्तव में सहानुभूति रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि, माननीय रेलमंत्री अपने उत्तर में, आश्वासन देंगे कि राजधानी को ठीक 3 मिनटों के लिए पालघाट जंक्शन पर रोका जाएगा।

*** श्री बी.के. गुडाडिन्नी (बीजापुर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री श्री जाफर शरीफ जी ने वर्ष 1991-93 के दौरान रेलवे के विकास के लिए खासकर छोटी लाइन से बड़ी लाईन में आमान परिवर्तन के लिए पूरी कोशिश की है। मैं पूरे हृदय से उन्हें बधाई देता हूँ।

बीजापुर मेरा चुनाव क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी ने वर्ष 1993 में बीजापुर और शोलापुर के बीच छोटी लाईन से बड़ी लाईन में आमान परिवर्तन के लिए आधारशिला रखी, अब तक आमान परिवर्तन का कार्य शुरू नहीं हुआ है, यद्यपि अब तो वर्ष 1994 समापन के कगार पर है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि बगैर किसी विलम्ब के कार्य को आगे बढ़ाएँ। इस आमान परिवर्तन से बीजापुर और शोलपुर के बीच गड्ग और हास्पेट के माध्यम से यात्रा करने में सुविधा होगी। इससे यह भी फायदा हो सकेगा कि बंगलौर और बम्बई के बीच सीधी रेल चल सकती है। अगर इस कार्य को पूरा कर लिया जाता है। तो केशोलापुर और बीजापुर के लोग किसी बिना कठिनाई के बंगलौर सीधे पहुँच सकते हैं। बीजापुर और चरवाह के लोगों को हमारे राज्य की राजधानी बंगलौर पहुँचने में 24 घंटे से ज्यादा समय लगता है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ बीजापुर से हास्पेट के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाए और इस ट्रेन को हम्पी एक्सप्रेस से जोड़ा जाना चाहिए। यदि इस आमान परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया जाए और बीजापुर और बंगलौर के बीच सीधी रेलवे लाइन बिछा दी जाए तो माननीय मंत्री जी को इस क्षेत्र के लोग लम्बे समय तक याद करेंगे।

बीजापुर और धर्मावरम के बीच गाड़ी तो है। ऐसा लगता है कि यह ट्रेन रेल कर्मचारियों के लाभ और अन्य सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए चलाई गई हैं। यह मार्ग जन-सामान्य के लिए कतई उपयोगी नहीं है। यह ट्रैन बीजापुर 9 बजे सुबह छोड़ती है और धर्मावरम पहुँचती है 9 या 10 बजे रात्रि में। यदि इस गाड़ी को रद्द कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि यह आम जनता के लिए कतई उपयोगी नहीं हैं। इस ट्रेन को रद्द करके हास्पेट के लिए परिचालित किया जा सकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस मामले में सोच-विचार कर जितनी जल्दी हो सकेगा अंतिम निर्णय लेंगे।

बंगलौर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस के लिए आरक्षण सुविधा गुलवर्गा में उपलब्ध है। बीजापुर के लोग टिकट कटाने के लिए शोलापुर आते हैं। और शोलापुर में इसमें वातानुकूलित शयनयान श्रेणी दो की दो सीटें ही उपलब्ध हैं। इस कोटा को बढ़ाकर कम से कम चार वर्थ

* मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तक कर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीजापुर के लोगों की सुविधा के लिए प्रथम श्रेणी की दो बर्थें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

उदयन एक्सप्रेस बंगलौर और बम्बई के बीच चलती है। शोलापुर में तीन डब्बे इस ट्रेन में जोड़े जाते हैं। इन तीनों डब्बों में से कम से कम एक डब्बा बीजापुर के लोगों के लिए पूर्णतया आरक्षित किया जाना चाहिए। ईश्वर ही जानता है कि बीजापुर के लोगों को राज्य की राजधानी बंगलौर पहुँचने में कितनी कठिनाई होती है। दरअसल, माननीय मंत्री जी ने गुलवर्गा के दौरे के दौरान आश्वासन दिया था कि सभी जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री जी अपना वादा पूरा करेंगे ?

चर्चा चल रही है कि गुलवर्गा में एक रेल कारखाना खोला जाएगा, जो स्पेयर पार्टस बनाएगी। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि बीजापुर में यह कारखाना खोला जाए। कर्नाटक में बीजापुर सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ बहुत से शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं। मंत्री जी बीजापुर के लोगों की विपदा से अवगत हैं। बीजापुर के लोग इस कारखाने को खोलने के लिए आवश्यक जमीन मुफ्त देने के लिए सहर्ष तैयार हैं।

पुनः एक बार मैं माननीय जाफर शरीफ जी से निवेदन करता हूँ कि बीजापुर और बंगलौर के बीच आमान परिवर्तन शुरू किया जाए। यदि वर्ष 1994 के दौरान यह कार्य शुरू नहीं हो सकता तो वर्ष 1995 में इसे पूरा किया जाए, अन्यथा उस क्षेत्र के लोग हड़ताल और आन्दोलन पर उतर जाएंगे।

महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए रेलवे बजट के संदर्भ में अतिरिक्त अनुदान की माँग का समर्थ करता हूँ। मैं वर्ष 1994-95 के लिए अनुदान संबंधी अनुपूरक माँग का भी समर्थन करता हूँ।

मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, महोदय, कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांड्स पर बोलते हुये सबसे पहले मैं रेल मंत्री साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने अमृतसर और पंजाब के निवासियों को एक भेंट शताब्दी एक्सप्रेस के रूप में दी है जिससे हम पंजाब के निवासियों में काफी प्रसन्नता है और हम आपके माध्यम से रेल मंत्री जी और रेल मंत्रालय के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी एक कठिनाई यह है कि जैसे ही हम उनसे मंत्री जी से कुछ बातें कहना शुरू करते हैं, वे यहां से उठकर चले जाते हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने दिल्ली से चण्डीगढ़ के लिये जो शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की है, जहां उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है वहीं मैं ऐसा महसूस करती हूं कि चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ एक माखौल हो गया है क्योंकि यह ट्रेन चलाई तो गयी है परन्तु किसी

एक दिन समय पर पहुंचती है तो दो दिन लेट हो जाती है जिससे चण्डीगढ़ से दिल्ली आने और वापस जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधा रहती हैं। मैं स्वयं चण्डीगढ़ में रहती हूं, भले ही मैं यहां पंजाब से चुनकर आती हूं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र फिल्लौर है परन्तु मैं अक्सर चण्डीगढ़ आती-जाती हूं और मैं इस परेशानी को स्वयं अनुभव करती हूं। इससे पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत परेशानी है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री मंत्री जी से ज्यादा न कहते हुये इतना ही कहना चाहती हूं उन्होंने जो गाड़ी चलाई है, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं परन्तु उसके अक्सर लेट चलने से यात्रियों को जो कठिनाई हो रही हैं, उसके लिये उन्हें कुछ उपाय करना चाहिये।

मैं यहां निर्वाचन क्षेत्र से आती हूं, वह चार जिलों में बंटा हुआ है। मेरी कांस्टीटूयेंसी के पांच विधान सभा क्षेत्र कुछ हिस्सा जालंधर जिले में आते हैं, दो कपूरथला में आते हैं, एक गुरदासपुर में हैं और एक होशियारपुर में है परन्तु वह सारा ही एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं बार-बार रेल मंत्री जी को पत्र लिखती हूं, रेल विभाग को भी पत्र लिखती हूं लेकिन विडम्बना यह है कि आज तक मेरे किसी भी पात्र का उत्तर नहीं आया। ऐसा लगता है कि शायद यह विभाग पत्राचार में विश्वास नहीं रखता जिसके कारण हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब भी हम लोगों के बीच में जाते हैं तो वे हमसे पूछते हैं कि हम उनकी समस्याओं के हल के लिये क्या कर रहे हैं तो हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहते। मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे पत्र जाते हैं, हमें उनका उत्तर अवश्य आना चाहिये ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय संसद-सदस्यों के कहने पर क्या कुछ कर रहा है।

मैंने बार-बार लिख कर भेजा है कि फगवाड़ा क्षेत्र में शुगर मिल के पास एक पुल की व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि वहां 10-15 हजार लोग रहते हैं जिन्हें क्रासिंग गेट हमेशा बंद रहने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा लोगों के आने-जाने में असुविधा रहती है क्योंकि अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, कोर्ट और बाजार उसके दूसरी ओर है तथा रोजाना के काम के लिये उन्हें दिन में अनेकों बार दूसरी तरफ जाना आना पड़ता है परन्तु अभी तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है।

तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि रेलवे मंत्रालय ने बहुत अच्छा कार्य किया है इसमें कोई शक नहीं परन्तु ऐसा लगता है कि वह सब अमीर लोगों के हित में किया गया है, गरीब लोगों के हित में जो कार्य होने चाहिये, उस पर अभी तक कोई सोच-विचार नहीं हो रहा है। हमारे पंजाब में पहले कुछ पैसेंजर ट्रेन्स चलती थीं जिन्हें अब बंद कर दिया गया है मेरे क्षेत्र में काफी गरीब लोग रहते हैं और उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि किसी ऊंची श्रेणी में यात्रा कर सकें या ज्यादा किराया दे सकें। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से गुजारिश करती हूं कि वे जल्दी से जल्दी से ऐसी व्यवस्था करें कि गरीब लोगों के हित में बंद पड़ी हुई पैसेंजर ट्रैनों को फिर से चलाया जा सके ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके और आने-जाने का कोई साधन उनके लिये बन सके।

3.00 म.प.

नवां शहर कांस्टीट्यूएंसी में एक जगह राहों है जहां पर बहुत पहले एक ट्रेन चलती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह रेल बन्द कर दी गई है। मैंने उसके लिए भी बहुत पत्राचार किया, परन्तु कोई जवाब नहीं आया। अब यह सुना गया है कि वहां पर जो रेल लाइन थी वह भी उखाड़ी जा रही है। मैंने तो उस रेल को चालू करने की बात कही थी, लेकिन रेल चालू करने की बजाय वहां से रेल लाइन को ही उखाड़ा जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि पंजाब की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्ताव बनाकर रेल मंत्री को भेजे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं सिर्फ सारांश के रूप में इतना ही कहना चाहती हूं कि जो कुछ भी योजनाएं पंजाब के मुख्य मंत्री की तरफ से भेजी गई हैं, उन पर मंत्री महोदय गौर फरमाएं क्योंकि आपको पता है कि पंजाब पिछले कुछ सालों से अंधकार से गुजर रहा था। अब कुछ रोशनी आई है। लोगों को हमसे बहुत आशाएं हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि जितने केसिस आए हैं उनको जल्दी से जल्दी सुलझाने के उपाय किए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के मुख्य मंत्री ने एक महत्वपूर्ण मांग मोगा से दिल्ली के लिए रेलवे लिंक की की है। और इस बारे में समुचित प्रस्ताव बनाकर भेजा है, लेकिन उस पर मंत्रालय की ओर से कोई जबाव नहीं मिला है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि रेल मंत्री महोदय, मोगा को रेल लिंक अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री बहुत कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, परन्तु जिन लोगों के लिए जरूरत है, जो देश के 75 प्रतिशत गरीब लोग है और जो यहां भारतवर्ष में रहते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। एस.टी.डी. फेसिलिटी के लिए एक बार पीछे संचार मंत्री महोदय ने कहा था कि इस देश के नौजवानों को टेलीफोन की सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वे अपना कार्य शुरू कर सकें और रोजगार प्राप्त कर सकें, कछ कमा सकें, लेकिन मैं पिछले दो साल से जम्मू रेलवे स्टेशन पर एस.टी.डी. की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नौजवान को रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जगह देने के लिए मंत्री महोदय और अधिकारियों से अनुरोध करती रही हूं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उस नौजवान को जगह नहीं दी गई है। मैंने प्रयास करके उसे टेलीफोन तो संचार मंत्रालय से दिला दिया है, लेकिन रेल मंत्रालय रेल्वे स्टेशन पर उसको जगह आबंटित नहीं कर रहा हैं मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि ऐसे गरीब, पढ़े-लिखे नौजवान लोगों को रेल मंत्रालय एस.टी.डी. की सुविधा प्लेट फार्म पर उपलब्ध कराने के लिए जगह दे। जम्मू रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा नहीं है। पता नहीं रेल मंत्रालय किन कारणों से ऐसा प्रयास कर रहा है कि कोई नौजवान अपना रोजगार आरंभ न कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जो चीज अधिक देखने की है, चूंकि मैं रेलवे की कमेटी में भी हूं और मैंने देखा है कि रेल बजट में तो काफी प्रावधान रखा है, लेकिन कैटरिंग का जहां रेलवे का अपना विभागीय काम चल रहा है, वह बहुत गलत है। बिल्कुल जीरों के बराबर है। मैं बहुत कम रेल में सफर करती हूं, लेकिन पिछले दिनों मैं लखनऊ से दिल्ली के लिए शताब्दी रेल में सफर करके आई हूं। उसमें कैटरिंग की बहुत खराब व्यवस्था है। लखनऊ में रेल साढ़े तीन बजे के करीब चली और कानपुर में लगभग साढ़े पांच बजे पानी दिया गया। खाना भी बहुत हीन स्तर का था। जबकि किराया 770 रुपये लिया जाता है। और खाना मुश्किल से 30-40 रुपये का ही मिलतना है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इसको सुधारने की तरफ ध्यान दिया जाए। मैं तो यहां तक कहूंगी कि जितनी भी गाड़ियों में रेलवे की कैटरिंग है, उसको बन्द किया जाना चाहिए और इस कार्य को प्राइवेट लोगों को दिया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्व का विषय है। बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। मेरी अपने क्षेत्र में भी और सारे देश में भी होते हैं और वे ज्यादातर रेलवे क्रासिंग पर फाटक न होने के कारण ज्यादा हाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन फाटकों के लिए प्रावधान करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। इससे जहां एक तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं दूसरी और इससे सुरक्षा भी मिलेगी। देश में बहुत लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जहां इनको रोजगार मिलेगा वहां जो एक्सीडेंट होते हैं वे बन्द हो जाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि मंत्री महोदय, इस तरफ भी ध्यान दें।

मेरी कौन्सटीटूऐंसी में श्री हरगोविंदपुर है जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में है। वहां पर कोई भी रेल लिंक नहीं है। वह सबसे पुराना ऐतिहासिक शहर है लेकिन बहुत नैग्लैक्टेड है। बहुत पहले भी मंत्रालय के पास वहां का केस बनाकर भेजा गया था। अब तो हम भी यहां पर हैं और तीन साल से मंत्रालय के पीछे कुछ करने के लिए लगे हुए हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। मैं सिफ एक चीज में ही सफल हुई, वह भी मैं नहीं जानती कि कैसे हो गया। मुझे बरौनी एक्सप्रैस गाड़ी को फगवाड़ा में रूकवाने के लिए पूरे दो वर्ष लगे। मैं समझती हूं कि हमारे रेल मंत्री ने उस ओर इतना गौर नहीं किया। यह मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूं। अन्त में मैनें अधिकारियों के पास जाकर यह कहा कि यदि बरौनी एक्सप्रैस दो मिनट तक वहां पर रूक जाए तो सारा शहर खुश हो जाएगा। वहां के लोग और कुछ नहीं चाहते। वहां पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीयां हैं और लोग यू.पी., बिहार से वहां काम करने आते हैं। उनको ट्रेन पकड़ने के लिए लुधियाना या जालंधर जाना पड़ता है। दो मिनट में जब तक मैं वापिस पंजाब भवन पहुंची तो वहां पर मैसेज आ गया कि आपका वह काम हो गया। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि 20 दिन बाद मुझे जो पत्र मिला, उसमें लिखा था कि यह नहीं हा सकता। मैं यह कहना चाहती हूं कि जहां कहीं भी कमियां हैं, उनको पूरा करना चाहिए।

मैं ज्यादा न कहते हुए इस मंत्रालय से इतना ही कहना चाहती हूं कि पंजाब बहुत कठिनाईयों से गुजरा है, इसलिए वहां पर स्पेशल प्रॉयरिटी दी जाए। इसके लिए यदि बजट में भी प्रावधान करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए।

मैं आपकी शुक्रगुजार होऊंगी यदि अमृतसर की ट्रेन पठानकोट से गुरदासपुर की तरफ से निकलकर जाए क्योंकि मेरी कौन्सटीटूएंसी फिल्लौर से लेकर गुरदासपुर के पास बॉर्डर तक लगती है। मैं समझती हूं कि लोग पठानकोट से आगे जम्मू तक भी जा सकते हैं क्योंकि आगे वैश्णो देवी है। इससे उन लोगों को भी सुविधा होगी।

मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि शताब्दी ट्रेन का स्टेटस कायम रहे, यह न हो कि उसे जनता ट्रेन बना दिया जाए जैसे आजकल जो ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है, उसे सब लोग जनता ट्रेन ही कहते हैं।

कुमारी विमला वर्मा (सिवनी) : उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां पर रेलवे की सप्लीमैंट्री ग्रांटस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करते हुए कुछ बातें कहना चाहूंगा। मंत्री जी यहां पर नहीं हैं लेकिन वे अपनी जगह दूसरे मंत्री जी को बिठाकर गए हैं। वे सामने की सीट पर बैठे हैं, इस नाते हमारे पड़ोसी हैं। इसलिए मैं आशा करती हूं कि वे पड़ोसी का हक अदा करते हुए हमारी बात को नोट ही नहीं करेंगे बल्कि मंत्री जी से काम भी करवा देंगे।

3.09 म.प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

सतपुड़ा नैरोगज सबसे ज्यादा घाटे की रेलवे लाइन है। व्यापारिक दृष्टि से यदि रेलवे विभाग देखे तो सबसे पहले उसे सतपुड़ा नैरोगज का कनवर्शन बड़ी लाइन में करना चाहिए था। रेलवे में 2970 किलोमीटर गेज कन्वर्शन हुआ लेकिन सतपुड़ा में कुछ नहीं हुआ। जबकि प्राथमिकता इसको दी जानी चाहिए थी। हमने कई बार इस पर मंत्री जी से चर्चा की, एडवाइजरी कमेटी में भी बातचीत की और यह उम्मीद की कि इसको सबसे पहले लिया जायेगा। लेकिन बड़ा अफसोस है कि यह विचार पहले क्यों नहीं आया कि जो सबसे घाटे की चीज है, उसको सबसे पहले प्रोफिट में कन्वर्ट किया जाय। अब मुझे उम्मीद है कि इस पर वह ध्यान देंगे और सतपुड़ा नैरोगेज की पूरी लाइन का शीघ्र ही गेज परिवर्तन कर ब्राडगेज में परिवर्तितत करेंगे। यदि मैं यह सुझाव दूं कि शिवनी से वह शुरू करें, तो छिन्दवाड़ा, परासिया, शिवनी से नैनपुर, इस प्रकार यदि काम करें, दोनों तरफ से यदि काम होगा तो बहुत जल्दी वह रेल्वे लाइन ब्राड गेज में परिवर्तित हो सकेगी।

इसी तरह नई रेल्वे लाइन का सुझाव हमारे मध्य प्रदेश के चन्दूलाल जी चन्द्राकर ने दिया। यह बात सच है कि कि मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत कम है लेकिन अफसोस की बात

यह है कि हम मध्य प्रदेश के सांसद भी और मध्य प्रदेश की जनता भी बहुत शान्तिप्रिय है। शान्तिप्रिय होने के कारण सम्भवतः उस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इतना ट्राइबल इलाका है और ट्राइबल्स की तरक्की की बात हम करते हैं लेकिन ट्राइवल इलाके में रेलगाड़ी नहीं दे सकते हैं। आज स्वतंत्रता के 40 वर्ष बाद भी यदि हम उनको रेल्वे से जोड़कर आवागमन का साधन नहीं जुटा पाये तो फिर हम जो यह कहते हैं कि सबसे ज्यादा ध्यान हमारी कांग्रेस पार्टी ही उनकी तरफ दे रही है तो उसमें हमें कहीं पर सिर झुकाना पड़ता है, इसलिए हम रेल मंत्री से निवेदन करेंगे कि वह इस तरफ ध्यान दें।

इसी तरह रामटेक महाराष्ट्र से जबलपुर को जोड़ने के लिए यदि वह नई रेलवे लाइन जोड़ें तो रामटेक के बाद से हवासा से सीधे जबलपुर तक उन्हें पूरा ट्राइबल इलाका ही मिलेगा, जहां पर आवागमन के साधन के लिए मात्र एक नेशनल हाईवे की सड़क है और ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है, केवल शिवनी भर एक टाउन बीच में पड़ेगा, बाकी पूरा का पूरा ट्राइवल इलाका पड़ेगा, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि इस रेल्वे लाइन पर पूरा ध्यान दें। इसको जोड़ने से कई एरियाज जुड़ते हैं, जिससे रेल्वे के लम्बे रूट से न आते हुए छोटे रूट से लोगों को आने का अवसर मिलेगा।

मंत्री जी को हम एक बात के लिए धन्यवाद देंगे कि हमने इनको साल भर तक बहुत आग्रह किया, हम लगातार आग्रह करते रहे। आग्रह मैंने शुरू किया, एक नई ट्रेन जबलपुर से शुरू करने के लिए। जब देखा कि बहुत फेवरेबल नहीं हैं तो एक के साथ ओर एम.पी. जोड़ा, जब लगा कि और जोड़ने की जरूरत है तो फिर हम 11 एम.पी. जुड़े। जब 11 एम.पीज. ने साल भर तक कोशिश की, मंत्री जी ने बड़े पापड़ बिलवाये, तो अन्त में उन्होंने वह ट्रेन प्रारम्भ कर दी, जो कि जबलपुर से निजामुद्दीन के लिए आती है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगी। लेकिन मैं धन्यवाद अधूरा दूंगी, इसलिए कि उन्होंने आधी अधूरी ट्रेन शुरू कर दी। ट्रेन की मांग हमने जबलपुर से निजामुद्दीन दिल्ली के लिए शुरू की थी परन्तु उसमें नागपुर से भी आधी ट्रेन जुड़कर आती है। आधी जबलपुर से आती है और आधी नागपुर से आती है और दोनों बीना में जुड़कर दिल्ली पहुंचती हैं। नागपुर से तो दिल्ली के लिए बहुत ट्रेन चलती हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी नागपुर के लोगों की इतनी डिमाण्ड थी तो एक और ट्रेन वहां से शुरू कर देते लेकिन ऐसा न करके हमारी ट्रेन को आधा करके नागपुर से उसको जोड़ दिया तो ऐसा क्यों ? आज भी हमारे यहां पर बहुत डिमाण्ड है और यदि पूरी ट्रेन जबलपुर से चले तो दिल्ली तक बराबर उसमें बहुत पैंसेजर मिलेंगें। उस ट्रैन के चलने से ही लोग बहुत प्रसन्न है। और लोग बहुत धन्यवाद दे रहे हैं लेकिन यदि आप पूरी ट्रेन चलायें तब पूरा धन्यवाद हम उन्हें देंगे। अभी तो वह हमारा आधा अधूरा धन्यवाद ही स्वीकार करें।

जबलपुर से एक ट्रेन कुतुब एक्सप्रैस चलती है, उस ट्रेन को यदि वह जम्मू तक बढ़ा दें, हमारे यहां

बहुत मिलिट्री का इलाका है तो जबलपुर के लोगों को जम्मू तक सीधे जाने में बहुत सहूलियत होगी। मिलिट्री के लोगों को भी इससे बहुत सहूलियत होगी और उन्हें भी प्रसन्नता होगी। जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ते हैं, उनके लिए यदि हम थोड़ी सी सेवा करें और सुविधा दें तो बहुत अच्छी बात होगी।

इसी तरह यह दोनों ट्रेन आसपास ही चलती हैं। कुतुब एक्सप्रैस और महामाया सुपर फास्ट एक्सप्रैस। यदि सुपरफास्ट एक्सप्रैस शाम को 5 बजे जबलपुर से चले तो दिल्ली 7 बजे पहुंच सकती है। क्योंकि बहुत जगह रूकती-रूकाती आती है। और काफी समय यहां-वहां उसे रूकना पड़ता है, तो उन लोगों को बड़ी सुविधा होगी जो दिल्ली आकर काम करते हैं वे आराम से दिन भर काम करने के बाद शाम को वापस जा सकते हैं।

इसके अलावा एक बात मुझे और कहना है जो बात हमारे चन्दुलाल चन्द्राकर जी ने भी कही कि रेलवे के मामले में हमारे महाकौशल के इलाके में बहुत ही उपेक्षा बरती जा रही है। हमारा आग्रह है कि ट्रेन की सुविधाएं हमारे इलाके को भी दें। रेलवे का एक भी जोन मध्य प्रदेश में नहीं है तो वहां जोन बनाएं, जबलपुर में जोन बनाने के लिए कार्यवाही भी शुरू हुई थी पर पता नहीं क्यों वह रोक दी गई है। हमें भय है कि वह किसी और के दबाव में कहीं और न चला जाए और हमारा यह अधिकार न छीना जाए, हमारा जोन जबलपुर में ही खोला जाए। मैंने बहुत छोटे काम के लिए मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी परंतु मुझे अफसोस है कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कहीं नकारात्मक ज़वाब आ गया और कहीं कोई जवाब ही नहीं आया। सिवनी से छोटी लाइन होने से जबलपुर और नागपुर से सिवनी के लोगों को और दिशा में जाना पड़ता है। उनको एक बार बस से जाना पड़ता है, वे नागपुर या जबलपुर जाते हैं वहां रिजर्वेशन करा कर वापस लौटते हैं और फिर जिस तारीख का रिजर्वेशन होता है उस दिन जाना पड़ता है। मैंने मंत्री जी से आग्रह किया था कि जबलपुर और नागपुर से जाने वाली रेल गाड़ियों में कम से कम सिवनी के लोगों के लिये कुछ आरक्षण कर दें तो हमें यह जवाब मिला कि इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना ट्रेफिक नहीं है। आप जब तक आरक्षण नहीं करेंगे, वहां से लोग टिकट नहीं लेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रेफिक नहीं हैं ? क्या आपका कहने का मतलब यह है कि सिवनी से लोग कहीं भी ट्रेवल नहीं करते हैं वे सिवनी में ही रहते हैं। यदि वे रेल से ट्रेवल करेंगे तो उन्हें नागपुर या जबलपुर से तो जाना ही पड़ेगा फिर ये कैसे कहते हैं कि कोई ट्रेफिक नहीं है इसलिए ऐसा करना संभव नहीं है, हम लोगों की समझ में तो यह बात नहीं आती। अब मैं नहीं जानती कि कैसे मंत्री जी ने यह जवाब दिया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि जब लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो वही से जाते हैं और उसका रिकार्ड तो आपके पास हो नहीं सकता क्योंकि टिकट लेने ही वे नागपुर और जबलपुर जाते हैं तो आप उनको नागपुर के कोटे में गिनते होंगे। यदि आप आरक्षण करके देखें और लोगों को यदि उससे सुविधा हो तो अवश्य करना चाहिये।

महोदय, मैंने एक छोटी सी नैरोगेज पर एक स्टेशन पर गाड़ी रोकने के लिए मांग की थी, बरगी में स्टोपेज की मांग की थी। बरगी असेंबली कांस्टीट्यूएंसी का हैडक्वार्टर है परंतु एक ही ट्रैन नैरोगेज की वहां जाती है और वह भी रूकती नहीं है। मैंने मंत्री जी से कहा था कि वहां एक स्टोपेज दें परन्तु [illegible] नहीं दिया। इसी तरह रेलवे ब्रिज जो बनाते हैं वह शीघ्र देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। रेलवे ब्रिज बनाते समय यह देखत होंगे कि उस जगह की फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या रोड की फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही ओवर ब्रिज बनाया जाता है ? हमारे सिवनी में ओवर ब्रिज का प्रपोज़ल बहुत पुराना है, रोड का फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है उसके बावजूद भी वहां पर अभी तक ओवर ब्रिज नहीं बना है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वहां ओवर ब्रिज बनाएं।

महोदय, अंत में मै एक सुझाव और देना चाहूंगी कि रेलवे के किनारे-किनारे चारों तरफ काफी जमीन पड़ी रहती है मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उस जमीन का सदुपयोग वे कर सकते हैं और उससे जो उनको धनराशि प्राप्त हो उससे कम से कम हम लोगों की ये जो मांगें है उसको शीघ्र पूरा करने में उनको एक साधन भी मिल सकता है। कृपया इस दिशा में मेरा मंत्री जी से निवेदन है, क्योंकि मैंने बहुत थोड़ी बातें कहीं हैं इसलिये उनको पूरा कराने में वह मेरी मदद करेंगे।

श्री अयूब खां (झुंझनू) : मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले रेलवे की जो ग्रांट्स पेश हुई हैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सरपरस्ती में रेलवे विभाग एक आला किरदार को मेनटेन करते हुए हिन्दुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में इंडियन रेलवे नाम की एक जगह बनाई है और यह काम तभी हो सका जब कि रेलवे मिनिस्टर श्री जाफर शरीफ और उनका मंत्रालय रेलवे बोर्ड तथा पूरी रेलवे फैमिली एक टीम की तरह काम करते हुए इस काम को सर अंजाम दे रही है। जिससे हमारे मुल्क का नाम है। हमारे मुल्क में रेलवे का खास मुकाम है और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं और यह पहला मौका है जब राजस्थान में मीटर गेज को ब्राड गेज में बदला जा रहा है और 2300 किलोमीटर लाईन ब्राडगेज होने जा रही है। एक किलोमीटर लाईन पर 10000 मजदूर काम करते हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर राजस्थान के लोगों को कितना काम मिलेगा, कितना फायदा पहुंचेगा और कितने लोगों को रोजगार मुहैय्या होगा। इसी तरह से राजस्थान के मारवाड़ी सेठ जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, ब्राड गेज होने पर वे राजस्थान के विकास में सहायता कर सकेंगे और अपने प्रोजेक्ट राजस्थान में लगाने के बारे में सोच सकेंगे, इसके बारे में राजस्थान के लोग भी उनसे अनुरोध करेंगे कि वे अपने प्रोजेक्ट राजस्थान में लाएं।

सभापति महोदय, कुछ बातें मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे इलाके में सिर्फ 2 गाड़ियां दिल्ली तक आती हैं, एक शेखावाटी एक्सप्रेस और दूसरी सैनिक एक्सप्रेस। शेखावाटी एक्सप्रेस

जयपुर, झुंझनू होते हुए दिल्ली तक आती है, लेकिन लोहारा में उस ट्रेन का आधा हिस्सा हटाकर उसमें बीकानेर से आने वाली शटल को जोड़ दिया जाता है। ट्रेन के आधे होने से उस क्षेत्र के लोगों को बहुत असुविधा होती है। मेरा निवेदन है कि इस ट्रेन को पूरा किया जाए और बीकानेर से आने वाली शटल को या तो किसी और ट्रेन के साथ जोड़ा जाए और या उनको कोई दूसरी गाड़ी दे दी जाए। इसी तरह से शेखावाटी एक्सप्रेस में अभी तक ए सी टू टायर की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जबकि यह इतनी बड़ी ट्रेन है और इतने बड़े इलाके से आती है, इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए और इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास के साथ-साथ एसी टू टायर की भी व्यवस्था की जाए। एक बात की तरफ और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह गाड़ी सरायरोहिल्ला स्टेशन तक आती है, इसको दिल्ली तक किया जाना चाहिए। झुंझनू वह इलाका है जो मुल्क में सबसे ज्यादा सरहदों की हिफाजत करता है और जो सैनिक 3 साल में एक बार अपने घर आते हैं, उनको रेल मंत्रालय की तरफ से सुविधा नहीं मिल पाती हैं। मैं जाफर शरीफ साहब का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने झुंझनू के लिए एक सैनिक एक्सप्रेस दी है, लेकिन जब से सैनिक एक्सप्रेस चली है, पता नहीं किस आदमी की इस गाड़ी से चिढ़ है कि 3 बार इस ट्रेन को बंद कर दिया गया और तीनों बार मुझे कोशिश करनी पड़ी, तब इसको दोबारा चलाया गया। अबकी बार उसको सीकर से रिवाड़ी तक ही रहने दिया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिवाड़ी में उतर कर दूसरी ट्रेन लेकर दिल्ली आएंगे तो इस गाड़ी का क्या लाभ रह जाएगा। मेरा निवेदन है कि इस ट्रेन को दिल्ली तक रहने दिया जाए, ताकि सैनिक दिल्ली आकर अपने अपने स्थानों को जा सके, लेकिन पता नहीं इसमें क्यों सुस्ती दिखाई जा रही है।

सभापति महोदय : आपको खुशी होनी चाहिए कि मंत्री जी प्वाइंट लिख रहे हैं और उनके पास एक सैनिक ही बैठे हुए हैं।

श्री अयूब खां : जो मंत्री जी के बराबर में मंत्री जी बैठे हैं, उनका संबंध भी राजस्थान से ही है। पहले उस एक्सप्रेस को मेरे नाम से वीर चक्र एक्सप्रेस चलाने का विचार था, परंतु मैंने आग्रह किया कि झुंझनू में चूंकि बहुत ज्यादा सैनिक हैं और उनका सम्मान होगा, इस दृष्टि से जाफर शरीफ साहब की तरफ से यह सैनिक एक्सप्रेस झुंझनू इलाके को दी गई। मैं शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि सैनिक एक्सप्रेस को दोबारा बंद न किया जाए और इसको रिवाड़ी के बजाए दिल्ली तक लाने की व्यवस्था की जाए, ताकि सैनिक झुंझनू से, सीकर से सीधे दिल्ली पहुंच सके और दिल्ली आकर अपनी गाड़ी तब्दील कर सकें। यदि दिल्ली आने के लिए भी उनको रिवाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी को लेना पड़ा तो फिर इस एक्सप्रेस का उनको क्या लाभ होगा, बल्कि असुविधा हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि इन गाड़ियों को जो कि हमारे क्षेत्र के लिए मात्र 2 गाड़ियां हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जाएं और शेखावाटी एक्सप्रेस को पूरी ट्रेन के रूप में इस क्षेत्र के लोगों को मुहैय्या कराया जाए।

मैं मिनिस्टर साहब को बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इनकी बदौलत हमारे इलाके को ट्रेन मिली है जबकि राजस्थान, नकलीस्तान या रेगिस्तान कहलाता है। मंत्री जी ने मीटर गेज से ब्रोड गेज 2300 कि. मी. तक लाईन की स्वीकृति दी है। एक किलोमीटर पर दस हजार मजदूर काम करते हैं तो इतने किलोमीटर पर कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा, इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैंने आपको एक लैटर भी लिखा था कि हमारे इलाके में खेतरी प्रोजेक्ट है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि डाबरा से सिहाना तक मालगाड़ी चलती है और प्रोजेक्ट का सामान आता-जाता है। यह केवल 34 किलोमीटर का एरिया हैं प्रोजक्ट के लोगों ने कहा कि अगर इस गाड़ी में पैसेंजर की बोगी लग जाती है तो दस हजार मजदूर जो प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आते हैं, वे इसका फायदा उठा सकेंगे और इसके लिए पचास परसेंट पैसा हम अपनी तरफ से देंगे। सिहाना से लेकर यह रेल लाईन चिड़ावा तक मिला दी जाती है तो मात्र 34 कि.मी. मे यह पूरा सर्किट हो जाएगा और डबरा से चिड़ावा तक बड़ी लाईन कर दी जाए बजट के अंदर झुंझनू क्षेत्र के लिए बड़ी लाईन की स्वीकृति की जाए जिससे लोग यह महसूस करेंगे कि मंत्री जी झुंझनू के सैनिकों का आदर व सम्मान करते हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए तो उतनी कम है। राजस्थान में टूरिस्ट्स के लिए इन्होंने पैलेस ओन व्हील ट्रेन दी है। राजस्थान के लोगों की मांग को इन्होंने करीब-क़रीब पूरा किया है। मेरा आग्रह है कि दिल्ली से लुहारू, झुंझनू और सीकर तक बड़ी लाईन की स्वीकृति की जाए जिससे मीटर गेज पर आने-जाने में रूकावट नहीं पड़ेगी। क्योंकि मीटरगेज सीकर से बाई-पास हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : यह नयी माँग है। ऐसा लगता है कि यह रेलवे बजट पर एक चर्चा है। हमने छह घंटे तक चर्चा की हैं जबकि इसके लिए आबंटित समय मात्र 3 घंटे हैं।

श्री मृत्युन्जय नायक : मेरे से पहले बोलने वाले सदस्यों ने काफी स य लिया है। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति काफी कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरा राज्य अत्यन्त पिछड़ा हुआ राज्य है और मेरा निर्वाचन क्षेत्र वास्तव में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जब मैं वर्ष 1980 में पहली बार निर्वाचित हुआ था तो उस समय और पिछले बजट के दौरान भी मैंने जो भाषण दिया था उसमें मैंने माननीय मंत्री जी, श्री जाफर शरीफ जी और राज्य मंत्री जी को भी अनुरोध किया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की माँगों और उसके आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाए और खुरदा बोलनगीर रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया जाए। मेरी इच्छा थी कि वही मंत्री जी जिन्होंने खुरदा-बोलनगीर परियोजना के लिए वर्ष 1980 के दौरान सर्वेक्षण कार्य का उद्घाटन किया था रेल मंत्री बनाया जाना चाहिए।

मेरी इच्छा है कि उन्हीं मंत्री जी को रेलमंत्री बनाया जाना चाहिए और निर्णय लेने का पूरा अधिकार

उनके पास होना चाहिए। ईश्वर ने मेरी इच्छा पर विचार किया और वह मंत्रिमंडलीय रैंक के रेल मंत्री बने। इतना ही नहीं मेरा यह भी स्वप्न था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे की परियोजना भी हो। मेरी वह इच्छा भी पूरी हुई। वह स्वप्न साकार हुआ और यह एक व्यावहारिक सत्य है। अतः पाँच जिलों में हमारे लोगों को लाभ होगा और हम लोगों को इस पर गर्व है। मेरे राज्य के लोग जिन्होंने रेल को ही देखा है आशा कर सकते हैं कि यह निकट भविष्य में शुरू होगा। लेकिन समस्या यह है कि यदि सर्वेक्षण वर्ष 1980 में शुरू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे मंजूर किए जाने के बाद भी 1994 तक इसे पूरा नहीं किया जा सका। इसके साथ ही यह भी उल्लेख करूँगा कि यह परियोजना बहुत ही अच्छी परियोजना है जो खुरदा से बोलनगीर तक की 300 कि.मी. की दूरी को जोड़ सकेगी।

परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की सक्रिय रूचि होनी चाहिए कि सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र ही हो और भूमि का अधिग्रहण भी हो सके ताकि निर्माण का कार्य हो सके।

उड़ीसा राज्य को रेलवे की सुविधा प्राप्त हो सकती है क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि कलकत्ता से मद्रास तक के बीच रेलवे सम्पर्क होना चाहिए। हम इसे पहले भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते तो जाहिर है कि उड़ीसा राज्य रेलवे की सुविधा से वंचित रह गया होता। लेकिन, उसके बाद रेलवे के क्षेत्र में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। कांग्रेस के सता में आने के बाद जब श्रीमती गांधी देश की प्रधान बनी तो उनकी यह नीति थी कि पिछड़े क्षेत्रों को रेलवे सम्पर्क सुविधाएँ और परियोजनाएँ उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह श्रीमती गांधी का सपना था, उनकी इच्छा थी क्योंकि वह पिछड़ों, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकारों की संरक्षक थी।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मृत्युन्जय नायक : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं सोचता हूँ कि अन्य सदस्य भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी भावनाओं से सहमत होंगे।

हम यह सब इसलिए प्राप्त कर सके क्योंकि श्री जाफर शरीफ और हमारे प्रिय नेता श्री नरसिम्हा राव जी, जो इस देश के प्रधान मंत्री है, का संरक्षण और आर्शीवाद मिला। उन्होंने हमारे राज्य के सदस्यों के साथ सम्पर्क करना शुरू कर दिया है। इस मामले में भी उन्होंने मध्यस्थता की। मैं स्वयं और हमारे राज्य के सांसद पूरी तरह से ऋणी हैं और प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञ हैं।

इसके अतिरिक्त, मेरे राज्य में ऐसे क्षेत्र भी हैं जो मुख्य धारा से जुड़े नहीं हुए हैं। तटवर्ती उड़ीसा, जो राज्य का बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पश्चिमी उड़ीसा के उपेक्षित क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र के अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्र के बीच कोई रेलवे सम्पर्क नहीं है। आज तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है।

श्री राजीव जी चाहते थे कि इसे जोड़ दिया जाए ताकि यह पर्याप्त सुधार किया जा सके और राज्य के पिछड़े क्षेत्र और भी प्रगति कर सके। यही कारण है कि उन्होंने बहुत सहृदयतापूर्वक सम्बलपुर-तालचर-भुवनेश्वर परियोजना को मंजूरी दी। यह सम्बलपुर तालचर परियोजना वर्ष 1986 में शुरू हुई थी, लेकिन यह पूरी नहीं की जा सकी ; और, यह निर्माणाधीन है। यह अब पूरी नहीं हुई है। मैं सोचता हूँ कि कुल 40 प्रतिशत कार्य हो गया है और शेष 60 प्रतिशत नहीं किया गया हैं। अतः इस परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए।

राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से भुवनेश्वर जाती है भुवनेश्वर सीधे नहीं जाती है। यह पहले हावड़ा जाती है और फिर भुवनेश्वर जाती हैं। और यह दूसरे रास्ते से जाती है। अर्थात् टाटानगर और खडगपुर होकर जाती है। मैं सोचता हूँ कि यह दिल्ली-हावड़ा-भुवनेश्वर से राजधानी एक्सप्रेस के कुल नियत समय से चार घंटे कम लेगी। मयूरभंज से हमारी महिला सांसद कुमारी सुशीला तिरिया जी की भी यही माँग है और मैं उनकी माँग का समर्थन करता हूँ। उड़ीसा के सभी सांसदों की यह मांग है कि बालासोर में गाड़ी रूकनी चाहिए।

दिल्ली से नीलांचल एक्सप्रेस और पुरी एक्सप्रेस का प्रस्थान समय सही नहीं है और यह लोगों की सुविधानुकूल नहीं है। अतः इसमें परिवर्तन होना चाहिए।

मैं उड़ीसा राज्य के पिछड़े क्षेत्र से आता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि उत्तर-पूर्वी में ऐसे क्षेत्र हैं - उत्तर पूर्व राज्य के मेरे मित्र यहां बैठे हुए हैं और जम्मू और कश्मीर में ऐसे क्षेत्र हैं जिनका अपना अलग महत्व है और उसकी अपनी समस्याएं हैं।

एक माननीय सदस्य : हरियाणा भी उन राज्यों में एक है।

श्री मृत्युन्जय नायक : हां, हरियाणा भी।

महोदय, उन राज्यों का इन कारणों से अपना महत्व है।

1. वे सीमावर्ती राज्य हैं।

2. यहां पर अल्पसंख्यक लोगों का प्रभुत्व है। उदाहरणतय जम्मू और कश्मीर में मुसलमान लोग

3. उन क्षेत्रों के लोग महसूस करते हैं कि वे लोग अलग-अलग हैं, और

4. इस देश के लोग महसूस करते हैं कि वे लोग धरती पर वास्तविक रूप में स्वर्ग में हैं।

अंतिम प्रश्न यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों का जम्मू और कश्मीर से भावनात्मक लगाव है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मृत्युजन्य नायक : मैं समाप्त कर रहा हूँ।

यद्यपि इसे जम्मू और श्रीनगर तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने की संभावना नहीं है, तो भी स्थानीय रेलों द्वारा श्रीनगर को जोड़ा जा सकता है। इसलिए, हम यह भी सोचते हैं कि लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाए और उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करें। मैं आशा करता हूँ कि इससे पर्यटन के विकास में ही बढ़ावा नहीं मिलेगा बल्कि यह जम्मू और कश्मीर को भी बचाएगा। यह शत्रु देश और पड़ोसी देश के नजदीक है।

माननीय रेल मंत्री जी अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित हैं। अल्प संख्यक लोग जम्मू और कश्मीर में रहते हैं। इसलिए, मैं निवेदन करता हूँ कि इस माँग पर कुछ ध्यान दीजिए। उनकी मनोवैज्ञानिक भावनाओं और अलगाववादी भावनाओं को देखते हुए, उन्हें श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों के लिए स्थानीय ट्रेनें प्राथमिकता के तौर पर प्रदान की जानी चाहिए ताकि इस तथ्य से कि वे इस देश के नागरिक हैं यह देश वास्तव में मजबूत हो सकेगा। यद्यपि मैं अधिक बोलना चाहता था। लेकिन आपकी चेतावनी की वजह से, मैं अपनी सीट पर वापस जा रहा हूँ।

मैं सभापति जी को, माननीय मंत्री जी को और सभी सदस्यों का मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

सभापति महोदय : हमने पहले ही समय दुगना कर दिया है। यहां 20 सदस्यों की सूची है। मैं प्रत्येक सदस्य से अनुरोध करूँगा कि दो मिनट से अधिक समय न लें। अब श्री खेलसाय सिंह जी बोलेंगे।

*[हिन्दी]

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा) : सभापति महोदय, सदन में प्रस्तुत, सदन में प्रस्तुत 1994-95 की रेल मंत्रालय से संबंधित अनुपूरक मांगों और 1991-92 से संबंधित अतिरिक्त मांगों का मैं समर्थन करता हूं और उन पर बोलने का आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

वर्तमान समय में यातायात और माल-ढुलाई के दृष्टिकोण से रेलवे का हमारे सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्व है और इसके कारण आज भारत का हर नागरिक रेल का विस्तार चाहता हैं। समय बहुत कम है, इसलिये मैं सीधे मुख्य बातों पर आता हूं।

हमारे मध्य प्रदेश का सरगुजा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से और आदिवासी बाहुल्य होने के कारण दूसरे नम्बर पर आता है। यहां रेलवे की अनेकों समस्याएं हैं जिन्हें मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। सरगुजा जिले के जिला मुख्यालय अम्बिकापुर से विश्रामपुर तक लगभग 23 किलोमीटर की दूरी है और दोनों स्थानों को रेल लाइन से जोड़े जाने की मांग काफी समय से की जा रही है लेकिन आज तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि माल ढोने का जो

लक्ष्य रखा गया है, उसका 2.8 परसेंट भाग केवल सरगुजा जिले से कोयले की ढुलाई के जरिये ही प्राप्त किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ टन कोयला केवल सरगुजा जिले से बाहर ले जाया जाता है और इसके बावजूद भी रेल मंत्री जी का कहना है कि संसाधनों की कमी है इस कारण हम इस लाईन का विस्तार नहीं कर सकते जिससे सरगुजा जिले के लोगों में इतना रोष है कि आज वे कोयला रोकने को तैयार हैं।

सरगुजा एक आदिवासी जिला है। आपको मालूम है कि जहां आदिवासी क्षेत्र है, वह प्राकृतिक सम्पदा से भरा होता है। जहां आप उसकी प्राकृतिक सम्पदा को जहां नष्ट कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं लेकिन उस क्षेत्र के विकास की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है। मैं इस अवसर पर आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि वहां की आदिवासी गरीब जनता आज इस स्थिति में आ चुकी है कि आने वाले रेल बजट में यदि अम्बिकापुर-विश्रामपुर रेलवे लाईन को सम्मिलित नहीं किया गया तो निश्चित रूप से वहां कोयले को रोका जायेगा, इस बारे में मेरे पास अनेको पत्र आ रहे हैं और यदि माननीय मंत्री जी उन्हें देखना चाहें तो मैं उन्हें दिखाने को तैयार हूं।

दूसरी बात यह है कि पुरी और निजामुद्दीन के बीच उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी हमेशा से चलती आयी है जिसे आपने अब अमृतसर तक बढ़ा दिया है। पहले तो वह गाड़ी अक्सर 9 से 12 घंटे तक लेट चलती है, कभी हम लोगों को यहां से रात के 9-10 बजे जाना पड़ता है क्योंकि हम लोगों के पास आने-जाने का केवल वही एकमात्र साधन है लेकिन सही समय पर न चलने के कारण हमें काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। आपने अमृतसर से एक शताब्दी एक्सप्रेस चलाई है, जिसके लिये आप बधाई के पात्र है लेकिन हमारी जो एक ही गाड़ी है, मैं चाहूंगा कि उसे आप सिर्फ निजामुद्दीन और पुरी के बीच ही रखिये जिससे कि आने-जाने में हमें सुविधा हो सके।

जहां तक बिलासपुर इन्दौर ट्रेन का संबंध है, वह गाड़ी कई साल से 5 घंटे तक लेट चलती है और उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। उसमें केवल तीन रैक हैं और जब वह गाड़ी इन्दौर पहुंचती है तो वही उसकी सफाई होती है और वहीं से वह वापस आती है। मैं चाहता हूं कि उसे आप भोपाल तक चलायें क्योंकि उसके आगे आगे मालवा एक्सप्रेस भी चलती है जो 5-6 घंटे में इन्दौर से भोपाल पहुंचती है जबकि यह ट्रेन भोपाल से इन्दौर 9 घंटे में पहुंचती है। इसके अधिकांश यात्री जो बिलासपुर से आते हैं, भोपाल से सीधे टैक्सी पकड़कर इन्दौर चले जाते हैं। अभी आपने उसमें से फर्स्ट क्लास की बोगी भी हटा दी जिससे आने-जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही हैं आपको चाहिये था कि हटाने से पहले कम से कम उसमें ए.सी. टू टीयर लगाते और फिर उसे हटाते।

इसके अलावा हमारे यहां एक गाड़ी बी.बी.एम. - विश्रामपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ चलती है, मैं चाहता हूं कि उसे आप अनुपपुर तक बढ़ा दें जिससे बिलासपुर, भोपाल, अमरकंटक, संबलपुर आदि के

यात्रियों को सुविधा हो जाये। वह ट्रेन बेकार में रात भर मनेन्द्रगढ़ में पड़ी रहती है। मैं चाहता हूं कि यदि इसे अनुपपुर तक बढ़ा दिया जाये तो अति-उत्तम होगा।

सभापति महोदय, जहां तक जोन की बात है, वह बार-बार कही जा रही है कि बिलासपुर में जोन का कार्यालय बनाया जाए। जितने भी आपके जोन हैं उन सबमें सबसे ज्यादा लाभ आपको बिलासपुर से होता है, लेकिन फिर भी आप उसको जोन नहीं बना रहे हैं। उसके लिए बहुत भूमि भी वहां उपलब्ध है, लेकिन आपके जोन न बनाने के कारण वह जमीन ऐसे ही लोगों द्वारा अनधिकृत कब्जे में ले ली जाएगी और जब आपको भूमि की जरूरत होगी, तब आपको भूमि नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिलासपुर को जोन बना दे ताकि उस क्षेत्र के आदिवासी लोगों को भी कुछ रोजगार के साधन रेलवे में उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, इसलिए आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं रेलवे की इन अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : सभापति महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय, ने जो अनुपूरक अनुदान की मांगे इस सदन में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं, उनका समर्थन करते हुए दो मिनट के लिए मंत्री महोदय का ध्यान हरियाणा में रेलों की जो कठिनाई हैं उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, एक तो हमारे बुजुर्ग सांसद जो पंजाब प्रान्त से हैं सरदार हर चन्द सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि रेल मंत्रालय भारत के उत्तरी हिस्से को बिल्कुल नैगलैक्ट किए हुए। खासकर सभापति जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं कुरूक्षेत्र और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं हिसार ये दोनों क्षेत्र रेलवे की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। कुरूक्षेत्र तो न केवल भारत में बल्कि विश्व में एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। इसके साथ-साथ हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ है, वह तो कम से कम हर जिले से रेल से जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन नहीं जुड़ी है।

सभापति महोदय, हिसार तो बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी छावनी है, बहुत बड़े उद्योग वहां हैं, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र जिसमें जींद, कैथल आदि आते हैं, यहां के लोगों को हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ जाने के लिए रेल की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वहां के लिए इन क्षेत्रों को चंडीगढ़ से रेल के माध्यम से जोड़ने के लिए अविलम्ब रेल लिंक की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, जैसा सदन में कल कहा गया था कि जिस क्षेत्र से रेल मंत्री होता है, उसी क्षेत्र में रेलवे को बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यह बात सही प्रतीत होती है क्योंकि चौधरी बंसी लाल जी जब रेल मंत्री थे तो रोहतक से भिवानी तक रेल लाइन बनी और रेल चली तथा रोहतक से हिसार का सर्वे भी हुआ, लेकिन वे जब रेल मंत्री के पद से नीचे उतरे तो वह रोहतक-हिसार रेल लाइन

का सर्वे ठंडे बस्ते में चला गया।

सभापति महोदय, जींद अर्स्टव्हाइल रियायत है जिसका कि आजादी से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन उस जींद को, मेरे संसदीय क्षेत्र के हैडक्वार्टर हिसार से जोड़ने के लिए केवल मात्र 40 किलोमीटर तक एक रेल लाइन हांसी तक बिछाने की आवश्यकता है, जिकी तरफ रेल मंत्रालय कतई ध्यान नहीं दे रहा है। यदि इस लिंक को जोड़ दिया जाए तो मेरे संसदीय क्षेत्र के तीन-चार विधान सभा क्षेत्रों को लाभ होगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस रेल लिंक के लिए समुचित धन निश्चित रूप से दें और इसे बनाएं ताकि लोगों को रेलवे की सुविधा मिल सकें।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से रोहतक से रेवाड़ी के लिए रेल लिंक की मांग वहां की जनता बहुत समय से कर रही है। मेरा निवेदन है कि जब तक नई रेल लाइन जींद को नहीं बनती है तब तक जींद को जोड़ने के लिए जींद से प्रातः एक पैसेंजर ट्रेन पानीपत के लिए चलती है, उसमें दो बोगी चंडीगढ़ के लिए लगा दी जाएं और जो एकता एक्सप्रैस भिवानी के लिए चलती है, उसमें से हिमालयन क्वीन रेलगाड़ी जो नई दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए चलती है, उसमें जोड़ दी जाएं, तो इस प्रकार से हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को जींद से सीधे जोड़ा जा सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं हैं इसी प्रकार से चंडीगढ़ से चलकर जो पानीपत गाड़ी पहुंचती है उसमें दो बोगी जींद से जोड़ दी जाएं। इस प्रकार से जो गाड़ी रोहतक से पानीपत और पानीपत से जींद जाती हे, उसमें केवल 30 मिनट का समय आगे बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन उससे उसका लिंक आसानी से हो सकता है।

मैं मंत्री महोदय से इस पर विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा।

हिसार रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ कृषि विश्वविद्यालय है। वहां का रेलवे क्रासिंग 24 घंटे में से 22 घंटे बन्द रहता है। वहां पर ओवर ब्रिज नहीं तो अंडर ब्रिज ही बनाया जाए जिससे लाइट वैहीकल्स और पैदल चलने वाले लोगों को रेलवे लाइन क्रॉस करने में सुविधा हो सके। एन.सी.आर. राजधानी दिल्ली से लगभग सौ-सवा सौ किलोमीटर रोहतक तक बहुत सारे स्टेशन्स हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली से जिंद तक इलैक्ट्रिफिकेशन करने का कार्य किया जाए तो वह राष्ट्रीय हित में होगा। कुछ डी.एल.आर. शटल ट्रेनें जो रोहतक जाती हैं, उन्हें डी.एल.जे. में परिवर्तित करने की कृपा करें।

मंत्री महोदय ने जोनल और रीज़नल लैवल पर ऐडवाईजरी कमेटी का गठन किया था लेकिन वह भी अपने इलाके की तकलीफें रेल विभाग तक नहीं पहुंचा पाई। हमारे क्षेत्र के लोग, चाहे वे रेल विभाग के अन्तर्गत हों, चाहे आर.पी.एफ. या दूसरी नौकरियों में हों, उनसे बिल्कुल वंचित हैं। उन क्षेत्रों के नौजवानों को भी रोजगार देने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त सिर्फ जिंद से गुजरने वाली गाड़ियां जो लम्बे रूट की हैं, बहुत कम समय के अन्तराल में दो-तीन गाड़ियां चली जाती हैं। दिल्ली जाने वाली गाड़ियां रात को ही जाती हैं। मेरा

अनुरोध है कि यहां से सुबह 9-10 बजे गाड़ी चलकर शाम को 9-10 बजे वहां पहुंच जाए, ऐसा ऐडजस्टमैंट करना चाहिए। यही एक विभाग ऐसा है जो सीधा जनसाधारण से संबंधित है, बाकी जितने भी विकास के कार्य या लोगों की सुविधा की बातें हैं, वे राज्य सरकार के माध्यम से होती हैं। यदि जनता किसी सांसद के कार्यकलाप आंकती है तो वह यह देखती है कि इस क्षेत्र में सांसद ने क्या किया। यहां तो लोगों को कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी क्योंकि जो पहले से रेलवे क्रॉसिंग थी, वे भी तोड़ दी गई है। हमें अपने क्षेत्र में जाकर कोई भी बात कहने को नहीं मिलती। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर जरूर ध्यान दें ताकि हम भी अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ कहने लायक हो सकें कि हमने अपने क्षेत्र में रेल मंत्रालय द्वारा यह कार्य करवाया है।

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया लेकिन मुझे अफसोस है कि यदि मंत्री महोदय की कलम खुल भी रही हो तो भी, जब कोई हरियाणा का सांसद बोलता है, वह बन्द हो जाती है। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि लोगों की उचित तकलीफों पर, खास तौर पर राजधानी तक पहुंचने के लिए और कुरूक्षेत्र जैसे तीर्थ स्थान पर जाने के लिए, विशेष ध्यान दें।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मै रेलमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का समर्थन करता हूँ, यद्यपि मेरे मन में शंका है कि शायद मंत्री महोदय मेरे निवेदन को समर्थन नहीं करेंगे।

मैं आरंभ में ही यह कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई समुचित संगठन नहीं है जिसके माध्यम से आम लोग रेलवे बोर्ड के समक्ष अपनी शिकायतों को रख सकें। आम लोगों को रेलवे बोर्ड के समक्ष अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने में कठिनाइयां होती हैं। अभी भी केरल के लोग विशेषतः जो तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं यह आशा करते हैं कि भारतीय रेल, जिसका विश्व की रेलों में अद्वितीय स्थान है, थीरूट-एडापिल्ली तटवर्ती रेलवे-मार्ग के निर्माण पर विचार करेगी, जिसका सर्वेक्षण मूल रूप में वर्ष 1936 में तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया था। मैंने स्वंय इस मुद्दे को कई बार उठाया था, लेकिन यह सब बेकार साबित हुआ। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रेलवे बोर्ड ने इस मुद्दे पर कई बार विचार किया था लेकिन निधियों की कमी के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया। मुझे भय है कि इस तटवर्ती रेलवे मार्ग के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने पूर्णरूपेण समाप्त तो नहीं कर दिया है। यदि सरकार की यह प्रवृत्ति है, तो मुझे आश्चर्य है कि सरकार अपने इस वृहत कार्य को पूरा करने में किस प्रकार सफल होगी।

अनेक वर्षों पूर्व सरकार ने कोंकण रेलवे परियोजना प्रारंभ की थी लेकिन इससे पूर्ण लाभ तभी होगा जब इस थिरूर-एडापिल्ली तटवर्ती रेलवे-मार्ग जिससे 35 कि.मी. की यात्रा कम हो जाएगी, को बनाया जाएगा। प्रस्तावित रेलवे मार्ग को बनाया जाता है तो एल्लिमाला और कोचीन नौसेना अकादमी के बीच की दूरी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय मंत्री जी के प्रभावी नियंत्रण के कारण, भारतीय रेलवे में

अनेकों परिवर्तन हुए हैं, जो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। लेकिन मंत्री जी को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड के समक्ष कई मामले लम्बित हैं और उनमें से कुछ पर अविलम्ब ध्यान देने की अत्यधिक जरूरत है। ऐसा ही एक मामला थीरूर-एडापिल्ली तटवर्ती रेलवे मार्ग के निर्माण का है। इस क्षेत्र के लोगों को अनेक परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ा हैं। वे अब आगे उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करेंगी। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जनता के लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, धन की उपलब्धता के अनुसार वह उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। जो रेलवे बोर्ड के पास वर्षों से लम्बित है।

अब मैं यात्री संबंधी सुविधाओं पर आता हूँ। समय-समय पर रेलवे बोर्ड विभिन्न नियम-और विनियम बनाता रहता है ताकि अपने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ कागज पर ही लिखा रहता है। रेलवे अधिकारी इन नियमों तथा विनियमों का सम्मान नहीं करते, जिन्हें रेलवे बार्ड द्वारा ही बनाया जाता है। कानून बनाने वाले अधिकारियों को इस संदर्भ में एक सशक्त विधान बनाना चाहिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी लम्बी दूरी के यात्रियों ने कई बार यात्री सुविधाओं के विषय में शिकायतें की हैं। मैं कह सकता हूँ कि कुछ शिकायतें अपरिहार्य कारणों के कारण हो सकती हैं लेकिन अधिसंख्यक शिकायतें उचित हैं।

हमारे देश में, द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या अधिक है और वे अक्सर द्वितीय-श्रेणी के सवारी डिब्बों में ही यात्रा करते हैं। जहां तक रेलवे का संबंध हैं भारत में, द्वितीय श्रेणी का तात्पर्य निम्नतम श्रेणी से होता है। मै कहना चाहूँगा कि इस समय द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार पूर्णतः अपर्याप्त है।

4.00 म.प.

लम्बी दूरी की गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के ऐसे अधिक अनारक्षित सवारी डिब्बों को लगाया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को आने-जाने में सुविधा हो। रेलगाड़ियों पर अतिरिक्त भार को देखत हुए मार्ग क्षमता तथा परिचालन संबंधी सुविधाओं में भी तदनुसार वृद्धि करनी होगी। कुछ मानदण्ड सवारी डिब्बों विशेषतः द्वितीय श्रेणी के अनरक्षित सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाले कारखानों के लिए भी समयबद्ध तरीके से निर्धारित किए जाने चाहिए।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह केरल में राजधानी एक्सप्रेस को रोकने के संबंध में हैं। वर्तमान में रेलवे अधिकारियों ने त्रिवेन्द्रम होकर जाने वाले मार्ग में केवल एर्णाकुलम में ही रेलगाड़ी को रोकने का प्रावधान किया है। यह न्यायसंगत नहीं है क्योंकि यदि कोई यात्री त्रिवेन्द्रम से चलकर एर्णाकुलम में उतरना चाहता हे तो उसे त्रिवेन्द्रम से इरोड तक का किराया चुकाना पड़ता है। महोदय, इरोड एर्णाकुलम से 30 कि.मी. की दूरी पर है।

सभापति महोदय : महोदया, आप अगली बार इसे जारी रख सकते हैं। अब सायं के 4 बजे हैं। हम मद संख्या 14 पर विचार करेंगे अर्थात् अब नियम 193 के अधीन मामलों पर चर्चा की जाएगी।

4.01 म.प.

नियम 193 के अधीन चर्चा

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा चलाई जा रही कपड़ा मिलों की समस्याएं

सभापति महोदय : अब श्री मोहन रावले राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित मिलों, विशेषतः बम्बई में संचालित मिलों की समस्याओं पर चर्चा शुरू करेंगे।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपूझा) : महोदय, विपक्ष के सदस्य वापस आ गए हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं कि मैं अनशन कर रहा हूं। अभी जो मैं खड़ा हुआ हूं वह अनशन करके खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस : हमें खुशी है कि आपने इसके महत्व को महसूस किया है और आप वापिस आ गए हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, आज मुंबई शहर में जो मिल्स हैं उनकी हालत बहुत खराब है। आज हिन्दुस्तान में 30 परसैंट टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन आज टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुंबई शहर में बंद होने जा रही हैं। ये मिल्स क्यों बन्द होती हैं यह मैं आपकी नजर में लाना चाहता हूँ। आज मुंबई शहर में टैक्सटाईल बढ़ाने में मिल मजदूर का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने मिल्स बढ़ाई हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्किट में बढ़ावा दिया है।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अब मराठी में बोल रहा हूँ।

---

* सभापति महोदय, 1982 में मुम्बई में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल हुई थी। मैं एक कपड़ा मजदूर का बेटा हूं। जब मेरे पिता टाटा मिल में कार्य करते थे उस समय मैं 5-6 वर्ष का था। मैं अपने पिता के साथ इस मिल में जाया करता था। मैंने उन कठिन परिस्थितियों को देखा है जिनके अंतर्गत मिल मजदूरों

---

* मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

को काम करना पड़ता है। उन्हें लगातार 8 घंटे तक भट्ठी के सामने खड़ा होना पड़ता था। रूई के छोटे-छोटे टुकड़े उनके पेट में चले जाते थे। जब वह ऐसी परिस्थितियों में कार्य कर सेवा-निवृत्त होता था तो वह 5 या 6 वर्ष ही जिंदा रह पाता था। 70-80 प्रतिशत मजदूरों का यही हाल था। अतः मजदूर महसूस करते थे, जब वे इतनी मेहनत करते हैं तो उन्हें पुरस्कार स्वरूप कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिलना चाहिए। इसीलिए मजदूरों ने इस हड़ताल में भाग लिया। इस हड़ताल में गरीब मजदूरों ने सबसे अधिक दुख उठाया। उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ा था। 1982 में हुई इस हड़ताल में 2,10,000 से अधिक मजदूरों ने भाग लिया था। निजी मिलों में 10 लाख से अधिक मजदूर कार्यरत थे। उनमें से लगभग 85,000 मजदूर अतिरिक्त कार्यभार संभालते हुए कार्य करते रहे और 23,9000 बेरोजगार हो गए। राष्ट्रीयकृत मिलों के 41,000 मजदूरों में से 31,000 मजदूरों को काम पर वापिस ले लिया गया और 10,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। अक्तूबर, 1982 में जारी अध्यादेश के परिणामस्वरूप 43,000 मजदूरों में से 20,000 मजदूरों को काम पर वापिस ले लिया गया और 23,000 मजदूर बेरोजगार रह गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगार मजदूरों की संख्या 22,000 हैं लेकिन मेरे अनुसार "बदले" मजदूरों सहित 70,000 कपड़ा मजदूर बेरोजगार हैं। यदि सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है तो वह यह किया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अपने निर्णय को लागू किया और मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है। मैं इस संबंध में उदाहरण देना चाहता हूं। दिसम्बर, 1982 में मुकेश मिल्स बंद हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप लगभग 12,000 मजदूर बेरोजगार हो गए। बिजली की आपूर्ति न होने के कारण 1983 में बेडवेरी मिल्स बंद हो गई जिसके परिणामस्वरूप 2600 मजदूर बेरोजगार हो गए। 1984 में श्रीनिवास मिल्स में 5000 मजदूर बेरोजगार हो गए क्योंकि यह बिजली की आपूर्ति न होने के कारण बंद हो गई थी। इसी कारण से मार्डन मिल्स भी मार्च, 1987 में बंद हो गई थी और लगभग 2,000 मजदूर बेरोजगार हो गए थे। कच्चे माल की आपूर्ति न होने के कारण न्यू ग्रेट मिलस् के 3099 मजदूर बेरोजगार हो गए थे। वित्तीय संकट के कारण 1988 में कमला मिल्स बंद हो गई थी जिससे 1800 मजदूर बेरोजगार हो गए थे। रघुवंशी मिल्स भी इन्हीं कारणों से बंद हो गई थी। इस मिल के बंद होने से लगभग 1200 मजदूर बेरोजगार हो गए। 1979 में मफतलाल मिल्स में 110 मजदूरों ने त्यागपत्र दे दिया था। वित्तीय समस्याओं के कारण स्वैन कुर्ला मिल्स 1979 में बंद हो गई थी। इसके लगभग 1659 मजदूर बेरोजगार हो गए थे। वित्तीय संकट के कारण ही स्वैन सूदी मिल्स बंद हो गई थीं और 2531 मजदूर बरोजगार हो गए थे। वित्तीय समस्याओं के कारण स्वैन प्रोसेस मिल्स बंद हो गई थीं जिससे लगभग 1200 मजदूर बेरोजगार हो गए। बेरोजगार मजदूरों की संख्या के बारे में मेरे पास एक विस्तृत सूची है। अतः मैं इसे पूरी नहीं पढ़ना चाहता। स्टैंडर्ड मिल्स में 4500 मजदूरों में से 3500 मजदूरों को फिर से रखा गया और 1000 मजदूर बेरोजगार हो गए। मेरे पास यह बताने के लिए पूरे आंकड़े हैं। कि बड़ी संख्या में कपड़ा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।

महोदय, मैं उन कारणों के बारे में बताना चाहता हूं जिनके कारण मिलें बंद हुई थी और बड़ी संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए थे। जब ये मिलें रूग्ण हो गई, तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने इन्हें अधिगृहीत कर लिया। उस समय स्वर्गीय श्रीमति गांधी प्रधान मंत्री थीं। यह बात याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये मिलें राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने चलाने के लिए अधिगृहीत की थीं न कि बेचने के लिए। यह गरीब मजदूरों को काम देने के लिए अधिगृहीत की गई थी। सरकार ने यह घोषणा की है कि एक साल के भीतर यह एक करोड़ लोगों को रोजगार देगी। आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यही कहा है। ये नौकरियां कहां हैं ? वास्तव में आप कार्यरत मजदूरों को बेरोजगार करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बी.आर.एस. योजना के अंतर्गत सरकार केवल मजदूरों को नौकरियों से निकाल रही है।

मैंने अनेक बार इन मिलों के बंद होने के कारणों के बारे में मंत्री महोदय से चर्चा की है और माननीय मंत्री भी मुझसे इस बारे में सहमत हैं। इन मिलों को घटिया किस्म का कच्चा माल दिया जा रहा है। अच्छी किस्म की मशीनों के लिए 2-3 साल तक चलने वाला कच्चा माल नहीं दिया जा रहा है। बल्कि निम्न गुणवत्ता वाला माल दिया जा रहा है जो 3 या 4 महीने ही चलेगा। निम्न गुणवत्ता वाला कच्चा माल होने के कारण अच्छी मशीनें खराब हो जाती हैं और अधिक समय तक नहीं चलती हैं तथा इससे कपड़े के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है।

मैंने मंत्री महोदय को यह भी बताया है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कुछ अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार भी ऐसी स्थिति के लिए उत्तरदायी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि विदेशों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कपड़े की बहुत मांग है। 1983 में अधिग्रहीत राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में बना कपड़ा पहले रूस और अन्य देशों को निर्यात किया जाता था। जुपिटर, सीताराम, पिल्लै मिलों द्वारा बनाया गया कपड़ा निर्यात किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कुछ अधिकारियों ने भ्रष्ट तरीके अपनाना शुरू कर दिया। डर के कारण मजदूरों ने काम पर आना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन्होंने अतिरिक्त कार्यभार भी स्वीकार कर लिया। 1982 में हुई हड़ताल के अनुभव के कारण उन्हें यह डर है कि उनकी नौकरी चली जाएगी यहां तक कि जब वे काम पर आते हैं तो उस समय भी उन्हें यह डर होता है कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। अधिकारीगण इस स्थिति का लाभ उठाते हैं। महीने के पहले सप्ताह में अधिकारियों ने मजदूरों को कहा कि व्यापारी मिल में बने कपड़े को उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसा जान-बूझकर किया जाता है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच साठ-गांठ हैं जिसके कारण व्यापारियों ने माल नहीं लिया। महीने के 10 तारीख तक 10 रुपए मीटर का कपड़ा 5-6 रुपये मीटर की कीमत पर बेचा जाता है। इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जुपिटर और अन्य मिलों का दौरा किया। जो बंद होने की कगार पर है। कपास की आपूर्ति न होने और पूंजी उपलब्ध न होने जैसे भी कुछ अन्य कारणों से ये मिलें बंद हो रही हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि सरकार इन मिलों को कपास क्यों नहीं दे रही है। इन मिलों को

सूती धागा और कार्यकारी पूंजी नहीं दी जा रही हैं इसीलिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें बंद होने के कगार पर हैं। जब मैं इन मिलों में जाता हूं तो मजदूर मुझे बताते हैं कि उन्हें ऐसी कपास देनी चाहिए जो कम से कम 6 माह चले। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय आज सभा में यह घोषणा करेंगे कि सरकार इन मिलों को कार्यकारी पूंजी और कपास देगी। मैं वित्त मंत्री महोदय मनमोहन सिंह जी से पहले ही मिल चुका हूं। वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि वस्त्र मंत्री वित्त मंत्रालय से धन नहीं मांग रहे हैं। मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है। मैं वस्त्र मंत्री महोदय को साथ लेकर गया। महोदय, अभी-अभी वस्त्र मंत्री महोदय ने मुझे लॉबी में बताया कि वस्त्र मंत्रालय धन देने के लिए तैयार है। मैं वहीं बात कह रहा हूं जो मंत्री महोदय ने मुझसे कही है। ये उनसे शब्द हैं। मैं उनसे मिला और उनसे कहा कि कार्यकारी पूंजी, कपास और कच्चे माल के लिए धन दिया जाना चाहिए। मंत्री महोदय धन देने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं जानता कि क्या उन्होंने धन की मांग की है। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि धन दिया जाएगा। देखना है कि आज वह कौन सी घोषणा करते हैं।

मुम्बई में अनेक कपड़ा मिलें हैं जहां काफी महंगी मशीनें लगी हैं। उदाहरण के लिए कोहीनूर मिल में अत्यंत महंगी मशीनें हैं। यदि आप केवल कोहीनूर मिल्स को अधिग्रहीत करें तो वह अन्य 3-4 मिलों को पानी दे सकता हैं। इस मिल में प्रोसेसिंग, ब्लीचिंग और रंगाई अनुभाग हैं जो प्रतिदिन 1 लाख मीटर कपड़ा बना सकते हैं। लेकिन आज यह मिल लगभग बंद कर दी गई है। इस मिल में केवल 100 मजदूर कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टचार के कारण इन मिलों को घाटा हो रहा है। अधिकारी भली-भांति जानते हैं, कि एक बार मिलों को घाटा होता है, तो उन्हें उनके स्वामियों को सौंपा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि यदि 15 वर्ष के भीतर किसी मिल का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है, तो उसे इसके स्वामी को सौंप दिया जाएगा। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि 12-13 साल पहले जिन मिलों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अधिगृहीत किया था। उनका राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अधिगृहीत किया था कोहीनूर मिल्स में रंगाई, छपाई और प्रोसेसिंग की सुविधा हैं यह मिल्स बंद हो गई हैं। यहां पर बॉयलर और करोड़ों रुपए की बहुत महंगी मशीनें हैं। इस मिल में लाखों मीटर कपड़ा बनाया जा सकता है और मिल में मजदूर बेकार बैठे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कपास और कच्चा माल दिया जाए ताकि वे कार्य कर सकें। सरकार ने उन्हें बेकार रखा हुआ है और उनकी कार्य-क्षमता व्यर्थ जा रही हैं आप उन्हें काम दीजिए और वे कपड़ा बनाने के लिए तैयार हैं। कोहीनूर मिलस में ब्लीचिंग और रंगाई की 22 मशीनें बेकार पड़ी हैं। मुंबई में 8 रंगीन छपाई की मशीनें हैं। प्रत्येक मशीन की लागत 50 लाख रुपए है। मैंने कोहीनूर, जुपीटर, सीताराम और दिग्विजय मिलों में करोड़ों रुपयों की मशीनें देखी हैं। स्वचालित मशीनें भी हैं जो लाखों मीटर कपड़ा बना सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इन मिलों को कपास नहीं दी जा रही है और करोड़ों रुपयों की मशीनें बेकार पड़ी हैं। हो सकता है कि भविष्य में इन मशीनों में जंग लग जाए और इन्हें

रद्दी माल समझकर फेंक दिया जाए। मैं यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं आपके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। वास्तव में मुझे आप पर गर्व है। आप मजदूर यूनियन से आए हैं। मैं जानता हूं कि आपको मजदूरों के साथ बहुत सहानुभूति है। आपको मजदूरों पर गर्व है। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले कृपया यह देखिए कि मजदूरों के साथ अन्याय न हो। कृपया मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखिए। मुझे विश्वास है कि यदि आप ध्यान देंगे तो परिस्थितियों में सुधार होगा। आपने एक भ्रष्ट अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया है लेकिन अन्य भ्रष्ट अधिकारी भी हैं। कृपया केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से उनके गलत कामों की जांच की जाए। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के इन अधिकारियों ने भ्रष्ट तरीके अपनाकर लाखों, करोड़ों रुपए जमा कर लिए हैं और मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है।

महोदय, मैं अन्य अनेक मिलों का उदाहरण दे सकता हूं। आपको हैरानी होगी कि वित्त मंत्रालय ने पूरे देश में 120 कपड़ा मिलें चलाने के लिए एक करोड़ रुपया दिया है। क्या एक करोड़ रुपए से 120 मिलें चलाना संभव है ? वी.आर.एस. योजना के लिए 300 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि मजदूरों को काम से हटाने के लिए आप 300 करोड़ रुपए दे सकते हैं लेकिन आप मिलें चलाने के लिए धन नहीं दे सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप मिलें बंद कर रहे हैं। कृपया मुझे बताइए कि क्या कपड़ा मिलें बंद करने की आपकी यह नीति है ? जबकि इस मुद्दे के संबंध में आंदोलन करते हुए मैं उपवास पर हूं फिर भी मैं यहां आया हूं। जब तीन दिन पहले मैं सभा में आया था तब मैंने कहा था कि कुछ कपड़ा मिलों को सरकार बेचना चाहती है और सरकार के इसी कदम का विरोध करने के लिए मैं ने उपवास का सहारा लिया है। मैं आधुनिकीकरण का विरोधी नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि आधुनिकीकरण के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आधुनिकीकरण करने के लिए आप मजदूरों की छंटनी न करें और मिलों को बंद न करें। मेरे और श्री राम विलास पासवान द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में आपने सभा में स्पष्ट रूप से कहा था कि मुम्बई में कोई मिल बंद नहीं की जाएगी। आप मिलों का विलय कर रहे हैं। लेकिन विलय करते हुए आप कुछ मिलें बंद कर देंगे और उन्हें बेच देंगे। मैंने एक प्रश्न पूछा था और आपने उसका उत्तर भेजा है। मैं, मुझे दिए गए उत्तर को पढ़ना चाहता हूं। मैं केवल कुछ आंकड़े देना चाहता हू। मधुसूदन मिल के पास 18.5 एकड़ भूमि है। इस अतिरिक्त भूमि का अनुमानित मूल्य 97,23,000,00 रुपए है। सीताराम मिल द्वारा विनिर्मित कपड़ा निर्यात किया जाता था। उस मिल को बेचा जा रहा है। इस मिल के पास 11.09 एकड़ भूमि है। मिल के बाहर 3.39 एकड़ भूमि है। इस प्रकार 14.48 एकड़ भूमि 65,86,00,000 रुपए में बेची जा रही है। कोहीनूर मिल्स के पास 14.33 एकड़ भूमि है और इसे 77 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। एलफन्सटाइन मिलस के पास 8.89 एकड़ भूमि है जो 48,11,00,000 रुपए में बेची जा रही है।

मेरे पिताजी ने 46 वर्ष तक टाटा मिल में काम किया है। इस मिल के बने कपड़े का निर्यात किया जाता था। रुस के प्रधान मंत्री ने इस मिल का दौरा किया था। एक बच्चे के रूप में मैंने देखा है कि रूस

के प्रधान मंत्री ने इस मिल की काफी प्रशंसा की थी। आप इस टाटा मिल को बेचने जा रहे हैं। टाटा मिल की 12.45 एकड़ भूमि को 45 करोड़ 68 लाख रुपये में बेचा जा रहा है। डैम मिल के पास 85 एकड़ भूमि है जिसे 45 करोड़ 64 लाख रुपये में बेचा जा रहा है। मैंने सरकार के बेचने के इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए उपवास रखें हैं। मैंने इस सभा में भी कहा है कि मैंने यह जो कदम उठाया है, उस पर मैं अडिग हूं क्योंकि मैं एक मिल कामगार का पुत्र हूं। मैंने उस समय भी कहा था किं यदि सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, तो मैं इस सभा में अपने जीवन का उत्सर्ग कर दूंगा। उपवास तो मात्र आरंभ है। देखना यह है कि पराजय आपकी होती है या मेरी। अब यह सिद्ध हो जाएगा कि आप मजदूरों के नेता हैं अथवा नहीं। शायद आपको यह पता नहीं है कि निचले स्तर पर क्या कुछ हो रहा है। इसलिये, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में निर्णय लें।

4.16 म.प.

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

महोदय, मेरे पास प्रधानमंत्री का लिखा एक पत्र मौजूद है। यदि रक्षा, रेलवे आदि जैसे सभी सरकारी विभाग अपनी कपड़ा संबंधी मांगों को एन.टी.सी. मिल से पूरा करें, तो अच्छा रहेगा। इस संबंध में, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव जी से भी मिला हूं। उन्होंने इस संबंध में मुझ से बातचीत की है। आपकी अनुमति से इस पत्र के कुछ अंश में यहां पढ़ना चाहता हूं : –

"आपने रेल मंत्रालय और सरकार के अन्य विभागों द्वारा कपड़ा मदों की खरीद के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया है। जब तक हम एन.टी.सी. सर्वांगीण सुधार नीति (टर्न अराउंड स्ट्रेट्रिजी) लागू कर रहे हैं, हमने यह निर्णय लिया है कि सरकारी विभाग कपड़ा संबंधी अपनी आवश्यकताओं को एन.टी.सी./बी.आई.सी. से पूरा करते रहेंगे। तदनुसार, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अपनी कपड़ा संबंधी आवश्यकताओं को उस हद तक एन.टी.सी./बी.आई.सी. से पूरा करना होगा जिस हद तक ये उपक्रम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित क‌ के लिये मामले को उठा रहा है।"

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न मंत्रालयों को ऐसे अनुदेश दे दिये गये हैं अथवा नहीं जब हम इन विभागों से पूछत हैं, तो हमें उत्तर नहीं मिलता। यहां तक कि यदि पैराशूट के लिये आवश्यक कपड़े की आपूर्ति का आदेश दिया जाता है, तो इसे मुम्बई स्थित एन.टी.सी. मिलें बना सकती हैं। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को विभिन्न विभागों के साथ उठायें और यह सुनिश्चित करें कि सभी विभाग प्रधानमंत्री के अनुदेशों का अनुपालन करें।

15 सितम्बर, 1986 को वस्त्र पुनर्वास निधि योजना नामक योजना लागू की गई थी। मैं नहीं जानता कि यह मापदण्ड किस प्रकार निर्धारित किया गया था।.यदि कुछ कपड़ा मिलों को 15 सितम्बर, 1986

से पूर्व बंद कर दिया गया था, तो क्या आपका अभिप्राय यह है कि इसमें मजदूरों का दोष था ? क्या मजदूरों ने इन मिलों को बंद किया है ? मिलों को मिल-मालिकों ने बंद किया है। इसलिये मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस मापदण्ड को बदला जाना चाहिये। किसी मिल को किसी समय भी बंद किया जा सकता है। अतः मिलों को बंद करने के लिये मजदूरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिये। मिल मालिकों को अथवा मिल के अधिकारियों को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मापदण्ड में भी परिवर्तन किया जाये।

जिन मिलों को 6.6.1985 को अथवा इसके बाद बंद किया गया था, उनके मजदूरों को तीन वर्ष के लिये अपने वेतन का 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत भाग मिलना चाहिये। जिन मिलों को सरकार की अनुमति से बंद किया गया है अथवा जहां पर सरकारी परिसमापक को उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, वहां यह योजना लागू है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मापदण्ड को बदला जाना चाहिये। मुम्बई में ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है जो 1982 के बाद बेरोजगार हो गये हैं। उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

सरकार ने पुनर्वास निधि एवं वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजनायें आरंभ की थी। इस प्रयोजनार्थ, 750 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि : -

"भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अगस्त, 1986 को, कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना, 750 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि के साथ, पांच वर्ष की अवधि के लिये आरंभ की थी।"

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुम्बई में कितनी मिलों को इस निधि से सहायता प्रदान की गई है। 877 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा यह राशि वितरित की गई है। इसमें से 765 करोड़ रुपये गैर सरकारी मिलों को दिये गये है। अकेले "रिलायन्स" को 300 रुपये दिये गये हैं। "रियालयन्स" जो एक समृद्ध मिल है, उसे इतनी बढ़ी राशि दी गई है और मुम्बई में स्थापित ऐसी मिलें जोकि बंद होने के कगार पर हैं और जिनके पास कपास और कच्चा माल भी नहीं है, उन्हें एक पैसा तक नहीं दिया गया। आपने मुम्बई से बाहर स्थित एम.टी.सी. मिलों को सहायता दी है, लेकिन मुम्बई में स्थित रूग्ण मिलों को कोई सहायता नहीं दी गई है।

इसलिये, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुम्बई में स्थित मिलों को सहायता प्रदान की जाये। मैं नहीं जानता कि सरकार की आधुनिकीकरण की नीति क्या है। मैं नहीं जानता कि कुछ मिलों को सहायता न देने के लिए आपने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की खिचाई की है। लेकिन, यदि इन मिलों को समय पर सहायता दे दी जाती, तो आज ये मिलें बंद होने के कगार पर न होतीं।

सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की है वास्तव में, यह योजना जबरदस्ती सेवानिवृत्ति

प्राप्त करने की योजना है। आप मजदूरों को जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर रहे हैं। आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि मजदूर बेरोजगार हो जायें।

मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बारे में माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा है और उन्होंने भी मुझे पत्र लिखा है। 3 प्रतिशत मान्यता प्राप्त यूनियनों के सदस्यों को इस योजना में जबरदस्ती शामिल किया गया है। एन.टी.सी. के अधिकारियों ने मजदूरों से कहा है कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिये फार्म भर कर दें। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मजदूरों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिये फार्म भरने के लिए कहा गया है। यदि गरीब मज़दूर फार्मों को नहीं भरते हैं, तो उन्हें उनको देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। परेशान मजदूरों को विवश होकर ऐसा करना पड़ रहा है। इसके बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि यूनियन तथा एन.टी.सी. के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। अतः आप कृपया एन.टी.सी. के अधिकारियों से कहें कि मजदूरों की देय राशि का उन्हें सीधा भुगतान किया जाये। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कोहिनूर मिल के मजदूरों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाए। उनके बकाया वेतन का भी उन्हें भुगतान किया जाये। लेकिन दुर्भाग्यवश, उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय लागू नहीं किया गया है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय 28 फरवरी को ही दिया था, फिर भी इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। यहां तक कि मजदूरों की पहचान का कार्य भी अभी तक नहीं किया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि उन्हें बकाया वेतन का भुगतान किया जाये और उन्हें रोजगार भी दिया जाये। इस अवधि में बहुत से मजदूरों की मृत्यु हो गई है। इसलिये, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मजदूरों की बकाया मजदूरी का उन्हें भुगतान किया जाये।

मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार उन मजदूरों को नियमित क्यों नहीं कर रही जिन्होंने 240 दिन से भी अधिक कार्य किया है। इसके बारे में मैंने माननीय मंत्री श्री संगमा से पूछा था। संगमा जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और कहा था कि जिन मजदूरों ने 240 दिन तक कार्य कर लिया है, उन्हें अस्थायी मजदूर घोषित कर दिया जायेगा। लेकिन पांच वर्षों के बाद भी, उन मजदूरों को नियमित नहीं किया गया है। अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि इन मजदूरों को नियमित किया जाये।

संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र से एक खतरा दिखाई देता है। वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है : –

"जून 1985 के वस्त्र नीति संबंधी वक्तव्य में विकेन्द्रित विद्युत करघा क्षेत्र में विद्युत करघों के पंजीकरण की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। साथ ही, नई नीति के अन्तर्गत वस्त्र आदेश, 1986 के भाग 3, खंड 9 के अनुसार राज्य प्राधिकरणों को भी विद्युत करघों के पंजीकरण का अधिकार सौंपा गया था। अद्यतन स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्य पंजीकरणों प्राधिकरणों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर विद्युत करघों की संख्या 12 लाख से अधिक है।"

असंगठित क्षेत्र में, 12 लाख मजदूर काम करते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों को दी जानी वाली मजदूरी में भी अन्तर है। इनमें कार्य के घंटे, क्रमशः 8 और 12 हैं। संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर को 2000/- रुपये वेतन मिलता है और असंगठित क्षेत्र में 1000/- रुपये वेतन मिलता है। मैं प्रतिस्पर्धा का विरोध नहीं करता। प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिये लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में अन्तर नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिस्पर्धा होती है, तो मज़दूरी भी बढ़ाई जानी चाहिये। असंगठित क्षेत्र में भी श्रमिक कानून लागू होने चाहिये। लेकिन इस समय ये कानून लागू नहीं है।

विपक्ष ने सभा का बहिष्कार किया है। 5000/- करोड़ रुपये की राशि का घोटाला हुआ है। लेकिन इस राशि को वसूल नहीं किया जा सका।

सभापति महोदय : श्री मोहन रावले, क्या आपने अपना भाषण समाप्त कर लिया है ?

श्री मोहन रावले : मैं केवल पांच मिनट और लूंगा। यह भी इस विषय के साथ जुड़ा है। मैं विषय पर आ रहा हूं।

4 करोड़ रुपये विद्युत प्रभार की अदायगी न करने के कारण, 11 मिलों को बंद किया जाने वाला है। मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही। यद्यपि रिजर्व बैंक के अधिकारी मौजूद थे, फिर भी 5000 करोड़ रुपये वसूल नहीं किये जा सके। लेकिन विद्युत प्रभार की अदायगी के लिये 4 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया जा सकता। मैं यही बात कहना चाहता हूं।

मुझे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जुपिटर मिल, मुम्बई का दौरा करें। आप कृपया वहां पर लगी मशीनों का निरीक्षण करें। आप कृपया मजदूरों से मिलें और उनसे पूछें कि क्या वे मिल को चला सकते हैं। कुछ मिलों को बंद करने का जो प्रस्ताव है, उसे रद्द किया जाना चाहिये। मिलों को सूती धागा, कच्चा माल और कार्यकारी पूंजी दी जानी चाहिये जो 6 माह के लिये पर्याप्त हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से ऐसा अनुरोध करता हूं। यदि सरकार इस मामले में अपने निर्णय की घोषणा नहीं करती, तो मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं अपना उपवास जारी रखूंगा। बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका अति धन्यवाद करता हूं।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.वेंकट स्वामी) : मैं श्री मोहन रावले जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

[हिन्दी]

ये अपने भाषण में बार-बार यह कह रहे हैं कि मिलों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है और उनको प्राइवेट लोगों के हाथों में बेच रहे हैं। इस प्रकार की बात ये अपने बयान में अक्सर बोलते रहते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास इस प्रकार का कोई सुबूत है ? अगर है, तो हमें

बताइए। इसी प्रकार से ये बार-बार कह रहे हैं कि वर्कर बेकार हो गए हैं। मिलें बन्द हो गई हैं जिसकी वजह से मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इस बात का भी इनके पास कोई सुबूत है, तो कृपया मुझे भेज दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, श्री रावले मंत्री जी को पत्र दे सकते हैं। इसलिए, मैं सोचता हूँ कि हम माननीय मंत्री जी के उत्तर देने के लिए प्रयाप्त समय की गुंजाइश रखेंगे। क्योंकि श्री राव ने कई मुद्दे उठाए हैं। मैं अन्य सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वे संक्षिप्त भाषण दें।

श्री शरद दिघे : (मुम्बई उत्तर मध्य) सभापति महोदय, मैं श्री मोहन रावले जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों की समस्याओं के विषय में चर्चा शुरू की। इससे हमें अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला है, जहां तक बम्बई के कपड़ा मिलों के प्रश्न हैं। इससे माननीय सदस्यों को बहुत से मुद्दों को और जिनके विषय में संदेह है और वास्तविक स्थितियों के संदर्भ में भ्रातियाँ हैं। स्पष्ट करने का मौका मिला है।

माननीय श्री मोहन रावले को और मुझे इस समस्या की बहुत चिंता है क्योंकि बम्बई में अधिसंख्यक कपड़ा श्रमिक दक्षिण मुम्बई के चुनाव - क्षेत्र में रहते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व श्री रावले जी करते हैं, और उत्तर बम्बई में रह रहे हैं जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ। अतः, जहाँ तक मुम्बई के इन श्रमिकों का मामला है तो इसकी हम दोनों को चिंता है।।

मुम्बई के कपड़ा श्रमिक वास्तव में इस नगर की रीढ़ की हड्डी हैं। एक समय में कपड़ा मिल मुम्बई में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करती थीं। आस-पास के क्षेत्रों के सभी निवासी कोंकण से लेकर पश्चिमी महाराष्ट्र तक के निवासी मुम्बई की ओर इन कपड़ा श्रमिकों और मिलों के माध्यम से रोजगार के लिए टक-टकी लगाए रहते थे।

आज भी मुम्बई के सामान्य जीवन में ही नहीं बल्कि राजनैतिक और सामाजिक जीवन में भी इन श्रमिकों का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः उस दृष्टि से हम इन मुद्दों से अधिक सम्बद्ध हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आरंभ में ही इस समस्या की उद्योग में रूग्णता की समस्या के रूप में न देखें, इसे विश्वव्यापी उदारीकरण नीति के हिस्से के रूप में न देखें, कृपया इसे इस उद्योग की अर्थक्षमता और गैर-अर्थक्षमता के रूप में न देखें। इससे तो पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र की रोजी-रोटी का प्रश्न जुड़ा हुआ है और खासकर कोंकण क्षेत्र और मुम्बई की रोजी-रोटी का प्रश्न जुड़ा हुआ है। कई श्रमिक भारत के विभिन्न हिस्सों से रोजी-रोटी की तलाश में बम्बई के कपड़ा मिलों की तलाश में बम्बई के कपड़ा मिलों की ओर टक-टकी लगाए आते हैं। अतः यदि कपड़ा मिलों को बन्द कर दिया गया अथवा रोजगार को एकदम कम कर दिया गया तो इन कपड़ा मिलों के हितों में ही समस्याएँ नहीं उत्पन्न होंगी बल्कि मुम्बई नगर के लिए भी समस्याएँ खड़ी हो जाएंगी। अतः, इस उद्देश्य से मैं सरकार से इस कपड़ा मंत्रालय के

माध्यम से निवेदन करता हूं कि जहां तक इन मिलों में गिरावट का प्रश्न है तो इस पर गंभीरतापूर्व विचार किया जाए।

मेरे सहयोगी श्री मोहन रावलेजी द्वारा कई आंकड़े दिए गए हैं। उन्होंने भी मुंबई की कपड़ा मिलों में बेरोजगारी की स्थिति का वर्णन किया। मैं सरकार को स्मरण कराना चाहता हूं कि वर्ष 1982 में श्री दत्ता सामंत के नेतृत्व में कपड़ा श्रमिकों की बहुत दिन चली हड़ताल से मुंबई में स्थिति काफी गंभीर हुई थी और हमारे निवेदन पर तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुंबई की मिलों का अधिग्रहण करके एक साहसपूर्ण कदम उठाया था और कपड़ा श्रमिकों के हित में इन मिलों के चलाने की चुनौती स्वीकार की थी क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि मुंबई को कपड़ा मिलों के इन श्रमिकों का क्या महत्व है और राष्ट्र की मुख्य धारा में और राष्ट्रीय और अन्य आंदोलनों की दृष्टि से इनका क्या स्थान है। मुंबई में इन कपड़ा श्रमिकों ने अच्छा नेतृत्व किया है और हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे का समर्थन किया हैं अतः जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि कृपया इस समस्या को उद्योग की अर्थक्षमता या गैर अर्थक्षमता की दृष्टि से ही नहीं देखिए ; जहां आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें देते हैं, उनका विलय करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। यह तरीका नहीं है। जहां तक इन कपड़ा श्रमिकों का मसला है हमें इनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इन प्राथमिक टिप्पणियों के साथ ही, अब मैं सरकार की वर्तमान योजना पर आऊँगा जिसे बार-बार इस सदन के समक्ष इन समितियों में, प्रस्तुत किया गया है और जिसे प्रेस में भी पूरी व्यापकता के साथ छापा गया है। अब, हमें कहा गया है कि युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ आधुनिकीकरण के लिये राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कपड़ा शोध संघ की 25005 करोड़ रुपये की पुनर्गठन योजना पर आधारित करते हुए और केन्द्रीय और कपड़ा नेताओं के परामर्श से, सरकार, जहाँ तक इस उद्योग का मामला है, साहसी कदम उठाने की योजना बना रही है। इस योजना को मंत्रीमंडल से अनुमोदन मिलने का इंतजार है। यह संशोधित योजना है। पहले भी 22 दिसम्बर को मंजूरी दी जा चुकी है। और हाल का यह समझौता 9 अप्रैल को हुआ था, जिसे मंत्री मंडलीय उप-समिति ने मंजूर किया था, जिसमें वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और माननीय कपड़ा मंत्री आदि भी शामिल थे।

अंततोगत्वा हमें बताया गया है कि इस नवीकरण कार्यक्रम को मंत्रीमंडल के अनुमोदन का इंतजार है। जहाँ तक मैं समझता हूँ उस योजना के अनुसार, सबसे बड़ा कदम जो सरकार उठाना चाहती है, वह यह है कि इन मिलों को आधुनिकीकरण और विलय के माध्यम से अर्थक्षम बनाया जाए। उस उद्देश्य के लिए, 2,005 करोड़ रुपये की यह योजना बनायी गई है और विभिन्न प्रकार के ब्यौरे समय-समय पर तैयार किए गए हैं। विपक्षीय सूत्र के अनुसर, इन 2,005 करोड़ रुपये में से आधी रकम फालतू जमीन की बिक्री से चुकाई जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि वर्तमान परिस्थिति क्या है लेकिन वही मुद्दा था जिसे कपड़ा मंत्री

जी ने उठाया था। कारण कि वित्त मंत्री यह स्पष्ट करते रहे थे कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के आधुनिकीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। श्री मोहन रावले ने ठीक ही अनुरोध किया कि इस तरीके को बदल दिया जाना चाहिए और इसके आधुनिकीकरण के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं कराया जाना उचित नीति नहीं है और ऐसा करने से मुम्बई के मिल बुरी तरह प्रभावित होंगे ?

कई आंकड़े मेरे पास हैं लेकिन मैं इन सभी का उल्लेख करके रिकार्ड को और लम्बा-चौड़ा नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ तक इस योजना का मतलब है तो मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा लगता है कि यदि बी टी आर की पुनर्गठन योजना का अनुमोदन किया जाता है, तो दो मिलों, जूपिटर और न्यू हिन्द को, का भारत और मुम्बई मिल के साथ विलय कर दिया जाएगा। तब, अपोलो और दिग्विजय मिल को स्वतंत्र इकाई के रूप में चलने देने का प्रस्ताव किया गया है। बीटीआर की पुनर्गठन योजना के तहत चार मिले हैं, एलफिन्स्टन, जैम, मधुसूदन और सीताराम मिल, जिसे गोल्ड मोहर, टाटा, न्यू सिटी और पोदार मिलों के साथ विलय किया जाएगा। फिनले और कोहिनूर मिलें स्वतंत्र ईकाई के रुपये में जारी रहेंगे। ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं और कपड़ा मंत्री जी मुझे सही कर सकते हैं अगर ये गलत हैं।

जहाँ तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम (दक्षिण) का प्रश्न है इसके आधुनिकीकरण के लिए 104.80 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। और शुरू करने का खर्च होगा 87.16 करोड़ रुपये और 60.82 करोड़ रुपये की जरूरत होगी काम चलाऊ, खर्च के लिए। अतः राष्ट्रीय कपड़ा निगम के राष्ट्रीयकृत मिलों के लिए, परियोजना परिव्यय 252.78 करोड़ रुपये की होगी। और राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधिग्रहण किए गए मिलों के संदर्भ में, आधुनिकीकरण के लिए खर्च 94.44 करोड़ रुपये का होगा।

श्रमिक रोजगार के आँकड़े की महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के राष्ट्रीकृत मिलों में श्रमिक रोजगार के विषय में, 22 सितम्बर, 1992 तक 17,852 कर्मचारी कार्यरत थे, और यह स्थिति निगमित योजना के कार्यान्वयन के शुरू करने के पहले थी। निगम ने 31 मार्च 1994 तक 3,803 कर्मचारियों को युक्तिसंगत किया है और आगे और 4,008 कर्मचारियों को युक्तिसंगत किया जाना है ताकि बीटीआरए की योजना के अनुरूप श्रमिक रोजगार उपलब्ध हो सके।

अधिग्रहण किए गए मिलों के मामले में, 19,072 कर्मचारी 22 सितम्बर 1992 को कार्यरत थे। 31 मार्च 1994 तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम (दक्षिण) ने 2,670 कर्मचारियों को युक्तिसंगत बनाया है और आगे 7,528 कर्मचारियों को आगे भी युक्तिसंगत किया जाना है ताकि बी.टी.आर.ए. की योजना को साकार किया जा सके, जिसके तहत 8,241 कर्मचारियों को युक्तिसंगत किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक इसके विपरीत प्रस्तावित योजना में 10,570 कर्मचारियों के युक्तिसंगत किए जाने का प्रस्ताव है।

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

4.45 म.प.

यह निगमित योजना में 10,570 कर्मचारियों को राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव के विपरीत है।

अब, अतः, मूल दबाब दो मुद्दों पर दिया जा रहा है। पहला यह है ताकि इन मिलों का विलय किया जाए ताकि वे अर्थक्षम बनाए जा सकें और दूसरा है कि फालतू जमीनों की बिक्री से नीधियाँ जमा की जाएं। इन दोनों मुद्दों के साथ ही, आधुनिकीकरण किया जाएगा। युक्तिसंगत बनाने के माध्यम से आधुनिकीकरण द्वारा सरकार प्रस्ताव करती है कि इन मिलों को अर्थक्षम बनाया जा सके। लेकिन, जैसा कि मैं कह रहा था कि, इस तरीके की पुनरीक्षा की जाए क्योंकि अंततोगत्वा विलय का मतलब क्या है ? यद्यपि दो मिलों के विलय का विलय बहुत ही आकर्षक है, व्यावहारिक दृष्टि से दो मिलों का विलय या दो शाखाओं का विलय का मतलब और भी बेरोजगारी पैदा करना होगा क्योंकि उन सबों को मिल के अन्य हिस्सों में उन सभी कर्मचारियों को नौकरियाँ नहीं मिल सकती हैं। अतः, बेरोजगारी जो युक्तिसंगत करने के कारण, पैदा होगी, वह मिलों के विलय के कारण और भी ज्यादा हो जाएगी। यद्यपि ऐसा लगता है कि हम मिलों को बंद नहीं कर रहे हैं और दो मिलों का मात्र विलय कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि, यह मिलों को बंद करने का ही दूसरा नाम है। मैं इस विलय को एक मिल की बंदी और दूसरे मिल को बरकरार रखने की प्रक्रिया कहूँगा। इस विलय का इतना ही मतलब है। मात्र कुछ कर्मचारियों को इससे यहाँ-वहाँ नौकरियां मिल सकेगीं। जहां तक इस मुद्दे का प्रश्न है तो इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। इस दृष्टि से, मिलों के विलय की इस योजना की पुनरीक्षा की जाएगी। मैं इस हद तक कहूँगा कि इस योजना को छोड़ा भी जा सकता है। इन मिलों का विलय और भी बेरोजगारी पैदा करेगा और मुम्बई में कपड़ा श्रमिकों की विपदा को और भी धनीभूत करेगा।

फिर तो जटिल मुद्दा है फालतू भूमि की बिक्री के विषय में। इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसे श्री मोहन रावले ने कहा - हम आधुनिकीकरण के विरुद्ध नहीं है। हम महसूस करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में और वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में, विश्व में और देश में, हमें इस उद्योग को और भी अर्थक्षम बनाना होगा और इसके आधुनिकीकरण से और भी प्रतिस्पर्धात्मक बनाना होगा। इस उद्योग के आधुनिकीकरण का कोई विकल्प नहीं हैं क्योंकि जहां तक कपड़ा उद्योग की प्रगति का प्रश्न है तो, इन मिलों में अधिसंख्यक मशीनरी बहुत ही पुरानी है और आधुनिक नहीं है।

अतः कोई भी आधुनिकीकरण का विरोध नहीं करता है। श्रमिक वर्ग, श्रमिकों के नेतागण और श्री मोहन रावले जैसे विरोधी पक्ष भी यह नहीं कहेंगे कि वे आधुनिकीरण का विरोध करते हैं। लेकिन किस कीमत पर आधुनिकीकरण किया जाएगा ? आधुनिकीकरण विलय या भूमि की मनमानी बिक्री की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि फालतू जमीन है और उस फालतू जमीन की बिक्री से और भी निधि बन

सकती है जो आधुनिकीकरण और किसी विशेष मिल को अर्थक्षम बनाने के लिए उपलब्ध हो सकेगा तो इसका स्वागत होना चाहिए और यह होना भी चाहिए। लेकिन मैं सरकार को चेतावनी दूंगा कि इसे सावधानीपूर्वक और संयम से किया जाना चाहिए। अन्यथा भूमि की बिक्री मात्र से जो निधि उपलब्ध हो सकेगी वह बर्बाद हो जाएगा और किसी और तरीके से खर्च हो जाएगा।

मुम्बई में आज भूमि का एक टुकड़ा इतना कीमती है कि यह सोने के टुकड़े के बराबर है। किसी न किसी प्रकार से, नगरभूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अनुचित क्रियान्वयन के कारण और अनेक अन्य कारणों से मुम्बई में भूमि की कीमतें आकाश छू रही हैं और अत्यधिक उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि एक मिल के मालिक श्री सुनील खटाऊ की हत्या भी कर दी गई क्योंकि वह इन भूमि सौदों में शामिल था जो उसकी भूमि की बिक्री के लिए किए गए थे। शायद, उसने यूनियन और मजदूरों की जबरन सहमति प्राप्त करने के लिए कुछ अपराधी गिरोहों की सहायता ली थी और अन्ततः दो गुटों की लड़ाई में उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वे भूमि के सौदे में शामिल थे। इसलिए, हमें इस घटना से सबक लेना चाहिए कि भूमि की बिक्री से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और इसका अत्यधिक सावधानीपूर्वक समाधान किया जाना चाहिए।

प्रारम्भ में, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी अप्रैल, 1993 में औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, जिसमें रूग्ण मिलों के पुनर्वास के लिए धन एकत्रित करने हेतु अतिरिक्त भूमि की बिक्री का अनुमोदन किया गया था। उस समय विकास संबंधी नियमों को भी इतना परिवर्तित कर दिया गया था कि इन अतिरिक्त भू-क्षेत्रों को आवासीय उद्देश्यों के लिए भी बेचा जा सकता था ताकि मालिकों को करोड़ों रुपये प्राप्त हो सके। परन्तु मुम्बई में अपराधी गिरोहों द्वारा श्री सुनील खटाऊ की हत्या के पश्चात्, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने अतिरिक्त भूमि की बिक्री की अनुमति न देने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी। परन्तु दुर्भाग्य से उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह केवल गैर-सरकारी मिलों पर लागू था, एन.टी.सी. मिलों पर नहीं। इसलिए, जहाँ तक एन.टी.सी. मिलों का संबंध हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अतिरिक्त भूमि बेचने की अनुमति दे दी जाएगी और वहाँ भी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। जब तक बिक्री से प्राप्त आय के उपयोग पर उचित निगरानी नहीं रखी जाती है ओर अन्तर्निहित जाँच और प्रति जाँच सुनिश्चित नहीं की जाती हैं। तब तक आधुनिकीकरण के लिए धन का सृजन करने के नाम पर अतिरिक्त भूमि की बिक्री की अनुमति देना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूँ कि यदि वे किसी मिल विशेष को अर्थक्षम बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त भूमि की बिक्री के बारे में कोई निर्णय लेते हैं तो समुचित तंत्र का सृजन करना होगा और कुछ मानदंड निर्धारित करने होंगे जिनमें यह उल्लेख होगा कि भूमि केवल सरकारी उपक्रमों को और केवल सरकारी तंत्र के माध्यम से बेची जाएगी। अतिरिक्त भूमि को बेचते समय काफी सावधानी बरतनी होगी ताकि कोई भ्रष्टाचार न हो और बिक्री के लाभ सरकार के खाते में आएं।

मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूँ कि बिक्री से प्राप्त आप का उपयोग केवल उन मिलों का आधुनिकीकरण करने, श्रमिकों के बकाये का भुगतान करने, उस मिल को जीवनक्षम करने के लिए ही किया जाए और अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। इसलिए, केवल वही भूमि बेची जाए जो इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित हो। अन्यथा, जहाँ तक इसका संबंध है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और इससे भारी समस्या उत्पन्न होंगी।

श्री मोहन रावले ठीक ही कह रहे हैं कि हमें मूल कारण का पता लगाना चाहिए कि एन.टी.सी. की ये मिलें माह प्रतिमाह और वर्ष-प्रतिवर्ष घाटे में क्यों जा रही हैं। हमें इसे साधारण उद्योग के रूप में नहीं देखना चाहिए। इन मिलों का अधिग्रहण किया गया था। उनमें से कुछ का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब भी वे घाटे में चल रही हैं। अतः सरकार को अपनी नीति की पुनरीक्षा करनी चाहिए। मेरे विचार से, इन मिलों के अलाभप्रद हो जाने के मुख्य कारण में ये हैं कि हमने इन मिलों को समय पर पर्याप्त धनराशि औरऔर सचल पूँजी उपलब्ध नहीं कराई है। हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। हम वर्षों तक दर्शक मात्र बने रहे और स्वाभाविक रूप से घाटा बढ़ता गया और तुलनपत्र को हम कहते हैं कि ''यह व्यवहार्य नहीं है। इसमें घाटा हो रहा है।'' राष्ट्रीय वस्त्र निगम की इन मिलों के अकुशलकार्यकरण के कारण घाटा हो रहा हैं हम उन्हें समय पर सचल पूँजी प्रदान नहीं कराते हें। हम इन मिलों को कपास जैसे कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करते हैं और अधिकांश कर्मचारी खाली बैठे रहते हैं तथा प्रसन्नतापूर्वक मजदूरी प्राप्त करते रहते हैं।

मैं श्री मोहन रावले की इस बात से सहमत हूँ कि भ्रष्ट नौकरशाह इन बातों के प्रभारी हैं। सर्वप्रथम तो वे अपने कार्यों के बारे में नहीं जानते हैं। ऐसे व्यक्ति इन मिलों के अध्यक्ष और प्रबंध-निदेशक बना दिए जाते हैं जो वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनका अपने सम्पूर्ण जीवन में इस उद्योग से कोई संबंध नहीं रहा। वे केवल हैसियत का आनन्द लेने आते हैं, और इसीलिए, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के इस घाटे का मूल कारण यह है कि वे अकुशल व्यक्ति हैं। उन व्यक्तियों को इन मिलों का मुखिया बना दिया जाता है जो वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ नहीं जानते और वे केवल वेतन प्राप्त करते हैं तथा वे इन मिलों के अर्थक्षम बनाने अथवा इन्हें लाभप्रद बनाने में रूचि नहीं लेते।

वहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि अच्छे मिल और मशीनरी को चोरी छिपे बाहर निकाल दिया जाता है और बेच दिया जाता है। इस सभी को किसी न किसी शीर्ष के अन्तर्गत समायोजित कर दिया जाता है और मिलें अधिक से अधिक बदतर, अव्यवहार्य हो जाती हैं और यदि मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अथवा सरकार के पास आता है तो ये तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं कि यह अर्थक्षम नहीं है। परनतु हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह अलाभप्रद क्यों हो गई है। ऐसा केवल वाणिज्यिक कारणों अथवा व्यावसायिक कारणों से नहीं है परन्तु ऐसा इन मिलों के भ्रष्ट और अकुशल अध्यक्षों के कारण है

तथा ऐसा सचल पूँजी और कच्चे माल की उचित समय पर आपूर्ति न करने के कारण हैं, इसलिए, ये समय-समय पर बदतर होती जाती हैं। इन तत्वों के संबंध में जांच करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि केवल तुलन-पत्र देखना और हमेशा यह कहना, कि ये मिलें अर्थक्षम नहीं हैं तथा वे अधिक से अधिक घाटे में जा रही हैं, एक अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। हमें मामलें की जड़ में जाना होगा तथा इन सभी बातों की जाँच करनी होगी। उनका 1982 में अधिग्रहण किया गया था। इन 12 या 13 वर्षों में क्या-क्या हुआ है ? यह कहा गया है कि अभी भी उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। अतः राष्ट्रीयकरण के अनेक लाभ उपलब्ध नहीं है। सम्पत्ति सरकार को नहीं सौंपी गयी है। पिछला बकाया तथा सभी कठिनाइयाँ वहाँ मौजूद हैं। कर्मकारों को उनका पिछला बकाया नहीं दिया गया है। भविष्य निधि और अन्य कठिनाइयाँ भी वहां मौजूद हैं। अतः इसका कारण है कि पूरी तरह से उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाये हैं ? ताकि इन सभी कठिनाइयों का समाधान किया जा सके ?

5.00 म.प.

शायद सरकार इन मिलों को अर्थक्षम बनाने में सक्षम है। परन्तु हमारे अन्तर्राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण के वर्तमान वातावरण में मैं नहीं समझता कि कोई सरकार उनके राष्ट्रीयकरण के लिए तैयार होगी। परनतु लाभ की दृष्टि से पहले यह आवश्यक होगा कि उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए और तब उनसे निपटा जाए ताकि अनेक कानूनी समस्याओं तथा कठिनाईयों से बचा जा सके।

महोदय, मैं श्री मोहन रावले की इस बात से भी सहमत हूँ कि कुछ मामलों में जब कर्मचारी औद्योगिक न्यायालयों में जीत जाते हैं, जब वे मुम्बई उच्च न्यायालय में जीत जाते हैं, जब वे अपने बकायों के संबंध में निर्णय अपने पक्ष में कराने में सफल हो जाते हैं तो राष्ट्रीय वस्त्र निगम के व्यक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में अपील दर्ज कराते हैं। वे यह नहीं सोचते कि वे गैर-सरकारी मालिक नहीं हैं ; मिले सरकारी उपक्रम हैं ; वे कर्मकारों के लिए हैं। जब कर्मकारों ने न्यायिक निर्णय अपने पक्ष में करा लिया है तो आप अपील क्यों करते हैं, जैसाकि आपने कोहिनूर मिल के मामले में किया है ? आप और आगे क्यों जाते हैं तथा कानूनी कार्यवाहियों का सहारा क्यों लेते हैं जिससे कर्मकार और कठिनाई में पड़ते हैं। इससे उन्हें और निराशा होती है तथा कानूनी कार्यवही में खर्च होता है क्योंकि यह केवल एक कानूनी उपचार है ? सरकार का यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। यह कर्मकारों के लिए कल्याणकारी सरकार है। हम कर्मकारों की भलाई के लिए हैं। हम मेहनतकश वर्ग के लिए हैं। अतः ऐसा दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। जहाँ तक श्रमिक वर्ग का संबंध हैं, ऐसा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। इसलिए जब हम मुम्बई में कपड़ा मिलों पर विचार करते हैं, तो हमारा साधारण दृष्टिकोण नहीं होता है ; सामान्य दृष्टिकोण मत रखिए बल्कि यह समझिए कि यह मुम्बई का श्रमिक वर्ग है ; यह मुम्बई का आधार है ; कर्मकारों की रक्षा की जाए, उनके रोजगार की रक्षा की जाए और आपको किसी न किसी प्रकार से, किसी भी कीमत पर उन्हें

बचाना है। कृपया अव्यवहार्यता औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के मानदंडों को लागू न करें जैसा कि हम अन्य उद्योगों के लिए करते हैं। चूँकि ये मिले घाटे में चल रही हैं, आपको उन्हें बन्द नहीं करना चाहिए, यह कहकर अपने हाथ नहीं उठाने चाहिए कि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। यह एक मानवीय समस्या है। प्रायः हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह कहा है कि सरकार इस उदारीकरण की नीति को मानवीय पहलू के साथ अपना रही है ; सरकार उदारीकरण की इस नीति को मानवीय पहलू के साथ लागू करने जा रही है। यदि आप इसे एक मानवीय पहलू के साथ करना चाहते हैं तो मुम्बई के इन कपड़ा मिल मजदूरों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए ; विशेष धन दिया जाना चाहिए और जहाँ तक इन कपड़ा मिल मजदूरों का संबंध हैं, उनके प्रति एक विशेष दृष्टिकोण बनाना होगा।

महोदय, मुझे यकीन है कि जब कोई श्रमिक नेता वस्त्र मंत्रालय में इस कार्य में लगा है तो वह मेरी भावनाओं को पहुँचा देगा। मैं आशा करता हूँ कि उसकी भावनाएं भी मेरी भावनाओं के समान होंगी। मैं यह भी आशा करता हूँ कि वह उन भावनाओं को केवल वित्त मंत्री तक ही नहीं पहुँचायेगा अपितु यह कहते हुए प्रधानमंत्री तक भी पहुँचा देगा कि यह मुम्बई के कर्मकारों की मानवीय समस्या है, मुम्बई की एक राजनैतिक और सामाजिक समस्या है ; यह समस्या केवल कुछ ही कर्मकारों की समस्या नहीं हैं, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए और जहाँ तक इन कपड़ा मजदूरों का संबंध हैं, इसका समाधान सामान्य तरीके से ही नहीं निकाला जाना चाहिए अपितु किसी मानवीय पहलू और विशेष दृष्टिकोण से इसका समाधान किथा जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वस्त्र मंत्री महोदय से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील (नान्देड़) : सभापति महोदय, मैं नियम 193 के अंतर्गत कपड़ा मिलों की समस्याओं के बारे में हो रही चर्चा में भाग लेने के लिये खड़ी हुई हूं। मेरे वरिष्ठ साथी श्री दिघे और श्री रावले जी की बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना। जब जब भी मिलों के बारे में यहां पर बात उठी है, हम सांसदों ने मिलकर इस बात को दोहराया है कि कपड़ा मंत्री और मंत्रालय को न केवल बम्बई की कपड़ा मिलों को अपितु महाराष्ट्र में फैली हुई कपड़ा मिलों को सुचारू रूप से चलाये जाने की आवश्यकता है। न जाने क्यों इन मिलों की बीमारी की अवस्था में इलाज नहीं किया जाता है ? मैं कोई कपड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं कोई कपड़ा विशेषज्ञ या इकनोमिस्ट नहीं हूं लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह से जब मैं सोचती हूं कि हमारी व्यवस्था में ऐसा साधन उपलब्ध नहीं हैं कि बीमार होने से पहले हम किसी मरीज का इलाज करें। जिसे मृत्यु से बचाया जा सकता है उसे हम ऑक्सीजन देने तक इंतजार करते हैं और वह मरने लगता है तो उसे ऑक्सीजन देने लगते हैं और मैंने कभी नहीं देखा कि ऑक्सीजन

लेता हुआ कोई बीमार ठीक होकर अस्पताल के बाहर जाए। हमारी व्यवस्था की यह कमी ही शायद इस तरह के उद्योगों को रुग्ण बना देती है, रोगी से महारोगी बना देती है और लाखों की तादाद में लोग जीने-मरने पर उतारू हो जाते हैं।

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर आज तक लाखों मजदूरों ने इस देश की हर चीज को बड़ी शिद्दत से सींचा है। वह काम करने वाले हाथ, वह बहता हुआ पसीना जिससे उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इस देश को उभारा, स्वतंत्रता आंदोलन के वह साथी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जिन्हें हमने बड़े अच्छे ढंग से कल 9 तारीख को याद किया, ऐसे कितने हाथ इन मिल-मजदूरों के थे। आज उनके बच्चे, पोते और पड़पोते अनाज और पानी के बिना मौत के कगार पर खड़े हैं। मुझे नहीं पता इन सब बातों का हल क्या है।

5.06 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दिघे जी ने बहुत विस्तार से इस बारे में बताया है। मैं सरकार से और कपड़ा मंत्रालय से कहना चाहती हूं कि यह बंबई का कपड़ा उद्योग जिसका एक जमाने में पूरे देश में नाम था, बंबई की धड़कन कहलाता था। जब हम बचपन में कभी घूमने जाते थे तो बंबई की मिल की चिमनियों से उठता हुआ धुंआ अपने में बंबई को लपेटता हुआ अच्छी तरह से निखारता था। आज वह मिलें बंद है, उनके हाथों को काम नहीं हैं, लोगो के घर उजड़ गए हैं। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, किसी कामगार संगठन या किसी सेना को दोष नहीं देती, लेकिन कुछ कमी इधर या उधर जरूर है जिसकी वजह से ये उद्योग घाटे में चले। घाटा क्यों हुआ, कैसे हुआ इस पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वह मेरा विषय नहीं है। दिघे जी ने बहुत विस्तार से इस बारे में बताया है। लेकिन घाटा करने वाले लोग बचे रह जाते हैं और पकड़ में मजदूर और कामगार तथा आम आदमी आता है जिसका रिश्ता सिर्फ भूख से है। वह भूख से अधमरा हो जाता है और हमारे इकोनोमिस्ट बताते हैं कि घाटे में चलने वाले रूग्ण उद्योग हम चालू नहीं कर सकते क्योंकि हम घाटा पसंद नहीं करते। मैं आपके माध्यम से कपड़ा मंत्रालय से पूछना चाहती हूं कि क्या हमारे अधिकारी सो जाते हैं जब कपड़ा उद्योग इस कदर घाटे में जाता है। क्या उनके आला अफसर कभी पैदल जाते हैं, क्या कभी उन्होंने जाकर देखा है कि मजदूर काम कर रहे हैं या नहीं ? उनकी मजदूरी न करने से यह घाटे में जा रहा है या इनके एयर-कंडीशण्ड कमरों में बैठकर थोपे गए निर्णयों की वजह से यह घाटे में जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि हम किसी मरीज़ को मौत के कगार पर पहुंचा देते हैं और फिर उसे ऑक्सीजन लगाकर जिलाने की कोशिश करते हैं। फिर भी मुझे खुशी है कि हमारे कपड़ा मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री बहुत गंभीरता से इस विषय पर सोच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि आपके सोचने और आपकी समझ में सिर्फ समझ की हद तक न रहते हुए इसमें कुछ

तेज कदम उठाने की आवश्यकता है और मैं अपने साथियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर सरकार को सोचने के लिए विवश होने की मांग करती हूं। आप बहुत विवशता के कगार पर खड़े हैं और आपको मानवीयता के आधार पर जीने के अधिकार को देखते हुए सोचना पड़ेगा और बहुत जल्द निर्णय लेना पड़ेगा। मॉडलनाईजेशन के नाम पर, जमीन बेचने के नाम पर आप बहुत ज्यादा दिन हमें इंतजार नहीं करवा सकते।

यह तो बम्बई की बात हुई। एक एन टी सी मिल हमारे नान्देड़ में भी है जहां से मैं लोकसभा में चुनकर आती हूं। वहां एक जमाने से उसमान शाही मिल के नाम से मिल चलती आई है लेकिन आज वह एन टी सी के अंतर्गत आ गयी है। बहुत खूबसूरत कपड़ा उस मिल में तैयार होता था जो बाहर विदेशों में भी जाता था लेकिन आज वह एन टी सी का एक हिस्सा है। मौडर्नाईजेशन के नाम पर उस मिल को बंद कर दिया गया। हमें बार–बार यह बताया गया कि हम उस मिल का मौडर्नाईजेशन कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने दो बार हमें इसी सदन में आश्वस्त किया था, रावले साहब की चर्चा उपस्थित होने के बाद, जबकि मुझे कुछ टोका–टाकी भी करनी पड़ी थी। आज मौडर्नाईजेशन के नाम पर उस मिल में दो डिपार्टमेंट्स चलते है या चलाये जाते हैं जिसमें हमारे मजदूर अंदर जाकर सो जाते हैं। वहां उनके हाथों को काम नहीं है।

मान्यवर, नान्देड़ जैसे छोटे से शहर में, जहां से हमारे होम मिनिस्टर साहब पिछले 40 सालों से राजनीति में रहे, मौडर्नाईजेशन के नाम पर आज वहां का मजदूर भूखों मर रहा है। उस शहर में कोई दूसरा उद्योग हमारे पास नहीं है। आज उस मिल के मजदूरों के बच्चे भूखों मरने के लिये मजबूर है। मौडर्नाईजेशन के नाम पर आज तक हमें एक रुपया भी नहीं दिया गया। मैं कपड़ा मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि पिछले 50 सालों से उन मजदूरों के परिवार जिस जमीन पर बसे हैं, आप उस जमीन के टुकड़े को उनके नाम करे दें। कपड़ा मंत्रालय ने हमें बताया और बार–बार उनसे वायदे किये गये, कभी सुन्दर रामन जी आये, कभी कोई और कपड़ा मंत्री जी आये, हर बार जो कपड़ा मंत्री बनता है वह नान्देड़ अवश्य आता है कभी हवाई जहाज में बठकर या कभी रेलगाड़ी में बैठकर लेकिन 50 वर्षों से बसे हुये उन मजदूरों के सवाल को किसी ने हल करने की कोशिश नहीं की। हमें अर्बनाईजेशन के बढ़ते हुये सवाल को हल करना है, मैं महसूस करती हूं लेकिन जमीन बेचने के लिये क्या हम उनकी अनदेखी कर देंगे। आज उन मजदूरों का सवाल समाज के सामने एक गम्भीर सवाल बन गया है। जिन मजदूरों ने 50 वर्षों तक अपना पसीना बहाया, इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया, क्या उनके परिवारों को, जिस जगह झोंपड़ी बनाकर आज वे रहते हैं, क्या उस जमीन के टुकड़े को हम उन्हें प्रदान नहीं कर सकते। हर बार आने वाले कपड़ा मंत्री का स्वागत करते करते हमारी पीढ़ी आज बूढ़ी हो गयी है। अब उसमें वह ताकत नहीं रह गयी है कि आने वाले कपड़ा मंत्री को हार पहना कर यह कहें कि साहब आप हमारे मजदूरों को कब जमीन दे रहे हैं ? पचास वर्ष बाद, आज मजदूरों की पांचवी पीढ़ी उस मिल में काम कर

रही है। उनके बच्चे जायें तो कहां जायें ? जब हम बड़े बड़े मकानात बनायेंगे, फाईव स्टार होटल बनायेंगे, बड़ी बिल्डिंग बनायेंगे, बिल्र्डस को जमीन बेच देंगे तो हमारे मजदूरों के बच्चे कहां जायेंगे ? किसी शहर में हम उन्हें कोई दूसरी जगह नहीं दे सकते क्योंकि आज शहरों में जमीनों के भाव यदि आप देखें तो इतने ज्यादा बढ़ गये हैं कि कोई गरीब आदमी नान्देड़ जैसे तेजी से बढ़ते शहर में, बम्बई की बात तो छोड़ दीजिये, नान्देड़ जैसे शहर में एक इंच जमीन भी नहीं खरीद सकता। फिर क्यों न 50 वर्षों से जिस जमीन पर वे रहते आयें हैं, वे ही प्लाट आप उनके नाम कर दें, उनकी कोई कोआपरेटिव सोसायटी बना दे या उनके घर वहां बनवा दें। वी.आर.एस. में आपने अनेक मजदूरों को हटा दिया, यह तो कोई बात नहीं हुई। जिन लोगों ने अपना पसीना टपका कर उस मिल का निर्माण किया, देश को बनाया क्या हम उन्हें इतनी आसानी से भुला देंगे ?

मैं कपड़ा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि नान्देड़ एन टी सी मिल के मजदूरों के सवाल को आप तुरन्त हल करिये। उसके बाद आपको नान्देड़ आना होगा, मैं आपको ले जाऊंगी और आपको हार पहनाऊंगी। वैसे तो हम कई बार हार पहना चुके हैं, बहुत स्वागत कर चुके हैं। मैं जानती हूं आप हमारे बोर्डर पर हैं, आन्ध्र प्रदेश से आते हैं, हम भी पुराने आन्ध्र प्रदेश के लोग हैं इसलिये जो हिस्सा एक बार आपका रह चुका है, प्रधानमंत्री जी को तो हम अपने घर का ही आदमी समझते हैं, लेकिन कम से कम उनके नेतृत्व में काम करते हुये, 50 वर्षों से काम करने वाले मजदूरों को आप एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा देने के मामले में, घर बनाने के लिये आप वह जमीन दे दें, यही मेरी आपसे मांग है, प्रार्थना है। इस मामले में आप ऐसी कोई कंडीशन मत लगाईये कि तुम नौकरी पर हो या तुम नौकरी पर नहीं हो। आपने अभी वी आर एस में उनको बाहर खड़ा कर दिया, कई मजदूरों को रिटायर कर दिया लेकिन रिटायरमेंट की कोई बात बीच में मत लाईये। जिन्होंने 50 वर्ष तक उस मिल में अपना पसीना बहाया है, भले ही आज वे नौकरी में हो या नौकरी में न हों, उन सबके घर बनाने के लिये जमीन का टुकड़ा मिलना चाहिये। यदि उन मजदूरों को हिस्सा नहीं मिला तो बहुत बड़ा आन्दोलन उठा खड़ा होगा क्योंकि भुखमरी के कगार पर आज वे मजदूर खड़े हैं, इसलिये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस सवाल पर विचार करते हुये आने वाले सत्र में मिल मजदूरों के बच्चों को जमीन का टुकड़ा देने वाला बिल लाईये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय सभापति जी, आज श्री मोहन रावले जी ने यहां पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम का बम्बई की कपड़ा मिलों की समस्याओं पर विचार करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है और हमें चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए ये निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में हमें भी भाग लेने का मौका मिला है, यह निश्चय ही गर्व और सौभाग्य की बात है।

मान्यवार, हमारी आजादी की लड़ाई जब शुरू हुई थी, उस समय भी महात्मा गांधी ने कपड़े को

ही आजादी की लड़ाई का एक अस्त्र बनाया था। विदेशी वस्त्रों की उन्होंने होली जलवाई थी। खादी का प्रचार हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार राष्ट्रीय चर्खा और चर्खे का सूत था। आजादी के समय हमारा नारा था -

"रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान"

और जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमें आजादी मिल रही है, तो उस समय इस नारे में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और हम समाजवादियों ने यह नारा लगाना शुरू कर दिया -

"रोटी, कपड़ा और मकान, होगा सबको एक समान"

लेकिन आज इस सदन में जो चर्चा हुई, मोहन रावले जी, शरद दिघे जी और हमारी एक बहन यहां जो बोली, उसका आधार, उसका लब्बे-लुआब निकलता है कि आज 47 वर्ष के पश्चात् भी रोटी, कपड़ा और मकान हमारे लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है। आज 47 वर्ष बीत गए और हमने जो एक वायदा किया था, समाजवादी आंदोलनों में आजादी को लाने के लिए जो सपने देखें थे, वे आज भी सपने ही बनकर रह गए हैं। यह बहुत ही गम्भीर समस्या है।

महोदय जी, इस समस्या पर आज यहां इस सदन में चर्चा हो रही है, यह बड़ी अच्छी और गौरव की बात है। इससे भी ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे इस विभाग के आज जो मंत्री है, जो वस्त्र मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं, वे उस वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग है। इन्होंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। इन्होंने गरीबी में अपने जीवन को बिताया है और गरीबी को बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है।

महोदय जी, जिस विभाग की बातें आज यहां पर हो रही हैं, वह हमारे वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा - हमारा कपड़ा उद्योग, हमारे देश का बहुत बड़ा उद्योग है। देश के औद्योगीकरण का 20 प्रतिशत भाग कपड़ा उद्योग से प्रभावित है या कपड़ा उद्योग के द्वारा आता है। 1 करोड़ 55 लाख व्यक्ति आज कपड़ा उद्योग में लगे हैं। देश के कुल निर्यात का 35 प्रतिशत भाग वस्त्रों और पोशाकों के निर्यात से प्राप्त हो रहा है। आज इस उद्योग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि यहां जिक्र हुआ, लेकिन महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 1991 में हमारे यहां तकुओं की संख्या 11 मिलियन थी, 1993 में बढ़कर यह 28.40 मिलियन हो गई। 1981 में मिल क्षेत्र की बुनाई की क्षमता 2 लाख 8 हजार हथकरघे की थी, लेकिन 1993 में यह घटकर 1 लाख 68 हजार रह गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर यह बुनाई की क्षमता जो 2 लाख 8 हजार थी यह 1993 में घटकर 1 लाख 68 हजार कैसे रह गई ? इस गिरावट का क्या कारण था ? वैसे कहा जाता है कि विद्युत करघे, हथकरघे की ओर से कमी हुई, लेकिन यदि हम इसके मूल में जाएं तो हमें दूसरी बातें भी देखने को मिलती हैं कि आज का हमारा मजदूर, मजदूर की नई पीढ़ी, जो कपड़े के काम में लगी हुई

थी, वह कपड़ा उद्योग से या मिल में काम करने से दूर हटती जा रही है। मिलों का आधुनिकीकरण हो रहा है लेकिन उससे ज्यादा हमारे मजदूरों पर प्रभाव पड़ रहा है। पहले हमारे यहां का एक मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजरात, अहमदाबाद, बम्बई में जाकर काम करता था तो अपने वहां से 10-20 लोगों को लेकर जाता था। वे भी बम्बई, अहमदाबाद, गुजरात में जाते थे और काम करते थे। जब वह साल में अपने घर लौटता था तो बहुत से लोग उसे घेर लेते थे और पूछते थे कि कैसे हो, आमदनी कैसी है। वह बताता था कि हम फलां मिल में काम करते हैं। तुम भी चलो अच्छी आमदनी है, लेकिन आज जब वह लौटता है वो कहता है कि हम तुमको नहीं कहेंगे कि तुम हमारे साथ अहमदाबाद या बम्बई चलो और काम करो। अब वह लोगों को प्रेरित नहीं करता। अब वह जब बम्बई-अहमदाबाद से लौटता है तो अपने साथ एक और मजदूर को ले आता है। कि तुम भी चलो, अब हम खेती करेंगे, कपड़ा मिल में काम नहीं करेंगे। हम मंत्री जी से जानना चाहेगें कि यह गिरावट क्यों हो रही है ?

कपड़ा उद्योग के समक्ष अनेक कठिनाइयां हैं, अभी हम यह रिपोर्ट पढ़ रहे थे। यह ठीक है कि पैदावार बढ़ रही है लेकिन जिसमें कपास बोई जाती है, वह क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। दूसरा, हमारे यहां पर कपास की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है।

अभी मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था। अप्रैल 1993 की तुलना में नवम्बर 1993 कपास की कीमतों में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, बिडिंग कपड़े में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह एक चिन्ता की बात है।

जब 1947 से पूर्व हमारे लोग कल्पना कर रहे थे तो उन्हें यह अन्दाज नहीं था कि एकाएक कुछ ही वर्षों में इतनी ज्यादा कपड़े की कीमतों में वृद्धि की जाएगी। इस असमानता को दूर करना होगा। मंत्री जी कुशल हैं, विद्वान हैं, बहुत सोचते हैं, हम समझते हैं कि वे इन विषयों पर जरूर विवेकपूर्ण ढंग से सोचेंगे।

1994-95 के बजट में भी कुछ गड़बड़ी हो गई जिससे हमारे वस्त्र उद्योग पर सीधा असर पड़ा। उत्पाद शुल्क के ढांचे में परिवर्तन हो गया। 1356 करोड़ का वित्त बोझ इस वर्ष के बजट में कपड़े पर अचानक बढ़ा दिया गया। सभी प्रकार के मानव निर्मित कपड़ों और यार्न पर 23 प्रतिशत शुल्क बढ़ गया। कपड़े पर एक्साइज डयूटी भी दुगनी कर दी गई। इससे पावरलूम पर बुरा असर पड़ा। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर सामंजस्य बिठाएं, उत्पाद शुल्क के बारे में सोचें और उसे कम करने के लिए सिफारिश करें।

हमारे यहां आज कपास का निर्यात भी अनियंत्रित है। इससे कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत में सूती और मिश्रित कपड़े का उत्पादन बढ़ रहा है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, कपास के उत्पादन का क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है। आश्चर्य की बात है कि हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कपास का उत्पादन करता है, इसलिए वस्त्र व्यापार इससे प्रभावित होना चाहिए। हमारे

यहां वस्त्र निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए लेकिन जानें कैसे यह असंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। इस पर भी माननीय मंत्री जी को सोचना होगा।

मुझे पता चला है कि अभी मंत्रालय राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 122 में से 33 मिलों को बन्द करने की कोई योजना बना रहा है। इससे एक शक पैदा हो गया है, जैसी कि अभी बात हो रही थी और रावले साहब ने उस मामले को उठाया था तो माननीय मंत्री जी ने कुछ पत्र और सबूत मांगे लेकिन हम तो सबूत नहीं दे सकते हैं। हमने यह पढ़ा है, हमारे पास अखबारों की कटिंग्स हैं, जिनसे यह पता लगता है, जो अखबारों में चिन्ता व्यक्त की गई है, उनके एडीटोरियल नोट्स में आया है कि निश्चय ही 122 में से 33 मिलों को बन्द कर देने की योजना कपड़ा मंत्री जी बना चुके हैं, इसके कारण शक है। अखबार में मैं पढ़ रहा था कि तकनीकी कारण से उन्हें बन्द न करके विलय की घोषणा करने का इनका प्लान है यानि कि यह मिलों को बन्द नहीं करेंगे लेकिन उन मिलों को दूसरी मिलों में विलय करने की इनकी योजना है। यह तो साफ है, हाउस में भी यह बात कही गई है, इससे लोगों में शक बढ़ गया है इसलिए यह बात साफ होनी चाहिए।

जब जनता दल की सरकार थी तो उस समय इन मिलों को बन्द करने का एक विचार आया था, जिसमें कुछ प्रस्ताव भी आये थे, केन्द्रीय यूनियनों ने उस पर अपनी संहमति भी दी थी लेकिन मजदूरों ने उस प्रस्ताव पर, यूनियनों की सहमति पर उग्र रूप धारण कर लिया और उसमें आन्दोलन होते-होते बचा। उसके बाद यह बात टाल दी गई। अब फिर से वही बात होने जा रही है होगी या नहीं, यह तो मंत्री जी जानते हैं लेकिन जो हालात उत्पन्न हो गये हैं और जो बयान आ रहे हैं, इन बयानों को देखते हुए चिन्ता होना स्वाभाविक है। इस पर सरकार को चाहिए कि वह अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यदि मिलें बन्द होगी तो मजदूरों की छंटनी होगी और मजदूरों की छंटनी होगी तो निश्चय ही असन्तोष बढ़ेगा, परेशानियां होंगी।

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए बजट में 189 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है कि जो मजदूर स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृति करा लेंगे, उनके लिएं 189 करोड़ रुपये बजट में रखे गये हैं, उन्हें इस रकम की अदायगी की जायेगी। यह इस बात की शंका को जन्म देता है। लोग यह सोचते हैं कि मंत्रालय दूसरा काम कर रहा है कि जो लोग स्वेच्छा से हट जाना चाहते हैं, वह कुछ पैसा लेकर हट जायें तो इससे भी शंका उत्पन्न होती है। इस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 285 करोड़ रुपये की योजना है। इस 122 करोड़ में 79 मिलें ही शामिल की गई हैं, इससे भी यह शंका ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि इसको भी आप साफ करें। यदि मिलें बन्द हो गई तो देश के लिए और हम सब के लिए यह काफी बुरा होगा।

मैं अब संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। बम्बई की मिलों के बारे में हमारे साथियों ने काफी कुछ कहा

है, उसमें से एक बात उभरकर सामने आई है कि मजदूरों की करोड़ों रुपये मजदूरी बकाया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कुछ इसमें हस्तक्षेप करें, कुछ अपनी कुशलता का वहां पर परिचय दें और मिल मालिकों पर जो करोड़ों रुपये मजदूरी के बकाया हैं, गरीब लोगों के बकाया है, उनको दिलवाने का आप प्रयास करें।

मैं बनारस से आता हूं। हमने परसों भी मंत्री जी का इस हाउस में ध्यान आकर्षित किया था कि बनारसी साड़ियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे यहां भदोही में बने हुए कालीन का दुनिया में कोई दूसरा जोड़ नहीं हैं। आज इन दोनों उद्योगों की स्थिति काफी खराब हैं। बनारसी साड़ी के उद्योग में ज्यादातर छोटे लोग लगे हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग लगे हुए हैं और इससे आगे हम बढ़े तो बनारसी साड़ी का जो हमारे यहां निर्माण होता है उसमें 80 प्रतिशत काम करने वाले जो लोग हैं वे अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मुसलमान ओर अल्पसंख्यक लोग हैं।

महोदय, आज बनारसी साड़ी उद्योग काफी संकट में पड़ गया है वहां रेशम का अभाव है। आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में रेशम की चार किस्में हैं - मलबरी, टरसरी, ऐरी और मूंगा, ये चारों हमारे देश में बहुत ज्यादा होती हैं। इन चारों में उत्पादन की भी हमारे देश में बहुत अभूतपूर्व क्षमता है। मूंगा के उत्पादन में तो हमारा करीब-करीब सारी दुनिया में एकाधिकार है। रेशम उत्पाद और उसकी समस्या को हल करने के लिए आपने एक केन्द्रीय रेशम बोर्ड की भी स्थापना की है। हम देख रहे हैं कि बुनकरों को आज रेशम उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आपने विश्व बैंक की भी योजना बनाई है, विश्व बैंक से भी कुछ सहायता है और वहां से भी रेशम के भंडार को इकट्ठा करने की बात है लेकिन वह भी योजना असफल है।

मान्यवर, इन गरीब बुनकरों को यदि रेशम नहीं मिलेगा, ये साड़ियां नहीं बनेगी, तो लाखों भूखे लोग मरेंगे और इस समय भूखे मरने की स्थिति में है भी। इस पर हाउस में भी काफी चर्चा हुई तथा राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। उस समय आपने पूर्वांचल रेशम उत्पादन विकास परियोजना का निर्माण किया, यह योजना खास तौर से वाराणसी और गाजीपुर के लिए बनाई गई। 467 लाख 22 हजार रुपये राज्य सरकार का इसमें हिस्सा आया। 251 लाख 77 हजार केन्द्रीय रेशम बोर्ड का इसमें हिस्सा हुआ, कुल 718 लाख 99 हजार रुपए से इस बोर्ड की स्थापना हुई। इतनी बड़ी लम्बी रकम और पूंजी इकट्ठा करने के बाद भी आज वाराणसी और गाजीपुर में रेशम की समस्या हल नहीं हुई। आप वाराणसी में कदम रखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि लगभग 8 लाख से अधिक वाराणसी और गाजीपुर में हथकरघे पर काम करने वाले लोग हैं। उससे लाखों लोग अपनी जीविका का उपार्जन कर रहे हैं। आप उनके पास चले जाइए और साड़ी के बारे में उनसे पूछिए तो वे कहेंगे क्या बताया जाए, रेशम ही उपलब्ध नहीं हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आपके प्रयास निश्चित ही अच्छे रहे लेकिन इनमें कहीं कोई गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को भी देखना होगा और उन प्रयासों में आपको कार्यरत होकर अच्छे ढंग से एक नया निराकरण निकालना

होगा।

महोदय, आज सुदूर देहात में बनारसी साड़ी बनाने वाले फैले हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारसी साड़ी बहुत सुंदर एवं खूबसूरत होती है और उसके निर्माण करने वाले आदमी की औरत के बदन पर कपड़ा तक नहीं होता है। वे अपने खून से, पसीने की मेहनत से सुंदर साड़ी बना कर देश को सुंदर बनाता है तथा लोगों का सुंदर बनाता है लेकिन उसकी स्थिति बद से बदतर है। उसके बच्चे नंगे हैं। आप उनका खाना देखिए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसकी सामाजिक स्थिति को देख कर, यहां वर्णन करते हुए गला भर आता है। उनके पास मकान के नाम पर खंडहर है। उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनके हाथ लाल रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। वे दिन-रात परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी उनको पूरी रोटी नहीं मिल पाती है।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इधर भी ध्यान दें। आप बनारस गए थे, हमने सोचा था कि आपको ऐसी जगहों पर ले जाएं, जहां पर आप यह सब देखें और समझें, लेकिन आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपने खुद इस समस्या को समझा है।

मान्यवर, पूर्वांचल की स्थिति बहुत खराब है, वहां 35 जिले हैं, 150 और 35-40 एमपी वहां से चुनकर आते हैं, लेकिन वहां के लोगों की कीमत केवल वोट देने भर की है, बाकी डेमोक्रेसी का उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनके पेट में रोटी नहीं है। मेरे क्षेत्र में चौलापुर, चौबेपुर, हरौआ, जौनपुर में गौराबाद, शाहपुर, मुफ्तीगंज, गाजीपुर में जलालाबाद, दुल्लहपुर, सादियाबाद, सादात आदि इसके विशेष क्षेत्र हैं, जहां विकास की गति अवरूद्ध हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। वहां के बारे में लोग यही जानते हैं कि वहां तो बुनकर रहते हैं, साड़ियां बनाने वाले रहते हैं, कपड़ा निर्माता रहते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है।

मान्यवर, आज वहां पर सामाजिक विघटन हो रहा है, वहां आदमी के दिल में तड़पन है, सिसकन है, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन सब समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें। जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उनकी सामाजिक जिंदगी को भी आप करीब से देखें। जिस कपड़े का नाम लेकर महात्मा गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, ब्रिटिश सरकार हिल गई थी, जिस समय यहां पर विदेशी कपड़े की होली जलाई गई थी, उस समय लंका शायर और मेनचेस्टर की कपड़ा मिले बंद हो गई थीं और अंग्रेज मजदूर की आंखों में आंसू आ गए थे। मान्यवर, आज वही स्थिति हिंदुस्तान के कपड़ा मजदूर की होने जा रही है। हमको अफसोस है, दुःख है दर्द है कि महात्मा गांधी ने जिस मामले को आगे बढ़ाया था, कपड़े को उन्होंने अपना विषय चुना था, सौभाग्य की बात है कि आज आप कपड़ा मंत्री हैं, आप इस समस्या को देखें और गांधी जी के सपनों को साकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, आज मोहन रावले जी ने बंबई टेक्सटाइल मिल्स के बारे में यहां पर सवाल उठाया है। तीन रोज पहले भी उन्होंने यहां पर सवाल उठाया था कि तीन चीजों की उनको बहुत चिंता है। एक तो यह कि कपड़ा मिल बंद किए जा रहे हैं, वर्कर्स को निकाला जा रहा है और सरप्लस लैंड को बेचने का जो करोड़ों रुपया है, उसके बारे में भी उन्होंने ध्यान दिलाया था।

मैं पहले तो मोहन रावले जी से कहना चाहूंगा कि उनको यह शक कैसे हो गया कि हम मिलें बंद कर रहे हैं और आपने यह कैसे कह दिया कि हम वर्कर्स को निकाल रहे हैं या वर्कर्स को पेमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जून तक का वेतन मजदूरों को बांटा जा चुका है। और जुलाई का वेतन अगस्त में दिया जाता है, अकार्डिंग टू पेमेंट आफ वेजेज एक्ट 7 दिन में पेंमेट होता है, जो कि इस महीने में भी पे करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए आप इस गलतफहमी को मन से निकाल दीजिए और जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हें, उनको जवाब दीजिए। अगर किसी मजदूर को वेतन नहीं मिला है तो बताइए, कोई भी एक नाम मुझको दे दीजिए। मोहन रावले जी, जितनी आपकी उम्र है, उतने साल मैंने ट्रेड यूनियन में वर्कर्स के लिए काम किया है, शरीर पर पुलिस की लाठियां खाई हैं, तो मैं कैसे इस बात को बरदाशत कर सकता हूं कि वर्कर्स के साथ कोई अन्याय हो। मैं वर्कर्स के हित में आज तक काम करता हुआ आया हूं और केबीनेट का डिसीजन था कि 14 मिलों को क्लोज करो और 28 मिलों को मर्ज करो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यह क्लोजर नहीं होना चाहिए, उनको माडर्नाइज करना चाहिए। मैंने मिनिस्टर बनने के बाद यह रिस्क लिया। मुझे मिनिस्टर बने हुए डेढ़ साल हुए हैं और इन डेढ़ सालों में मैं इन वर्कर्स के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा हूं । मोहन जी, आपकी जगह अगर मैं भी होता तो यही करता जो आप कर रहे हैं।

लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि इन मिलों को फिर माडर्नाईजेशन करें। ये मिले पहले से ही बी आई एफ आर में रेफर हैं। बीआईएफआर इनको प्राईवेटाइजेशन के लिए सेल करे तो यह सवाल आया। अगर मैं इस प्राइवेटाईजेशन के फेवर में रहता हूं तो मैं खामोश बैठ जाता हू। बी आई एफ आर टेंडर काल करके सेल कर देती तब प्राइवेटाईजेशन होता। मैंने इसके खिलाफ कदम उठाया। मोहन जी आप जानते हैं कि टी.आर.ए. में जो सीट्रा, इट्रा, विट्रा और निट्रा है, इनको मैंने कहा कि साईंटिफिक तरीके से एक-एक मिल में जाकर आप इसका माडर्नाईजेशन प्लान सबमिट करें। मिनिस्ट्री आफ लेबर की ट्राईपर्टाईट कमेटी में आप भी आए थे, उसमे आल इंडिया की सारी यूनियन्स ने रिप्रेजन्ट किया। आप जानते हैं कि 128 साल की मशीनरी क्या प्रोडक्टिवटी देगी और किस तरह कंपीटीशन में वह कपड़ा मुकाबला करेंगा और क्वालिटी किस तरह की रहेगी ? मोहन जी और दीघे जी ने कहा कि करप्शन बहुत ज्यादा है। जिस रोज मैंने चार्ज लिया तो सारे जनरल मैनेजर्स को बुलाकर कहा कि तुम सब करप्ट हो। मैं ट्रेड यूनियन में रहा हूं। इसलिए जानता हूं कि टैक्सटाईल मिल्स में करप्शन किस तरह से होता है। स्पीनिंग मिल में काटन खरीदने में करप्शन होता है और कपड़ा सेल करने में

करप्शन होता है। यह बात खुले अल्फाज में मैने मींटिग में कहीं। मैं आपको बताता हूं कि कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया और कितने करप्ट अफसरों को निकाला है ? डेढ़ सौ साल करप्शन हो और डेढ़ साल में उसको खत्म करने का आप अंदाजा लगा सकते हैं ? लोग कोर्ट में जाते हैं और स्टे आर्डर ले आते हैं जो ज्यादा करप्शन करते हैं। अपने आपको बचाने के लिए यदि मैं सिलसिलेवार से इस करप्शन को दूर करूं और इनको बीआईएफआर में रखकर इनको आक्शन करने की बजाय पबलिक सैक्टर में रखकर माडर्नाईजेशन करूं तो मैंने क्या गुनाह किया है ? अगर आप सब लोग सोचते है कि मैं गलत कर रहा हूं तो मैं खामोश बैठ जाता हूं और बी आई एफ आर जो करें उसको क्या मंजूर करेंगे, इसका जवाब दीजिए ? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ट्रीपार्टाईट कमेटी के सामने मैंने कहा कि कोई फैक्ट्री बंद नहीं होगी और कोई प्राइवेटाईजेशन या कोई रिट्रेंचमेंट नहीं किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए ? आप सुनिये कि मैं बुनियादी बात कह रहा हूं कि इनको सरकार पब्लिक सेक्टर में रखने के लिए कोशिश कर रही है और किसी वर्कर को निकालने की बात हो तो सबसे पहले मैं सामने रहूंगा। यह प्रिंसिपल हमने ट्रीपार्टाईट कमेटी में तय किया। और सारी ट्रेड यूनियन ने इसको एक्सेप्ट किया जिसमें मोहन जी और दीघे जी भी थे। मुझे फक्र है कि आपका कंट्रीब्युशन उस मीटिंग में रहा है। सबसे ज्यादा वर्किंग क्लास बंबई सिटी की है। 1968 में एनटीसी बनी और आज तक 3360 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उनके ऊपर खर्च किया जब दत्ता सामंत द्वारा स्ट्राईक हुई तो दो लाख उसमें थे मैंने वहां जाकर कई लोगों से बात की। जब इंदिरा जी प्रधान मंत्री थी तो उन्होनें मुझसे कहा कि आप जाकर उस स्ट्राईक को देखिए। मैं, श्री प्रणव मुखर्जी, श्री ए पी शर्मा और ट्रेड यूनियन लीडर्स गए और सब लोगों से बात की। हमने उन लोगों से बात की हैं वहाँ पर टैक्सटाईल इंडस्ट्री की तबाही थी और मिल मालिकों का मज़ा शुरू हुआ था क्योंकि उन लोगों ने आम का रस ले लिया और गुठली हमारे लिये छोड़ दी। सरकार ने 3360 करोड़ रुपया खर्च किया है। अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि मां और गरीब लोग कपड़ों के लिये तड़प रहे हैं। उनके पेट की भूख हैं जिसके लिये वे तड़प रहे हैं। क्या भारत सरकार ने वर्किंग क्लास के लिये कुछ न कुछ करने की कसम खाई है ? क्या हम, 40 प्रतिशत लोग, जो गरीब रेखा से नीचे हैं और तड़प रहे हैं, उनके पेट से रुपया निकाल कर मिल मालिकों को खिलायें ? यह कहां का इन्साफ है ? मैं खुद ट्रेड यूनियन का लीडर रह चुका हूं इसलिये अच्छी तरह से जानता हूं कि उन वर्कर्स को कैसे तनख्वाह मिलती है ? मैं यह भी जानता हूं कि गांव में मेरी मां और भाई भूख से तड़प रहे हैं। इसलिये मैंने इस इंडस्ट्री को बीआईएफआर से प्राइवेट सैक्टर में जाने के लिये रखा है। हमने त्रिपक्षीय समिति के सामने इसके आधुनिकीकरण की बात रखी और सरकार को कनविंस किया कि एन टी सी की 122 मिलों को इनको न देकर इनका आधुनिकीकरण किया जाये। हमारे प्राईम मिनिस्टर का ख्याल है कि हम पब्लिक सैक्टर को बंद नहीं करेंगे और प्राइवेट सैक्टर के हाथ में नहीं देंगे क्योंकि यह हमारे बेसिक उसूल है। इसलिये मैं साफतौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार का विचार इनका आधुनिकीकरण करने का है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री दिघे जी जानते हैं कि साउथ महाराष्ट्र में 13 टेकन ओवर मिल हैं। वहां के मिल मालिकों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हम इसे लेंगे। हम वर्करों को पैसा देंगे और बड़ी बड़ी इमारतें बनायेंगे । आप जो टाटा की बात कर रहे थे, उनके पिता आये कि इसको आप वापस लीजिये हम वर्करों को पैसा देंगे। यह ठीक है कि आज भी उनकी तरफ से बी आई एफ आर में लेने के लिये आवाज आयी है लेकिन आप यह बात समझ लें कि इस संसद में टैक्सटाईल्ज को नेशनलाईज करने के लिये एक बिल लाने वाला हूं। यदि नेशनलाईज करने के बाद टेकन ओवर मिलों का आधुनिकीकरण नहीं कर सकते हैं तो उनकी यह आवाज है कि ये चलने नहीं देगें। इनको पब्लिक सैक्टर में लगायेंगे और आधुनिकीकरण के रास्ते पर ले जायेंगे।

उपाध्यक्ष जी, अब सवाल आता है कि इन पर कितना रुपया लगाने की स्कीम हैं ? आप सब जानते हैं कि यहां पर जो मशीनें लगी हैं, वे 120-130 साल पुरानी है और उसके स्थान पर नयी मशीन लगानी होगी नहीं तो आधुनिकीकरण नहीं होगा। आप यह भी जानते हैं कि यहां पर जो कपड़ा तैयार होता है, वह स्टैंडर्ड के लिहाज से कमजोर होता है जिसका बाजार वैल्यू कम होता है। हम नयी मशीनरी लाना चाहते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन वर्करों को रखना चाहते हैं न कि निकालना चाहेंगे। और बताईये आपको क्या चाहिये ? हम तो इस इंडस्ट्री का आधुनिकीकरण करना चाहते है।। आप सब बोलते हैं कि मर्जर इज क्लोज़र। आप मुझे बताईये कि अंडर दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्लोज़र का क्या मतलब है ? क्लोजर का मतलब तो बिल्कुल लाक कर दें। उसके बाद वर्कर्स को बोले कि रिट्रेंचमेंट और कंपनसेशन लेकर घर जाओ। इसका नाम क्लोजर है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो 150 साल की मशीनरी है उसको हम रीप्लेस कर रहे हैं और माडर्नाइजेशन कर रहे हैं। और वर्कर्स को उस पर काम करने के लिए कह रहे है। जो टैक्सटाइल मॉडर्नाइजेशन का प्लान हमने दिया है आपने बताया कि एनटीसी की कुल 122 मिलें हैं जिनमें से 23 मिलों का साउथ तमिलनाडु में मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। आज हमारे सामने मॉडर्नाइजेशन के लिए 79 मिलों का मॉडर्नाइजेशन प्लान ट्राइपाटाईट कमेटी ने एग्री किया है। इस वक्त अगर हम खड़े न होते और पब्लिक सैक्टर को छोड़ देते तो बी आई एफ आर की तरफ से कई मालिक उनको ले लेते और जो शुबहा आपको है कि यहां बड़े-बड़े मकान बन जाएंगे, वह हम नहीं बी आई एफ आर करता अगर हम खामोश रहते। हम चाहते हैं कि उन मिलों को जिन्दा रखें, वर्कर्स का न निकालें। हमारा स्लोगन है - ''नो क्लोजर, नो प्राइवेटाइजेशन, नो रिट्रन्चमेंट'' आप और क्या चाहेंगे ? हम एक वर्कर को भी नहीं निकालना चाहते हैं और विश्वास दिला रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए। पुराने मिल मालिकों को फिर कब्जा देने की बात क्या सरकार कर रही है ? उनको न देने के लिए ही संसद में राष्ट्रीयकरण का बिल लाने की हम चेष्टा कर रहे हैं। क्या यह बुरा है ? मोहन जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक वर्कर भी नहीं जाएगा और खास तौर से बंबई में अगर एक भी वर्कर गया तो आप मुझे कहिए, मैं आपको जवाब दूंगा। हां, जहां सरप्लस वर्क हैं उनके लिए दरवाजा खुला है। श्रीमती

पाटील जी ने कहा है कि आज तक 3600 वर्कर वी आर एस में गए हैं। जो 1,22,000 वर्कर्स एन टी सी में हैं, वे इसमें जाने का इंतजार कर रहे हैं। हम स्किल्ड वर्कर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मॉडर्नाइजेशन होने के बाद उसको कहां से लाएंगे ? मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी वर्कर को सरकार नहीं निकालेगी। आप बार बार यहां आते हैं और मैं भी पांच बार संसद के लिए इलैक्ट हुआ हूं। कई बार मैंने इंदिरा जी जब प्रधान मंत्री थी, तो आई डी पी एल में 38 रोज स्ट्राइक करवाई और उनके हाथ से डिसीजन लिया कि क्या करना चाहिए। आप भी वहां से आते हैं। मुझे मालूम हैं वर्कर्स का बहुत दबाव आपके ऊपर हैं। वह बरदाश्त नहीं करते और ये हंगर स्ट्राइक वगैरह की बात होती हैं उन लोगों की मजबूरी है और जो प्रपोगण्डा मिल मालिकों की तरफ से किया जाता है उससे वर्कर गुमराह होते हैं। क्यों कहा जा रहा है कि हम नेशनलाइज न करें और एमपी' से दबाव डलवाएं कि इसको नेशनलाइज़ न करें। उसको बीआईएफआर की तरफ से भेज दें ताकि फिर हम खरीदें। अगर आप यह करना चाहते हैं तो मुझे ऐतराज नहीं हैं। मैं खामोश बैठ जाता हूं और राष्ट्रीयकरण की स्कीम विदड्रॉ कर लेता हूं, सरप्लस लैण्ड का फैसला रोक देता हूं। बीआईएफआर में एनटीसी की 9 सबसीडरीज़ में से 8 जा चुकी है। एक मोडॅर्नाइजेशन तमिलनाडू सबसीडरी में हुआ है। उसको छोड़कर बाकी सब के सब आप चाहते हैं कि चले जाएं मालिकों के हाथ में। सरकार ने निर्णय लिया है। कि इनको मालिकों के हाथ में नहीं जान देंगे। सरकार इन्हें खुद चलाएगी। इसका विश्वास दिलाने के लिए ही मैं खड़ा हुआ हूं। वह लोग किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां 13 मिलों के राष्ट्रीयकरण का बिल पेश न करें, मौडर्नाइज न करें। वह लोगों से खासतौर से बंबई की वर्किंग क्लास पर ही दबाव डाल रहे हैं। मैंने कई लोगों से और उनकी यूनियनों से बात की और उनसे कहा कि एक वर्कर भी घर नहीं बैठेगा। आपको क्या ऐतराज है कि मॉडनइिजशन हो। उसके लिए हम तैयार हैं। मैं आपके साथ बम्बई चलने के लिये तैयार हूं। यदि मर्जर के लिये कोई अपोज करता है, मॉडर्नाईजेशन के लिये आपोज करता है तो मैं उससे बात करने के लिये तैयार हूं। वह जो भी सजैस्शन देगा, मैं उसके लिये भी तैयार हूं। आप इतना बड़ा एक्शन क्या लेना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि बम्बई के कुछ वर्किंग क्लास के लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य सही स्थिति को समझें और लोगों को समझायें। गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको विश्वास देता हूं कि एक भी वर्कर को निकाला नहीं जायेगा, कोई प्राईवेटाईजेशन नहीं किया जायेगा, कोई क्लोजर नहीं किया जायेगा, यह विश्वास मैं इस फ्लोर पर दे रहा हूं। आप मेरी बात सुनिये और मजदूरों को विश्वास दीजिये कि यह नेशनल इंटरेस्ट में है।

मोहन जी, आज इंडिया में ही नहीं, सारी दुनिया में एकसाथ 122 मिलों का मॉडर्नाइजेशन यदि कहीं हुआ हो तो मुझे बताईये। दिघे जी, हम सरप्लस प्रोपर्टी को सेल करके, बजट के पैसे का इस्तेमाल, जो लोग गरीब, मुफलिस और बीलो पावर्टी लाईन रहते हैं, 40 परसेंट उनके लिये रखे गये पैसे का इस्तेमाल न करते हुये, कर रहे हैं। तो क्या इसमें कोई गुनाह कर रहे हैं। आप बताईये कि क्या इसके अलावा कोई

दूसरा रास्ता है। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं – या तो सेल करो या गवर्नमेंट में रखकर मॉडर्नाइजेशन करो। आप ही हमें बताईये, क्या करना है, हम उसके लिये तैयार है। हम किसी मामले में स्ट्रिक्ट नहीं हैं कि आपकी बात को सुनना नहीं है या रिजैक्ट कर देना है। हम आपसे बार-बार कह रहे हैं कि कोई वर्कर नहीं जायेगा। जब कोई वर्कर नहीं जायेगा तो फिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती। आप पर इतना दबाव क्यों आ रहा है ?

मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं कि आप इन सारी बातों को छोड़ दीजिये। हम इंडिया के अंदर 122 मिलों का मॉडर्नाइजेशन टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। आपने जिक्र किया कि आज टैक्सटाईल मिलों का एक्सपोर्ट 25 हजार करोड़ रुपये का है। आपने टोटल एक्सपोर्ट के बारे में ठीक कहा, हम उससे ज्यादा जाना चाहते हैं, हमारी टैक्सटाइल मिनिस्ट्री चाहती है कि दूसरे देशों के मुकाबले, हम एक्सपोर्ट की फीगर्स को 30 हजार करोड़ रुपये तक ले जाये जबकि (1994-95) के लिये हमने 28 हजार करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट का टार्गेट रखा है। जब टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 122 मिलों का मौडर्नाइजेशन हो जाये ताकि एक्सपोर्ट के मामले में हम और आगे बढ़ सकें, यही इसके पीछे ख्वाब या मंशा है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिये। हम देश की बैंकबोन को और मजबूत करना चाहते हैं। हम कभी उसे कमजोर करना नहीं चाहेंगे। वर्कर्स के पेट पर यह सरकार लात नहीं मारना चाहेगी बल्कि वर्कर्स को रखते हुए मिलों का मॉडर्नाईजेशन करना चाहेगी और मॉडर्नाइजेशन के जरिये प्रोडक्टिविटी को बढ़ायेगी। प्राईवेटाईजेशन के लिये जो फोर्स आज काम कर रही है, यहां पार्लियामेंट में उसे हम मुंह तोड़ जबाव देना चाहते हैं। कानपुर की दो और बम्बई की 13 जो टेकनओवर मिलें हैं, हम उन्हें नेशनेलाईज करके रहेंगे, मौडर्नाईज करके रहेगें यही मेरा जवाब है। मैंने सारे फीगर्स आपके सामने रखे हैं।

देश की 122 मिलों में एक लाख 75 हजार वर्कर्स थे जिनमें से वी आर एस स्कीम के अंतर्गत 36 हजार वर्कर्स चले गये हैं, कुछ और जाने वाले हैं। पेंशन स्कीम आने के बाद बहुत से वर्कर्स हमसे पूछे बिना ही चले जायेगें। मैंने सुना है कि इसी सैशन में पेंशन स्कीम आ रही है। उसके बाद हमें वर्कर्स मिलने मुश्किल हो जायेंगे, स्पिंडलिंग, वीविंग के जो एक्सपर्ट वर्कर्स हैं वे मिलने मुश्किल हो जायेंगे। यही कारण है कि वी आर एस में उन्हें हम थोड़ा देख-समझकर छोड़ रहे है।

मैं ट्रेड यूनियन से संबद्ध रहा हूं, यहां एक गरीब खानदान से आया हूं और आपसे बोलना चाहता हूं कि आज जो माहौल बम्बई में बना है, उस माहौल के चक्कर में आप मत आईये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक भी वर्कर नहीं निकलेगा। पूरी मिल किसी प्राईवेट आदमी के हाथ में नहीं जायेगी, किसी मिल का क्लोजर नहीं होगा बल्कि मॉडर्नाईजेशन होगा और सभी वर्कर्स खुशहाली के साथ जिन्दगी बसर करेंगे, उन्हें अपना हक हासिल होगा। जब ये सारी चीजें हम करने जा रहे हैं तो मॉडर्नाईजेशन में आप

हमारा हाथ बंटाईये, हमें आपका सहयोग चाहिये, आपकी मदद चाहिये तो दोनों की मदद हो जायेगी। आप बम्बई सिटी से आते हैं . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री शरद दिघे : आप सेल ऑफ लैंड के बारे में जरा बताईये।

श्री जी. वेंकट स्वामी : आपने सेल लैंड के बारे में अच्छी बात पूछी।

6.00 म.प.

ट्राइपटाइट कमेटी में मैंनें कहा कि आप मैम्बर लोग ही सलाह करो और इसे बेचो। उसमें सी.पी. आई., सी.पी.एम. आदि सारी पार्टियों के लोग थे। हमने कहा कि सेल करो और गवर्नमेंट को पैसा दो। गवर्नमेंट इस लैंड को सेल नहीं करेगी। एन.टी.सी. गवर्नमेंट से अलग है। इंडिपेंडेंट कार्पोरेशन है, वह करेगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया।

अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं जैसा कि दिघे जी ने कहा है – हम खटाऊ मिल के मालिक नहीं बनना चाहते हैं। एन.टी.सी. के आफीशियल्स और स्टेट गवर्नमेंट के कलैक्टर और सैकेट्री वगैरह मिलकर एक मशीनरी बनाइए और सेल करिए और गवर्नमेंट को पैसा दीजिए। उन्होंने कहा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आना चाहती है, तो हम क्यों आते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपको और कितना समय चाहिए ?

श्री जी. वेंकटस्वामी : मुझे और पांच मिनट चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः हम पांच मिनट का समय बढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जी.वेकंट स्वामी : चूंकि आपने आज यहां पूछा है इसलिए मैं बताना चाहता हूं, वैसे मैं बताने का इच्छुक नहीं था। हमने यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई. के चेयरमैन को बुलाया और उनसे कहा कि कि आप इन मिलों की जमीन को गिरवी रख लो और सरकार को 2005 करोड़ रुपए लोन के रूप में दे दो। उन्होंने कहा कि नियमों में ऐसा नहीं है कि हम जमीन को गिरवी नहीं रख सकते हैं। हमने उनसे कहा कि हमें इतना पैसा दे दीजिऐ और फिर आप जमीन बेच दीजिए, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हुए। इसलिए अब वे सीधे इस जमीन की खरीद करेंगे। इसलिए मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि हम इस जमीन को पब्लिक सैक्टर के हाथ बेचने जा रहे हैं। हम इसको प्राइवेट लोगों को नहीं बेचेंगे। इससे ज्यादा दिघे साहब आप क्या चाहेंगे ? यदि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

दिघे साहब 100 साल पुरानी मशीनरी को क्या आम पूजा करने के लिए रखना चाहते है। बी. एफ. आर. के हाथ इसको छोड़ देते, तो वह प्राईवेट लोगों को बेच देती। इसका हमने जबर्दस्त विरोध

किया और ऐसा नहीं होने दिया। मैंने और प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्री का हम प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। उसी उसूल को लेकर हम चल रहे हैं। पब्लिक सैक्टर को माडर्नाइज करने जा रहे हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मोहन जी से प्रार्थना है कि वे नौजवान हैं, वे हमारा इस कार्य में साथ दें। वे जोश में अपने होश न खोएं और वहां के सही मसाइल को समझने की कोशिश करें और यदि कोई चीज समझ में न आए, तो मुझसे सलाह लें, मुझसे समझें, मैं उन्हें समझाउंगा। अगर वास्तव में वहां वर्किंग क्लास को कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे बताइए। मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील ने नान्देड़ के बारे में कहा है और बताया है कि जो मिलें उनके यहां बन्द हैं, वे पहले निजाम हैदराबाद की हिस्सा थीं। यह बात सही है। पहले नान्देड़ निजाम हैद्राबाद के अन्तर्गत था। इसलिए ये मिलें पहले हैदराबाद के अंदर आती थीं। ये तीन मिल हैं - अजमनशाही-नान्देड़, उस्मानशाही-वंरगल और मोहम्मदशाही-वंरगल। ये तीनों ही मिल आजकल बन्द हैं और तीनों ही एन.टी.सी. के अंदर क्लोजर में थी, लेकिन मैंने इनको क्लोजर से निकालकर माडर्नाइजेशन में ला दिया है। अब इनको माडर्नाइज करने के लिए हम जा रहे हैं। वहां पर सरप्लस लैंड तो बहुत कम है। और उसके दाम भी बहुत कम मिलेंगे। उसके अलावा भी हमको बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। इसलिए दो हजार पांच सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। जिससे इन सभी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : घरों का मामला है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : फैक्ट्री की जो प्रापर्टी है उस पर एनक्रोचमेंट किया गया है। अब आप कह रही हैं कि उसको लीगलाइज करिये।

श्री सूर्यकांता पाटील : एनक्रोचमेंट नहीं किया है। वह आपकी ही कालोनी है। आपकी ही जगह है। मिल की अतिरिक्त जगह पर अतिक्रमण नहीं किया है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं आपको बताना चाहता हूं कि नान्देड़ में कितने लोगों ने एनक्रोचमेंट किया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : आपके ही वर्कर्स हैं। **(व्यवधान)**

श्री जी.वेंकट स्वामी : वे खाली करने को तैयार हैं तो मैं आज ही ऐनाउंस करता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : आप किससे खाली करवाएंगे ? . . . **(व्यवधान)** आपके ही वर्कर्स हैं, मिल के मजदूर हैं, आप वहां पर जाइए और सबसे मिलिए। . . . **(व्यवधान)** आप मिल का रजिस्टर देखकर करिए। **(व्यवधान)**

श्री जी.के. स्वामी : आपके जितने भी पाइंटस हैं, मैंने नोट कर लिये हैं। आपने जो भी सजेशन्स दिए हैं, उस पर मेरे से जितना हो सकता है, मैं गंभीरता से कोशिश करके उसे पूरा करूंगा।

आखिर में, मैं मोहन जी, शरद जी, शास्त्री जी और अन्य सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप समझने की कोशिश करें कि सरकार क्या करना चाहती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : रेशम के बारे में बताइए।

श्री जी.वेंकट स्वामी : बनारस के रेशम के बारे में शास्त्री जी ने कहा। यह सही है कि नीचे काम करने वाले लोगों की हालत खराब है और ऊपर बिजनस करने वालों की हालत बहुत अच्छी है। बनारस सिल्क इंडस्ट्री की यह हालत है। 46 करोड़ रुपये के कर्जे की वजह से वी.पी. सिंह के समय में यू.पी. के 10 हजार बुनकर जेल में थे। जैसे ही मैं मंत्री बना, मैंने प्रधानमंत्री जी से अपील की और 46 करोड़ रुपये माफ कर दिए गए। इतना ही नहीं, वहां के बुनकरों की हालत सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 3000 सैन्टर हैंकयार्न सप्लाई करने के और 522 सैन्टर हैंडलूम में कायम करने के लिऐ स्कीम सैंकशन की। सैवन्य प्लॉन में 300 करोड़ रुपये थे जिसे प्रधानमंत्री जी ने 1836 करोड़ रुपये किए। विलेज-विलेज में जो काम होना चाहिए था, वह शुरू हो गया है। बनारस के लिए भी मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आप कोई नोट दें तो मैं उस पर सीरियसली एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। मैं कहना चाहता हूं हम रास्ते से जाकर मंजिल की तरफ जाएंगे। हमारी मंजिल मॉडर्नाइजेशन करने की है, प्राईवेटाईजेशन नहीं है, क्लोजर की नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य सैटीसफाइड हो गए हो तो मैं समझता हूं कि वे मेरे प्रपोज़ल्स का वैल्कम करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपने सब कुछ बता दिया है और जो आप चाहते थे उसके विषय में मंत्री महोदय ने वचन भी दिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ क्लैरीफिकेशनन्स पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावले, साधारणतया, मंत्री महोदय के उत्तर के बाद आगे स्पष्टीकरणों को अनुमति नहीं दी जा सकती है।

व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से उन्होंने इन सारे पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार कर लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : आपने रॉ मैटिरियल, कपास और वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ नहीं कहा। मंत्री जी ने खुद मान लिया है। कि वहां पर करप्शन हो रहा है। **(व्यवधान)**

श्री जी.वेंकट स्वामी : मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, खुद कन्डैम कर रहा हूं।

श्री मोहन रावले : मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक मिल में 32 लाख का करप्शन था जो 10 महीने में पूरा किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि अधिकारी चाहें तो मिल चल सकती है। . . . **(व्यवधान)** . . . आप बोलते हैं कि क्लोज़र नहीं करेंगे। आपने जो प्रपोज़ल रखा है, क्या वह मिल बन्द करने का प्रपोजल नहीं है ?

श्री जी.वेंकट स्वामी : कोई क्लोजर नहीं है।

श्री मोहन रावले : आप पूरी लैंड बेचने जा रहे हैं और कहते हैं कि क्लोज़र नहीं है।

श्री जी.वेंकट स्वामी : मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि समझने की कोशिश करें। . . . **(व्यवधान)** . . . हमने एक भी वर्कर को निकालने की बात नहीं की।

श्री मोहन रावले : मंत्री जी ने ऐसा भी कहा कि हमारे मौजूद होने पर किसी भी मजदूर का रिट्रेंचमेंट नहीं होगा लेकिन आपने ट्रीपार्टाइट कमेटी में 22,000 वर्कर्स के रिट्रेंचमेंट का प्रपोजल भेजा था और हम लोगों ने उसे अपोज किया था। सब यूनियन लीडर्स ने और हम दो जने जो बुलाये गये थे, मि. शरद दिघे जी ने और हम लोगों ने उसे अपोज किया था। आपने जो प्रपोजल भेजा था न ?

श्री वेंकट स्वामी : अब मैं बोल रहा हूं न, अब कोई रिट्रेंच नहीं होगा।

श्री मोहन रावले : आपने गलती हो सकती है। जैसे आपसे एक गलती हुई, वैसे ही इसको भी आप सुधार लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि क्लोज़ करने का जो उन्होंने प्रपोजल दिया है, वह वापस लेना चाहिए। अगर वह नहीं हो सकता है तो मैं आपको को-आपरेटिव बेसिस पर चलाने का सजेशन देना चाहता हूं। अगर आप कोआपरेटिव बेसिस पर मिल चलाने के लिए देंगे तो वित्त मंत्री जी ने भी इसको मान लिया है, वह इसके लिए 40 परसेंट देने के लिए राजी हैं, 10 परसेण्ट वर्कर्स लगाने के लिए राजी हैं। आप हमारे मुख्य मंत्री जी को तैयार कीजिए और उनसे 50 परसेण्ट देने के लिए कहिये। उन्होंने कहा था कि हम 50 परसेण्ट कोआपरेटिव बेसिस पर मिल चलाने के लिए देने के लिए राजी हैं।

श्री जी.वेंकट स्वामी : उपाध्यक्ष जी, मैंने मिनिस्टर बनते ही वर्किंग क्लास से अपील की कि जितनी भी एनटीसी की मिल्स हैं, वह कोआपरेटिव बेसिस पर ले लें। मैंने एक-एक ट्रेड यूनियन से रिक्वैस्ट की, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन से रिक्वैस्ट की लेकिन सारे के सारों ने कहा कि हमसे नहीं होगा।

अगर मोहन जी तैयार हैं तो आप आज भी प्रपोजल दो, मैं आज ही इसे देने के लिए तैयार हूं। और क्या चाहिए, बोलिये ?

श्री मोहन रावले : आपने वेतन के बारे में हम पर इल्जाम लगाया। अभी भी बहुत सी मिलों में वेतन नहीं मिला है।

श्री जी. वेंकट स्वामी : आपने पैसों की और कपास वगैरह की बात की है। उसका भी जवाब सुन लीजिए। आप यहां एनांउस करके जाओ, वहां शो करने के लिए मत जाओ, फैक्ट्स एण्ड फीगर्स को समझकर एनाउंस करके जाओ। कपास और रा मैटीरियल नहीं मिल रहा है, आप ही ने कहा कि अफसर खाये जा रहे हैं, यह खाये जा रहे हैं, डुबा रहे हैं और वर्कर्स को मालूम ही नहीं है। हमारे सामने एक प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आया है कि आपने ट्रीपार्टाइट कमेटी में जो पैकेज प्लान किया है, वह लेकर कैबिनेट में आइये, वहां सैंक्शन होने के बाद आपको पैसा मिलेगा। पैसा क्या माडर्नाइजेशन के लिए मिलेगा, नहीं। जो एग्जिस्टिंग फैक्टरीज चल रही हैं, उनको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए मिलेगा। उसके लिए हमने प्रपोजल तैयार किया है और हम उसको कैबिनेट में भेज रहे हैं। कैबिनेट में मंजूर होते ही जैसा आप चाह रहे हैं, उससे कपास खरीदिए। माडर्नाइजेशन होने तक उनको चलाकर फिर उनको तनख्वाह वगैरह देने के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। अब मोहन जी, आप बताइये, इससे ज्यादा अब क्या करें ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री आपका धन्यवाद।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, मेरा सुझाव है कि रेलवे की अनुदान की अनुपूरक मौंगों पर हो रही चर्चा 7.00 बजे तक चलेगी ताकि जो सदस्य बोलना चाहते हैं वे बोल सकें। माननीय मंत्री महोदय उस पर अपना उत्तर कल नहीं, बल्कि अगले कार्य दिवस को देंगे। क्या आप कल उत्तर देना चाहते हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : नहीं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय मंत्री महोदय को मंगलवार को उत्तर देने की अनुमति दी जाए। हम सात बजे तक बैठ सकते हैं ताकि जो सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें मौका मिल जाए।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं समझता हूं कि विपक्ष वापस आ रहा है। श्री मोहन रावले आ चुके हैं, कल भाजपा आ जाएगी और उसके बाद अन्य भी आ जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष माहेदय, मैं सिर्फ इस मामले के लिए आया हूँ।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, अगर वह वापस आ जाते हैं, हम उन्हें अतिरिक्त समय देंगे। समय की कमी नहीं है। परंतु जो सदस्य भाग लेना चाहते हैं, उन्हें आज बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव से यह सदन सहमत होगा।

कई माननीय सदस्य : हां।

6.10 म.प.

[अनुवाद]

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे) 1994-95 जारी

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1991-92 जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन खड़ी थीं। वे अपना भाषण जारी रख सकती हैं।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुंदपुरम) : महोदय, पहले मैं राजधानी एक्सप्रेस के बारे में कह रही थी। इस राजधानी एक्सप्रेस को शुरू करने के लिए मैं माननीय मंत्री के प्रति आभार प्रकट करती हूं।

इसके द्वारा कम से कम मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग राजधानी एक्सप्रेस को देख और जान सकेंगे। रेलवे त्रिवेंद्रम से एरनाकुलम के लिए टिकट जारी नहीं कर रहा है, बल्कि त्रिवेंद्रम से इरोड के लिए टिकटें दे रहा है। इससे यात्रियों को मजबूरी वश उनकी यात्रा से दोहरी दूरी के लिए भाड़ा देना पड़ता है। यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

महोदय, मैं यह अच्छी तरह से जानती हूं कि यह एक आम बात है कि इन सुपरफास्ट गाड़ियों को रोकने के लिए रेलवे को पर्याप्त रखरखाव सुविधाएं और संचालनात्मक सुविधाएं चाहिए। अगर एक और स्टेशन देना संभव नहीं है, तो मैं इस संबंध में एक बाया-मीडिया सुझाव दूंगी। त्रिचूर केरल के मध्य में आता है। त्रिचूर स्टेशन पर पर्याप्त जगह है जहां राजधानी एक्सप्रेस को रोकने के लिए संचालनात्मक और रखरखाव सुविधाएं आसानी से दी जा सकती हैं। अतः मैं रेलवे बोर्ड से अनुरोध करती हूँ कि त्रिचूर को राजधानी एक्सप्रेस का एक स्टेशन बनाने के लिए लाभप्रद अध्ययन करें।

मैं अपने आज के भाषण में आखिरी अनुरोध कर रही हूँ। यह एक नई रेलगाड़ी और एक नए रेलवे ओवरब्रिज से संबंधित है। यद्यपि, दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक के लिए राजधानी एक्सप्रेस है, परंतु वह आम

यात्रियों के लिए नहीं है। दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाने वाली पुरानी यात्री रेलगाड़ी भी यात्रियों को अत्यधिक संख्या में ले जाने की स्थिति में नहीं है। अगर तकनीकी कारणों से दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक के लिए एक और रेलगाड़ी नहीं चलाई ज सकती है, कृपया उसको दिल्ली से एरनाकुलम तक के लिए चलाएं, क्योंकि इस रूट पर अभी तक कोई सीधी सुपरफास्ट गाड़ी नहीं चलती है।

रेलवे ओवरब्रिज के संबंध में, इरीनजलकुडा के लोगों का यह एक पुराना सुखद सपना है। और यह हमारे मुख्यमंत्री श्री करूनाकरन के विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चलाकुडी में स्वीकृत फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मैं रेलवे अधिकारियों से अनुरोध करती हूँ कि वे इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें।

इन शब्दों के साथ, मैं मंत्री महोदय, द्वारा प्रस्तावित अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं रेल मंत्री जी को बधाई देनें के लिए खड़ी हुई हूं क्योंकि हम लोगों को रेलवे लाइन के लिए अपने जिले में 47 साल तक इंतजार करना पड़ा और आज मुझको उनको रेलवे पर बधाई देने के लिए दिन भर इंतजार करना पड़ा तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

महोदय, रेल मंत्री जी तो बधाई के पात्र जरूर हैं, क्योंकि सिंधिया जी थे तो उस समय हम पहली बार राज्यसभा में आए थे तब हम लोगों ने एकमात्र छोटी रेलवे लाइन रुपया बांगरीपोसी के लिए मांग की थी क्योंकि उस समय वह रेलवे लाइन बंद होने जा रही थी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज मंत्री जी की हमारे ऊपर, हमारे जिले के ऊपर मेहरबानी है कि उन्होंने इस रेलवे लाइन को कम से कम आठवें प्लान में लिया है और उसी लाइन को ब्रोडगेज करने जा रहे हैं। मैं मंत्री जी को यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह अप्रूर्व तो हो चुका है अब आप जल्दी से इस काम का शुभारम्भ करवा दें और उसके बाद जल्दी से पूरा करवा दें। यह भी निवेदन करना चाहूंगी यह छोटी सी रेलवे लाइन को खाली ब्रोडगेज करने से नहीं होगा, बादामपहाड़, की जो यह रेलवे लाईन है, यह अंग्रेजों के जमाने की है, उसी रेलवे लाइन के साथ इसको जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, इसको जोड़ना चाहिए।

मंत्री जी को तो में जितनी बधाई दूं, उतनी कम है, लेकिन मेरी कुछ आपत्तियां भी हैं। हमारा जिला रेल के मामले में बहुत गरीब है, इसलिए वहां पर कुछ सुविधाएं देने की आवश्यकता है, जिनसे हमारा क्षेत्र वंचित है। हमारा जिला सबसे बड़ा जिला है, आदिवासी जिला है, 10 में से 9 एमएलएज की सीटें रिजर्व हैं। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आज भी स्कूलों में बच्चों से पूछें कि रेल का पहिया किससे बनता है तो वे जवाब देते हैं कि रबर से बनता है, क्योंकि उन्होंने कभी रेल देखी ही नहीं है। मैं संक्षेप में अपनी

बात कहना चाहूंगी। हमारे यहां 2 जंक्शन हैं, एक बालेश्वर में और दूसरा बिहार में जमशेदपुर टाटा में है। एक कोने से जिनको जाना होता है वे बालेश्वर से जाते हैं और दूसरे कोने से जिनको जाना होता है वे जमशेदपुर से जाते हैं। हमारे जिले के लिए बालेश्वर से पहले 4 सीटों का आरक्षण कोटा था, जो बाद में 8-10 सीटों का कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस कोटे को और बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। इसी तरह से रायरंगपुर से जब तक सुनील जी राज्यसभा के सदस्य रहे, तब तक तो 4 सीटों का कोटा वहां से था, उनकी टर्म समाप्त होने के बाद वह कोटा भी समाप्त कर दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस कोटे को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, ताकि रायरंग डिविजन के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा आरक्षित टिकटों का बंदोबस्त हो सके।

जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने की रेल लाईन है, जिस पर बादामपाड़ा और टाटा जमशेदपुर जंक्शन है। इस छोटी लाइन पर और छोटी सी दूरी की गाड़ी के लिए भी कभी कहा जाता है कि डीजल नहीं है; कभी कहा जाता है कि किसी और चीज की कमी है और इस ट्रेन को रोक दिया जाता है, जिससे यहां के निवासिों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर ध्यान देने का कष्ट करें। इसी तरह से चनुआ और बादामपहाड़ की दूरी 10 किलोमीटर की है, लेकिन किराया 25 किलोमीटर दूरी का लिया जाता है। इस बारे में वहां के निवासियों की बहुत शिकायत है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बारे में विभाग को निर्देश दें, ताकि तय की गई दूरी का ही किराया लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बारीपदा में अंग्रेजों के जमाने की रेल लाईन है, डीजल की कमी बता कर 2 महीने से इस पर चलने वाली गाड़ी को बंद कर दिया गया है। जब से उप-चुनाव हुए हैं और कांग्रेस जीती है, तब से यह गाड़ी बंद कर दी गई है। वहां के लोग समझ रहे हैं कि शायद यह कांग्रेस सरकार का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। मेरा निवेदन हे कि इस गाड़ी को पुनः चलाने की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि इस आदिवासी क्षेत्र के लोगों की समस्या का कुछ समाधान हो सके।

एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हमारे यहां जो इंजन पुराना था और कोयले से चलता था, उसका कलकत्ता ट्रांसफर किया जा रहा है, यह बात हमारी समझ में नहीं आई है। इसके बारे में भी मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए। जब उड़ीसा से रेल राज्य मंत्री थे तो उन दिनों हमारे स्टेट को राजधानी एक्सप्रैस नसीब हुई। यह सप्ताह में एक बार चलती है लेकिन हमारे जैसे लोगों को भी आने-जाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं चाहती हूं कि इसको रेगुलर किया जाए। जब भी हम बाहर जाते हैं तो बालेश्वर स्टेशन से गाड़ी में चढ़ते हैं इसलिए इस ट्रेन को वहां पर दो मिनट रूकवाने के निर्देश देने चाहिए। नीलांचल सुपरफास्ट और पुरूषोत्तम एक्सप्रैस में एक बोगी सैंकड क्लास ए.सी. की है जिसकी वजह से यात्रियों को लंबी लाईन में टिकट लेना पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि उड़ीसा जाने

वाली इन गाड़ियों में या किसी एक दो गाड़ियों में और एक सेंकड क्लास ए.सी. की बोगी को जोड़ा जाए। पुरुषोत्तम एक्सप्रैस सप्ताह में पांच दिन चलती है तो इसको भी रेगुलर किया जाए जिससे हम लोगों को असुविधा न हो। उड़ीसा जाने वाली ट्रैन्स में सिक्योरिटी की बहुत कमी है इसलिए उनमें बहुत चोरी होती है। लेडीज पैसेंजर्स से शिकायत आती है कि उनको ट्रेन्स में सिक्योरिटी की बहुत कमी है इसलिए उनमें बहुत चोरी होती है। लेडीज पैसेंजर्स से अकेले जाने में बहुत डर लगता है इसलिए सिक्योरिटी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। एक तो लोग जब साईकिल से या पैदल जाकर रेल लाईन पार करते हैं तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं इसलिए हमारे स्टेट में ऐसी जगहों पर ओवर ब्रिज का प्रबंध होना चाहिए और हमारे यहां जो तीर्थ स्थान हैं वहां पर अवश्य इसका प्रबंध होना चाहिए। मैं, एक्सेस ग्रांट 13 और 16 का समर्थन करती हूं। आपने फैमिली पेन्शन और रिटायर्ड बेनीफिट भी रखे हुए हैं। जहां पर एक्सीडेंट होते हैं और लोग मारे जाते हैं तो उनको फैमिली पेन्शन मिलना जरूरी है। फैमिली पेन्शन काफी नहीं है। बल्कि उनके घरों में से एक व्यक्ति को रेल विभाग में नौकरी मिलनी चाहिए। साऊथ इस्टर्न रेलवे में खुर्दा और खड़गपुर की लाईन पर विद्युतिकरण नहीं है। आप ग्रांट में काफी पैसा लेने जा रहे हैं। तो आपको खुर्दा और खड़गपुर की लाईन का विद्युतिकरण करना चाहिए। नुआगांव स्टेशन हमारे जिले के बगल में है। जो हमारे जिले से 10-12 कि.मी. की दूरी पर है तो वाकेश्वर स्टेशन और बारीपदा स्टेशन को डवलप किया जाएगा तो हमारे लोगों को पांच से दस किलोमीटर तक रेलवे स्टेशन पहुंचने में सुविधा होगी। अपने जिले से संबंधित समस्याएं मैंने आपको बता दी हैं इसलिए मैं काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की समस्याओं के बारे में नहीं बोलना चाहती। दूसरे सांसद इस समस्या के बारे में बोल चुके हैं लेकिन मैं उनके साथ सहमत हूं। मंत्री जी मेरे जिले का अवश्य ध्यान रखें और रेलवे लाईन का उद्घाटन सेशन बाद करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सूरजभानु (धार) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994-95 और वर्ष 1991-92 के लिये रेल बजट की अनुपूरक मांगों के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं रेल से संबंधित सभी समस्यायें सुन रहा था जिनमें कि गेज परिवर्तन की बात की गयी है, कहीं सिग्नल प्रणाली में सुधार की बात है तो कहीं ट्रेनों के स्टापेज की बात कही गयी है लेकिन मुझे यह कहते हुये दुख हो रहा है कि मेरे क्षेत्र में तो रेल लाईन ही नहीं है तो फिर किस प्रकार इन मांगों पर अपनी बात शुरू करूं ? मांगों की बात तो तब उठेगी जब मेरे क्षेत्र में रेल लाईन आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में और खासकर आदिवासी क्षेत्रों में रेल लाईन बिछाये जाने के लिये सर्वे का काम शुरू हुआ है लेकिन कितनी खूबसूरती से आगे बात को टाला गया है, उसके बारे में रेल मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सन् 1986 में मेरे संसदीय क्षेत्र में 182 कि.मी. लम्बी रेल लाईन बिछाने के सर्वे का काम शुरू हुआ था जिसके लिये 83 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि रखी गयी थी। इसके अन्तर्गत इन्दौर-पीतमपुर-दाहोद रेल लाईन बिछाने के लिए सर्वे का काम किया गया और 7वीं पंचवर्षीय योजना

में यह कहा गया कि यह योजना पूरी नहीं हो सकती है। फिर मैनें कहा कि यदि यह नहीं हो सकता है तो मेरे संसदीय क्षेत्र में इन्दौर-प्रीतमपुर तक का काम कर दिया जाये तो धार जिले का अंतिम गांव है। लेकिन मामला वहीं का वहीं रहा। उसके बाद 1989 में सरकार बदल गयी। योजना का नाम बदलकर काम शुरू हुआ। तब लखनऊ में एक मीटिंग हुई जिसमें इन्दौर-प्रीतमपुर-दाहोद की 182 कि.मी. के रेलमार्ग के स्थान पर गोधरा-देवास-मकसी की 316 कि.मी. की रेल लाईन को बढ़ाने के नाम पर 297 करोड़ रुपये इस योजना के लिये रखा गया। और इसके बाद जब मंत्री जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं हैं। क्या आदिवासियों के लिये इस काम को छोड़ने का काम किया गया है ? मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता हूं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि मामले को किस प्रकार आगे बढ़ाया गया है ? उसके बाद मार्च 1990 में 20 लाख रुपया मिला। उसके बाद 5 करोड़ 34 लाख रुपया तथा उसके बाद सजब शरीफ साहब आये तो ? मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी मांग गैर-वाजिब है, गैर कानूनी है या गैर-जिम्मेदाराना है ? इस बजट में जो पहले 83 करोड़ से 297 करोड़ में पहुंचाने का खूबसूरत काम किया, इस बजट में मात्र एक हजार रुपया इस रेल लाइन को दिया गया। अब आप कहें कि बजट नहीं है, पैसा नहीं है तो हम मानने को तैयार है। लेकिन हम कैसे माने कि हमारी कांस्टीट्यूएंसी में 1976 में सर्वे हुआ और जो योजना बनी जिसे सरकार ने कहा कि मंजूर कर लेते हैं, पैसा भी पहले साल में बीस करोड़ तथा फिर पांच करोड़ चौंतीस लाख दिया। अब ऐसी क्या स्थिति आ गई कि उस योजना के अंदर पैसा खर्च करना है। टोकन या एक हजार रुपया सिर्फ देने से साल भर से साल भार में काम कैसे चल पाएगा ? मैं बड़े दुख के साथ यह बात मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं दूसरे मामलों को इसलिए नहीं लपेटना चाहता कि मैं रेलवे के मामले में ही सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। क्योंकि मैं खुद एक पायलट हूं। मेरा फ्लाइंग लाइसेन्स बाकी है, तो राजनीति में उतार-चढ़ाव का मेरे ऊपर असर होने की संभावना कम है। मैं 29 साल की उम्र में ही 1982 में यहां पहुंच गया था। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी एक बार जब रेलवे पर आम बहस चल रही थी तो पूरी रात हम बैठे रहे। यह सोचकर कि आज जो किया, फिर मंत्री जी को गुजारिश करेंगे। तो शरीफ साहब की कोई शराफत हमारे लोक सभा क्षेत्र में भी हो जाएगी। पूरी रात बैठने के बाद जब सवेरे छह बजे नंबर आया और उस वक्त जब मंत्री जी ने उत्तर दिया तब अध्यक्ष ने कहा था कि जिन संसद सदस्यों ने मांगें रखी हैं और जिन मांगों के बारे में इस बजट में नहीं हो सकता है, उन्हें आप आने वाले बजट में देख लें। यह मैं इससे पहले बजट के बारे में बात कर रहा हूं। अब गीता वाली बात ही यहां होगी कि कर्म करो और फल की चिन्ता मत करो। तो हम जो सांसद यहां बैठे हैं, वह मांग करते रहें और रेल की चिन्ता न करें, वह स्थिति आने वाली है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब रेल नहीं होगी तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा ? इस मामले में चंदूलाल चंद्राकर जी ने कल भी कहा था कि आज हमारे क्षेत्र की लोकल चीज को खरीदने वाला कोई नहीं है। बड़े शहरों में जहां दूसरे साधनों से वह पहुंच जाती है, उसके लिए किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य

नहीं मिलता। मेरे क्षेत्र में मूंगफली होती है। वह 3-4 रुपए किलो है। दाना 7 रुपए किलो है। वही मूंगफली का पैकेट दिल्ली में 9 रुपए का 100 ग्राम बिकता है, अर्थात् 90 रुपए किलो बिकता है। उसका कारण यह है कि जो उपज होती है वहां का किसान, वहां का गरीब उसे अच्छा मूल्य लेकर वहां तक पहुंचाने में असमर्थ रहता है, और उसका शोषण दूसरे मालदार लोग इस ढंग से करते हैं जो मैंने आपको कीमतों के माध्यम से बताया। मैं दिन भर बैठने के बाद अपने को सिर्फ इसलिए रोके हुए था कि कम से कम आने वाले बजट में आप मेरे लोक सभा क्षेत्र को कुछ देने की गुंजाइश रखेंगे जिससे हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को कुछ आशा बंधे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो ललितपुर-खजुराहो-सतना रेलवे लाइन, रीवां-भवानीपुर नयी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन और गुना-शिवपुरी-ग्वालियर-भिण्ड रेलवे लाइन आदि की मांग के लिए जानकारी मध्य प्रदेश के सासंदों को दी जाती है। मगर मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के बारे में ही बात कर लूं और मंत्री जी कुछ इशारा कर दें कि अगले बजट में हम उस बारे में थोड़ा सा कुछ करेंगे। मै एक बात और आपके ध्यान में लाऊं। नवंबर का महीना आने वाला है और उसमें एक जगह पर मंत्री लोग छुट्टियों में पिकनिक मनाने भी चले जाते हैं। कुछ लोग बर्ड्स देखने के लिये वहां चले जाते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में मांडव ऐसी जगह है जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और जहां पूरे हिन्दुस्तान से लोग आते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और जहां पूरे हिन्दुस्तान से लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं लेकिन दिल्ली से रेल का कनैक्शन न होने की वजह से वहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ मंत्री लोग जरूर हैलीकॉप्टर से पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं, यह मैं कहना भी चाहता हूं . . . **(व्यवधान)** . . . यही तो मैं कहना चाहता हूं कि मांडव के लिये आप दिल्ली से सीधी रेल उपलब्ध करायें ताकि सारा चक्कर ही खत्म हो जाये क्योंकि मांडव काफी हिस्टीरिकल प्लेस है।

मंत्री जी, हम सांसदों का गुस्सा अपनी जगह पर है, आपका प्यार हमारे ऊपर अपनी जगह पर है, इस प्यार और गुस्से के बीच आप कोई रास्ता निकालिये और हम संसद-सदस्यों को आने वाले समय में कुछ फैसिलिटीज देने की कोशिश कीजिये। मैं यहां एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि पिछली मीटिंग में मैंने यह कोशिश की थी कि अगर मेरे लोकसभा क्षेत्र तक रेल नहीं पहुंच सकती है तो कोई छोटी सी हवाई पट्टी ही बना दी जाये ताकि किसी प्राईवेट एयरलाईन को लाकर रेल न सही बाई एयर ही जोड़ा जा सके। फिर भी, मंत्री जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें और इन शब्दों के साथ मैं सदन में प्रस्तुत अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे ने देश के बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रेलवे को भारत के लोगों की जीवन-रेखा कहा जा सकता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जो किसी न किसी रूप में इस देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। भले ही वह रेलवे से यात्रा करे या न करे यह अलग बात है। इसी वजह से, इसकी इसी महत्ता की

वजह से, और रेलवे की इसी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण रेलवे से कुछ और अपेक्षा करते हैं। और माननीय सदस्यों द्वारा सदन में और देश की आम जनता द्वारा विभिन्न माँगे मांगी जाती रही हैं। इस कारण मैं महसूस करता हूँ कि जब कभी भी अनुदान संबंधी मांगें, अनुपूरक मांगें और अतिरिक्त मांगें सदन में प्रस्तुत की जाती हैं तो हम सभी इससे सहमत हैं। वास्तव में, अन्य विभिन्न माँगों का उठाया जाना लाजिमी है क्योंकि हमारे समाज में कुछ विकास होता है और हम अपेक्षा करते हैं कि इस रफ्तार को और भी तेज किया जाए। मैं आश्वस्त हूँ कि, भारतीय रेल ने जिस तरह से बहुआयामी होने का साक्ष्य दिया है और वह भी श्री जाफर शरीफ के नेतृत्व में उससे ऐसा लगता है कि इससे उस रफ्तार के तेज होने में सहायक होगा, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे।

आज जब मैं अनुदान संबंधी इन माँगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ तो सबसे पहले मुझे ईमानदारी से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने चंडीगढ़ और नई दिल्ली के बीच नई शताब्दी, एक्सप्रेस चलायी है। आज ही अमृतसर और नई दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस को चलाया गया है। इन उपलब्धियों की हम प्रशंसा करत हैं, जिनमें, मंत्री जी, रेलवे बोर्ड और रेलवे के कर्मचारियों ने बड़ी भूमिका निभाई है, यही समय हैं जब हम अपनी नई माँगों को आपके सामने रख सकते हैं।

इससे पहले कि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ और इस संबंध में संक्षेप में बोलूँ मैं सभी रेलवे कर्मचारियों की प्रशंसा करना चाहूँगा और चाहूँगा कि इसे रिकार्ड में सम्मिलित किया जाए। लोगों की विभिन्न सुविधाएँ देने के लिए वे 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जो प्रगति की है वह रेलवे कर्मचारियों के अथवा परिश्रम की वजह से हुआ और उन लोगों की वजह से जो रेलवे में कुछ वर्ष पहले तक सेवारत थे। जब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो कुछ साल पहले सेवा में थे, तो मुझे यह देखते हुए हर्ष हो रहा है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए पेंशन और अन्य सेवानिवृति भतों की माँग हो रही है। यहीं पर मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है।

मैं वरिष्ठ नागरिकों से मिला हूँ - जो पहले रेलवे में कार्य कर चुके हैं। ऐसे लोग जो 70 वर्ष से ज्यादा के हैं या 75 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं -अपने जीवन के संध्याकाल में, उन्होंने आत्म जीवन की कामना नहीं की है। लेकिन वे उम्मीद करते हैं कि राज्य या रेलवे को उनकी देख-भाल करनी चाहिए। लेकिन यह जानकर दुख होता है कि चंडीगढ़ में रेलवे अस्पताल नहीं है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जिसका महत्व पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने की वजह से और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ का मुख्यालय और हिमाचल प्रदेश का द्वारा होने की वजह से कम नहीं किया जा सकता है। चंडीगढ़ पंचकूला और मोहाली में बहुत बड़ी संख्या में रेलवे के सेवानिवृति कर्मचारी निवास करते हैं। जब उन्हें चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है तो जाहिर है कि वे कठिनाई महसूस करते हैं मैंने पहले भी माननीय

मंत्री जी से निवेदन किया था और अब भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में अविलम्ब रेलवे अस्पताल खोला जाए। जब तक एक अस्पताल वहाँ खोला जाता है, तब तक अविलम्ब जरूरत वगैर किसी कठिनाई के बिना संभव है, अपेक्षित सुविधाएँ पी जी आई या सेक्टर 16 के अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएँ। अन्यथा, वे उन चिकित्सा सुविधाओं के भुगतान के लिए कुछ प्रबंध कर सकते हैं, जिनका वे लाभ उठा रहे हैं। यह लोगों के लिए बहुत ही कठिनाई भरा है जिन्हें चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला से दिल्ली आना पड़ता है ताकि वे कुछ सहायता प्राप्त कर सकें। इस संदर्भ में अविलम्ब कुछ किया जाना आवश्यक है। यह मेरा आग्रह है।

कुमारी सुशीला तिरिया ने परिवार पेंशन के विषय में कहा मैं इतना तो कहूँगा कि इस मुद्दे पर माननीय मंत्री जी द्वारा विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में परिवार पेंशन बहुत ही कम है। आज वृद्धावस्था विशेष भत्ता देने की भी जरूरत है। पंजाब की सरकार ने यह प्रदान किया है। उन सेवानिवृत वरिष्ठ कर्मचारियों के मामले में जो 70 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। उन्हें पाँच प्रतिशत प्राप्त होगा और जो 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। उन्हें 10 प्रतिशत प्राप्त होगा। यदि रेलवे भी ऐसा करती है तो वास्तव में यह स्वागत कदम होगा।

बहुत समय से लम्बित हमारी कुछ मांगों के संदर्भ में, मैं कहूँगा कि चंडीगढ़ को पंजाब से सर्वाधिक महत्व देते हुए जोड़ने की जरूरत है। कई वर्ष पहले चंडीगढ़ और लुधियाना को जोड़ने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था लेकिन, कहीं इसे बंद कर दिया गया। तब, हमें पता चला कि चंडीगढ़ और राजपुरा के बीच रेलवे मार्ग बनाने की जरूरत है। लेकिन, इस संदर्भ में कुछ भी नहीं संभव हो सका है। हो सकता है 'फाईल में कुछ चल रहा हो। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करूँगा कि इस कार्य में तेजी लाई जाए। हम सैंकड़ों किलोमीटर के रेलवे मार्ग की माँग नहीं कर रहे हैं। यह तो राजपूरा के मामले में मात्र 40 कि.मी. लम्बा रेलवे मार्ग ही है औ समराला और मोरिन्डा के मामले में 40-45 कि.मी. है जो चंडीगढ़ को मुख्य मार्ग से जोड़ देगा। मैं समझता हूँ कि, हमें इस को अविलम्ब पूरा करने की जरूरत की अनदेखी नहीं करना चाहिए।

रेलवे ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की है जिसके तहत कुछ रेलवे स्टेशनों को मॉडल रेलवे स्टेशन में परिवर्तित किया जा रहा है। वास्तव में, कुछ वर्षों में, हमें अवश्य ही स्वीकारना चाहिए कि यात्री सुविधाओं के मामलों में काफी सुधार हुआ है। लेकिन चंडीगढ़ जैसे स्टेशन की अनदेखो नहीं की जा सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन को जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं देखने में आ रहा है। कारण, वाशिंग लाईन जैसी सुविधाओं का अभाव है, किसी भी माँग के लिए, जिसे हम रेल मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यही उत्तर बारबार दिया जाता है कि टर्मिनल सुविधाओं के कारण, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा है तो, मैं

मानता हूँ कि चंडीगढ़ में, इसके लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए। मुझे कुछ समय पहले कहा गया था, जब मैं कुछ लोगों से मिल रहा था तो चंडीगढ़ के मामले में, क्योंकि अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध है, वाशिंग लाईन को प्रदान करने के लिए ज्यादा लागत की जरूरत नहीं होगी। जिसे एक सामान्य लागत की एक-तिहाई में ही संभव किया जा सकता है। और इससे नए अवसर पैदा होंगे। इससे चंडीगढ़ के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को रेल सुविधाओं को ज्यादा उपयोग करने का मौका मिलेगा।

जब मैं सुविधाओं की बात करता हूँ, तो मेरा मतलब स्पष्ट होता है कि चंडीगढ़ से देश के अन्य भागों के लिए और अधिक गाड़ियां चलाने की जरूरत है। हमने हमेशा चंडीगढ़ और मुगलसराय को अमेठी के मार्ग से जोड़ा जाए। उसके लिए, शहारनपुर और अन्यत्र तक के मार्ग को अपनाया जाना हैं। उसके लिए, कुछ सुविधाएँ दी जानी हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ज्यादा गाडियाँ और डिब्बे उपलब्ध कराने का मेरा आग्रह जो है वह आसानी से पूरा करना संभव नहीं है। लेकिन जो चीज मुझे बार-बार हतोत्साहित करती है वह यह है कि जो सुविधाएँ लम्बे समय से विद्यमान थीं वे वापस ले ली गई हैं। कालका-हावड़ा मेल में एक कोच लगा जो दिल्ली में अलग किया जाता था। और बम्बई जाने वाली फ्रान्टीयर मेल में जोड़ दिया जाता था। उसे बन्द कर दिया गया है इसका कारण यह बताया गया है कि फ्रन्टीयर दिल्ली नहीं जाती है, बल्कि निजामुद्दीन और नई दिल्ली जाती है। पूरी विनम्रता और पूरा जोर देकर मैं यह कहना चाहूँगा कि यह विश्सनीय नहीं है। यह विशिष्ट तर्क हैं परंतु प्रमाणिक नहीं है। यदि सेवाओं को रोकने का यही कारण है तो मैं नहीं जानता कि हम किस तरह प्रगति कर रहे हैं। यदि परिचालन संबंधी अथवा किसी अन्य कारण से फ्रन्टियर मेल दिल्ली नहीं जाती है तो मैं समझता हूँ कि अम्बाला में ही फ्रन्टीयर मेल में कोच को जोड़ा जा सकता था। हमारे इस तर्क के पीछे वैध विचार है कि कई मामलों में चण्डीगढ़ में विभिन्न गाड़ियों में कोचों को जोड़ा जाए और अम्बाला में अलग किया जाए या देश के अन्य भागों के लिए प्रस्थान कर रही विभिन्न गाड़ियों में जोड़ा जाए। इस संदर्भ में, मैं इस जरूरत पर बल दूँगा, जैसा कि मैंने कहा, लखनऊ और पटना के लिए और भी कोचें प्रदान करने की जरूरत है जिसे चण्डीगढ़ एक्सप्रेस में जोड़ा जा सकता है और आगे की यात्रा के लिए अम्बाला में काटा जा सकता है।

एक नवयुग एक्सप्रेस है। मैं मानता हूँ कि इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। यह एक ऐसा हिस्सा है जो जम्मू में शुरू होता है और दूसरा भाग चण्डीगढ़ में शुरू होता है और मद्रास, मंगलौर और कन्याकुमारी तक जाता है। चण्डीगढ़, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी जगह है जिसने देशभर के लोगों को आकर्षित किया है। आज, हम इसे छोटा-भारत कह सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि यह भारत की मिश्रित संस्कृति, का प्रतिनिधित्व करता है।

देश को सभी भागों के लोग वहाँ रह रहे हैं और उन हिस्सों की यात्रा करने में बहुत कठिनाई हो रही है। चण्डीगढ़ से केरल जाने वाली विभिन्न गाड़ियों को दिल्ली से होते हुए और इसे हैदराबाद के लिए

सम्पर्क करने की आवश्यकता है। एक गाड़ी है जिसका नाम उच्छार एक्सप्रेस है जो दिल्ली से अम्बाला तक आती है। मैं इस माँग को दोहरा रहा हूँ, मैंने इस माँग को पहले भी उठाया था और मैं पुनः उठा रहा हूँ ताकि यह दिखा सकूँ कि चण्डीगढ़ के आसपास के अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए ये ट्रेनें आवश्यक हैं। मैं जानता हूँ कि यह कहना सहज है किंतु इसकी व्यवस्था करना इतना सहज नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ, रेलवे की इच्छा को देखते हुए यह कठिन कार्य नहीं है। यह गाड़ी अम्बाला से चण्डीगढ़ तक बढ़ायी जा सकती है। जो चण्डीगढ़ को अन्य जगहों जैसे कलकत्ता, कानपुर और इलाहाबाद से जोड़ सकती है।

महोदय, मैं कुछ और मुद्दे उठाना चाहता था। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं पहले ही निर्धारित समय-सीमा को पार कर गया हूँ। इसलिए मैं केवल एक मुद्दे को ही उठाऊँगा और समाप्त करूँगा। जब मैं सुविधाओं में सुधार की बात करता हूँ तो अविलम्ब जरूरत है कि इस छोटी चीज की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम्प्युटरीकरण कई जगहों पर किया गया है। चण्डीगढ़ के लोगों को कुछ कठिनाईयाँ हो रही हैं। वहाँ की भीड़-भाड़ को देखते हुए कांवटरों की संख्या ज्यादा नहीं है। इसलिए भीड़ से निबट पाना मुश्किल होता है। रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल नहीं है। लोगों को वापसी के लिए आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती। मोहाली और पंचकुला में आरक्षण काऊँटर नहीं है। इसलिए, चण्डीगढ़ में सभी भीड़ जमा हो जाती है। लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और समय पर संतोषजनक सेवा नहीं प्राप्त हो पाती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन प्रश्नों पर विचार किया जाए ताकि चण्डीगढ़ जैसी महत्वपूर्ण जगह से रेल सेवा आरामदायक बन सके।

7.00 म.प.

श्री लाईता उम्ब्रे (पूर्वी अरूणाचल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा चुनाव क्षेत्र 42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हमारा निकटतम रेलवे स्टेशन असम में है, जो 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः पिछली बार जब रेल बजट पर चर्चा हुई, मैंने चर्चा में हिस्सा न लेने का निर्णय लिया। इस बीच मुझे अपने चुनाव-क्षेत्र के लोगों से उनकी बहुत शिकायतों के बारे में पत्र प्राप्त हुए है। मुझे पता है कि मंत्री जी पहले ही दूसरे सहयोगियों की माँगों को भी पूरा करना है। अतः मैं अपने चुनाव-क्षेत्र में कोई रेल लाईन बिछाने की माँग नहीं कर रहा परन्तु मेरा निवेदन है कि असम में पहले से विद्यमान सुविधाओं में और सुधार किया जाए।

असम पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र का प्रवेश-द्वार है वहाँ पर गाडियों की हालत के बारे में जाकर आपको आश्चर्य होगा। आसाम मुख्य रूप से गुवाहाटी से जुड़ा हुआ है। जो कि उत्तर-पूर्व की ऐसी एकमात्र शहर है जिसे सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। परन्तु आसाम के भीतर गाड़ी-सेवा अत्यन्त शोचनीय है। गाड़ियों की हालत इतनी खराब है कि आप उनमें यात्रा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कोई रोशनी व्यवस्था नहीं, पीने के पानी का उचित प्रबन्ध नहीं और शौचालय साफ नहीं हैं। तिनसुखिया से गुवाहाटी

तक सड़क मार्ग से दस घण्टे का सफर है परन्तु यदि आप रेलगाड़ी से यात्रा करें तो 36 घण्टे से अधिक का समय लगता है। यदि यह परिस्थितियाँ हों तो कोई गाड़ी में यात्रा करने के बारे में कैसे सोच सकता है ? यह अकल्पनीय है।

हम माननीय मंत्री जी के प्रति आभारी हैं। कि उन्होंने राजधानी एक्सप्रैस हमारे क्षेत्र तक बढ़ा दी है। हर सोमवार यह दिल्ली से गुवाहाटी के लिए चलती है और हरबुधवार गुवाहाटी से दिल्ली के लिए जाती है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इसकी बारम्बारता बढ़ाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उम्ब्रे जी, आप और कितना समय लेंगे ?

श्री लाईता उम्ब्रे : मैं तीन चार मिनट और लूंगा। बहुत सी ऐसी गाडियाँ है जो गुवाहाटी से शुरू होती हैं और दक्षिणी राज्यों को जाती हैं। बहुत से सरकारी कर्मचारी और अनेक व्यापारी इनमें यात्रा करते हैं। उत्तर-पूर्व से बहुत से बच्चे दक्षिण में अध्ययन हेतु जाते हैं। दक्षिण में बहुत से अच्छे अस्पताल है जहाँ इलाज के लिए उत्तर-पूर्व से लोग जाते हैं। परन्तु इन गाडियों में प्रदान की जा रही सुविधाएँ बहुत ही शोचनीय हैं। साथ ही समय पर वह नहीं आती हैं। मान लीजिए, एक सरकारी कर्मचारी के खाते में 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी है, वह त्रिवेन्द्रम बैंगलौर अथवा किसी दक्षिणी राज्य में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम किसी ऐश्वर्य की माँग नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल यह माँग कर रहे हैं कि जिस सेवा के लिए हम पैसा देते हैं वह उच्चतम स्तर की होनी चाहिए। कम से कम सभी गाड़ियों में समय की पाबन्दी का पालन तो होना चाहिए और विशेषकर दक्षिणी राज्यों की गाड़ियों जैसे कि कोचीन एक्सप्रैस, त्रिवेन्द्रम एक्सप्रैस और बंगलौर एक्सप्रेस। इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, मेरे चुनाव-क्षेत्र के नजदीक एक रेल स्टेशन है धोला या सेखोवाघाट। स्वतन्त्रता से पूर्व तिनसुखिया और डांगरी के बीच वर्तमान रेल लाईन से लम्बी रेल-लाईन थी। पहले यह दूरी अरूणाचल प्रदेश की सीमा से 20 किलो मी. से अधिक थी। मैं नहीं जानता कि यह दूरी कम कैसे कर दी गई। वहाँ पर टिकटों के आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है। अतः टिकट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

महोदय तिनसुखिया और लेडो के बीच एक और गाड़ी चल रही है। वहाँ पर हमारा कोयले की खान है। इन दोनों स्टेशनों के बीच में चलने वाली गाडियाँ केवल कोयले का परिवहन करती हैं, यात्रियों को नहीं ले जाती। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे यात्रियों को भी आवागमन की सुविधा प्रदान करें। यदि ऐसा किया जाता है तो बहुत से निर्धन लोग रेल द्वारा यात्रा कर सकेंगे।

महोदय, मेरे चुनाव-क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के पार पासीघाट नामक एक स्थान पड़ता है। महोदय, इस समय बोंगाईगाँव से मुकीगसेलेक तक की छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल-लाईन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जब हम स्कूल या कालेज में थे तब हम इन दोनों स्टेशनों के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी को बैलगाड़ी के नाम सी पुकारा करते थे। हम ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वह गाड़ी

बैल-गाड़ी से कम गति पर चलती थी। गाड़ी हर जगह और हर स्टेशन पर रूक जाती थी। यदि कोई यात्री किसी विशिष्ट स्टेशन पर उतरना चाहता है तो वह बड़ी आसानी से उतर सकता है परन्तु यदि यात्री चलती गाड़ी से भी उतरना चाहता है तो वह यह काम भी आसानी से कर सकता है। मैं माननीय रेल मंत्री से कुछ सुधार करने का अनुरोध करूँगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है, कि स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा।

महोदय, यह मेरी माँगें हैं। न केवल रेल मंत्रालय में अपितु अन्य क्षेत्रों पर अपने विस्तृत और लम्बे अनुभव के साथ माननीय मंत्री जी उन समस्याओं की तरफ अवश्य ध्यान देंगे। जिनको मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : पवार जी, आप केवल एक वाक्य बोलिए, फिर हम सदन की बैठक स्थगति करेंगें।

[हिन्दी]

श्री हरपाल पवार (कैराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे की सप्लीमेंट्री डिमांड्स फार ग्रांटस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पवार जी, आप बोलने को तैयार हैं। आपका नाम कल पुकारा जाएगा। फिर आप बोलेंगे। सदन कल सुबह 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होता है।

7.06 म.प.

तत्पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 12 अगस्त, 1994/21 श्रावण, 1916 (शाक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगत हुई।